टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलें में संविधान की धारा 45 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किए गए शासकीय प्रयासों एवं प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन

पी.एच.डी. उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध

सन–2004

निर्देशक
डॉ.डी.आर.सिंहपाल
रीडर (शिक्षा शा. विभाग)
पं.जे.एल.एन. कॉलेज बांदा

शोधार्थिनी
श्रीमति अर्चना अग्रवाल
एम.एस.सी.,एम.एड.

शोधकेन्द्र
शिक्षा संकाय पं.जवाहर लाल नेहरू
पी.जी. कॉलेज बाँदा (उ.प्र.)

Dr. D.R.Singh Pal
M.A., M.Ed., Ph.D.
Reader & Head
Deptt. of Teacher Education
Pt. Jawaharlal Nehru P.G. College
Banda (U.P.)

Resi : "Ur il Sadan"
Civil Lines, K lu Kuwan,
Banda 2100((U.P.)
Ph. 05192 - 2)691 (O)
05192 - 2 0010 (R)

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति अर्चना अग्रवाल ने मेरे अधीन रहक र शोध विषय **टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में संविधान की धारा 45 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा मे किये गये शासकीय प्रयासों एवं प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन** में अपना शोध प्रबन्ध पूर्ण किया जो उनकी मौलिक कृति है, इन्होने धारा 7 के अंतर्गत अपना शोध कार्य नियोजित समय में शोध केन्द्र पर मेरी देखरेख एवं निर्देशन में पूर्ण किया है।

इनका यह कार्य बुन्देल खण्ड़ विश्वविद्यालय झाँसी के पी.एच.डी. अध्यादेश की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मैं इनके इस शोध प्रबन्ध को बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी उत्तर प्रदेश की **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी** उपाधि हेतु अनुशंसित करता हूँ।

स्थान............................

दिनांक...30.11.06...........

निर्देशक
D.R.Singh Pal
डॉ.डी.आर.सिंहपाल
रीडर (शिक्षा शा.विभाग)
पं. जे.एल.एन.कॉलेज बांदा
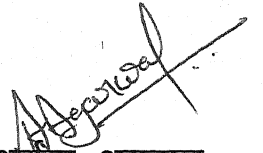
घोषणा-पत्र

मैं श्रीमति अर्चना अग्रवाल यह घोषणा करती हूँ कि **डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी** उपाधि हेतु बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी उत्तर प्रदेश द्वारा शोध हेतु स्वीकृत विषय **टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में संविधान की धारा 45 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये शासकीय प्रयासों एवं प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन** पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरी मौलिक कृति है, इसमें उपलब्ध मार्ग दर्शन एवं सुझावों का ही उपयोग किया गया है।

मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मेरे द्वारा या अन्य व्यक्ति के द्वारा इस विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय के शोध प्रबन्ध का अंश नही है।

स्थान ...झाँसी...........

दिनांक..30/11/06...

श्रीमति अर्चना अग्रवाल
एम.एस.सी.,एम.एड.
(शोधार्थिनी)

कृतज्ञता-सुमन

शोध कार्य एक कठिन साधना हैं। इस साधना हेतु आर्शीवाद तथा प्रेरणा की महती आवश्यकता होती हैं। जो परम पिता परमेश्वर एवं गुरू–कृपा बिना सम्भव नही हैं शोधार्थिनी के ऊपर ईश्वर एवं गुरू दोनों की कृपा दृष्टि ही उसे इस कार्य को सम्पूर्ण करने हेतु सम्बल प्रदान कर सकी,

शोधार्थिनी अपने गुरूवर प. आचार्य दुर्गाचरण जी शुक्ल सेवानिवृत प्राचार्य के श्री चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करती हैं जिनकी कृपा दृष्टि द्वारा शोध कार्य सम्पन्न हो सका हैं। शोधार्थिनी अपने माता–पिता के आशीर्वाद द्वारा यह कार्य पूर्ण करने में सफल हुई हैं।

शोध कार्य के प्रारम्भ से अन्त तक मार्गदर्शन, परामर्श सहयोग एवं उत्साहवर्धन वांछनीय हैं। शोधार्थिनी के रूप में जिन आचार्य श्रेष्ठो, अग्रजों सहयोगियों तथा अनुजो से उक्त वांछनीय दिशा निर्देशो की प्राप्ति हुई उनकी मैं हदृय से आभारी हूँ।

शोधार्थिनी को इस बात का गर्व है कि उसे अत्यधिक स्नेह एवं सहयोग देने वाले पति श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल (डिप्टी कमाण्डेण्ट बी.एस.एफ.) मिले है जिन्होंने शोध कार्य सम्पन्न कराने में अतुलनीय सहयोग दिया हैं। मैं उनका हदृय से आभार व्यक्त करती हूँ।

शोधार्थिनी अपने निर्देशक महान शिक्षाविद् डॉ. डी.आर. सिंहपाल जी की लगनशीलता, उदारता तथा सहृदयता से सदैव प्रभावित रही हैं, शोध कार्य के प्रत्येक चरण में मिले आप के मार्ग दर्शन को अभिव्यक्त कर पाना सम्भव नही हैं शोधर्थिनी इस जगह अपने आपको भाग्यशाली समझती हैं। उनकी असीम अनुकम्पा तथा प्रेरणा के लिये शोधार्थिनी उनकी हृदय से आभारी हैं तथा उनकी उदारता की विवेचना करने में सक्षम नही हैं।

मेरे छोटे अनुज श्री दीपक कुमार अग्रवाल संपादक (विश्व क्रान्ति साप्ताहिकी) का मैं तहेदिल से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होने अपना अतुलनीय समय एवं परिश्रम के द्वारा शोधकार्य को सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं।

शोधकार्य करने हेतु शोधार्थिनी को प्रेरणा मंत्र देने वालो गुरू श्री डॉ. डी.पी.खरे सेवानिवृत व्याख्याता (डाईट कुण्डेश्वर जिला–टीकमगढ़) के प्रति अत्यन्त विनम्रता से अभार प्रकट करती हैं। एवं श्री बी.व्ही. खरे (सेवानिवृत प्राचार्य डाईट कुण्डेश्वर जिला–टीकमगढ़) का आभार प्रकट करती हैं। जिन्होंने शोधकार्य में अपना काफी सहयोग दिया।
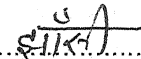
शोधार्थिनी श्री बंसन्त कुमार अग्रवाल एवं श्रीमति सुषमा अग्रवाल व्याख्याता (बालक शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खरगापुर जिला–टीकमगढ़ म.प्र.) का आभार व्यक्त करती हैं। जिन्होने शोधकार्य करने में निर्बाधता प्रदान की।

शोधार्थिनी श्री साहाब सिंह यादव, श्री राजीव सेंगर कम्प्यूटर आपरेटर, अरूण द्विवेदी आलोक श्रीवास्तव, टाइपिस्ट देवेन्द्र कुमार सोनी, का आभार व्यक्त करती हैं। जिनका शोधकार्य करने में काफी सहयोग मिला।

टीकमगढ़ व छतरपुर जिलो के उपसंचालक शिक्षा, विकास खण्ड शिक्षा–अधिकारी, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, सहायक संचालक औपचारिकेत्तर शिक्षा, जिला सांख्यिकी कार्यालयों के पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों, राजीव गाँधी शिक्षा मिशन के परियोजना अधिकारियों की शोधार्थिनी विशेष रूप से आभारी हैं जिन्होंने समय–समय पर शिक्षा सम्बन्धी जानकारियाँ दी।

शोध अध्ययन हेतु चयनित विद्यालयों के शिक्षक प्रधानाध्यापक तथा छात्र शोध कार्य के आधार स्तम्भ रहे इनके सहयोग के बिना पृष्ठभूमि का निर्माण असम्भव था, शोधार्थिनी इनके प्रति ऋणि हैं। इन्ही विद्यालयों के छात्रों के अभिभावकों का सहयोग प्रशंसनीय रहा। शोधार्थिनी इन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हैं।

इसके अतिरिक्त शोधार्थिनी अपने शोध केन्द्र पं. जवाहर लाल नेहरू स्नात्कोत्तर महाविद्यालय बांदा (उ.प्र.) के सभी आचार्यगण, ग्रंथपाल एवं अपने परिजनों श्री उमेश कुमार गोयल, श्रीमति शोभना गोयल व उन सभी ईष्ट मित्रों की आभारी हैं, जिन्होने शोध कार्य के समय मानसिक संबलता को बनाये रखने तथा अध्ययन हेतु उचित वातावरण के निर्माण में सहयोग प्रदान किया।

स्थान ....झाँसी..........

दिनांक 30/11/06

श्रीमति अर्चना अग्रवाल

एम.एस.सी.,एम.एड.

(शोधार्थिनी)

प्राक्कथन

शिक्षा ही किसी राष्ट्र के निर्माण का, मूलमंत्र हैं। काल, स्थान एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के स्वरूप बदलते रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में भारतवर्ष विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश हैं फिर भी शैक्षिक दृष्टि से यह बहुत पीछे है और आर्थिक रूप से बहुत विपन्न हैं। सामाजिक कुरीतियॉ जाति एवं वर्ग संघर्ष अनेक समस्याओं से ग्रसित है। प्रगतिशील देश यह अनुभव देते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सर्वागींण उन्नति शिक्षा पर आधारित होती हैं। जापान, इंग्लैण्ड, अमेरिका इसके प्रतीक हैं। शिक्षा ही वह माध्यम हैं जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करता हैं। 'शिक्षा' समाज की आधार शिला है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया। शिक्षा द्वारा नागरिकों की ऐसी आदतों, अभिरूचियों और चारित्रिक गुणों का विकास किया जाय, जिससे वे अपने उत्तरदायित्वों को भली प्रकार निभा सकें और उन प्रवृतियों को रोक सकें जो राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्षता के लिये बाधक है।

भारत वर्ष में समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा विस्तार, सुदृढ़ीकरण व समस्याओं पर अनुशंसायें की गई। हण्टर कमीशन रिपोर्ट में कहा गया कि प्राथमिक शिक्षा को समस्त जनसंख्या की शिक्षा मानकर चलना चाहियें। यही कारण हैं कि सन् 1950 में हमारे देश के संविधान में प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत धारा 45 में देश के सभी 6 से 14 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई हैं तथा इस लक्ष्य को आगामी 10 वर्षो अर्थात् सन् 1960 तक प्राप्त कर लेने का संकल्प लिया गया। इन वर्षो के पश्चात् आंकलन से यह आभास मिला कि इस लक्ष्य की प्राप्ति इतनी सुगम नही हैं, जिसकी कल्पना संकल्प लेते समय की गई थी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को विशेषकर ऐसे वर्ग विशेष को जो सामाजिक रूप से पिछड़े थे, उपलब्ध कराने में विशेष जोर दिया गया। सन् 1993 में "सबके लिये शिक्षा मूल मंत्र" को मूर्तिरूप प्रदान करने के उद्देश्य से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत वर्ष में प्रारम्भ किया गया। इसमें म.प्र. के भी 19 जिलों का चयन किया गया। चयन का आधार इन जिलों में महिला साक्षरता की स्थिति राष्ट्रीय महिला साक्षरता से कम होना था।

शोध हेतु चयनित म.प्र. के सागर संभाग के दो जिले टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले

शैक्षिक दृष्टिकोण से पिछड़े जिले हैं। टीकमगढ़ जिला छतरपुर जिले की तुलना में अधिक पिछड़ा है। दोनों जिलों की सामाजिक स्थिति लगभग एक जैसी है। प्रस्तुत शोध में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के प्राथमिक शिक्षा की 1991–1992 से 1993–1994 तक शिक्षा स्थिति का उल्लेख करते हुए मुख्य चर्चा 1995–1996 से 2001–2002 के मध्य अर्थात् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के 8 वर्षो में हुई प्राथमिक शिक्षा की प्रगति में की गई हैं तथा इन दोनों जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में किये गये उक्त अवधि में प्रयासों तथा प्रभावों की तुलनात्मक चर्चा भी प्रस्तुत की हैं।

शोध कार्य में दोनों जिलों के 50–50 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन करके उनमें विभिन्न साक्षात्कार तथा प्रश्नावली प्रपत्रों द्वारा तथ्यात्मक जानकारियों तथा आंकड़ों को एकत्र किया गया हैं।

शोध कार्य में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु निर्धारित उदेश्यों की पूर्ति हेतु शोधक्षेत्र में क्या प्रयास किये गये, में विशेष ध्यान केन्द्रित कर कार्य किये गये। इस हेतु औपचारिक श्ऱिक्षा, औपचारिकेत्तर शिक्षा तथा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा किये गये प्रयासों को अध्ययन का मुख्य आधार बनाया गया।

शोधार्थिनी के शिक्षक प्रशिक्षण संस्था से करीब 10 वर्षो से सम्बन्ध हैं। अतः प्रस्तुत शोध में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण के पक्ष को भी विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया हैं।

निश्चित रूप से यह शोधकार्य शोध क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति को अवगत करायेगा तथा एक ऐसा सुदृढ़ आधार प्रदान करेगा,जिसमें न केवल शोध क्षेत्र वरन् अन्य क्षेत्र भी प्राथमिक शिक्षा के शत्–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में ऐसे यथेष्ट प्रयास कर सकेगें जिनकी वास्तव में वर्तमान समय में आवश्यकता हैं।

अनुक्रमणिका

अध्याय-प्रथम

प्रस्तावना

मानव जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व हैं। चिरकाल से शिक्षा का समाज से अविछिन्न सम्बन्ध रहा हैं। बॉयड एच. बोड के कथनानुसार ''समाज और शिक्षा का एक दूसरे से पारस्परिक कारण और परिणाम का सम्बन्ध हैं। किसी भी समाज का स्वरूप उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करता है और इस व्यवस्था का सर्व समाज के स्वरूप को निर्धारित करता हैं।'' इस प्रकार हम शिक्षा और समाज को अन्योन्याश्रित अविछिन्न रूप से गुँथा हुआ पाते हैं।

वास्तव में शिक्षा मानव जीवन को प्रकाश पुंज से उद्‌दीपन कर उत्कृष्ट जीवन की कला सिखाती है। यह मानव को उसके स्वधर्मानुकूल दायित्वों को जागृत कर नव विकसित मानवीय मूल्यों एवं चारित्रिक व्यवहार पर खरा उतरने, कर्त्तव्यों के परिपालन योग्य बनाने और मानव के सर्वागीण विकास में मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा भावनात्मक गुणों का विकास कर समाज और राष्ट्र के लिये सुयोग्य नागरिक तैयार करने का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

शिक्षा हमेशा से ही सभ्यता के विकास का आधार रही हैं। प्रत्येक समाज ने अपनी अपनी सभ्यतां एवं संस्कृति के विकास में विशिष्ट प्रकार की शिक्षा तथा सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं को प्रश्रय दिया हैं। शिक्षा से समाज में उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को हल करने का प्रयत्न किया जाता हैं। आज हमारा समाज और राष्ट्र ऐसी स्थिति में पदार्पण कर चुका हैं। जहॉ संसार में होने वाले आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास का लाभ समाज व राष्ट्र को जन–जन तक पहुँचाना आवश्यक हैं।

चूँकि शिक्षा मानव जीवन को सुखमय, उन्नत ओर सम्पन्न बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। अतः यह किसी भी देश के जीवन का मूलमंत्र हैं। यह शिक्षा ही तो हैं, जो मानव और पशु में स्पष्ट भेद करती हुई अच्छा जीवन जीने की कला सिखाती हैं। (जॉन डिवी के शब्दों में)

म.प्र. में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की योजना को वर्ष 1994 से लागू किया गया हैं। शिक्षा के लोकव्यापीकरण का सामान्य अर्थ है '' सबके लिये शिक्षा'' अर्थात

"Education is a process of living and not a preparation for future living"

किसी भी देश या क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या का शिक्षित होना इसी अवधारणा को शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहा गया हैं। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह एक आदर्श स्थिति है जिसकी कल्पना राष्ट्र के कर्णधारों ने की है प्रजातंत्र के सफलता के लिए यह एक अनिवार्य पक्ष है इसलिये देश के स्वतंत्रता के पश्चात् इसके महत्व को समझा गया। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संविधान में शिक्षा के प्रचार–प्रसार को सर्वोपरि महत्व दिया गया। संविधान की धारा 38 से 51 तक दिये गये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त देश में एक लोक–कल्याणकारी राज्य के विकास की कल्पना को साकार करने पर आधारित हैं। ये आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल कर आम जनता के कल्याण के लिये निर्देश देते हैं। इन्ही नीति निर्देश्क तत्वों के अर्न्तगत संविधान की धारा 45 के अनुसार – ''राज्य अनिवार्य रूप से संविधान के लागू होने की तिथि से 10 वर्षो के अन्तर्गत देश के सभी 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालक, बालिकाओं को अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगा। निश्चय ही यह एक श्रेष्ठ आदर्श व्यवस्था की गई जो राज्य के प्रगति का आधार हैं।

शिक्षा के लोक व्यापीकरण के इस व्यापक अर्थ के आधार पर शिक्षा के कई प्रकार होते हैं जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा सामान्य शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा आदि। कोई भी राष्ट्र कितना ही उन्नत एवं भौतिक रूप से सम्पन्न हो तो भी अपनी सम्पूर्ण जनसंख्या को विभिन्न प्रकार की शिक्षा को कभी भी उपलब्ध नही करा सकता हैं। इसलिये प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनसंख्या को, अपनी भौतिक सुविधा एवं सामाजिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसर शिक्षा के न्यूनतम स्तर की व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करता हैं। भारत ने भी अपनी विशाल जनसंख्या एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 14 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का संकल्प किया था। यह संकल्प प्राथमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा प्रदान करने के लिये निर्धारित किया गया था। इस प्रकार हमारे देश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना हैं। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा न केवल प्रत्येक बालक–बालिका और देश के नागरिक का संवैधानिक अधिकार है बल्कि उस अधिकार की रक्षा और उस अधिकार के अनुरूप सुविधा देना समाज एवं सरकार

---

1. भारतीय संविधान और शासन – एस.पी. वर्मा पृ. क्र. 49.50.51
2. भारतीय संविधान और शासन – पृ. क्र. 51

का दायित्व भी है इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। यह संकल्प भी है सहयोग भी, सहभागिता एवं समन्वय भी। समाज, सरकार, शिक्षक और बालक सभी की एकता से ही मध्य प्रदेश आगामी शताब्दी में एक साक्षर और शिक्षक प्रदेश के रूप में प्रवेश कर सकता हैं। अपने बच्चों का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण हैं।

सामान्य शिक्षा – अर्थ, उद्देश्य एवं महत्व

शिक्षा मानव के जीवन को वह सम्बल प्रदान करती हैं, जिससे वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये आत्म–निर्भरता की प्राप्ति करता है, शिक्षा जीवन की तैयारी करती हैं, साथ ही इसी के द्वारा व्यक्तिगत के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति होती हैं तथा उसके उत्तम नैतिक चरित्र का विकास होता हैं। डा0 राधाकृष्णन के अनुसार "कल्याणकारी राज्य में हमारा उद्देश्य अपने सब नागरिकों को भोजन, कपड़ा और मकान की प्रारम्भिक आवश्यकताओं को पूरा करना ही नही होना चाहिये। वरन् उन भाईयों के समान रहना सिखाना चाहिये जिन्होने अपनी शिक्षा के द्वारा अपनी प्रतिभा एवं क्षमता को निखारकर एक विशिष्टता प्रदान कर ली हैं, एवं समाज की बेहतरी हेतु एक जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बन गये हैं भले ही वे विभिन्न प्रजातियों धर्मों और प्रान्तों के क्यों न हों, समानता के इन आदर्श गुणों की समझ तो मात्र शिक्षा से ही संभव है, शिक्षा के द्वारा हमें समाज के शक्तिशाली हितों का ही नही वरन् मानव हितों को भी सन्तुष्ट करना होगा, शिक्षा ही जीवन की प्रगति परिवर्तन एवं चेतना का सर्वाधिक सशक्त अस्त्र हैं। शिक्षा के द्वारा ही हम राष्ट्र के सपनों को साकार कर सकते हैं। समाज एवं मनुष्य का निमार्ण कर सकते हैं।"

शिक्षा के इस सार्वभौमिक एवं व्यापक महत्व को स्वीकार करते हुये सन् 1950 से निंरतर यह प्रयास किया जाता रहा है कि साक्षरता के शत–प्रतिशत लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। इस हेतु विभिन्न प्रकार की शैक्षिक योजनाओं जैसे अनिवार्य शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा आदि का क्रियान्वयन हुआ, फिर भी हम शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त नही कर पाये। हमारे देश में सन् 1951 में केवल 19.7 प्रतिशत साक्षर थे तथा सन् 2001 में साक्षरता 65.30 प्रतिशत हो गई। तात्पर्य यह है कि इन 50 वर्षो में हमारे देश में केवल 45.68प्रतिशत साक्षरता वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों के अतिरिक्त अनौपचारिक एवं औपचारिकेत्तर अभिकरणों के माध्यम से साक्षरता

---

1. भारतीय संविधान और शासन – एस.पी. वर्मा पृ. क्र. 49.50.51
2. भारतीय संविधान और शासन – पृ. क्र. 51

वृद्धि के अनेकानेक प्रयास किये गये। शैक्षिक उपलब्धि के इस धीमी गति से कदाचित प्रताड़ित राष्ट्र ने सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पारित किया एवं सन् 1992 में इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संशोधित किया गया जिसमें सन् 2000 तक सभी को शिक्षित करने का संकल्प लिया गया। इस प्रकार शत–प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु दो कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये इसमें से पहला कार्यक्रम 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के तथा दूसरा 15 से 35 वर्ष के निरक्षरों के लिये था, इसमें से पहले कार्यक्रम को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान का नाम दिया गया। हमारी शिक्षा "सबके लिये शिक्षा" हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है शिक्षा सुसंस्कृत बनाने का माध्यम है। यह हमारी संवेदनशीलता और दृष्टि को प्रखर करती हैं। जिसमें राष्ट्रीय एकता विकसित होती हैं। इससे वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग की सम्भावना बढ़ती हैं। विचार एवं चिन्तन में स्वतन्त्रता आती हैं, यह संविधान में प्रतिष्ठित समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतन्त्र के लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हैं, इससे आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों की आवश्यकतानुसार जनशक्ति का विकास होता है, हमारी शिक्षा ही राष्ट्रीय मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति के चिन्तन एवं जीवन को अंग के रूप में विकसित करेंगी। इन राष्ट्रीय मूल्यों में हमारी समान सांस्कृतिक धरोहर, धर्म्निरपेक्षता, लोकतन्त्र, सामाजिक समता, स्त्री पुरूषों में समानता,सीमित परिवार का महत्व तथा पर्यावरण संरक्षण आदि शामिल हैं। हमारी शिक्षा हमारे वर्तमान तथा भविष्य निर्माण का अनुपम साधन हैं। शिक्षा के इन महत्वों को प्राप्त करने हेतू हम जिन उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं वे ही हमारे पथ प्रदर्शक और संकेत स्तम्भ बन जहॉ एक ओर व्यक्ति में ज्ञान रूचियों, आदर्शों, आदतों और विविध क्षमताओं के विकास हेतु क्षेत्र निमार्ण करते हैं वही मनुष्य को विभिन्न रूपों से आवश्यकतानुसार भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाते हुये मनुष्य की अर्न्तनिर्हित पूर्णता की अभिव्यक्ति करते हैं। उपरोक्तानुसार हमारी शिक्षा का उद्देश्य भौतिक एवं आत्म–ज्ञान की प्राप्ति, सभ्यता एवं संस्कृति का पोषण, व्यक्तित्व के समस्त अंगों का विकास, आत्मानुभूति एवं आत्माभिव्यक्ति का प्रवर्धन, "वसुधैव कूटुम्बकम्" के आदेश के अनुसार राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग एवं सह–अस्तित्व की भावना का विकास, सामाजिक कुशलता, नैतिकता एवं चरित्र निर्माण की क्षमता को विकसित करने में सहायक हो। सभी को समान अवसर मिले,

---

1. भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं – पी0डी0 पाठक
2. **Govt. of India-Status Report November 1994**

शोध शीर्षक (समस्या कथन)

शोधार्थिनी लगभग 10 वर्षो से शिक्षा जगत से जुड़ी हुयी हैं। इस अवधि का अधिकांश भाग शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में व्यतीत हुआ है। इन परिस्थितियों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की योजना से इनके शैशवकाल से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ हैं। सागर संभाग में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 1994 से प्रारम्भ हुआ हैं। इस कार्यक्रम की अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हुये हैं। इस प्रकार इसका अध्ययन शीर्षक के अन्तर्गत शोध के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रतीत होता हैं।

इसी संदर्भ में शोधार्थिनी ने अपने शोध का शीर्षक निम्नलिखित रूप से चयनित किया है और जिसे बुदेलखंड विश्वविद्यालय झाँसी के शिक्षा संकाय की शोध–उपाधि समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया हैं।

शीर्षक

टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में संविधान की धारा 45 के अंर्तगत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के प्रयासों एवं प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन।

शोध शीर्षक का परिभाषीकरण –

1. टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिला :–

मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम कोने में स्थित सम्पूर्ण टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा इन जिलों के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित समस्त शिक्षण संस्थाएं।

2. प्राथमिक शिक्षा :–

प्रस्तुत शोध कार्य में प्राथमिक शिक्षा का आशय शोध क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक विभाग औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र तथा राजीव गॉधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न प्रकार की प्राथमिक स्तर तक की शैक्षिक संस्थाओं की सम्पूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया गया हैं।

लोक व्यापीकरण की अवधारणा :—

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का अर्थ हैं – हर बालिका और बालक अधिक से अधिक 14 वर्ष तक की आयु तक कम से कम पॉच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा या औपचारिकेत्तर माध्यम से उसका समतुल्य शिक्षा प्राप्त करें और निर्धारित शैक्षिक स्तर भी अर्जित करें लोकव्यापीकरण के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं।

1. 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश देना तथा निर्धारित अवधि तक उनका अध्ययन जारी रखना।
2. शिक्षा के स्तर में वांछित सुधार करना।
3. प्राथमिक विद्यालयों की स्थितियों में सुधार तथा आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति।
4. प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना।

प्रयास

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये जाने वाले ऐसे कार्य जो उसके उपरोक्त लक्ष्य को पा सके, जैसा की प्रत्येक बालक–बालिकाओं को प्राथमिक स्तर की शिक्षा हेतु विद्यालय की संख्यात्मक वृद्धि, शिक्षकों की नियुक्ति भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, छात्रों का अधिकतम नामांकन हेतु प्रयत्न किया जाना सम्मिलित हैं।

1. निर्धारित दूरी के अन्तर्गत अधिक से अधिक विद्यालय खोलना।
2. आवश्यकतानुसार शिक्षकों की नियुक्ति
3. विद्यालयों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन हेतु भौतिक सुविधा प्रदान करना।
4. इन विद्यालयों में छात्रों का अधिकतम् नामांकन करना।
5. शाला त्यागने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना।
6. छात्रों को विद्यालय में निर्धारित समय तक अध्ययन हेतु विभिन्न प्रोत्साहन एवं प्रेरणा प्रदान करना।
7. प्राथमिक स्तर के निर्धारित ज्ञान एवं कौशल हेतु विभिन्न विषयों (भाषा, गणित, पर्यावरण,विज्ञान) में न्यूनतम अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षित करना।

8. शिक्षकों के सार्थक प्रशिक्षण हेतु कार्यवाही को किया जाना।

प्रभाव

प्रभाव प्रयास का परिणाम हैं, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ेगी, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक स्तर के लिये निर्धारित ज्ञान और कौशल के स्तरों का अर्जन सुनिश्चित होगा। सम्पूर्ण कार्यक्रम में बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य वंचित समूहों के बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। सघन प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की क्षमता का विकास होगा। अध्ययनों नवाचारों तथा प्रयोगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

तुलनात्मक अध्ययन

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के संदर्भ में जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर में विभिन्न अवधियों में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किये गये समस्त प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त क्रमागत ऑकड़ो का विश्लेषण करने के पश्चात प्रयासों का अध्ययन, दोनों जिलों में लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किये गये प्रयासों द्वारा प्रशासन एवं प्रबन्धन की स्थितियों की समीक्षा हो सकेगी, वही दूसरी ओर दोनों जिलों की उपलब्धियों द्वारा शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता की तुलनात्मक स्थिति भी स्पष्ट हो सकेगी जिसके आधार पर शिक्षा के विशेष कार्यक्रम एवं प्रशिक्षण की नई व्यवस्था की जा सकेगी।

क्षेत्र एवं विषय का सीमांकन :–

1. शोध अध्ययन को अधिक बोधगम्य एवं यथार्थ परक बनाने के लिये शोधार्थिनी ने सागर संभाग के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों का चयन किया है। ये दोनों जिले भौगोलिक तथा सामाजिक दृष्टि से लगभग एक समान हैं किन्तु विकास की दृष्टि से छतरपुर जिला टीकमगढ़ की तुलना में आगे हैं।

2. यह अध्ययन 6 से 14 वर्ष (विशेष रूप से 6 से 11 वर्ष) के आयु वर्ग के बालक–बलिकाओं तक सीमित रहेगा।

3. शोध के अध्ययन के अन्तर्गत टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत शासकीय तथा अशासकीय शिक्षण संस्थाएँ, उनसे सम्बन्धित कार्यालय एवं

अधिकारी केन्द्र बिन्दु होंगे।

4. विषय वस्तु का सीमाकन शोध अध्ययन में निम्न प्रमुख बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देते हुये किया जावेगा :—

A. शोधक्षेत्र में सन् 1991—1993 में की साक्षरता की स्थिति का अध्ययन।

B. सन् 1996 से 2001 तक की अवधि में दोनों जिलों में हुई प्रगति का आंकलन एवं समीक्षा जिसके अन्तर्गत विद्यालय संख्या, शिक्षक संख्या छात्र संख्या तथा शिक्षा के क्षेत्र में व्यय राशि व उपलब्धियों आदि का ऑकलन एवं समीक्षा करना।

C. प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में निजी संस्थाओं के योगदान तथा जनता की सहभागिता का होना।

D. न्यादर्श के द्वारा प्रभाव का अध्ययन।

E. प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बाधक तत्व का पता लगाना।

F. इन बाधक तत्वों को हटाने हेतु वर्तमान में किये गये प्रयासों की उपलब्धि, गुण एवं दोषों के आधार पर समीक्षा करना।

G. प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुझाव देना।

अध्ययन का उद्देश्य :—

1. टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में अब तक किये गये प्रयासों को ज्ञात करना तथा उनका तुलनात्मक विश्लेषण करना।

2. संक्षेप में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में अब तक की उपलब्धियों की तुलनात्मक स्थिति का विश्लेषण करना एवं इसके अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों की संख्या, शाला विहीन ग्रमों की संख्या, छात्रों की दर्ज संख्या तथा उनकी उपस्थिति का प्रतिशत् एवं शैक्षिक अधिकतम शाला की सुसज्जा एंव अध्यापकों की संख्या पर एवं उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अध्ययन करना।

समस्या के चयन का औचित्य एवं महत्व :–

शिक्षा एक ऐसा साधन हैं जो मानव के सर्वागींण विकास के लिये सहायक हैं। किसी भी देश के लिये निरक्षरता अभिशाप है ओर निरक्षरता के कारण ही देश सदियों तक न केवल गुलामी की जंजीर में जकड़ा रहा वरन् गरीबी, उत्पीड़न तथा शोषण ने यहॉ के समाज और जन–जन को जीवन की सार्थकता से दूर कर दिया था, लोग जी तो रहे थे परन्तु जीवन के सुख, एवं खुशहाली से पूर्ण रूप से वंचित थे। देश में शिक्षा के विकास के इतिहास को देखते हुये मैंने एक शोधार्थिनी के रूप में देखा कि देश का प्रशासन स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले तक प्राथमिक शिक्षा के प्रति सदैव उदासीन रहा हैं। वह समाज के धनाड़्य वर्ग की शिक्षा के प्रति जागरूक था, समाज सेवी संस्थाएं भी पूर्ण रूप से शिक्षा के प्रति समर्पित नही थी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत ने अपने संविधान में सम्पूर्ण भारत के लिये प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिये अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का संकल्प लिया और नीति निर्देशक तत्व के रूप में प्रत्येक प्रदेश के लिये 10 वर्षो में इसे पूरा करने का निश्चय किया, परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के लगभग 50 वर्ष पूरे होने पर भी सह संकल्प आज तक पूरा नही हो पाया । आज शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत् प्रत्येक व्यक्ति हेतु यह एक विषमतायुक्त महान् कष्टकर अनुभव हैं। 1986 के एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत एवं प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु राजीव गॉधी शिक्षा मिशन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को घर–घर तक पहॅुचाकर ज्ञान के प्रकाश से जन–जन को आलोकित करने के लक्ष्य को पाने का प्रयास मेरे दृष्टिकोण में शिक्षा के क्षेत्र का सबसे महान् एवं पुनीत कर्त्तव्य हैं।

उपकल्पना (Hypothesis)

1. शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति मन्द गति से हो रही हैं।
2. टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में एक जैसे प्रयास किये गये, किन्तु टीकमगढ़ जिले की तुलना में छतरपुर जिले में इन प्रयासों का प्रभाव कुछ अधिक दृष्टिगोचर होता हैं।
3. प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार बालकों की तुलना में कम है।
4. शोधक्षेत्र में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी थी, उस दिशा में इनके प्रयास कारगर सिद्ध नहीं हुए।
5. राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं के कारण प्राथमिक

स्तर की शिक्षा के प्रसार मे वृद्धि हो रही है।

6. प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सरकार से जिन मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है, वे अपर्याप्त है।
7. शोधक्षेत्र की जनता में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी साक्षरता की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है।
8. आदिवासी वर्ग के अभिभावकों में अपने पुत्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है।
9. शोधक्षेत्र के बालकों की तुलना में बालिकाओं में शाला त्यागने की प्रवृत्ति आधिक है।
10. शोधक्षेत्र के ऐसे दूरस्थ अंचल जो यातायात तथा संचार की सुविधाओं से वंचित है, में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से हो रहा है।
11. शोधक्षेत्र के दोनों ही जिलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का अधिगम स्तर सामान्य से कम है।

अध्याय - द्वितीय

शोध-अभिकल्प

हमारे संविधान में जहां प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया हैं, वही दूसरी ओर उच्चतर शिक्षा को सभी योग्य लोगों के लिये समान रूप से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व भी लिया है। संविधान के प्रति हम तभी निष्ठावान हो सकते है, जब हम शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से श्रेष्ठतम व प्रभावकारी अध्यापन पद्धतियों, अधिगम प्रणाली, व सामग्री की खोज, सुविधाजनक प्रशासनिक व्यवस्था आदि प्रदान कर सकें। सरल शब्दों में शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में जब वैज्ञानिक खोज का उपयोग किया जाता है। तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। वैज्ञानिक खोज में पॉच तत्व निहित होते है। जो आपस में एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये तत्व निम्न है –

(1) निरीक्षण (2) सत्य (3) सिद्धान्त (4) सिद्धान्तों से प्राप्त श्रृंखलित तथ्य

(5) उन्हें प्राप्त करने की विधियॉ

ट्रवर्स के अनुसार – "शैक्षिक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार के विज्ञान को विकसित करने की ओर निर्देशित होती हैं। इस प्रकार के विज्ञान का अन्तिम लक्ष्य ऐसा ज्ञान प्राप्त करना है। जो शिक्षक के लिए सर्वाधिक प्रभावकारी पद्धतियों के द्वारा अपने उद्देश्यों की प्रगति करने में सहायक हो सके" इस प्रकार शैक्षिक अनुसंधान, शैक्षिक समस्याओं के समाधान या विस्तृत अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि या उनके सिद्धांनतों को उपयोग करने की प्रक्रिया हैं। अनुसंधान प्रक्रिया केवल समस्या को ढूढ़ने, चयन करने सम्बन्धी साहित्य को संकलन करने, उपकल्पनाओं व पद्धतियों को निर्धारण करने आदि की क्रिया भी इसमें सम्मिलित है। अनुसंधान प्रक्रिया तभी वैज्ञानिक होगी जबकि उसे अधिक से अधिक नियंत्रित किया जायें। इस हेतु शोधार्थिनी ने अपने शोध में केवल समस्या से संबंधित वस्तुओं या व्यक्तियों के निरीक्षण करने का ही मात्र कार्य नही किया हैं वरन् उन निरीक्षणों का वर्गीकरण तथा वर्गीकृत सामग्रियों के विश्लेषण को भी करने का प्रयास किया हैं।

अनुसंधान के लिये रीति विधान व अभिकल्प दोनों महत्वपूर्ण पक्ष हैं।

---

1. शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूलाधार–डॉ. गोविन्द तिवारी पृष्ठ क्र. 21–22
2. **Ibid** पृष्ठ क्र. 23

अनुसंधान अभिकल्प का अर्थ एवं उद्देश्य :-

सरल शब्दों में अभिकल्प का अर्थ योजनानुसार कार्य करके सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया पर नियंत्रण करना है। करलिंगर [1] के अनुसार '' अनुसंधान अभिकल्प खोज की वह योजना, संरचना तथा व्यूह है जिसके माध्यम से अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों को प्राप्त किया जाता है। तथा चरत्व पर नियंत्रण किया जाता है''। करलिंगर ने अपने इस परिभाषा के अन्तर्गत तीन महत्वपूर्ण शब्दों को प्रयुक्त किया हैं – योजना, संरचना एवं सूत्र रचना।

अनुसंधान अभिकल्प के दो मूल उद्देश्य होते हैं –

1. अनुसंधान में उठाये गये प्रश्नों व समस्याओं के उत्तर अथवा समाधान को ढूढ़ना।
2. चरत्व का नियंत्रण करना ।

अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार :- विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के अभिकल्पों की व्याख्या की है। करलिंगर ने समस्त प्रकार के अभिकल्पों को दो वर्गो में विभाजित करके अध्ययन प्रस्तुत किया हैं।

करलिंगर के अनुसार अभिकल्प निम्नानुसार हैं –

1. दरिद्र अभिकल्प **(Poor Designs)**
2. समृद्धि अभिकल्प **(Good Designs)**

दरिद्र अभिकल्पों को चार प्रकार में वर्गीकृत किया गया हैं –

1. एकदलीय अभिकल्प
2. एक दल पूर्वोत्तर परीक्षण
3. अनुरूपी पूर्वोत्तर रूप
4. दो दल नियंत्रण शून्य

---

1. शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूलाधार – डॉ. गोविन्द तिवारी पृष्ठ क्रं. 84
2. **Ibid** पृष्ठ क्र. 99

समृद्धि अभिकल्पों को 9 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया हैं –

1. प्रयोग दल नियंत्रण दल, आकस्मीकृत प्रयोज्य
2. बहुदल आकस्मीकृत प्रयोज्य
3. बहुल्य परिवर्तीय अभिकल्प
4. आकस्मिक अनुरूपित अभिकल्प
5. अनुरूपित पूर्वोत्तर नियंत्रित दल अभिकल्प
6. पूर्वोत्तर अन्तर प्रयोग दल नियंत्रण दल अभिकल्प
7. त्रिदल प्रयोग दल नियंत्रण दल अभिकल्प
8. चार दल प्रयोग दल नियंत्रण दल आकस्मीकृत
9. चार दल 2X2 कारकीय अभिकल्प

शोध–विधियॉ –:

विभिन्न विद्धानों ने विभिन्न प्रकार से अनुसंधान विधियों का विवरण प्रस्तुत किया है। कुछ विद्धान इन्हें विधियॉ कहते हैं तो कुछ अनुसंधान के प्रकार तथा इसके साथ ही कुछ विद्धान अनुसंधान विधियों एवं अनुसंधान के उपकरणों को समान अर्थो में प्रस्तुत करते हैं । अनुसंधान विधियों के अन्तर्गत वे समस्त क्रमबद्ध उप विधियॉ आती हैं। जिन्हें कि एक अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या के पहचान से लेकर उसके अन्तिम निष्कर्ष को प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाता हैं। इन पद्धतियों का कार्य शोध कार्य को वैध तरीके से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करना है। शोध विधि के अन्तर्गत समस्त प्रकार के उपकरण तथा तकनीकों का समावेश होता है। जिनका प्रयोग शोधार्थिनी करती हैं। शोधार्थिनी द्वारा प्रयुक्त उपकरण एवं तकनीक तब तक कारगर सिद्ध नही हो सकते जब तक कि इनका समुचित एवं विधिवत उपयोग न किया गया हो।

अनुसंधान के तीन प्रमुख लक्ष्य होते हैं – सैद्धान्तिक, तथ्यात्मक एवं प्रयोगात्मक।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न प्रकार की शोध विधियों एवं शोध व्यूह रचना का उपयोग करना पड़ता हैं। विद्धानों के अनुसार शोध पद्धति का निर्धारण करते समय शोध की विषय

वस्तु पर बहुत महत्व दिया जाना चाहिए जिस प्रकार की शोध समस्या होगी उसी प्रकार की शोध पद्धति भी होगी। शोध समस्याओं को सामान्य रूप में तीन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है तथा इसी आधार पर शोध विधियों को भी वर्गीकृत किया जा सकता है।

1. सैद्धान्तिक समस्या – सर्वेक्षण एवं परीक्षण पद्धति
2. तथ्यात्मक समस्या – ऐतिहासिक, व्यक्ति परक अध्ययन तथा जेनेटिक पद्धति
3. प्रयोगात्मक समस्या – क्रियात्मक अनुसंधान पद्धति

जार्ज जे0 माउली[1] ने शोध पद्धतियों को मुख्यत तीन मूल प्रकार बतलाए है –

सर्वेक्षण, ऐतिहासिक एवं परीक्षणात्मक पद्धतियॉ। इन तीन प्रमुख स्वरूपों को पुनः वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है।

1. **सर्वेक्षण पद्धति** – इस विधि का सम्बन्ध वर्तमान से होता है। तथा इस विधि के द्वारा शोध अवधि में तथ्यों की वास्तविक स्थिति का निर्धारण करने का प्रयास किया जाता हैं। सर्वेक्षण पद्धति की चार श्रेणियॉ निरूपित की गयी है।

(अ) **वर्णात्मक सर्वेक्षण – यह तीन प्रकार का होता हैं।**

1. सर्वेक्षण जांच पद्धति,
2. प्रश्नावली सर्वेक्षण पद्धति,
3. साक्षात्कार सर्वेक्षण पद्धति,

(ब) **विश्लेषणात्मक सर्वेक्षण** – इसके पॉच प्रकार निरूपित किये गये हैं।

1. अभिलेख आवृत्ति अध्ययन,
2. अवलोकनात्मक सर्वेक्षण,
3. मूल्यांकनात्मक सर्वेक्षण,
4. आलोचनात्मक घटना अध्ययन,
5. तथ्यात्मक विश्लेषण

(स) विद्यालय सर्वेक्षण – इसके अन्तर्गत शिक्षण संस्थाओं की विद्यमान स्थिति का व्यापक अध्ययन किया जाता है।

(द) जेनेटिक सर्वेक्षण – (विकासात्मक अध्ययन सर्वेक्षण)

1- Fundamentals of Educational Research Dr. R.A. Sharma. page No. 145

(2) ऐतिहासिक पद्धति – जब अनुसंधान समस्या का क्षेत्र भूतकाल का इतिहास होता है, तब ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया जाता हैं। इस पद्धति के द्वारा यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। कि अतीत की घटनाओं के क्या कारण थे तथा उनके क्या परिणाम है। ऐतिहासिक शोध के अन्तर्गत शास्त्रीय अध्ययन अभिलेखीय अनुसंधान के दो उपागम बतलाए गये है।

1. **यथार्थ चित्रण उपागम** – जिसमें घटनाओं का अध्ययन भूत से वर्तमान की ओर किया जाता हैं।

2. **अतीत चिंतन उपागम** – इसमें घटनाओं का अध्ययन वर्तमान से भूतकाल की ओर किया जाता है। ऐतिहासिक अनुसंधान विधियों में व्यक्तिपरक अध्ययन पद्धति तथा जेनेटिक पद्धति, विकासात्मक अध्ययन पद्धति का अधिक उपयोग करते है।

3. **परीक्षणात्मक पद्धति** – परिक्षणात्मक पद्धति एंक वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि यह मूल रूप से परीक्षण अवलोकन या निरीक्षण कार्य कारण सम्बन्धों पर आधारित होती है। जहोड़ा **(Jahoda)**[1] के अनुसार ''यह उपकल्पना के सत्यापन की एक विधि हैं।'' जे0डब्लू वेस्ट **(Best)**[2] ''परीक्षणात्मक के अनुसंधान के द्वारा घटनाओं की उन स्थितियों की व्याख्या व विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता हैं। जो कि सावधानी पूर्वक नियंत्रित परिस्थितियों में घटित होती हैं ।

परीक्षणात्मक अनुसंधान की आधारभूत मान्यता जे0एस0 मिल **(J.S.Mill)**[3] के ''एकल चर का नियम'' पर आश्रित है। इस नियम के अनुसार यदि दो परिस्थितियॉ पूर्णतः समान हो तथा कोई एक तरफ कोई एक तरफ तत्व परिस्थिति में जोड़ा या घटाया जाता है। तो इनमें होने वाला परिवर्तन जोड़े या हटाने गये तत्व का परिणाम होता हैं। परीक्षणात्मक अनुसंधान के तीन उपागम होते है –

1. एकल व्यक्ति या एकल समूह परीक्षण,
2. समान्तर अथवा समरूप समूह परीक्षण,
3. चक्रीय परीक्षण प्राविधि,

परीक्षणात्मक अनुसंधान सामान्य तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिये किये जाते हैं।

1- Dr. R.A. Sharma-Fundamentals Educational Research page No. 189

2- J.W.Best - Research in Educational page No. 177

3- Dr. R.A. Sharma-Fundamentals Educational Research page No. 194

शोधार्थिनी द्वारा प्रयुक्त शोध विधियाँ :–

प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु किये गये प्रयासों एवं उनके प्रभावों से सम्बन्धित है। शोध क्षेत्र मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले हैं। इन दोनों जिलों की प्राथमिक स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था की वर्तमान स्थिति का अध्ययन, विश्लेषण एवं तुलना करके निष्कर्ष प्राप्त करना इस शोध अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन दोनों जिलों की भूतकाल तथा वर्तमान काल स्थिति का गहन अध्ययन किया गया है। इस अध्ययन हेतु शोधार्थिनी ने निम्नलिखित शोध विधियों का प्रयोग किया है –

1. अभिलेख विश्लेषण
2. सर्वेक्षण विधि
3. अवलोकन विधि
4. साक्षात्कार विधि

कुछ विद्वानों ने विधियाँ तकनीक एवं उपकरणों को समान अर्थो में प्रयुक्त करते हुए विभिन्न शोध उपकरणों को शोध विधियों के रूप में उद्धत किया है किन्तु डॉ. आर.ए. शर्मा[1] ने अनुसंधान अभिकल्प, अनुसंधान विधियां एवं अनुसंधान के उपकरण तीनों शीषंकों को पृथक मानकर उनका सैद्धान्तिक विश्लेषण किया है। शोधार्थिनी ने इसी व्याख्या को अपने शोध का आधार माना है। शोधार्थिनी द्वारा प्रयुक्त शोध विधियों की संक्षिप्त व्याख्या निम्नानुसार है –

1. प्रलेखी विश्लेषण या अभिलेख विश्लेषण :–

इस विधि के द्वारा शोधार्थिनी ने टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की सन् 1950 से 2000–2002 तक की साक्षरता स्थिति, विद्यालय, शिक्षक एवं विद्यार्थी संख्या को ज्ञात करने हेतु निम्नलिखित अभिलेखों का अध्ययन किया है –

1. जनगणना प्रतिवेदन – 1991 – 2001
2. जिला सांख्यिकी पुस्तिका – 1992 – 2001

1- Fundamentals of Educational Research - R.A. Sharma.

3. जिला विकास पुस्तिका – 1993 – 2001

4. सूचना एवं प्रकाशन विभाग के प्रतिवेदन

5. उप संचालक शिक्षा जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर के सम्बंन्धित कार्यलयीन अभिलेख,

6. औपचारिकेत्तर शिक्षा से सम्बन्धित जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर का अभिलेख,

7. राजीव गॉधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर के कार्यालयीन अभिलेख,(जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)का ड्राफ्ट प्लान एवं वार्षिक प्रगति,)

8. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान टीकमगढ़ एवं छतरपुर द्वारा डी.पी.ई.पी. योजना हेतु दिये गये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अभिलेख,

9. प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु शासन के द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बन्धित अभिलेख,

10. चयनित शालाओं के सम्बन्धित अभिलेख,

2. **सर्वेक्षण विधि** :–

प्रस्तुत शोध कार्य वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत आता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में स्थिति या घटनाओं का वर्तमान सन्दर्भो में अध्ययन किया जाता हैं तथा तथ्यों के आधार पर कार्य–कारण सम्बन्धों की खोज अथवा समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाता हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान को तीन उपागमों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।

(अ) सर्वेक्षण,

(ब) अन्र्तसम्बन्धों का अध्ययन,

(स) विकासात्मक अध्ययन,

प्रस्तुत शोधकार्य टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले की प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति से सम्बन्धित है। अभिलेखों का अध्ययन करने के साथ ही साथ ही क्षेत्रीय अध्ययन के लिए सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। शैक्षणिक अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि को आदर्श मूलक सर्वेक्षण भी कहा जाता है। इस विधि के द्वारा पर्याप्त मात्रा में प्रतिनिधित्वपूर्ण न्यादर्शो का चयन करके विभिन्न न्यादर्श उपकरणों के माध्यम से वांछित जानकारी एकत्रित की जाती हैं। शोधार्थिनी ने टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के 50–50

प्राथमिक विद्यालयों का चयन करके सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया है। सर्वेक्षण में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र, दूरस्थ क्षेत्र, पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों को आधार मानकर विद्यालयों का चयन किया गया है। इन दोनों जिलों के प्रत्येक विकास खण्ड़ों में से लगभग समान संख्या में प्राथमिक विद्यालयों का चयन गहन अध्ययन हेतु किया गया हैं। विद्यालयों के चयन में इन तथ्यों का ध्यान रखा गया है कि किसी भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व छूटने न पाये ताकि प्राथमिक शिक्षा की सही वस्तु–स्थिति ज्ञात हो सकें।

सर्वेक्षण के माध्यम में निम्नलिखित बिन्दुओं से सम्बन्धित तथ्य एकत्रित किये गये हैं।

(अ) विद्यालयों की स्थिति एवं भौतिक दशा,

(ब) सर्वेक्षण के दिन शाला में उपस्थित छात्रों की संख्या,

(स) शिक्षकों की संख्या,

(द) विद्यालय में उपलब्ध शैक्षिक सहायक उपकरण विद्यालय सर्वेक्षण हेतु प्रपत्र का उपयोग किया गया है। विद्यालयों के सर्वेक्षण का कार्य अक्टूबर 2000 से जनवरी 2001 की अवधि में किया गया हैं।

3. **अवलोकन विधि :–**

सर्वेक्षण प्रक्रिया के साथ–साथ शोधार्थिनी द्वारा चयनित विद्यालयों का अवलोकन भी किया गया है। अवलोकन के माध्यम से विषय वस्तु से सम्बन्धित प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय तथ्य ज्ञात हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिये विद्यालयों की भौतिक स्थिति में सुधार करना एक आवश्यक कदम था। अवलोकन के माध्यम से इस तथ्य की जानकारी प्राप्त की गई।

चयनित विद्यालय के वर्तमान भौतिक परिवेश का शिक्षा के लोकव्यापीकरण के दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ा है ? अवलोकन के द्वारा इस तथ्य का भी मूल्यांकन किया गया । विद्यालयों के अभिलेखों से प्राप्त जानकारी तथा शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन भी अवलोकन के माध्यम से शोधार्थिनी द्वारा किया गया।

4. साक्षात्कार :–

शैक्षणिक अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता को सम्बन्धित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित करते वार्तालाप के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित करना पड़ता है। शोध की भाषा में इस प्रक्रिया को साक्षात्कार कहा जाता है। सामान्यतया प्रश्नावली के माध्यम से अनेकों तथ्य एकत्रित कियें जाते हैं किन्तु व्यक्तियों के आन्तरिक विचार उनकी भावनाएँ, उनके दृष्टिकोण इत्यादि प्रश्नावली के माध्यम से भली–भाँति ज्ञात नही हो पाते हैं। इसलिये शोधार्थीनी को साक्षात्कार प्रक्रिया अपनानी पड़ती हैं।

शोधार्थिनी ने अपनी शोध समस्या से सम्बन्धित तथ्यों के विषय में गहन एवं विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने हेतु अनेक व्यक्तियों से शोधार्थीनी ने साक्षात्कार किया है। साक्षात्कार के लिये दोनों जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी, चयनित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं छात्रों से व्यक्तिशः सम्पर्क किया गया। प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण में छात्रों के अभिभावकों का भी बहुत योगदान है। शोधार्थिनी ने कुछ अभिभावकों से भी व्यक्तिशः सम्पर्क करके इस कार्यक्रम से सम्बन्धित उनके विचार ज्ञात किये हैं।

प्रस्तुत शोधकार्य में प्रयुक्त उपकरण :–

शोध विधियॉ एक व्यापक शब्द है, विधियों कें अन्तर्गत आवश्यकतानुसार तथ्यों को ज्ञात करने के लिये विभिन्न प्रकार के उपकरणों को प्रयोंग किया जाता है। शोध उपकरणों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के लिखित प्रपत्र एवं कुछ भौतिक यंत्र आते हैं तात्पर्य यह हैं कि ऑकडों तथ्यों एवं अन्य जानकारी प्राप्त करने हेतु जिन माध्यमों का उपयोग किया जाता हैं। उन्हें शोध उपकरण कहते है। शोधार्थिनी ने प्रस्तुत शोधकार्य में तथ्यों को ज्ञात करने हेतु निम्नांकित उपकरणों का प्रयोग किया हैं।

1. शाला अभिलेख अनुसूची,
2. शिक्षक अनुसूची,
3. छात्र अनुसूची,
4. प्रधानाध्यापक अनुसूची,
5. शाला त्यागी छात्रों की अनुसूची,
6. अभिभावक अनुसूची,

7. अधिकारी अनुसूची,

8. छात्रों का परीक्षण प्रपत्र,

शोधार्थिनी ने अपने शोध विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करने हेतु विभिन्न प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग किया हैं। शोधार्थिनी को चयनित विद्यालयों का स्वयं जाकर अवलोकन करना नितांत आवश्यक था क्योंकि अवलोकन के माध्यम से जो सूचनाएं प्राप्त होती है। वे अधिक विश्वसनीय होती है, इसीलिए शोधार्थिनी ने किसी भी स्तर पर प्रश्नावली का प्रयोग नही किया है।

1. शाला अभिलेख अनुसूची :—

शोधक्षेत्र के अन्तर्गत चयनित प्राथमिक विद्यालयों से शोध विषय से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एकत्रित करने हेतु शाला अभिलेख अनुसूची का प्रयोग किया गया है। इस अनुसूची के माध्यम से 100 प्राथमिक विद्यालयों की जानकारी संकलित की गयी है। यह अनुसूची 8 पृष्ठों की है। तथा इसमें 36 बिंदुओं के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त की गई है। इस अनुसूची के द्वारा विद्यालय का परिचय, स्थिति एवं शाला भवन की भौतिक स्थिति से संबंधित बिन्दु रखें गये हैं। इनके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या शिक्षकों की योग्यताएं, छात्र शिक्षक का अनुपात तथा पिछले चार वर्ष में वास्तविक कार्य—दिवसों की संख्या ज्ञात की गई हैं।

विद्यालय की छात्र संख्या वर्ष 1998—1999 से 2001—2002 तक ज्ञात करने हेतु एक प्रोफार्मा (प्रपत्र) इस अनुसूची में सम्मिलित किया गया हैं। जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के छात्र एवं छात्राओं का कक्षा 1 से 5 तक की संख्या ज्ञात की गई है। इस अनुसूची का महत्वपूर्ण भाग शाला त्यागी छात्र एवं रूके हुए अथवा अनुत्तीर्ण छात्र संख्या से संबंधित है। इन दोनों प्रपत्रों के माध्यम से शैक्षिक वर्ष 1998—1999 से 2001—2002 तक कक्षा 1 से 5 तक के उन बालक बालिकाओं की संख्या ज्ञात की गई है जिन्होंने किसी कारणवश अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया है। इसके दूसरे प्रपत्र में इसी अवधि के इन छात्र—छात्राओं की संख्या ज्ञात की गई है जो किसी एक कक्षा में अनुत्तीर्ण हुए है। या किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित नही हो सके है। शाला अभिलेख प्रपत्र में सर्वेक्षण कें दिन उपस्थित छात्र संख्या ज्ञात करने हेतु एक सारणी निर्मित की गई है इसके माध्यम से उपस्थित छात्र—छात्राओं की वर्गवार संख्या ज्ञात

की गई है। इस प्रपत्र का बिन्दु क्रंमाक 24 से 26 विद्यालय की समय सारणी से संबंधित है। बिन्दु क्रमांक 24 के द्वारा विभिन्न विषयों के लिये कक्षा–वार प्रति सप्ताह कालखंडों की संख्या ज्ञात की गई है। अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 27 एवं 28 का संबंध आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना से संबंधित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पारित होने के पश्चात प्राथमिक विद्यालयों की भौतिक दशा को सुधारने हेतु मध्यप्रदेश में भी आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना संचालित की गई। इस योजना के माध्यम से विद्यालयों को बहुत अधिक सहायक शैक्षिक सामग्रियॉ प्रदान की गई थी। इस अनुसूची द्वारा यह ज्ञात किया गया है। कि सर्वेक्षित विद्यालय में उनमें से कितनी सामग्रियाँ उपलब्ध है। बिन्दु क्रमांक 30 से 34 शाला भवन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए है। प्रश्न 35 एवं 36 के द्वारा विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना से संबंधित तथ्य एकत्रित किये गये हैं।

2. शिक्षक अनुसूची :–

यह अनुसूची चार पृष्ठों की है तथा इसमें 45 बिन्दु हैं, जिनमें से कुछ बिन्दु सामान्य जानकारी से संबंधित है। तथा शेष प्रश्न स्वरूप में है। बिन्दु क्रमांक 1 से 12 तक शिक्षक की व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। बिन्दु क्रमांक 13 से 17 शिक्षक द्वारा किए जाने वाले अध्यापन कार्य से सम्बंधित है। प्रश्न क्रमांक 18 से 22 तक शैक्षिक सहायक सामग्रियॉ तथा उनके उपयोग पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 से 28 तक गृहकार्य संबंधी जानकारी प्रदान करते हैं।

प्रश्न क्रमांक 29 के द्वारा शाला त्यागी छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा किये गये प्रयास से सम्बंधित तथ्य ज्ञात किये गये है। प्रश्न क्रमांक 30,31 एवं 32 शिक्षक के कार्य व्यवहार से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 33 में अध्यापक की रूचियों व संबंध में जानकरी ली गई हैं। एवं प्रश्न क्रमांक 34 तथा 35 शिक्षकीय व्यवसाय में संतोष अथवा असंतोष की भावना पर प्रकाश डालते हैं। प्रश्न क्रंमाक 37 से 42 के द्वारा शिक्षक द्वारा प्राप्त विभिन्न प्रकार की सेवा कालीन प्रशिक्षण संबंधी जानकारी प्राप्त की गई है।

3. छात्र अनुसूची :–

इस अनुसूची का निर्माण मुख्यतया कक्षा 5 के छात्रों के लिए किया गया है। यह अनुसूची चार पृष्ठों की है। तथा इसमें 44 प्रश्न हैं। इनमें से कुछ खुले प्रकार के प्रश्न है। तथा कुछ बन्द प्रकार एवं बहुविकल्पीय उत्तरों के है। इनमें से कुछ प्रश्न हॉ या नही उत्तर देने वाले भी हैं इस अनुसूची के 1 से 12 तक का संबंध छात्र की व्यक्तिगत जानकारी के

हैं। प्रश्न क्रमांक 15 और 16 के द्वारा छात्र का विद्यालय के प्रति दृष्टिकोण को जानने का प्रयास किया गया हैं। प्रश्न क्रमांक 17 से 21 तक छात्र के अध्ययन एवं उसकी महत्वाकांक्षा से संबंधित जानकारी ज्ञात की गई। प्रश्न क्रमांक 22 एवं 23 छात्र के शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 24–27 के द्वारा इन्ही तथ्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई है। प्रश्न क्रमांक 28 से 42 तक छात्र शिक्षक संबंध, शिक्षक द्वारा अध्यापन कार्य गृहकार्य तथा कक्षा टेस्ट से संबंधित है। इन्ही में से प्रश्न क्रमांक 40 के द्वारा छात्र प्रोत्साहन योजना के विषय में जानकारी प्राप्त की गई है। प्रश्न क्रमांक 41 कक्षा शिक्षण में शिक्षक द्वारा प्रयुक्त सहायक सामग्री का उपयोग करने के विषय में छात्र द्वारा जानकारी प्राप्त की गई हैं। प्रश्न क्रमांक 42 शैक्षिक भ्रमण से संबंधित तथा प्रश्न क्रमांक 43 विद्यालय में खेलने हेतु मिलने वाले समय से संबंधित है। अंतिम प्रश्न क्रमांक 44 छात्र एवं विद्यालय के संबंध को स्पष्ट करता हैं।

4. प्रधानाध्यापक अनुसूची :–

किसी भी विद्यालय का प्रधानाध्यापक एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। तथा उसके द्वारा दी गई जानकारी बहुत विश्वसनीय होती है। शोधार्थिनी ने प्रत्येक चयनित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से व्यक्तिगत संपर्क करके इस अनुसूची कें माध्यम से विभिन्न पत्रों की जानकारी एकत्रित की हैं। यह अनुसूची तीन पृष्ठों की हैं तथा इसमें कुल 34 प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 से 8 प्रधानाध्यापक से व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक शिक्षक डायरी एवं कक्षा रजिस्टर की जांच, मासिक टेस्ट, गृहकार्य की जांच तथा शिक्षकों की उपलब्धि के मूल्यांकन से संबंधित है। अगले प्रश्नों के द्वारा प्रधानाध्यापक की उन गतिविधियों को जानने का प्रयास किया गया हैं। जो कि शिक्षण कार्य के अतिरिक्त होती है। जैसे समुदाय से संबंध, शिक्षक पालक संघ तथा शाला प्रबंधन समिति आदि। प्रश्न क्रमांक 20 व 21 विद्यालय के निरीक्षण से संबंधित है। तथा प्रश्न क्रमांक 22, 23 एवं 24 में विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में जानकारी ज्ञात की गई है। प्रश्न क्रमांक 27 के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया हैं। कि शाला त्यागी छात्रों को पुनः विद्यालय लाने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा क्या प्रयास किया हैं। और इन प्रयासों का क्या परिणाम रहा है। प्रश्न क्रमांक 29 एवं 30 विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के संबंध में है। प्रश्न क्रमांक 31 के द्वारा स्थानीय जनता का सहयोग विद्यालय संचालन हेतु प्रधानाध्यापक को किस रूप में और कितना प्राप्त होता है। यह ज्ञात किया गया है। प्रश्न क्रमांक 34 एक खुला प्रश्न है जिसके माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण हेतु किन–किन प्रयासों की

आवश्यकता है, प्रधानाध्यापक से जानने का प्रयास किया गया है।

5. शाला त्यागी छात्रों की अनुसूचियॉ :–

इस अनुसूची का प्रयोग उन छात्रों के लिए किया गया हैं। जिन्होंने पिछले सत्र में किसी कारण वश विद्यालय छोड़ दिया था। यह अनुसूची केवल दो पृष्ठ की है। तथा इसमें 26 प्रश्न रखे गए है। इस अनुसूची के बिन्दु क्रमांक 1 से 15 तक छात्र इसके अभिभावक तथा परिवार के सदस्यों की जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 16 के माध्यम से छात्र द्वारा विद्यालय छोड़ने के कारणों को ज्ञात किया गया हैं। प्रश्न क्रमांक 17,18 एवं 19 छात्र के भावी अध्ययन कार्यक्रम से संबंधित हैं। प्रश्न क्रमांक 20 से 24 छात्र द्वारा किए जाने वाले कार्य तथा उससे प्राप्त पारिश्रमिक की जानकारी से संबंधित है। अंतिम प्रश्न क्रमांक 24 एवं 26 छात्र के स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकलांगता से सम्बंधित तथ्य ज्ञात करने से सम्बंधित हैं।

6. अभिभावक अनुसूची :–

अभिभावकों से साक्षात्कार हेतु जिस अनुसूची का प्रयोग किया गया है। उसमें कुल 26 प्रश्न रखें गये है। अनुसूची का प्रारम्भिक भाग उत्तरदाता की व्यक्ति जानकारी से सम्बन्धित है। प्रश्न क्रमांक 21 से 25 बालिका शिक्षा से संबंधित हैं। अंतिम प्रश्न क्रमांक 26 शाला त्यागी छात्रों के सम्बन्ध में अभिभावको की राय जानने हेतु पूछा गया हैं। अभिभावकों के साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं को यथा स्थान विश्लेषण एवं निष्कर्ष में सीमित किया गया है।

7. अधिकारियों हेतु साक्षात्कार अनुसूची :–

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग के विभिन्न स्तर के अधिकारियों एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन के समन्वयक तथा उसके अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के सम्मिलित सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सम्बन्ध में किये गये प्रयासों एवं उनके प्रभावों का गहन अध्ययन तब तक पूर्ण न होता जब तक कि इन अधिकारियों से विश्वसनीय जानकारी एकत्रित न की जाती। शिक्षा सम्बन्धी किसी भी कार्यक्रम के क्रियान्वयन के अधिकारी एवं कार्यकर्ता, शिक्षक एवं छात्र अभिभावक एवं जन प्रतिनिधि सभी का किसी न किसी रूप में योगदान होता है। शोधार्थीनी ने इस

मूल तथ्य को ध्यान में रखते हुये विभिन्न सहभागियों से साक्षात्कार सम्पन्न करने के बाद अन्त में अधिकारियों से साक्षात्कार सम्पन्न किया है। इस प्रक्रिया में निचले स्तर से प्राप्त जानकारी दृष्टिकोण एवं सुझावों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया है। साक्षात्कार की इस प्रक्रिया में दो संचालक शिक्षा टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिला, जिला समन्वयक राजीव गॉधी शिक्षा मिशन, प्राचार्य डाइट टीकमगढ़ एवं छतरपुर से मौखिक वार्तालाप तथा 17 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से अनुसूची के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई हैं। यह अनूसूची केवल दो पृष्ठो की है तथा इसमें 18 प्रश्न रखें गये हैं। इस अनुसूची के द्वारा उनके क्षेत्र में स्थित माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाएं तथा उसमें कार्यरत शिक्षकों की संख्या ज्ञात की गई है। अगले प्रश्न में नवीन विद्यालय भवनों का निमार्ण, औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की संख्या तथा एक शिक्षकीय प्राथमिक विद्यालय के विषय में प्रश्न रखें गये है। प्रश्न क्रमांक 14 एवं 15 शासन द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजनाओं से सम्बन्धित हैं। प्रश्न क्रमांक 17 के द्वारा शाला त्यागी छात्रों को पुनः विद्यालयों में भर्ती कराने हेतू विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये प्रयासों की जानकारी चाही गई है। अन्तिम प्रश्न क्रमांक 18 के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण हेतु अधिकारियों से सुझाव ज्ञात किये गये हैं।

8. छात्र परीक्षण प्रपत्र :–

शिक्षा की किसी भी योजना या कार्यक्रम का सही मूल्यांकन छात्रों के उपलब्धियों के द्वारा ही किया जाता हैं क्योकि सभी कार्यक्रमों का अन्तिम फल छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि ही होती है। शोधार्थिनी ने इस मूल बिन्दु पर बहुत अधिक ध्यान दिया है और प्रत्येक चयनित विद्यालयों में कक्षा 5 में सत्र 1999–2000 में अध्ययन 5–5 छात्रों का प्रतिनिधित्व पूर्ण चयन करके एक परीक्षण प्रपत्र के माध्यम से उनकी शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित की है। इसके गणित, भाषा (हिन्दी), सामान्य विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, विषय से सम्बन्धित प्रत्येक विषय के 5–5 प्रश्न रखे गये है। गणित विषय के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय है। हिन्दी भाषा के प्रश्नों के द्वारा उनके ज्ञान एवं लेखन की उपलब्धि का मूल्यांकन किया गया है। सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत भूगोल विषय पर आधारित 5 प्रश्न रखे जिनके द्वारा स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की गई है। प्रश्नों के स्वरूप में ''हाँ'' ''नहीं'' रिक्त स्थान की पूर्ति, सही जोड़ी, सही–गलत एवं बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्नों के उत्तर को सम्मिलित किया गया हैं। इस प्रकार इस प्रपत्र के माध्यम से छात्रों के न्यूनतम अधिगम स्तर को ज्ञात किया गया है। परिक्षण प्रपत्र इस प्रपत्र का पूर्णांक 20 अंकों का है। समस्त छात्रों के प्राप्तांकों के औसत के आधार पर उनके

स्तर का मूल्यांकन किया गया हैं।

दत्त विश्लेषण पद्धति :—

विभिन्न शोध उपकरणों के माध्यम से एकत्रित जानकारी को उनकी प्रकृति, गुण एवं विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया तथा उन्हें विभिन्न सारणियों में अंकित किया गया है। सारणीयन के पश्चात् अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इनका विश्लेषण किया गया है। आवश्यकतानुसार तथ्यों की संख्यात्मक एवं गुणात्मक विवेचना करते हुये तुलना भी प्रस्तुत की गई है। विश्लेषण के आधार पर विभिन्न बिन्दुओं से सम्बन्धित निष्कर्ष प्राप्त किये गये हैं।

पूर्ववर्ती अध्ययनों का संक्षिप्त विवरण

शोध मौलिक हो इसलिये शोधार्थिनी को शोध समस्या का चयन करने के पूर्व यह जानकारी प्राप्त कर लेना अत्यन्त आवश्यक हो जाता हैं कि जिस समस्या में वह शोध कर रहा है उस समस्या से संबंधित क्षेत्रों में पूर्व में क्या कोई शोध कार्य हुए हैं अथवा नहीं।

प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत आनेवाले विषयों में निरंतर शोध होते रहते है, इन शोधों से प्राप्त निष्कषों के आधार पर सतत् नवीन सुझाव प्राप्त होते रहते् हैं। शोधार्थिनी अपने शोधकार्य के सुझावों में यह भी स्पष्ट करती हैं। कि इस समस्या में और किस–किस प्रकार के शोधों की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त शोधार्थिनी को यह भी जानना आवश्यक होता हैं कि जिस विषय का उसने शोधकार्य हेतु चयन किया है उस विषय से सम्बन्धित और कौन–कौन से शोधकार्य हो चुके हैं तथा अब किन शोधकार्यो के किये जाने की संभावना है। इन दोनों सूचनाओं की जानकारी हेतु आवश्यक हो जाता हैं कि शोधार्थिनी अपने शोध विषय से सम्बंधित पूर्व में किये गये अन्य शोध समस्याओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें।

शोधार्थिनी ने शिक्षा संकाय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में प्रयासों व प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन शीर्षक में शोध करने का निर्णय लिया है। प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना सभी 6 से 11 आयु समूह के बालक–बालिकाओं के मौलिक अधिकार में आता हे। किसी राष्ट्र की प्रगति उस देश के व्यक्तियों की शैक्षिक स्थिति पर निर्भर करती हैं शोधार्थिनी ने शोधक्षेत्र के रूप में म.प्र. के सागर संभाग के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों का चुनाव किया है। इस हेतु शोधार्थिनी का यह प्रयास रहा है। कि प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के साथ–साथ कुछ अन्य पक्षों में भी कौन–कौन से शोधकार्य हुए हैं उनकी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर ले। शोधार्थिनी ने एन.सी.ई.आर.टी नई दिल्ली के पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग के द्वारा प्रकाशित प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये गये शोधकार्यो के शीर्षक तथा उनके न्यादर्श तथा सुझावों के संबंध में जानकारी एकत्रित की है। इसके अतिरिक्त एन.सी.ई.आर.टी. के पुस्तकालय में आल इंडिया इजुकेशनल रिसर्च सर्वे के भाग एक से लेकर छः तक प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये शोधकार्य करने के संदर्भो के बारे में भी जानकारी प्राप्त की हैं। इन पूर्ववर्ती कार्यो का विधिवत अध्ययन करने के पश्चात् ही शोधार्थिनी ने अपने शोध शीर्षक का चयन किया है।

शोधार्थिनी द्वारा प्राथमिक शिक्षा विषय में संकलित किये गये कुछ महत्वपूर्ण किये गये पूर्ववर्ती शोधकार्यो का विवरण निम्नानुसार है –

1. **श्रीमती निर्मला शर्मा (1993)**– आसाम के जोरहाट एवं शिवसागर जिलों के चाय बागान मजदूरों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा में अवरोध एवं अपव्यय पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) गौहाटी विश्वविद्यालय, गौहाटी।

न्यादर्श :

22 विद्यालय जो जोरहाट, शिवसागर एवं गोरहाट जिलों के कुछ विद्यालयों के 10 प्रतिशत है।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

अपव्यय के पाये गये कारणों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं विविध वर्गो में वर्गीकृत किया गया। महत्व के आधार पर वरीयता क्रम में शैक्षणिक कारण पहले स्थान पर आर्थिक दूसरे स्थान पर एवं सामाजिक व विविध कारण क्रमशः तीसरे व चौथे स्थान पर रहे।

शैक्षणिक कारणों में शामिल हैं :–

- विद्यालय भवनों की खराब हालत।
- विद्यालय गतिविधियों का पयर्वेक्षण अभाव।
- सहायक शिक्षण सामग्रियाँ, उपकरणों एवं फर्नीचर जैसी सुविधाओं का अभाव।

आर्थिक कारणों में शामिल हैं :–

- बच्चों का आय कमाने वाले कार्यों में लगा होना।
- माता–पिता का बच्चों को लगातार विद्यालय जाते रहने के लिये साधनों का न जुटा पाना।

सामाजिक कारणों में शामिल है :–

- बच्चों का घरेलू एवं अन्य कार्यो में लगा होना।

- माता–पिता का बच्चों की शिक्षा के महत्व के प्रति अनभिज्ञ होना।
- माता–पिता में शराब की लत होना।

विविध कारणों में शामिल है :–

- माता–पिता का अस्वस्थ होना या मृत्यु हो जाना।
- विद्यालयीन भाषा का घर की भाषा से अलग होना।

अवरोधन के प्रकरण में इसकी उत्पत्ति के कारणों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया –

विविध कारणों में शामिल है :–

- अनुपस्थित
- विद्यालयो में विदेशी (बाहरी) भाषा का होना।

शैक्षणिक कारणों में शामिल है :–

- सहायक शिक्षण सामग्री का अभाव।
- विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता का कम होना।

सामाजिक कारणों में शामिल है :–

- माता–पिता में जागरूकता की कमी।
- शिक्षा के लिये असहयोगी वातावरण।

माता–पिता की निम्न आर्थिक स्थिति उनके बच्चों को विद्यालय जाने के बजाय पैसा कमाने के लिए मजबूर करती है।

---

1. **Univershalization of Elementary Education, Research Trends and Education Implication N.C.E.R.T. New Delhi Page No. 36**
2. एस.वी. भार्गव (1990) : भारत में प्राथमिक स्तर पर हो रहे शैक्षिक सुविधाओं एवं नामांकन के विकास पर एक अध्ययन। पी.एच.डी. (शिक्षा में उच्च अध्ययन केन्द्र) एम. एस.विश्वविद्यालय बड़ौदा,

न्यादर्श :

राष्ट्रीय स्तर का एक प्रालेखीय अध्ययन जिसमे 17 राज्यों के 1973 से 1986 के बीच के आकड़ों का अध्ययन किया गया। शैक्षिक आंकड़ों का मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एन.सी.ई.आर.टी., एन.आई.ई.पी.ए. योजना आयोग एवं राज्य शिक्षा विभागों से लिया गया।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :—

- प्राथमिक स्तर के लिए शैक्षिक साधनों को सर्वव्यापी प्रबंधो को लगभग हासिल कर लिया गया है।
- प्राथमिक के साथ—साथ माध्यमिक स्तर पर भी शैक्षिक संसाधनों की लगातार वृद्धि की जा चुकी है।
- सामान्य वर्ग अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों विशेषकर लड़कियों में प्राथमिक स्तर पर नामाकन में सुधार पाया गया ।

अधिकांश बच्चे अपने गांव में या पड़ोस में माध्यमिक विद्यालय के न होने के कारण प्राथमिक स्तर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिये जब तक इन जगहों पर माध्यमिक स्तर पर सुविधा प्रदान न की जा सके तब तक एक शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालय के प्रारूप का विकास एक संभावित समाधान हो सकता है।

सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर न्यून अध्ययन रहना एक बड़ी रूकावट है।

सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिये ग्राम एवं विद्यालय स्तर पर सूक्ष्म स्तरीय नियोजन अति आवश्यक है।

Ibid Page No.37

2. वी. सत्यबालन (1994) तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की प्रभाव शीलता। पी.एच.डी. (शिक्षा में उच्च अध्ययन केन्द्र)

न्यादर्श :

तमिलनाडु के सभी जिले ।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- राज्य में अध्ययनकाल (1950–1951से 1987–1988) के दौरान प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जरूरत लगातार बढ़ी हैं।
- शालाओं में संख्या वृद्धि की जरूरत के साथ–साथ शिक्षकों की संख्या में वृद्धि की जरूरत भी बढ़ी हैं।
- शिक्षकों एवं विद्यालयों की मांग पर बढ़ोत्तरी वास्तविक मांग से मेल नहीं खाती इसलिए राज्य के लगभग हर जिले में शिक्षकों एवं विद्यालयों की अपर्याप्तता विभिन्न स्तर पर लगातार बढ़ी रहती है।
- पर्याप्त संख्या में शिक्षकों एवं शालाओं का प्रबन्ध ही सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के उद्‌देश्य की पूर्ति का आधार हैं।
- शालाओं के शिक्षकों के संबंध के स्पष्ट मानकों के बावजूद क्रियान्वयन के समय उनके कड़ाई से पालन न करने के कारण यह समस्या लगातार बनी रहती हैं।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछले इलाकों में यह अपर्याप्तता अधिक है।
- अधिकांश विद्यालयों में पीने के पानी एवं भवन की स्थाई व्यवस्था है, किन्तु खेल के मैदान एवं शौचालयों का कई विद्यालयों में अभाव हैं।
- शिक्षकों सहित कार्यकर्ताओं द्वारा विद्यालय सुधार के सामुदायिक सहयोग की अनदेखी।
- नामांकन एवं अध्ययनरतता के सुधार के बावजूद अधिकांश बच्चे, विशेषतः जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के है, शाला व्यवस्था से बाहर हैं।
- बच्चों में सामान्य उपस्थिति में कमी, शालादर में वृद्धि, बच्चे की कमजोर उपलब्धि स्तर एवं शिक्षकों में सर्मपण भाव की कमी आदि समस्याये प्राथमिक विद्यालयों में अनुभव की गई।

- गांव में शाला का होना लोगों में शिक्षा के प्रति रूचि पैदा करता है और उनमें बेहतर जीवनयापन करने की जागरूकता वृद्धि में सहायक होता हैं।

- शिक्षित लोग कृषि, पशुपालन एवं अन्य स्थानीय कौशल को गाव के अशिक्षित लोगों के हाथों में छोड़कर कस्बों और शहरों में चले जाते है। इन धंधों में कोई विशेष/महत्वपूर्ण परिवर्तन नही हुआ है।

- क्रियान्वयन की दृष्टि से सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा की स्थानीय उपयोगिता होनी चाहिये। सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थानीय समुदायों की नियोजन प्रबंधन एवं निर्णय लेने में भागीदारी आवश्यक है। सरकार प्रदेश के दूरस्थ इलाकों के लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करें। जन समूहों की संगठित भागीदारी राष्ट्र के इस प्राथमिकता वाली कार्यक्रम की सफलता प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगी।

Ibid Page No. - 41

---

3. आर.पी.पाठक : (1992) उत्तर प्रदेश की वाराणसी संभाग के सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की एक समालोचनात्मक अध्ययन। पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

न्यादर्श :

वाराणसी संभाग के सभी प्राथमिक विद्यालय अध्ययन के न्यादर्श थे। वाराणसी संभाग के पांच जिले वाराणसी, बलिया, गांजीपुर जौनपुर एवं मिर्जापुर आते हैं।

निष्कर्ष/शैक्षिक महत्व :–

- प्राथमिक शिक्षा के लिये सभी भौगोलिक अथवा प्रशासनिक अथवा प्रशासनिक इकाइयों जैसे संभाग, जिला अथवा ब्लाक की अपनी विशिष्ट प्राथमिकताएं, और समस्याएं हैं।
- प्राथमिक शिक्षा को बड़ी इकाइयों में बढ़ावा देने के लिए तैयार एवं लागू की गई योजनाएं छोटी इकाइयों के लिये समान रूप से उपयोगी नही हो सकेंगे।

- किसी इकाई का पिछड़ापन वहां उपलब्ध साधनों जिनमें मानवीय एवं भौतिक साधन शामिल है, से सम्बन्धित हैं।
- प्राथमिक शिक्षा में शाला त्याग एवं अवरोधन की समस्या से निपटने एवं सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये सूक्ष्म नियोजन पद्धति के अपनाएं जाने की आवश्यकता है। ब्लाक को नियोजन की सबसे छोटी इकाई के रूप में लेना चाहिये एवं उस ब्लाक की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर अलग योजना बनानी चाहिए।

Ibid Page No. - 43

---

4. एम. अस्थाना : उच्चतर बुनियादी स्तर पर शालात्यागियों के सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परस्पर संबंधों का एक अध्ययन। पी.एच.डी. शिक्षा में उच्च अध्ययन संस्था, रूहेलखंड वि.वि. बरेली।

न्यादर्श :

रूहेलखंड क्षेत्र में दो जिलो के 156 शालात्यागी एवं 200 गैर शालात्यागी। इसमें पॉचवी से आठवी कक्षा के छात्र सम्मिलित थें।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- अवरोधन शाला त्याग का एक महत्वपूर्ण कारण पाया गया ।
- पाठ्यक्रम समायोजन एवं शाला त्याग में परस्पर संबंध था। इसके कारण हैं–अधूरा गृहकार्य, विषय की कठिनाई, बुरी संगत और किताब कापियों की अनुपलब्धता।
- शिक्षकों एवं सहयोगियों के साथ तालमेल न होना शाला त्याग का एक महत्वपूर्ण कारण था।
- कम उपस्थिति एवं देर से आना शाला त्याग के महत्वपूर्ण पूर्व संभावित कारक थे। इन समस्याओं के कारण है–विद्यालय का दूर होना, अधिक घरेलू कार्य, परिवार में तनाव, अध्ययन में अरूचि एवं किताब कापियों की सुगम व्यवस्था न होना।
- माता–पिता की आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति, उनका बच्चों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण

Ibid Page No. - 44

शाला त्याग के परस्पर संबंधों का निश्चित कारक हैं।

- शाला त्याग को कम करने में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता, बुनियादी ढांचागत सुविधाएं, मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था, छात्रवृत्ति सुविधा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सहभागिता महत्वपूर्ण हैं।

5. सी. जैगैया (1994) : प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में सीखने की शैली। पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) उस्मानियां वि. वि. हैदराबाद।

न्यादर्श :

आन्ध्र–प्रदेश प्राथमिक शिक्षा योजना के तहत चलाए जा रहे तीन विद्यालय समूहों सरकारी विद्यालयों, सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के 15 विद्यालयों के कक्षा 3, 4, एवं 5 के 7 से 13 आयु वर्ग के 450 विद्यार्थी।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- विद्यार्थियों में आवश्यक कौशल को सीखने की प्रवृत्ति, जानकारी एवं अभिरूचि, उनके सीखने की प्रवृत्ति की दिशा एवं स्तर के झुकाव की ओर इंगित करते हैं।
- विद्यार्थी में स्वयं और दूसरों के द्वारा विरक्तता आ सकती है। इन विरक्तियों को दूर करके स्वयं तथा समाज दोनों के विकास से सभ्यता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है।
- बच्चो के सीखने की शैली में उनके आर्थिक सामाजिक परिवेश का कोई विशेष प्रभाव नही होता । जबकि विद्यार्थियों की उम्र एवं विद्यालय उनके क्षेत्र स्वतंत्रता के उद्‌भव में महत्वपूर्ण प्रभाव डालते है।
- नियंत्रण का बिंदुपथ, जो ''स्वयं'' को नियंत्रित करता हैं, परिवार के प्रकार, आय, माता पिता की शिक्षा एवं व्यवसाय, विद्यार्थी का विद्यालय जिसमें वह पढ़ता है, जैसे – सामाजिक–आर्थिक कारकों से नियंत्रित होता हैं।
- नियंत्रण के बिंदु पर लिंग का महत्व नही हैं।
- बच्चों के सर्वागींण विकास में विद्यालय प्रकार का सर्वाधिक प्रभाव होता हैं।

Ibid Page No. - 46

---

6. जे. मालती माधव (1995) : आंध्रप्रदेश राज्य में बालिकाओं के समक्ष विद्यालय जाने में आने वाली बाधाओं का एक अध्ययन । पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) उस्मानियां विश्वविद्यालय, हैदराबाद।

न्यादर्श :

तटीय आंध्रप्रदेश, तेलंगाना एवं रायलसीमा क्षेत्रों के अर्द्ध ग्रामीण, अर्द्ध जनजातीय, शहरी एवं अर्द्ध शहरी क्षेत्र।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- आर्थिक स्थिति आंध्रप्रदेश में ग्रामीण बालिकाओं के विद्यालय न जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है।
- संगठनात्मक भौतिक एवं शैक्षिक कारकों जैसे आधीन कारण, ग्रामीण बालिकाओं की समस्या से जुड़े हुये हैं।
- सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक जैसे स्वतंत्र कारक ग्रामीण बालिका की शिक्षा में महत्वपूर्ण बाधा है।
- ग्रामीण बालिका की शिक्षा में उर्पयुक्त कारणों को छोड़कर राजनीतिक एवं ऐतिहासिक कारकों का अधिक महत्व नही है।

Ibid Page No. - 52

---

7. जनक दुग्गल (1993) : ग्रामीण हरियाणा में अनुसूचित जाति की बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा में अधिगम। प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में सामाजिक आर्थिक समस्याओं का एक अध्ययन । पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

न्यादर्श :

न्यादर्शित 4 ग्रामों में से अनुसूचित जातियों के 358 घर चिन्हित किये गये। इन घरों की 441 लड़कियों को जो 6–14 आयुवर्ग की थी, को अध्ययन के लिये लिया गया। इन बालिकाओं की स्थिति इस प्रकार थी :–

55% स्कूल जाने वाली (अध्ययनरत)

31% शालात्यागी

14% नामांकित नही

निष्कर्ष/शैक्षिक महत्व :—

- शाला त्याग की दर उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर से ज्यादा थी।
- अधिकांश घरों में 5–5 बच्चे थे।
- घरेलू काम–काज की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर थी। बड़े परिवारों में अधिक काम का बोझ विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को माताओं के साथ काम में हाथ बटाँने को मजबूर करता हैं।
- अनुसूचित जाति की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति, 20–35 आयु वर्ग के माता पिताओं वाले परिवार में 35–45 आयु वर्ग के माता–पिताओं वाले परिवारों की तुलना में अच्छी थी अधिकांश माता–पिता अनपढ़ थें।
- माता–पिता की अशिक्षा एवं निम्न शैक्षिक स्तर बालिकाओं की शिक्षा में नकारात्मक प्रभाव डालता है।
- विद्यालय जानेवाली बालिकाओं में उन बालिकाओं का प्रतिशत अधिक था जिनके माता–पिता कुशल कामगार थे या सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में कार्यरत थे अथवा जो स्वयं के रोजगार में लगे थे। इस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को माता–पिता के व्यवसाय के साथ नजदीकी संबंध था।
- गैर नामांकित और शाला त्यागी बालिकाएं वे बालिकाएं थी जिनकी आवश्यकता उनके परिवारों को आर्थिक स्थिति सुधारने में थी।
- इन बालिकाओं की प्रोत्साहन राशि उनके परिवारों की आर्थिक दशा के अनुरूप होनी चाहिये क्योंकि कमजोर आर्थिक स्थिति शैक्षिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालती है।
- बच्चों की शिक्षा में लिंगभेद था।
- इन परिवारों में जहॉ माता–पिता शैक्षिक मामलों में एक दूसरे से विचार विमर्श करते थें, बलिकाओं की शैक्षिक स्थिति उन परिवारों की तुलना में अच्छी थी जहॉ फैसले

माता या पिता अकेले ही करते थें।

- घर पर शैक्षिक सहायता का उपलब्ध न होना, बालिकाओं के शैक्षिक विकास में अवरोधक है।
- माता–पिता का कहना था कि बालिकाओं में शैक्षिक रूचि की कमी थी और वे अपना ज्यादातर समय अपने घर के अथवा आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने और बात करने में लगाती है। ईधन, चारा, भोजन, पानी इकट्ठा करना, खाना बनाना, बर्तन धोना, घर की सफाई, कपड़े धोना या कृषि कार्यो में मदद करना बालिकाओं की सर्वव्यापी प्राथमिक शिक्षा में विपरीत प्रभाव नही डालते हैं क्योंकि ये गतिविधियॉ समय के उचित प्रबंधन के साथ–साथ की जा सकती है। पर जब परिस्थितियॉ जबरन उन्हें पूरे समय बीमार अथवा छोटे बच्चों की, देखभाल या माताओं के साथ आय जुटाने वाली गतिविधियों में धकेल देती हैं तो यही गतिविधियॉ उनके शैक्षिक मार्ग में बाधां बन जाती है।
- माता–पिता के लिये बालिकाओं की शिक्षा सस्ती नही है। उनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि पर्याप्त नही है और समय पर नही मिलती।
- कम उम्र में विवाह बालिकाओं के मस्तिस्क को शिक्षा में एकाग्रित नही रहने देता और इसका उनकी शिक्षा में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बहुत से माता–पिता बालिकाओं के नामांकन और उनके अध्ययन रहने को बहुत महत्व नही देते है। विवाहित औरतों की शैक्षिक स्थिति उनके ससुराल में उनकी स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन नही लाती है।
- आश्रित संस्कृति का सिद्धान्त महिलाओं की सामाजिक स्थिति की परिचायक थी। शिक्षा, महिलाओं की जीवनचर्या को ऊँचा उठाएगी और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्रता देगी की सलाह उन्हें आकर्षित नही करती । यह उन्हें विद्यालयों में नामांकित एवं अध्ययनरत रहने को उत्साहित नही करती।
- बालिकाओं की शादी के अच्छे अवसर, भविष्य में बेहतर रोजगार की सुविधा, घर के कामकाजों का बेहतर प्रबंधन संपर्क कौशल को पढ़ लिखकर बेहतर बनाना एवं बच्चों के बेहतर पालन पोषण जैसी बातों से माता–पिता बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित करने को प्रोत्साहित होते है।
- बालिकाओं को विद्यालयों में नामांकित न कराने का सबसे बड़ा कारण शिक्षा की उपयोगिता को न समझना था। माता–पिता को बालिकाओं की शैक्षणिक क्षमताओं पर कम

विश्वास था, वे उनके लिए बहुत महत्वाकांक्षी नही थे एवं उनके बेहतर जीवनचर्या के प्रति आशावान थें।

- अधिकांश बालिकाओं में विद्यालय जाने के प्रति मनोवैज्ञानिक एवं काल्पनिक भय था। अपनी आत्म छवि को नीचा देखती थी क्योंकि उनका यह मानना था कि वे विद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयवस्तु को समझने में असमर्थ थी।
- शैक्षणिक मार्गदर्शन का न होना, परिवार अथवा स्वयं की स्वास्थ्य समस्यायें अध्ययन में व्यवधान पैदा करती हैं।

Ibid Page No. - 65

---

9. एस. मेरी जोन्स (1988) : प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण, गुणवत्ता सुधार के क्षेत्र एवं आयाम पी.एच.डी., (शिक्षा विभाग) उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद (आ. प्र.)।

न्यादर्श :

31 विद्यालय जिनमें 16 शहरी और 15 ग्रामीण क्षेत्रों के थे को न्यादर्श चुना गया।

निष्कर्ष/शैक्षिक महत्व :—

- शिक्षकों का विद्यार्थियों के विषय में जानकारी, बृद्धिमतापूर्ण एवं प्रभावी शिक्षण के लिए रूपरेखा होनी अति आवश्यक है।
- शिक्षक की विद्यार्थी के प्रति नजदीकी प्रत्येक विधार्थी को बेहतर प्रेरित करने, उनकी प्रकृति जानने व उनकी जरूरतों व सामाजिक पृष्ठभूमि को समझने में मददगार होती है।
- एक समर्पित शिक्षक प्राथमिक शिक्षा के रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार कर लेता है।
- प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम बाल्यावस्था के विद्यार्थियों के लिए न तो आकर्षक होता है। और नही रूचिकर।
- पाठ्यक्रम को समाज एवं बालक की जरूरतों के अनुसार होना चाहिये।
- प्राथमिक विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकों में एक संक्षिप्त शैक्षकीय रूपरेखा एवं शिक्षण कार्यविधियों का समावेश होना चाहिये।

- दूरदर्शी शिक्षक, सहायक शिक्षण सामग्रियों, अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों का प्रयोग करते हुए अधिगम को प्रभावी बना देते हैं।
- शिक्षकों को हर परिस्थिति में अधिगम की अवस्थाओं को सुधारने के लिए तरीकों एवं साधनों की खोज करते रहना चाहिये।
- शिक्षा को शिक्षा के उद्देश्यों के साथ घर तथा समुदाय को समाकलित करना चाहिए। इनका लक्ष्य बच्चों के आत्मिक तथा भावनात्मक विकास पर होना चाहिये।
- शिक्षक बालक को इस योग्य बनाएं कि वह गर्व की भावना एवं विश्वास महसूस कर सके कि उसमें सीखने की क्षमता हैं।
- माता–पिता शिक्षक संबंध बच्चे की क्षमताओं के उच्च स्तरीय विकास में अनुकूल प्रभाव डालते हैं।
- बहु श्रेणी कक्षा शिक्षण, एक शिक्षक विद्यालय, शिक्षकों पर काम का बोझ, व्यक्तिगत ध्यान देने की कमी आदि कुछ समस्याएं हैं जो शिक्षा के स्तर को कम करती है।
- माता–पिता की अरूचि एवं अशिक्षा, आर्थिक कठिनाइयाँ, बालश्रम (घरेलू एवं भुगतानिक)
- खराब स्वास्थ्य, बाल विवाह प्रथा आदि बच्चों की शिक्षा में कुछ बड़ी रूकावटे हैं।
- विशेष कार्यक्रमों जैसे अन्तर विद्यालयीन वाद–विवाद प्रतियोगिता, स्पर्धाओं का अभाव निःशुल्क पुस्तकों की व्यवस्था, यूनीफार्म, छात्रवृत्तियों का अभाव, आकर्षक अधिगम सहभागी सामग्रियों का अभाव, सुसज्जित खेल मैदानों की कमी एवं बैठने की व्यवस्था की कमी आदि कुछ बाधाएं हैं जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार के बीच आती हैं।
- गैर श्रेणी व्यवस्था के अपनाने एवं उपलब्धियों की लगातार परख से प्रभावी अधिगम सुनिश्चित हो सकता हैं।
- औपचारिकेत्तर शिक्षा उन बच्चों के लिये वरदान हैं जो औपचारिक शिक्षण व्यवस्था के जरिये शिक्षा ग्रहण नही कर सकते हैं।
- औपचारिकेत्तर शिक्षा औपचारिक शिक्षा की अनुपूरक एवं पूरक है। इसका पाठ्यक्रम कठोर एवं जड़ नही हैं।
- औपचारिक शिक्षा रोजगारोन्मुखी हैं जो समाजोपयोगी कार्यो का प्रबंध करती हैं।
- औपचारिकेत्तर शिक्षा सर्वव्यापी शिक्षा की एक वैकल्पिक योजना का कार्य करती हैं।

Ibid Page No. - 72

---

10. ए. राजेश्वर राव (1993) : आंध्रप्रदेश में आदिलाबाद जिले के प्राथमिक स्तर के जनजातीय शिक्षकों पर सेवा कालीन शिक्षक कार्यक्रमों का प्रभाव । पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग), उस्मानियां वि.वि. हैदराबाद।

न्यादर्श :

न्यादर्श में आंध्रप्रदेश के आदिलाबाद जिले के 6 मंडलों के 62 विद्यालय शामिल हैं। विद्यालयों एवं मंडलों का चयन यादृक्षिक न्यादर्श के आधार पर किया गया। न्यादर्श में 100 शिक्षक 50 मंडल के शिक्षा अधिकारी एवं 25 जिला कर्मचारी भी शामिल हैं जिनका अध्ययन में साक्षात्कार लिया गया।

निष्कर्ष/शैक्षिक महत्व :–

1. **प्रशासन**

- सेवाकालीन शिक्षण कार्यक्रमों में योग्य शिक्षकों की कमी।
- सेवाकालीन शिक्षण कार्यक्रमों के दौरान श्रव्य सामग्रियों/उपकरणों का कोई उपयोग नहीं।
- प्रशिक्षुओं के लिये भौतिक प्रबंधों की अपर्याप्तता।
- प्रशिक्षण के पूर्व कोई जानकारी नही।

2. **संगठन**

- जनजातीय शिक्षकों के लिये नियमित प्रशिक्षण का अभाव।
- प्रशिक्षण की व्यवस्था छुट्टियों में की जाय।
- प्रशिक्षण की जगह कार्य स्थल के नजदीक होना चाहिए।
- प्रशिक्षुओं, प्रशिक्षकों एवं संयोजकों द्वारा अधिगम अनुभवों की आपस में कोई चर्चा नहीं।

3. **विषय वस्तु**

- नैतिक मूल्यों में वृद्धि, राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता और महिला शिक्षा में सुधार जैसे विषयों में प्रशिक्षण कम प्रभावी रहा हैं।
- जनजातीय शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नही।

4. **अनुशासन**

- प्रशिक्षुओं पर प्रशिक्षण का कोई सकारात्मक प्रभाव नही।

5. **सामग्री**

- कार्यक्रमों का संयोजन आवश्यक सामग्रियों के समय पर प्रबंधन में व्यवस्थित नही था। दी गई सामग्री या तो अपर्याप्त थी या प्रशिक्षण से संबंधित नही थी ।

6. **आर्थिक**

- धनकोष की अपर्याप्तता संगठन एवं मुद्रण कार्य को प्रभावित करती है।

7. **व्यावसायिक आवश्यकताएँ**

- जनजातीय शिक्षकों की आवश्यकताओं की पूर्ति नही होती। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यावसायिक वृद्धि एवं मूल्यांकन विधियों को पर्याप्त जगह नही दी गई।

Ibid Page No. - 73

---

11. गारा लाटचन्ना (1996) : जनजातीय एवं गैर जनजातीय प्राथमिक विद्यालयों में शाला त्यागियों एवं श्रेणी पुनरावृत्तकों का एक तुलनात्मक अध्ययन। पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) आंध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर।

न्यादर्श :

6 मंडल प्रजा परिषद प्राथमिक विद्यालय जिनमें 4 जनजातीय विद्यालय, और 2 गैर जनजातीय विद्यालय शामिल हैं। इनका चयन यादृक्षिक था।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :-

- प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था खामियॉ मुख्यतः शिक्षकीय परिणाम है।

- माता–पिता की आर्थिक कमजोरी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की अगली कमी है।
- पिछड़े जिले में अध्ययनरत दर बेहद नीची थी।
- खुले विद्यालय और डी.पी.ई.पी. भी पिछड़े इलाकों के सबसे गरीब परिवारों के बच्चों में अपव्यय एवं अवरोधन को कम कर सकने में सफल नही रही है। चाहे वे जनजातीय इलाकों के हों अथवा गैर जनजातीय पिछड़े इलाकों के। इसलिए इन योजनाओं के पुर्न दिशा निर्धारण की अत्यंत आवश्यकता है।
- शिक्षकीय कार्य को केवल एक व्यवसाय के रूप में ही न देखें बल्कि इसे जीवन का एक उद्देशय मानकर आने वाली पीढ़ी के प्रति रूचि, स्नेह एवं सहानुभूति रखें।

जब तक शिक्षकों की बचनबद्धता एवं निपुणता में सुधार नही आएगा और जब तक सामाजिक–आर्थिक, समानता स्थापित नही हो जाती तब तक शासन द्वारा शत–प्रतिशत नामांकन, अध्ययनरत, प्राथमिक स्तर पर अधिगम के न्यूनतम स्तर पाने आदि लक्ष्यों की पूर्ति के लिये उठाए गए कदम दूरगामी लक्ष्य ही बने रहेंगे।

Ibid Page No. - 80

---

12. डी. पी. पटेल (1993) :– प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं इसकी वृद्धि के स्तर का अध्ययन में पी. एच. डी.

न्यादर्श :

अध्ययन में प्राथमिक विद्यालयों के 200 शिक्षकों ने भाग लिया। 100–100 शिक्षकों के दो समूह एक प्रायोगिक एवं दूसरा नियंत्रण समूह बनाया गया।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- शिक्षकों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता में व्यवहारिक वृद्धि लाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- वे शिक्षक जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हैं अपने बच्चों में पर्यावरण जागरूकता की समझ विकसित करने में अधिक प्रभावी होंगे।
- पर्यावरण के प्रति जागरूक बच्चे पर्यावरण की रक्षा में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएंगें।

- पर्यावरण के प्रति जागरूक शिक्षक जीवन के हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को पर्यावरण के प्रति शिक्षित कर सकेंगे।
- छात्र, बागवानी, कृषि क्षेत्रों के दौरे एवं भ्रमण जैसी विभिन्न गतिविधियाँ कर सकते हैं।

Ibid Page No. - 85

---

13. आर.डी. यादव (1987) : उत्तर प्रदेश में 9–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए औपचारिकेत्तर शिक्षा कार्यक्रम का एक अध्ययन।पी.एच.डी. (शिक्षा में उच्च अध्ययन केन्द्र) एम.एस. विश्वविद्यालय बड़ौदा।

न्यादर्श :

उत्तर प्रदेश में जिले के दो ब्लाकों के 50 प्राथमिक स्तर के और 15 माध्यमिक स्तर के औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र। प्राथमिक स्तर पर 50 प्रशिक्षकों, 250 बच्चों और 100 ग्राम प्रधानों और माध्यमिक स्तर पर 15 प्रशिक्षकों, 45 बच्चों और 30 ग्राम प्रधानों ने अध्ययन में भाग लिया।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- लाभाविन्त होने वाली जनता की जनसंख्या के अनुरूप केन्द्रों का आवंटन नही था।
- कार्यक्रम का प्रभाव बहुत कम था।
- केन्द्रों का पर्यवेक्षण अपर्याप्त था।
- अधिगम एवं शिक्षण सहायक सामग्रियों की व्यवस्था समुचित एवं समय पर नही थी।
- पीने योग्य पानी, बैठक, आवास एवं रोशनी जैसी सुविधाओं की अपर्याप्तता थी।
- बच्चों में शालात्याग की समस्या सामाजिक आर्थिक एवं निजी कारणों की वजह से थी। यह माध्यमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर की अपेक्षा अधिक थी।
- आकस्मिक एवं मानदेय राशियाँ संतोषजनक नही थी और उनका भुगतान अनियमित था।
- सभी विषयों को एक ही प्रशिक्षक द्वारा संतोषजनक प्रशिक्षण विशेषकर माध्यमिक स्तर पर कठिन पाया गया।
- औपचारिकेत्तर शिक्षा कार्यक्रम को बच्चों एवं ग्राम प्रधानों द्वारा कम प्रभावकारी पाया

गया। गुणात्मक दृष्टि से बच्चों में अक्षरीय, अंकीय, स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई, इत्यादि पर्यावरण की जानकारी एवं व्यावसायिक ज्ञान कमजोर था पर परिमाणात्मक दृष्टि से उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा।

Ibid Page No. - 93

---

13. संध्या नारंग (1991) : दिल्ली में प्राथमिक विद्यालयों में महिला शिक्षक– उनकी भूमिका संघर्ष, सामाजिक जिम्मेदारी का बोध एवं व्यावसायिक संस्कृति पी.एच.डी. (शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनौपचारिक शिक्षा विभान, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

न्यादर्श :

दिल्ली महानगर निगम के 250 विवाहित महिला शिक्षक।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- महानगर निगम की शिक्षिकाओं में व्यावसायिक संस्कृति को बेहद कमजोर, उदासीन एवं निरर्थक पाया गया।
- बेहतर सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली शिक्षिकाओं को महानगर निगम विद्यालयों में बदलाव एवं सुधार ला सकने में असमर्थ पाया गया। वे अपनी भूमिका संघर्ष के कारण हताश एवं अप्रभावी होती जा रही है।
- महानगर निगम के विद्यालयों के क्रियान्वयन को दम घोटू सामाजिक एवं शैक्षणिक वातावरण से बदलना चाहिये ताकि वे कम सुविधा प्राप्त घरों के बच्चों की जरूरतों के अनुसार स्वतंत्र व कार्यकुशल हो सकें।
- शिक्षिकाओं के भूमिकाओं के टकराव मुख्यतः कमजोर प्रशासनिक नियंत्रण, निष्क्रिय योजनाएं एवं महानगर निगम विद्यालयों मे प्रचलित ग्रामीण प्रथाओं की वजह से है।
- शिक्षिकाओं में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना का निराशाजनक अभाव पाया गया। इन्हें बेहतर पर्यवेक्षण एवं सुविधाएं चाहिये। ज्वलंत भाषण एवं महान गीतों मात्र से काम नही चलेगा।
- वर्तमान में विद्यमान विद्यालय समय के अनुरूप नही रह गए है, और इन्हें नए"विवेकीकरण" नमूने पर आधारित विद्यालयों का गठन किया जाना चाहिये तो समाज को चलाने

वालो की जरूरतों, जिसकी पूर्ति करते हैं, के अनुरूप हों।

Ibid Page No. - 100

---

14. वी. प्रकाश (1991) : दिल्ली में वर्ष 1966 से 1976 के मध्य प्राथमिक स्तर पर लागू की गई पाठ्यक्रम नीति एवं नियोजन की एक खोजबीन। पी.एच.डी. (शिक्षा विभाग) जामियमिलिया इस्लामिया नईदिल्ली।

न्यादर्श :

दिल्ली की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था।

निष्कर्ष / शैक्षिक महत्व :–

- शिक्षकों में उत्साहवर्धन की कमी।
- सेवा पूर्ण एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण की अपर्याप्तता
- राजनैतिक हस्तक्षेप
- प्रधान अध्यापकों / अध्यापिकाओं की कमजोर छवि ।
- कार्य अनुभव का कोई सिद्धान्त नही।
- विज्ञान का अनुपयुक्त शिक्षण।
- अप्रभावी पर्यवेक्षण।
- अपर्याप्त वित्त।
- जाति एवं समुदाय का प्रभाव।
- नियोजन में माता–पिता शिक्षक नही हैं।
- अपर्याप्त भौतिक साधन।
- कक्षा शिक्षक विषय शिक्षक नही है।
- अनुसंधान कार्य का प्रोत्साहन नगण्य।
- भारी पाठ्यक्रम का बोझ।
- शिक्षकों को उचित पुरस्कार न प्राप्त होना।
- शैक्षिक स्तर में गिरावट।
- शिक्षा अधिकारी प्रायः किसी दूसरे विभाग में आंसजित रहना।

Ibid Page No. - 101

---

15. विभिन्न भारतीय राज्यों में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की उपलब्धियॉ –

स्नेहलता शुक्ला

उद्‌देश्य :–

अध्ययन का उद्‌देश्य प्राथमिक विद्यालय की समाप्ति पर बच्चों की मातृ भाषा व अंकीय योग्यताओं का आंकलन था।

विधि :–

अध्ययन 22 राज्यों के चौथी कक्षा के 1,00,000 बच्चों पर बहुसंचित यादृक्षिक न्यादर्शी विधि का प्रयोग करते हुये किया बालकों में अधिगम संबंधी उपलब्धियों को प्रभावित करने वाले विद्यालयीन व घरेलू कारकों को संचयित करने के लिये विद्यालय संबंधी विचलनों और बालकों एवं शिक्षकों की पृष्ठभूमि व शिक्षकों द्वारा अपनाई गयी नई शिक्षण विधियों की जानकारी के संचयन के लिए 3 प्रश्नावलियों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा भाषा एवं गणित में सांख्यिकीय मानों को इकट्‌ठा करने के लिए दो विशिष्ट परीक्षणों को प्रयोग किया गया।

प्राप्त वयस्क निष्कर्ष :–

- चौथी कक्षा के विद्यार्थियों पर प्रयोग की गई परीक्षणों की श्रृखलां पर उनका राष्ट्रीय औसत 45 प्रतिशत रहा। हालांकि यह औसत अलग–अलग राज्यों के लिए अलग–अलग था।
- भाषा एवं गणित दोनों की विषयवस्तु में शिक्षकों की जानकारी अपर्याप्त थी।
- नई पाठ्‌यपुस्तकों के द्वारा अधिक मदद नही दिखती ।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की उपलब्धियों में अंतर नही था। बालकों एवं बालिकाओं की उपलब्धियॉ भी अलग राज्यों में अलग–अलग थी।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की निष्पत्ति सामान्य व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों में दिखी थी।
- राज्यों में प्राथमिक पाठशाला के बच्चों की उपलब्धियों में अन्तर।
- विद्यालय संबंधी कार्यो में बच्चों के अधिगम को, बच्चे की योग्यता उसकी घरेलू पृष्ठभूमि, परिवार में पढ़ाई का माहौल एवं सीखने की सुविधाएं आदि प्रभावित करते है।

- घर एंव विद्यालय संबंधी विचलनों एवं उपलब्धियों में अंतर के संबंध में सहभागिता का निर्धारण नही किया जा सका।
- शिक्षकों के बालकों के अधिगम पर मिलने वाली सेवाकालीन शिक्षण की गहनता के सकारात्मक प्रभाव के साक्ष्य थे।

कार्यबिंदु :– (Action points)

- राज्य, शिक्षकों के संबंधित विषय/विषयों में उनके विशिष्ट कौशलों एवं योग्यताओं के संवर्धन के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं।
- कक्षा प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, पर्याप्त भौतिक सुविधाजनक बनाने के लिए,जिला एवं राज्य अधिकारी, पर्याप्त भौतिक सुविधाओं को जुटाने में मदद कर सकते हैं।
- शिक्षकों को नए पाठ्यक्रम के साथ तालमेल बिठाने संबंधी आवश्यक जानकारी एवं कौशल देने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षणों की व्यवस्था की जा सकती हैं।
- विद्यालयों एवं समुदाय के बीच नजदीकी संबंध स्थापित किये जा सकते है। (सामुदायिक क्रियाशीलता के लिए कार्यक्रमों की व्युत्पत्ति एवं नियोजन के द्वारा) । विद्यालय समुदाय की जरूरतों एवं आकांक्षाओं को समझने एवं पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को आयोजन कर सकते है।
- सेवाकालीन प्रशिक्षण चाहने वाले शिक्षकों के वृहद कौशल से शिक्षण/अधिगम स्थितियों में उचित परिवर्तन लाए जा सकते है।

" Suggested Acticn Points Based on studies presented during international Seminars Organised by N.C.E.R.T. in 1995-96-97 page No.6

---

16. अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में प्राथमिक स्तर पर घरेलू सामुदायिक एवं विद्यालयीन कारकों का नामांकन, अध्ययनरतता एवं उपलब्धियों पर प्रभाव का एक अध्ययन।

एन.के. अम्बस्ट, के.बी.रथ

उद्देश्य :–

अनुसूचित जनजातियों के बच्चों में घरेलू, सामुदायिक एवं विद्यालयीन कारकों का उनके नामांकन अध्ययनरत एवं उपलब्धियों पर प्रभावों का जानना।

विधि :–

अध्ययन में 15,623 विद्यार्थियों, जिनमें 2,076 अनुसूचित के विद्यार्थी शामिल थे, के आधारभूत उपलब्धि अध्ययन के आंकड़ों का परीक्षण किया। इसमें 1205 विद्यालयों, जिनमें 567 जनजातीय बच्चे थे, को भी शामिल किया गया।

प्राप्त निष्कर्ष :–

- विद्यालय का पाठ्यक्रम जनजातीय बच्चों की जरूरतों के अनुकूल नहीं था।
- **NFE** योजनाओं को सही तरीके से लागू नही किया गया
- विद्यार्थियों की गणित एवं भाषा में उपलब्धियों पर माता–पिता की शिक्षा एवं परिवार द्वारा दी गई मदद, महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है।
- बच्चों के नामांकन एवं अध्ययनरत को प्रभावित करने वाले बड़े कारक हैं –

पाठ्यपुस्तकों में जनजातीय जीवन एवं संस्कृति के संबंध में जानकारी का न होना व अन्य अधिगम अनुभवी एवं शिक्षण में जनजातीय बोलियों के माध्यम का प्रयोग न करना।

- शिक्षक उपस्थिति, गृहकार्य एवं मध्यान्ह भोजन को जनजातीय विद्यार्थियों के नामांकन से सकारात्मक सम्बंध हैं।

कार्यबिन्दु :–

- जनजातीय लोगों की विशिष्ट जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है।
- प्रोत्साहन योजनाओं जैसे, स्वास्थ्य शिक्षा, उपस्थिति छात्रवृत्ति एवं मध्यान्ह भोजन की

क्रियान्वयन से माता–पिता बच्चों को लगातार विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।

- आदिवासी बच्चों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व–विद्यालयीन सुविधाएं दी जा सकती हैं।
- शैक्षिक पाठ्यक्रम के नियोजन एवं निरूपण में जनजातीय पंचायतों एवं समुदाय की उनके जरूरतों एवं आंकाक्षाओं की भागीदारी उनके सामान्य दृष्टिकोण में इच्छित परिवर्तन ला सकती हैं।

Ibid Page No. - 10

---

18. प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण एवं शाला त्यागी

(A-policy Bug) – 'ए–पोलिसी वर्ग

राघवेन्द्र चट्टोपाध्याय

उद्देश्य :–

बड़े स्तर पर घरों के सर्वेक्षण के द्वारा शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर नामांकनों व शाला त्यागियों के आंकड़ों को प्राप्त करने के लिये वैकल्पिक क्रियाविधि को खोजना।

न्यादर्श :

आसाम के सभी 23 जिलों के 110 ग्रामीण व 30 शहरी इकाइयों के प्राथमिक विद्यालयों के वर्ष 1989 में कक्षा 1 के विद्यार्थी।

पश्चिम बंगाल के मिदिनापुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों के वर्ष 1989 में कक्षा 1 के विद्यार्थी।

तकनीक :–

- कक्षा 1 के (1989 में) विद्यार्थियों की पिछले 4 वर्षो की शैक्षणिक प्रगति के विषय में पता करने हेतु घरेलू सर्वेक्षण।

विश्लेषण की विधि :–

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का कोहोर्ट विश्लेषण। वास्तविक आंकड़ों का स्कूली आंकड़ों से तुलना।

प्राप्त वयस्क निष्कर्ष :–

- कक्षा 1 की संख्याओं के अति–विस्तृत होने के कारण, स्कूली शाला–त्यागियों की वास्तविक संख्या, आधिकारिक संख्या, शाला त्यागियों की, संख्या, से काफी ज्यादा हैं।
- गरीबी, निम्न नामांकन व उच्च शाला त्याग कारण हैं पर यह निम्न नामांकन का मुख्य कारण है।
- कुल शाला त्यागियों में 50: गैर आर्थिक कारणों की वजह से थे।

कार्य बिन्दु :–

- बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देना चाहिये।
- बच्चों को छोटे शिशुओं की देखभाल के बोझ से बचाने के लिए/कम करने के लिये शिशु देखभाल व पूर्ण विद्यालयीन सुविधाओं को दिया जा सकता हैं।
- स्कूली पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर पर और अधिक रूचिकर एवं वास्तविक बनाया जा सकता है।

Ibid Page No. - 20

---

19. दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में मूल्यांकन पद्धतियों का एक अध्ययन।

– सरला राजपूत, ममता अग्रवाल

उद्देश्य :–

दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में अपनाई गई मुल्यांकन विधियों एवं प्रक्रियाओं का पहचानना।

विधि :–

न्यादर्श में 256 सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, दिल्ली महा नगर निगम **(MCD)** नई दिल्ली महानगर निगम **(NDMC)** के विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय, निजी पब्लिक स्कूलों एवं गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय शामिल हैं। निर्देशन पद्धतियों संबंधी जानकारी के संचयन हेतु प्रश्नावलियों एवं खोजहीन डायरियों का प्रयोग किया गया तथा विश्लेषण के लिये कक्षा 3 के प्रश्न पत्रों एवं प्रगति पत्रकों को एकत्रित किया गया।

प्राप्त वयस्क निष्कर्ष :–

- सभी विद्यालयों में एक सुनियोजित मूल्यांकन व्यवस्था है।
- केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर बांकी सभी विद्यालयों में विभिन्न परीक्षाओं व परीक्षणों को लगभग समान महत्ता थी।
- ज्ञान को समझ व कौशल से अधिक महत्ता दी गई हैं।
- राज्य द्वारा चलाये गए विद्यालयों की तुलना में निजी व पब्लिक स्कूलों में मौखिक कार्यो, गृहकार्यो व प्रोजक्टों को अधिक महत्व दिया जाता हैं।
- उपलब्धियों के गैर विद्वता वाले क्षेत्रों के मूल्यांकन पर पर्याप्त ध्यान नही दिया जाता।

कार्य बिन्दु :–

- शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण के दौरान ही प्रश्न पत्रों के गठन एवं उनके मूल्यांकन से संबंधित जानकारी दी जा सकती हैं।
- विद्यालय में शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण किया जाना चाहिये।
- विभिन्न विषयों एवं कक्षाओं की पूर्ति निर्मित टेस्ट सामग्रियों के निर्माण की व्यवस्था शिक्षकों को उपयोग के लिये डाइटों को दे देना चाहिये।
- बच्चों की उपलब्धि स्तर को जॉचने के लिये 'बेंचमार्क' मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जा सकता हैं।
- उपलब्धियों के कम अधिगम स्तर वाले क्षेत्रों को भी मूल्यांकन में उनका नियत स्थान व महत्ता मिलनी चाहिये।

Ibid Page No. - 37

20. कक्षा पुर्नगठन महिलाओं के सार्वभौमिक अध्ययनरतता की एक चुनौती।

उद्देश्य :–

अध्ययन ने यह जॉच की कि किस सीमा तक, शिक्षण विधियाँ शिक्षकों की प्रशिक्षण स्तर, कक्षा संगठन, सहायक शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं में अधिगम के लिये उत्तरदायी है। और क्या इनमें सुधार से प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के उद्देश्यों की विशेषकर बालिकाओं के सन्दर्भ में प्राप्त की जा सकती हैं।

कार्यविधि :–

मुख्य पैमाने जिनके आधार पर कक्षा में हो रही गुणात्मक क्रियाओं को अधिगम, शिक्षण, प्रशिक्षण, श्रव्यदृश्य सहायक सामग्रियों के प्रयोग, मूल्यांकन एवं पाठयक्रम सहगामी क्रियाओं के रूप में निरूपित किया गया। एकत्रित किये गए आंकडों को प्रतिशत के रूप में प्रदर्शित किया गया।

प्राप्त वयस्क निष्कर्ष :–

- शिक्षकों की संख्या कक्षाओं की संख्या की आवश्यकता के अनुरूप अपर्याप्त थी।
- शिक्षकीय प्रगति के छः अवयवों – अधिगम, शिक्षण, प्रशिक्षण, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्रियों के प्रयोग मूल्यांकन एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को शालात्याग से, शिक्षण एवं श्रव्य–दृश्य सहायक सामग्रियों के प्रयोग के पश्चात् नकारात्मक संबंध था।
- शालात्याग का कक्षा–चर्या की गुणवत्ता से नकारात्मक संबंध था।

कार्य बिन्दु :–

- प्रत्येक कक्षा में एक शिक्षक अधिकृत किया जाना चाहिये और संस्था की शिक्षा में गुणात्मक सुधार किए इस प्रथा को मूर्तरूप दिया जाना चाहिये।
- शैक्षकिय गतिविधियों को अधिक उपयोगी व रूचिकर बनाकर शालात्याग की दर पर नियंत्रण पाया जा सकता है।
- शाला त्याग को नियंत्रण में रखने के लिए कक्षा को पुर्नगठित किया जा सकता हैं।

Ibid Page No. - 53

21. मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के जिला प्राथमिक शिक्षा योजना जिलों में शिक्षक प्रशिक्षण घटकों एवं उनकी प्रभाविकता का एक अध्ययन।

जी.एन.पी. श्रीवास्तव

उद्देश्य :–

मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के **DPEP** शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के घटकों एवं उनके सुधार के लिए दिए गए सुझावों का विश्लेषण करना।

क्रियाविधि :–

आंकड़ों को उपर्युक्त राज्यों के **DPEP** जिलों के शिक्षण कैंपों के **SRC,DRC ,oa BRC** कक्षाओं के दौरों के अध्ययन के द्वारा संचयित किया गया।माता–पिताओं एवं **VEC** सदस्यों से मुलाकातों ने भी महत्वपूर्ण आंकड़े दिए।

प्राप्त निष्कर्ष :–

- **MS** के द्वारा विकसित **DPEP** प्रशिक्षण पैकेज,निपुणता आधारित शिक्षण, रूचिकर अधिगम, शिक्षण साहित्य के उपयोग, सूक्ष्म नियोजन, वार्षिक नियोजन क्रिया–अनुसंधान एवं एप्रोच बेस प्रशिक्षण इत्यादि पर केन्द्रित हैं।
- शिक्षक घटक, भाषा शिक्षण, गणित शिक्षण, **E.V.S** शिक्षण, व्यक्तित्व विकास,स्वास्थ्य एवं साफ–सफाई में निपुण शिक्षण जैसी विद्यालय तात्पर्य क्रियाओं से संबंधित थे।

कार्य बिन्दु :–

- विद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाएं रखनें एवं बालकों के लिये सही/उचित शिक्षण/अधिगम वातावरण तैयार करने में, ढॉचागत सुविधाओं, विद्यालय का पर्याप्त प्रबंधन शिक्षण/अधिगम गतिविधियों का निरीक्षण एवं शिक्षण में श्रव्य–दृश्य सहायक सामग्रियों के उपयोग, जैसे प्रबंध मदद कर सकते हैं।
- शिक्षण/अधिगम प्रक्रिया में प्रभावी परिवर्तन लाने में समयबद्ध आन साइट शाला आधारित प्रशिक्षण मदद कर सकता है।

Ibid Page No. - 96

22. प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सुधार योजनाएं :

संबलपुरजिले के जनजातीय क्षेत्रों का एक अध्ययन।

– निरूपमा बारपाण्डा

उद्देश्य :–

- सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्राथमिक शिक्षक सुधार संबंधी योजना नवीन तत्वों का पता लगाना।
- अध्ययनरतता एवं नामांकन सुनिश्चित करने में योजना द्वारा प्राप्त सफलता के विस्तार का पता लगाना।

कार्यविधि :–

वैयक्तिक अध्ययन विधि को इस अध्ययन के लिए अपनाया गया। अध्ययन के लिए ग्रामीण व जनजातीय लोगों द्वारा चलाए जा रहे 15 प्रायोगिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रो को बनाया गया। आंकड़ों का गुणात्मक एवं परिमाणात्मक विश्लेषण किया गया।

प्राप्त निष्कर्ष :–

- नामांकन की दर 36% (1991) से 100% (1996) तक बढ़ गई।
- अध्ययनरतता की दर 14% (1991) से 93% (1996) तक पहुॅच गई।
- शालात्याग की 7% दर अधिकांशतः माता–पिता के प्रवर्जन के कारण थी।
- लड़कियों में 97% बालिकाएं प्राथमिक स्तर पर अध्ययन के उपलब्ध अवसरों का लाभ उठा रही थी।

कार्य बिन्दु – शिक्षक एक मददगार एवं सलाहकार के रूप में बच्चों के सर्वागींण विकास में उनकी हिचकिचाहट व डर दूर करने, उनमें विश्वास पैदा करने व स्वाभिमान की भावना का विकास करने में मददगार सिद्ध हो सकते हैं।

- शैक्षिक गतिविधियों को वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उनके नियमन व दिशा निर्धारण में समुदाय की सक्रिय भागीदारी ली जा सकती हैं।

- शिक्षक का चयन सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिये। समुदाय के कल्याण व हितों की रक्षा में उसकी एक नेता के रूप में भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

Ibid Page No. - 103

---

23. भोपाल में 6 से 14 आयुवर्ग के कामकाजी व गैर स्कूली बच्चों का एक अध्ययन।

– एस.पी. शर्मा, वी.पी. गुप्ता,

उद्देश्य :–

भोपाल के शहरी क्षेत्र में रहने वाले सबसे गरीब परिवारों की पहचान करना उनके जीवनचर्या उनके बच्चों की शिक्षा के प्रति उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करना। इन गैर स्कूली बच्चों के लिये शैक्षिक नीतियों का विकास करना ।

क्रियाविधि :–

कार्यविधि में, स्थानीय निकायों का सर्वेक्षण, में चुने गए बच्चों, उनके अभिभावकों माताओं, नियोक्ताओं एवं पड़ोस के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रश्नावलियों का विकास करना व उनका साक्षात्कार करना शामिल है।

प्राप्त निष्कर्ष :–

- इन बच्चों में अधिकांश 10–12 आयुवर्ग के बच्चे है। बहुत कम ही 6–10 और 13–14 आयु वर्ग के हैं। यदि स्थिति अनुकूल हो तो ये पढ़ाई प्रारंभ करने को उत्सुक हैं। उनमें से अधिकांश अपनी शामें टी.व्ही. देखकर गुजारते हैं। टी.व्ही. पर मार–धाड़ जादू एवं हसी–मजाक वाले धारावाहिक उन्हें सर्वाधिक पसंद है। कुछ बच्चे काम करते है, क्योंकि यह उनके लिए आवश्यक हैं। बाकी इसलिए करते हैं, क्योंकि वे शाला–त्याग चुके है, और कुछ करने को नही हैं।
- परिवार के मुखिया में जुआँ शराब जैसी बुरी आदते हैं। इसके परिणाम स्वरूप घरेलू झगड़े होते है। जिनका बच्चों पर प्रभाव पड़ता हैं। अधिकांश माता–पिता गरीब और अशिक्षित हैं। जिसकी वजह से वे अपने बच्चों की विद्यालय में भर्ती संबंधी औपचारिकताओं

को पूरा नही कर पाते है। वे बच्चों के शैक्षणिक खर्चे बर्दाश्त करने में भी असमर्थ हैं।

कार्य बिन्दु :–

- विद्यालय के अधिकारीगण बच्चों के शैक्षिक प्रयासों को सुनिश्चित कर सकते हैं यदि वे शाला त्याग को रोक सकें।

- इस समूह के बच्चों में अवांछित रूचियों एवं वरीयताओं को, शैक्षिक गतिविधियों के नियोजन से समाप्त किया जा सकता है। और उनके ध्यान को अधिक महत्वपूर्ण अधिगम गतिविधियों एवं दृष्टिकोणों के प्रति आकृष्ठ किया जा सकता है। बच्चों की गतिविधियों के शैक्षिक नियोजन के लिए उत्प्रेरक नीतियों के पैकेज का प्रयोग किया जा सकता है।

Ibid Page No. - 108

अध्याय - तृतीय

शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता एवं महत्व

प्रत्येक राष्ट्र की प्रथम प्राथमिकता उसके जन–जन को प्राथमिक शिक्षा से शिक्षित करना है, यह पहली सीढ़ी है जिसे सफलता पूर्वक पार करके ही कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है। राष्ट्रीय जीवन के साथ जितना घनिष्ठ सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा का है उतना माध्यमिक या उच्च शिक्षा का भी नही हैं। राष्ट्रीय विचार धारा तथा चरित्र के निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण समय एवं स्थान इस काल का है उतना किसी अन्य अवधि या किसी दूसरी सामाजिक,शैक्षणिक या राजनैतिक गतिविधियों का नही है, इसका सम्बन्ध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर देश की पूरी जनसंख्या से होता हैं। इसका हर कदम पर हर व्यक्ति के जीवन से सम्पर्क होता हैं।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों की शिक्षा अथवा जन साधारण की शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूलाधार हैं। इस शिक्षा की अवहेलना करने के कारण ही भारत वर्ष का इस सीमा तक पतन हुआ अतः इसका उत्थान करके ही देश का कल्याण हो सकता है स्वामी विवेकानन्द[1] के अनुसार "मेरे विचार से जन साधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है औंर हमारे पतन के कारणों में से एक है सभी राजनीति उस समय तक विफल रहेगी जब तक की भारत में जन साधारण को एक बार फिर भली भॉति शिक्षित नही कर लिया जाएंगा।

बीसवी सदी के प्रारम्भ से ही हमारे देश में शिक्षा के लोकव्यापीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया। इस शताब्दी के प्रथम दशक से बम्बई में सर चिमन लाल शीतलवाद ओर सर इब्राहीम रहीम तुल्ला जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने प्रान्त की सरकार से बम्बई नगर में अनिवार्य प्रथामिक शिक्षा प्रारम्भ करने की सशक्त शब्दों में मॉग की । वर्ष 1906 में सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति के प्रतिवेदन को इस मांग के अनुकूल न प्राप्त होने की दिशा में सार्थक पहल करते हुये बड़ौदा राज्य के महाराजा सामजी राव गायकवाड़ ने एक अधिनियम बनाकर अपने राज्य के सभी बालक–बालिकाओं के लिये प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बना दिया। बड़ौदा नरेश के सफल परीक्षण व उत्कृष्ट उदाहरण का गोपाल कृष्ण गोखले पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। श्री गोखले उस समय केन्द्रीय धारा सभा **(Emperial legislative Assembly)** के सदस्य थें। अपने संकल्प के अनुसार श्री गोखले ने 19 मार्च 1990 को केन्द्रीय धारा सभा

---

1. विश्व के महान शिक्षा शास्त्री – सरयू प्रसाद चौबे पृष्ठ क्रंमाक 217

के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा कि ''यह सभा सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जावे और इस विषय में निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिये सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जावे। श्री गोखले ने यह प्रस्ताव प्राथमिक शिक्षा की अत्यन्त दयनीय स्थिति के कारण रखा क्योंकि उस समय मात्र 26.5 प्रतिशत बालकों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध थी। इसका स्पष्ट परिणाम था व्यापक निरक्षरता, जिसके कारण कोई भी राष्ट्र कभी सही परिप्रेक्ष्य में न तो प्रगति कर सकता है और न जीवन के दौड़ में आगे बढ़ सकता हैं। गोखले की वाणी में ओज था, कथन में सत्यता थी तथा माँग में बल था। अतः सरकार ने उनकी प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया किन्तु एक वर्ष बीत जाने के पश्चात भी सरकार द्वारा इस दिशा में कोई भी कदम न उठाने के कारण 16 मार्च 1911 को केन्द्रीय सभा के समक्ष एक बार पुनः श्री गोखले ने प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अपना विधेयक प्रस्तुत करते हुये कहा, ''इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धान्त को क्रमशः लागू करना हें गोखले जी के कुछ सुझावों में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिनियम उन बोर्डो (स्थानीय निकायों) के क्षेत्रों में लागू किया जावे जहॉ एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो, उसके लिये स्थानीय बोर्डो द्वारा शासन की अनुमति प्राप्त की जाय। स्थानीय बोर्ड तथा शासन प्राथमिक शिक्षा का व्यय भार 1:2 अनुपात में वहन करे एवंम् इसके लिये धनार्जन हेतु स्थानीय बोर्ड कर लगावे। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 10 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिये अनिवार्य बताते हुये, जिन बालको के अभिभावकों की आय 100 रूपये मासिक से कम है, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जावे 18 मार्च 1922 को केन्द्रीय सभा में विधेयक पर वाद–विवाद के समय शासकीय प्रवक्ता के रूप में सर हरकोर्ट बटलर ने गोखले जी के प्रस्ताव के विरोध में अनेक तर्क दिये, जिसका गोखले जी ने उचित उत्तर दिया। फिर भी 19 मार्च 1912 को मतदान में गोखले जी का प्रस्ताव 13 मतों कें विरूद्ध 38 मतों से गिर गया। यद्यपि गोखले जी अपने भागीरथ प्रयत्नो के पश्चात् भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने में असफल करे किन्तु उनकी असफलता सफलता के प्रकाश स्तम्भ को दीप्तिमान करने वाली अनिवार्यता–अधिनियम निर्माण की दिशा निर्देशिका बनी।

यही कारण था कि सन् 1918 से 1920 तक की केवल दो वर्षो की अल्प अवधि में सात प्रान्तों (बम्बई, पंजाब, संयुक्त प्रान्त, बंगाल, बिहार उड़ीसा मध्य प्रान्त एवं मद्रास) में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित कर दिये गये। सन् 1921 में प्रान्तीय शिक्षा का संचालन सूत्र भारतीय मंत्रियों के हाथ में आ जाने से प्राथमिक शिक्षा को सरकार से बल मिला। सन् 1931 से 1937 तक विश्व व्यापी आर्थिक संकट का

प्राथमिक शिक्षा के विकास पर असर पड़ा जिससे इसकी प्रगति कुछ सीमा तक प्रभावित हुई। सन् 1935 में प्राथमिक शिक्षा को भारत सरकार अधिनियम के द्वारा गतिशीलता का वरदान मिला। इसके द्वारा 6 प्रान्तों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने सत्तारूढ़ होकर प्राथमिक शिक्षा के विकास को सुनिश्चित किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का एक नीति निर्देशक सिद्धान्त भारत सरकार ने घोषित किया। इसके अन्तर्गत भारतीय संविधान जिसे 1950 में लागू किया गया, क्रियान्वयन किये जाने के समय से दस वर्ष के अन्दर सभी बालक–बालिकाओं के लिये जब तक कि वे चौदह वर्ष की आयु पूर्ण नही कर लेते, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेंगा, का संकल्प लिया गया। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान संविधान का एक नीति निर्देशक तत्व हैं।

भारत में प्राथमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण 1992–1993 के संदर्भ में

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत वर्ष की जो शिक्षा की स्थिति विरासत में प्राप्त हुई वह न केवल संख्यात्मक रूप से छोटी थी। वरन् इसकी सरंचना भी असन्तुलित अवस्था में थी । इस समय देश की केवल 14 प्रतिशत आबादी ही साक्षर थी तथा तीन में से केवल एक बालक–बालिका प्राथमिक विद्यालय में नामांकित थें। यह कम स्तर की शैक्षणिक सहभागिता तथा साक्षरता, क्षेत्रीय असन्तुलन व लैंगिक विषमताओं को बढ़ा रही थी। क्योकि इन दुर्गुणों को मात्र लोगों को शिक्षित करके ही दूर किया जा सकता हैं।

महात्मा गांधी के शब्दों में "**समाज के पुनर्निमाण तथा सामाजिक जागरूकता केवल शिक्षा के प्रचार–प्रसार से ही संभव हैं।**

6 से 14 वर्ष के आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हमारे संविधान में किये गये प्रावधान को पूरा करने के लिये भारत शासन ने प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में धन का प्रावधान कर शिक्षा के प्रचार–प्रसार की,मूलभूत सुविधांए उपलब्ध कराने की तथा विभिन्न सामाजिक समूहों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया, किन्तु आज तक प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को हम प्राप्त नही कर सके।

---

1. India's struggle to Universalize Elemantary Education by S.P. Ruhela page no.29

1. संसाधनों की उपलब्धता में वृद्धि :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार में अभूतपूर्व विकास दिखाई देता है। भारत की प्राथमिक शिक्षा इस समय विश्व की एक सबसे बड़ी शैक्षिक स्तर के रूप में फैल चुकी हैं। 1950–1951 में जहाँ प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 209671 थी। वही 1992–1993 में यह बढ़कर यह 572541 हो गयी। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या इसी अवधि में 13596 से बढ़कर 153921 हो गयी। इस प्रकार सन् 1992–1993 में 726452 प्राथमिक विद्यालयों तथा 2.7 लाख औपचारिकेत्तर शिक्षण संस्थाओं में 15 करोड़ बालक–बालिकाएं नामांकित थे। जबकि वर्ष 1951 में यह नामाकंन मात्र दो करोड़ तेईस लाख था। प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) के शिक्षा के निर्धारित लक्ष्यों को धीरे–धीरे प्राप्त करने की दिशा में प्रगति प्रारम्भ हो गयी। पाँचवे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वे (1986) के अनुसार भारत में 94.5 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को उनके घर से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तथा 83.98 प्रतिशत आबादी को उनके निवास स्थान से 3 किलोमीटर पैदल दूरी में उच्च प्राथमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध थी। इसी पाँचवे सर्वे प्रतिवेदन के अनुसार देश के 31815 ऐसे आबाद गांव में जहॉ कि जनसंख्या 300 या उससे अधिक हैं, में एक कि.मी. की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा नही थी। अधिकतर ये आबाद गांव शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य जैसे–उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, आसाम और अरूणांचल प्रदेश के थें।

2. नामांकन :–

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतवर्ष में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नामांकन में अभूतपर्व वृद्धि हुयी। प्राथमिक स्तर पर नामांकन 1951 में 19.2 मिलियन से पाँच गुना बढ़कर 1992–1993 में 105.37 मिलियन हो गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह वृद्धि 3.1 मिलियन से बढ़कर 37.7 मिलियन अर्थात लगभग 13 गुनी हो गयी। 6 से 11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के कुल नामांकन का प्रतिशत 1950–1951 में 42.6 प्रतिशत था जो 1992–1993 में 100 प्रतिशत को छू गया। इसी प्रकार 11 से 14 आयु वर्ग का कुल नामांकन 12.7 प्रतिशत से बढ़कर 67.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। 1950–1951 में जहॉ प्राथमिक से उच्च प्राथमिक

समस्त आंकड़ो का स्त्रोत – India's struggle to Universalize Elemantary Education by S.P. Ruhela

स्तर पर 16.3 प्रतिशत बच्चे प्रवेश लेते थे। वहॉ 1992–1993 में यह संख्या 36.7 प्रतिशत तक पहुॅच गयी।

जहॉ एक ओर भारतवर्ष का कुल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर पर लगभग 100 प्रतिशत तक पहुॅच गया हैं। वहां कुछ राज्यों में अभी भी यह अनुपात अपेक्षाकृत कम हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू काश्मीर तथा मेघालय हैं। उच्च प्राथमिक स्तर में आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम भी राष्ट्रीय नामांकन की तुलना में पीछे हैं। लगभग वही राज्य राष्ट्रीय साक्षरता के औसत की तुलना में काफी पीछे हैं। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में यह क्षेत्रीय असंतुलन एक बाधा के रूप में सामने आ रहा हैं।

लोकव्यापीकरण की समस्या और जटिल इसलिए हो रही हैं कि विद्यालयों में प्रवेश लिए अधिकांश बालक–बालिकाएं अध्ययन के मध्य में शाला त्याग देते हैं। लगभग आधे छात्र–छात्राएं ऐसे हैं। जो कक्षा एक में प्रवेश लेकर कक्षा 5 में पहुंचने तक शाला का परित्याग कर देते हैं। तथा कक्षा 8 तक लगभग दो तिहाई छात्र शाला त्यागी छात्रों की श्रेणी में आ जाते हैं।

3. लैंगिक विभिन्नताएं :–

किसी भी शिक्षा के स्तर में नामांकन तथा शाला में अध्ययन हेतु रूके रहने (अध्ययन पूरा करने) में प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख कारक लैंगिक विभिन्नता का हैं। निःसंदेह अनेक कारणों के कारण बालकों की तुलना में बालिकाओं में यह दर कम हैं भारतवर्ष में सन् 1950–1951 में प्राथमिक स्तर पर 5.4 मिलियन लड़कियों का नामांकन था जो सन् 1991–1992 में बढ़कर 42.4 मिलियन हो गया । अपर प्राथमिक स्तर पर यह नामांकन 0.5 मिलियन से बढ़कर 13 मिलियन तक पहुॅच गया। इसमें कोई भी सन्देह नही कि बालिकाओं के नामांकन की वृद्धि दर बालकों की तुलना में तेजी से बढ़ी हैं। फिर भी अनेक ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण आज भी यह संख्या बालकों के नामांकन की संख्या को स्पर्श नही कर पायी। इसके साथ ही साथ बालिकाओं के शाला त्यागने की संख्या में भी बालकों की तुलना में काफी अन्तर हैं, बालिकाएं अधिक संख्या में शाला त्यागी हैं।

समस्त आंकड़ो का स्त्रोत – India's struggle to Universalize Elemantary Education by S.P. Ruhela

4. **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बालक–बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा की अखिल भारतीय स्थिति :–**

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 138.2 मिलियन (देश की कुल आबादी की 16.33 प्रतिशत) तथा अनुसूचित जन–जाति की जनसंख्या 67.8 मिलियन (कुल जनसंख्या का 8.01 प्रतिशत) थी। 6 से 11 आयुवर्ग के अनुसूचित जाति की जनसंख्या 32 मिलियन तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 10.7 मिलियन थी। प्राथमिक शिक्षा में अनुसूचित जाति के बालक–बालिकाओं का नामांकन क्रमशः 12 तथा 8 मिलियन था। जबकि अनुसूचित जनजाति में यह नामांकन 4.3 तथा 2.8 मिलियन था।

5. **विकलांग बच्चों की संख्या :–**

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष के विकलांग बालकों (6 से 14 आयुवर्ग) की संख्या लगभग 10.39 मिलियन थी। इनमें से लगभग आधे बच्चे शिक्षा प्राप्ति के अवसर पा रहे थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के पश्चात् देश में इन विकलांग छात्र–छात्राओं को शिक्षित करने की दिशा में विशेष पहल प्रारम्भ की गयी।

6. **अखिल भारतीय शाला अप्रवेशी एवं शाला त्यागी बालक–बालिकाओं की स्थिति :–**

जुलाई 1986 से जून 1987 तक हुए बयालिसवें राष्ट्रीय मानक सर्वेक्षण के द्वारा प्राथमिक शालाओं में नामांकन न होने तथा शाला त्यागने के कारणो के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई हैं। इस सर्वेक्षण के द्वारा यह पता चलता है। कि ग्रामीण क्षेत्र के 10 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के 0.8 प्रतिशत बालक–बालिका विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण शाला में प्रवेश ही नही लेते।इसमें से अधिकांश बालक–बालिकाओं ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें यदि विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध होती तो वे अध्ययन कर सकते थें, किन्तु कुछ नें यह भी स्वीकार किया कि उन्हें अध्ययन में कोई भी रूचि नही हैं।

शाला त्यागने वाले कुल छात्र–छात्राओं में 52 प्रतिशत बालक तथा 29 प्रतिशत बालिकाएं घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु रोजी–रोटी कमाने के लिये शाला का परित्याग कर देते हैं। लगभग 3 प्रतिशत बालक और 27 प्रतिशत बालिकाएं घर में छोटे बालक–बालिकाओं की देखभाल हेतु बीच में शाला

त्याग देते हैं। लगभग 26.5 प्रतिशत बालक तथा 28.5 प्रतिशत बालिकाएं शिक्षा से अरूचि के कारण अथवा आगे पढ़ने की रूचि न रखने के कारण शाला त्याग देते हैं। लगभग 16.3 प्रतिशत बालक तथा 12.5 प्रतिशत बालिकाएं प्राथमिक स्तर की किसी एक कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण शाला त्याग देते है। लगभग 2.2 प्रतिशत बालक तथा 3 प्रतिशत बालिकाएं किसी न किसी भय के कारण शाला त्यागी श्रेणी में आ जाते हैं।

भारत में ऐसे प्रदेशों में जहॉ साक्षरता की दर राष्ट्रीय औसत दर से अधिक हैं। जैसे– केरल, गोवा, पाण्डिचेरी इत्यादि में शाला त्यागने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत कम है। औसत साक्षरता वाले राज्यों में भी यह स्थिति लगभग संतोषजनक हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और राजस्थान जैसे राज्यों में शाला त्यागी विद्यार्थियों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हैं यहां बालिकाओं के शाला त्यागने की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय हैं।

7. अध्ययन उपलब्धि (न्यूनतम् अधिगम स्तर) :–

अखिल भारतीय सर्वेक्षण 1986 के द्वारा ज्ञात यह तथ्य कि लगभग 50 प्रतिशत बालक–बालिकाएं कक्षा 5 तक पहुॅचकर शाला छोड़ देते हैं। एक चिन्तनीय विषय हैं। इससे भी चिन्तनीय बात शाला में अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं के द्वारा एक निश्चित स्तर तक अधिगम की उपलब्धि न कर पाना हैं। सन् 1993–94 में भारतवर्ष के 48 जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारम्भ प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से किया गया। इसके संचालन के प्रारम्भिक चरण में वेसलाइन सर्वे के अन्तर्गत कक्षा 2 और कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रों के गणित और भाषा विषय में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि सर्वे किये गये इन 48 जिलों में अधिगम का अधिकतम् औसत अंक मात्र 52 प्रतिशत तक ही सीमित था। इसमें गणित विषय में उपलब्धि का स्तर भाषा के अपेक्षा काफी कम था।

8. भारत की तुलना में म.प्र. के प्राथमिक शिक्षा की एक तुलनात्मक स्थिति 1992–1993

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व सन् 1992–1993 में भारतवर्ष के प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के अवलोकन के पश्चात् शोधार्थिनी यह आवश्यक समझती हैं कि इसी समय की मध्य प्रदेश की भी प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अखिलभारतीय स्थिति के साथ एक तुलनात्मक समीक्षा की

विस्तृत व्याख्या करें। चूँकि शोध क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में स्थिती है। इसलिए यह चर्चा अधिक औचित्यपूर्ण होगी।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष की जनसंख्या 838583 हजार थी। मध्यप्रदेश की जनसंख्या 6618100 थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की 12.67 प्रतिशत थी। तालिका क्रमांक 3.1 के अवलोकन से हमें यह भी विदित होता है कि मध्यप्रदेश में प्रतिवर्ग कि.मी. 149 व्यक्ति निवास कर रहे थें, जबकि अखिल भारतीय जनसंख्या का घनत्व 274 प्रतिवर्ग कि.मी. था। इस प्रकार म.प्र. की जनसंख्या का घनत्व अखिल भारतीय जनसंख्या घनत्व की तुलना में काफी कम हैं।

मानचित्र:भारतवर्ष में मध्यप्रदेश की स्थिति

तालिका क्रमांक 3.1

मध्य प्रदेश व भारतवर्ष की जनसंख्या, घनत्व एवं साक्षरता की स्थिती

(सन् 1991 की जनगणना के अनुसार)

क्र.	विवरण	भारतवर्ष	मध्यप्रदेश	म.प्र. का प्रतिशत
1.	जनसंख्या	838583000	66181000	12.67प्रतिशत
2.	जनसंख्या का घनत्व	274	149	54.37
3.	साक्षरता की स्थिति	52प्रतिशत	44.2प्रतिशत	85
		पु0 म0	पु0 म0	
		64.2% 39.2%	58.4% 28.8%	

स्त्रोत :– म.प्र. शासन की दैनन्दिनीय 1998 पृष्ठ क्रमांक 20

म.प्र. में साक्षरता की स्थिति 74.2 प्रतिशत थी, जिसमें पुरूष साक्षरता 58.4 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 28.8 प्रतिशत थी। अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता का प्रतिशत 52.2 प्रतिशत जिसमें पुरूष साक्षरता 64.2 प्रतिशत तथा स्त्री साक्षरता 39.2 प्रतिशत थी। इस प्रकार हम देखते हैं। कि म.प्र. की महिला साक्षरता का प्रतिशत अखिल भारतीय साक्षरता की तुलना में बहुत कम हैं।

तालिका क्रमांक 3.2

भारत वर्ष तथा म.प्र. में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (1992–1993)

क्रमांक	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	प्रतिशत
1.	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	572541	74600	13.02

स्त्रोत :–1. म.प्र. के प्रमुख आंकड़े (आर्थिक तथा सांख्यिकी संचालनालय म.प्र.) पृ.क्र.8

2. India's struggle to Universalize Elemantary Education पृ.क्र.29

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि सन् 2001–2002 में भारत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 672541 तथा मध्य प्रदेश में 78600 हैं। मध्यप्रदेश के विद्यालयों की संख्या भारत के कुल विद्यालयों का

14.02 प्रतिशत हैं, जबकि मध्य प्रदेश के आबादी का प्रतिशत 12.67 था। इस प्रकार म.प्र. में विद्यालयों की संख्या अखिल भारतीय स्थिति की तुलना में अच्छी हैं।

तालिका क्रमांक 3.3

भारत वर्ष तथा म.प्र. के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों की संख्या

(1992–1993)

क्रमांक	विवरण	भारत	म.प्र.	प्रतिशत
1.	प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या	105370000	7901000	7.49

स्त्रोत :– 1. म.प्र. के प्रमुख आकड़े, सांख्यिकी संचालनालय म.प्र. पृष्ठ क्र. 8

2. India's struggle to Universalize Elemantary Education by S.P. Ruhela page no.29

वर्ष 1992–1993 में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् सम्पूर्ण भारत के छात्र–छात्राओं की संख्या 105370000 थी, जबकि इसी अवधि में मध्यप्रदेश में 7901000 में छात्र–छात्राएं प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित थे। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों में म.प्र. में नामांकित छात्र–छात्राओं का अखिल भारतीय स्थिति की तुलना में प्रतिशत मात्र 8.49 होता हैं जो जनसंख्या के प्रतिशत की तुलना में बहुत कम हैं।

तालिका क्रमांक 3.4

शिक्षक/छात्र अनुपात वर्ष 1992–1993

क्रमांक	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश	प्रतिशत
1.	शिक्षक छात्र अनुपात	1.42	1.42	100

स्त्रोत :– Ibid Page No. - 22-23

वर्ष 1992–1993 में भारतवर्ष के प्राथमिक शिक्षा में 40 छात्रों में 01 शिक्षक पदस्थ थे, यही स्थिति मध्यप्रदेश की भी हैं।

तालिका क्रमांक 3.5

प्राथमिक स्तर पर शाला त्यागी छात्र–छात्राओं का प्रतिशत 1992–1993

क्रमांक	विवरण	छात्र	छात्राएं	योग
1.	भारत वर्ष	43.28%	49.42 %	46.97%
2.	मध्य प्रदेश	36.64%	48.04 %	41.04%
3.	प्रतिशत (तुलनात्मक)	84.65%	97.20%	87.37%
		100–84.65=15.35%	100–97.20=2.80%	100–87.37=12.63%

स्त्रोत :– **Ibid Page No. - 21-22**

सन् 1992–1993 में अखिल भारतीय प्राथमिक स्तर पर शाला त्यागी छात्र–छात्राओं की कुल संख्या 46.97 प्रतिशत थी, जिसमें 43.28 प्रतिशत बालक तथा 49.42 प्रतिशत बालिकाएं शामिल थी। म.प्र. में इसी सत्र में शाला त्यागी छात्र–छात्राओं की संख्या देश की तुलना में बहुत संतोष जनक हैं। म.प्र. में शाला त्यागी बालकों का कुल प्रतिशत 32.44 प्रतिशत था जो अखिल भारतीय स्तर के छात्रों के प्रतिशत की तुलना में 18.35 प्रतिशत कम रहा जो शाला त्यागी छात्राओं का कुल प्रतिशत 84.04 था जो अखिल भारतीय स्तर की छात्राओं की तुलना में 2.80 प्रतिशत कम रहा। तथा इन दोनों का कुल योग 41.4 प्रतिशत होता हैं अखिल भारतीय स्तर की तुलना में 12.63 प्रतिशत कम हैं। यह आंकडे यह दर्शाते हैं कि म.प्र. में शाला त्यागी राष्ट्रीय औसत की तुलना में प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राओं की प्रवृत्ति कम हैं।

तालिका क्रमांक 3.6

प्राथमिक विद्यालयों के भवन की स्थिति (1992–1993)

क्र.	विवरण	भारत	मध्यप्रदेश
1.	पक्के भवन	321474	40150
2.	आंशिक रूप से पक्के	94646	16828
3.	कच्चे भवन	80777	8831
4.	झोपड़े	29644	2632

5.	टेन्ट	41454	65
6.	खुला आकाश	31644	5494
	कुल योग	572541	74600

स्त्रोत :– Ibid Page No. - 15,16

वर्ष 1992–1993 में प्राथमिक विद्यालयों के भवन की स्थिति तालिका क्रमांक 3.6 के द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं। प्राथमिक विद्यालय के पक्के भवन कुल विद्यालयों की संख्या के लगभग 55 प्रतिशत हैं। यह स्थिति भारत और म.प्र. दोनों में लगभग एक जैसी हैं। वर्ष 1992–1993 में भारतवर्ष में 31644 तथा म.प्र. में 5494 विद्यालय खुले आकाश के नीचे लग रहे थें। तथा लगभग 40 प्रतिशत विद्यालयों के भवन प्राथमिक विद्यालयों के भवन के अनुकूल नही थें।

तालिका क्रमांक 3.7

प्राथमिक शिक्षा हेतु आबंटित बजट (1992–1993)

क्रमांक	विवरण	बजट (लाख में)	प्रतिशत
1.	भारत	97872.60	–
2.	म.प्र.	11708.00	11.96

स्त्रोत :– Ibid Page No. - 137

वर्ष 1992–1993 में भारत वर्ष में प्राथमिक शिक्षा हेतु कुल 97872.06 लाख रूपये आवंटित किये गये थे, जबकि इसी अबधि में म.प्र. में प्राथमिक शिक्षा हेतु 11708.00 लाख रूपये आवंटित किये गये थे। अखिल भारतीय बजट की तुलना में म.प्र. का प्रतिशत 11.96 था।

उपरोक्त प्रत्येक शीर्षकों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश की प्राथमिक शिक्षा का अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा के साथ तुलनात्मक विश्लेषण से विदित होता हैं, कि भारत की तुलना में म.प्र. में प्राथमिक शिक्षा के नामांकन की स्थिति अच्छी नही हैं। जहॉ तक विद्यालयों की संख्या शिक्षक संख्या, विद्यालय भवनों की स्थिति तथा इस शिक्षा हेतु बजट का प्रश्न हैं। वहॉ मध्यप्रदेश की स्थिति भारत की स्थिति के लगभग अनुरूप ही हैं।

मानचित्र : भारतवर्ष में म.प्र. की स्थिति एवं मध्यप्रदेश में टीकमगढ़ तथा छतरपुर की स्थिति

शोध क्षेत्र का परिचय

शोध क्षेत्र का परिचय

शोधार्थिनी ने अपने शोध कार्य को करने के लिये मध्य प्रदेश के दो जिले टीकमगढ़ तथा छतरपुर को चुना हैं। ये दोनों जिले मध्य प्रदेश के सागर संभाग में स्थित हैं। तथा प्रदेश के उत्तर पश्चिम की सीमा पर स्थित हैं। टीकमगढ़ जिला के पूर्व से छतरपुर जिला लगा हुआ हैं। दोनों जिलों का कुल क्षेत्रफल 13735 वर्ग कि.मी. हैं। छतरपुर जिले की तुलना में टीकमगढ़ जिले का क्षेत्रफल कम हैं। दोनों जिलों के अधिकाशं व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय कृषि हैं। परन्तु कृषि भूमि कम उपजाऊ हैं। और सिंचाई हेतू प्राप्त साधन नही हैं। इसलिये जिले के अधिकांश परिवार रोजगार की तलाश में इधर उधर चले जाते हैं। दोनों जिलों की समाजिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों में समानता हैं। दोनों जिलों की मुख्य बोली बुन्देली है शिक्षा में छतरपुर जिला टीकमगढ़ की तुलना में आगे हैं। यातायात संसाधन दोनो जिलों में करीब करीब एक हैं।

अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से शोध क्षेत्र के दोनों जिलों का परिचय विस्तार से अलग–अलग प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

टीकमगढ़ जिले का परिचय

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

देश की स्वतंत्रता के पश्चात देशी रियासतों की संविलियन होने तक ज़िला टीकमगढ़ एक देशी रियासत था जो ओरछा राज्य के नाम से जाना जाता रहा। सन् 1783 के पूर्व तक इस राज्य की राजधानी ओरछा रही जो कि झाँसी के निकट हैं। ओरछा राजधनी पर बाह्य आक्रमणों का दबाब बढ़ने के कारण तत्कालीन महाराजा ने राजधानी के लिये टीकमगढ़ स्थान को चुना। इसका पूर्व नाम टिहरी था। टीकमगढ़ नाम भगवान कृष्ण के नाम (टीकम) पर रखा गया क्योंकि ओरछा राजवंश में महाराज सदैव कृष्ण उपासक रहे हैं।

भौगोलिक स्थिति :–

जिला टीकमगढ़ – टीकमगढ़ नगर $24^0 44'$ अक्षांश उत्तराद्ध एवं $78^0 49'$ देशान्तर पूर्व रेखाओं पर स्थित हैं टीकमगढ़ नगर का तापमान 39.2^0 और न्यूनतम 5.7^0 औसत वर्षा 10001.1 मि.मी. हैं। मौसम की दृष्टि से गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा रहता हैं। जिला टीकमगढ़ $24^0 26'$ और $25^0 40'$ उत्तर एवं $78^0 26$ तथा 79.26' पूर्व में जिला की स्थिति हैं। मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग के बीच में स्थित हैं। पश्चिम एवं उत्तर में उत्तर प्रदेश के झाँसी एवं हमीरपूर जिले स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण में छतरपुर एवं सागर स्थित हैं। यह जिला कृषि प्रधान जिला हैं। कुल कार्यकारी शक्ति में कृषि संबधी कार्यो का प्रतिशत 84 हैं। (77.1%) कृषक एवं 6.9 प्रतिशत कृषि मजदूर कुल औसत 79.2% से बहुत अधिक हैं। इस जिले की प्रमुख नदियॉ, वेतबा, जामनी, जमड़ार, बरगी, उर, परानी , सपरार, धसान है जो इस जिले की सीमा निर्धारित करती है। जिले का काफी बड़ा भाग जामनी धसान, और उर नदियों के जल पोषक तत्व के अंर्तगत आता हैं। इस जिले का ढाल गंगा के कछार की ओर हैं। म.प्र. के इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती हुयी गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। इनकी मुख्य सहायक नदियों के आधार पर यह जिला दो उप कछारों में विभक्त हो गया हैं

(1) धसान उप कछार (2) वेतबा उप कछार

टीकमगढ़ जिला विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों पर बसा हैं यहा वन उपजों में मुख्यतः जामुन, महुआ, शीशम, सागौन, तेंदूपत्ता, आम, बाँस, आदि हैं। यहाँ की खनिज सम्पदा चूना पत्थर, गौरा पत्थर, मुरम, जो निर्माण कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई साधनों में कई तालाब जैसे महेन्द्र सागर, ग्वाल सागर, नगदा नाला, इसके अलावा नहरे व टयूबवैल हैं।

क्षेत्रफल

टीकमगढ़ जिला 5048 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ हैं। यह उत्तर से दक्षिण की ओर 90 कि.मी. लम्बा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 70 कि.मी. चौड़ा हैं। समुद्रतल से इसकी ऊचाँई 1400 फीट हैं।

जनसंख्या

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 1202998 हैं। लिंग के आधार पर पुरूषों की संख्या

जिला–टीकमगढ़ (मध्यप्रदेश)

637913 तथा महिलाओं की संख्या 565085 हैं तथा पुरूषों व महिलाओं का अनुपात प्रति 1000 पर 885 हैं।

तालिका क्रमांक 3.8

जनसंख्या	1991	2001	दशकीय वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत
पुरूष	502822	637913	135091	26.06
महिला	438007	565085	127078	29.01
योग	940829	1202998	262169	27.86

स्त्रोत :– (जिला सांख्यिकी पुस्तिका 1991 एवं 2001)

जिला टीकमगढ़	CAST (%)			
	SC	ST	OBC	GEN
	27	5.2	58.7	9.1

जिला टीकमगढ़ में 6 तहसीलें एवं 6 विकास खण्ड़ हैं। जो क्रमशः टीकमगढ़, बल्देवगढ़, जतारा, पलेरा, निवाड़ी, और पृथ्वीपुर हैं। 2001 में टीकमगढ़ जनसंख्या का घनत्व प्रतिवर्ग किलोमीटर में 238 हैं।

सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ :–

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से टीकमगढ़ जिला, पिछड़ा हुआ हैं। इस जिले में लगभग 5 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिवर्ष मजदूरी हेतु जिले से बाहर पलायन कर जाती हैं। लगभग 90 हजार परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं जो जनसंख्या का 18.75 प्रतिशत हैं।

जिले में रोजगार के अवसर बहुत ही कम हैं। क्योंकि इस जिले में कोई भी कारखाना एवं मजदूरी हेतु कोई अन्य व्यवसाय नहीं है जिले की कृषि भूमि कम उपजाऊ है और न ही सिंचाई हेतु पर्याप्त साधन है इसलिये जिले के अधिकांश परिवार रोजगार की तलाश में इधर–उधर चले जाते हैं। जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से नहीं हो पाती हैं। प्रतिवर्ष फरवरी–मार्च महीनों में जिले की अधिकाशं आबादी मालवा, पंजाब क्षेत्रों में पलायन कर जाती हैं। जिले में भूमिहीन तथा सीमांत कृषकों की

संख्या अधिक हैं। कुछ लोग टोकरियां, बीड़ी, जूतें, ईटें, चटाईयाँ, दरियां, बनाकर भी अपनी जीविका चलाते हैं।

जिले का सामाजिक परिदृष्य भी रूढिवादी हैं यहॉ बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, दहेज–प्रथा, जैसी कुरीतियाँ समाज में व्याप्त हैं। गॉव में महिलाओं को बराबरी का दर्जा प्राप्त नहीं है साथ ही बालक और बालिका में भेंद भाव किया जाता हैं। इस दिशा में राजीव गांधी मिशन एवं महिला बाल विकास द्वारा काफी प्रयास किये गये हैं फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी हैं।

जिले की कुल आबादी में 27 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 5.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी हैं। इन दोनों विशेष समूहों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हैं। उपरोक्त दोनों वर्गो की आबादी जिले के ग्रामीण दूर अंचलों में बसी हुई हैं। यहाँ हर शिक्षा अभियान के अंतर्गत यू0ई0ई0 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशेष कार्ययोजना प्रस्तावित हैं। सघन जन संम्पर्क कार्यक्रम एवं जन जागृति लक्ष्य आधारित कार्यक्रमों के द्वारा इन समूहों तक प्रारम्भिक शिक्षा का प्रयास करना तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाना जिले का प्रमुख लक्ष्य हैं।

साक्षरता :–

साक्षरता की दृष्टि से टीकमगढ़ जिले में साक्षरता की दर 55.80 है। साक्षर पुरूषों एवं महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 68.33 एवं 40.98 हैं। पिछले दशक में साक्षरता की वृद्धि दर पुरूषों एवं महिलाओं में लगभग समान रूप सें प्राप्त हुई हैं। इसका मुख्य कारण पढ़ना बढ़ना आंदोलन में पुरूषों एवं महिलाओं की समान भागीदारी रही हैं।

टीकमगढ़ जिलें में साक्षरता प्रतिशत

तालिका क्रमांक 3.8

वर्ष	ग्रामीण साक्षरता %			नगरीय साक्षरता %			कुल साक्षरता %		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
1971	19.70	4.22	12.47	56.54	30.81	44.37	21.49	5.54	14.04
1981	25.07	5.53	15.19	51.55	28.27	40.61	26.26	8.30	18.91
1991	43.54	15.39	30.57	67.23	41.88	55.35	47.52	19.96	35.78
2001	66.36	37.29	52.79	79.28	57.55	69.03	68.68	40.99	55.73

स्त्रोत :- (जिला सांख्यिकी पुस्तिका 2001 पृष्ठ क्र. 39)

शैक्षिक परिदृश्य :-

वर्ष 1869 में महाराजा हम्मीर सिंह जूदेव ने सर्वप्रथम टीकमगढ़ नगर में हाईस्कूल की स्थापना की। इसके बाद देवेन्द्र संस्कृत विद्यालय के रूप में प्रथम पाठशाला एवं इस्लामियॉ मदरसा धार्मिक शिक्षा के उद्देश्य से संचालित रहें। पूर्व में उच्च पठन-पाठन के लिए विद्यार्थियों को उत्तरप्रदेश के झाँसी, कानपुर एवं महाकौशल में सागर जाना पड़ता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा का द्रुतगति से विकास हुआ। वर्तमान में टीकमगढ़ जिले में 1177 शासकीय प्राथमिक विद्यालय 114 अशासकीय प्राथमिक विद्यालय 609 शिक्षा गांरटी शाला और 466 शासकीय माध्यमिक विद्यालय और 170 अशासकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। जिनमें प्राथमिक स्तर पर 3429 एवं माध्यमिक स्तर पर 1219 शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों में महिला शिक्षकों की तुलना में पुरूष शिक्षक अधिक हैं। जो व्यवसायिक योग्यता में डी.एड़. अधिक हैं। बी.एड. 40 प्रतिशत एम.एड. 2 प्रतिशत हैं। जिले में प्राथमिक स्तर पर बच्चों का उपलब्धि स्तर 78 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 49.88 प्रतिशत हैं।

छतरपुर जिले का परिचय

परिचय –

जिला छतरपुर म.प्र. के उत्तर पश्चिम की सीमा पर स्थित हैं। महाराजा छत्रसाल जू देव ने इसको 18^{th} Century में स्थापित किया बाद में उन्ही के नाम पर इसका नाम छतरपुर पड़ा। जिला छतरपुर बुदेलखंडो के पठारों के मध्य स्थित हैं, इसका काफी भाग समतल हैं। जो कृषि योग्य हैं। यहाँ की जनता में से एक लाख से ज्यादा परिवार गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, छतरपुर जिला में ही विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर आते हैं। यहा केन नदी में ही घड़ियाल अभ्यारण्य बना हुआ हैं, इसके अलावा इसमें भीमकुण्ड़, धुवेला एवं बेलिसागर बांध बने हुये हैं। जो पर्यटक स्थल हैं, छतरपुर के नौगांव विकासखण्ड में विश्व का सर्वप्रथम कृत्रिम मछली पालन केन्द्र बना जिसे डॉ. ज्ञानप्रकाश दुबे ने स्थापित किया था।

भौगोलिक स्थितियाँ :–

जिला छतरपुर 8767 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ हैं, समुद्रतल से ऊचाँई 182.0 मीटर के लगभग हैं। छतरपुर जिला $26^{0}06'$ अंक्षाश से $25^{0}20'$ तक उत्तर अक्षांश विस्तार एवं $79^{0}59'$ से $80^{0}26'$ तक पूर्वी देशान्तर रेखाओं पर स्थित हैं। इसका पूर्वी तथा पश्चिमी भाग क्रमशः केन एवं धसान नदियाँ द्वारा घिरा हैं इसके पूर्वी भाग में पन्ना एवं पश्चिमी भाग में टीकमगढ़ जिला उत्तर भाग में जिला झाँसी महोबा, और बाँदा, जिला उत्तर प्रदेश के भाग हैं इसके दक्षिण में सागर एवं दमोह जिला लगे हुये हैं। औसत वार्षिक वर्षा 1143.1 मि.मी. होती हैं।

जनसंख्या :–

2001 की जनगणना के अनुसार जिले की आबादी 1474633 हैं लिंगानुसार पुरूषों की संख्याँ 788845 तथा महिलाओं की संख्या 685788 हैं। तथा पुरूषों एवं महिलाओं का अनुपात 1000 पर 869 हैं। जिला छतरपुर में जाति प्रतिशत तालिकानुसार हैं।

जिला	CAST (%)			
	SC	ST	OBC	GEN
छतरपुर	29	8.2	60.7	10.1

तालिका क्रमांक 3.9

जन संख्या	1991	2001	दशकीय वृद्धि	वृद्धि प्रतिशत
पुरूष	623878	788845	164967	26.44
महिला	534198	685788	151590	28.33
योग	1158076	1474633	316557	27.33

स्त्रोत :– (जिला सांख्यिकी पुस्तिका 1991 एवं 2001)

छतरपुर जिले का जनसंख्या घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. 1991 में 134 था। जो 2001 में बढ़कर 170 हो गया हैं। जिला छतरपुर में 8 विकास खण्ड़ तथा 7 तहसीलें हैं। विकास खण्ड़ निम्न हैं। गौरिहार, लौड़ी, नौगॉव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बकस्वाहा एवं बड़ामलहरा हैं। तहसीलें निम्न हैं, गौरीहार, लौड़ी, नौगॉव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा हैं।

सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ :–

छतरपुर जिले की समाजिक एवं आर्थिक स्थिति करीब–करीब जिला टीकमगढ़ के समान हैं। यहां करीब एक लाख से ज्यादा लोग गरीबी के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। जिला से हर साल करीब 7 प्रतिशत लोग मजदूरी हेतू पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राज्यों में चले जाते हैं। यहा पर भी कोई कारखाना नही हैं। लद्यु उधोग में गोरा पत्थर का काम व खादी आश्रम हैं। यहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति 29 एवं 8.2 प्रतिशत हैं। जो अधिकाशं ग्रामीण इलाकों में हैं। और शासन द्वारा इनकी प्रारम्भिक शिक्षा का काफी प्रयास करके उनके जीवन में बहुत सुधार लाने की चेष्टा की जा रही हैं।

साक्षरता :–

साक्षरता की दृष्टि से जिला छतरपुर में साक्षरता दर 53.44 प्रतिशत हैं पुरूष साक्षरता 65.50 प्रतिशत और महिला साक्षरता 39.38 हैं। पुरूषों की तुलना में महिला साक्षरता आज भी काफी कम हैं। इसका मुख्य कारण समाज का रूढ़िवादी हैं। महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक स्थितियों में काफी समंजस्य करना पड़ता हैं। इस कारण शासन के इतने प्रयासों के बाद महिला का साक्षरता प्रतिशत ठीक प्राप्त नही हो पाया हैं। शिक्षा द्वारा महिला के जीवन में गुणात्मक सुधार करना बहुत जरूरी हैं। आगे दी हुई तालिका में 1971 से 2001 तक ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता प्रतिशत दर्शाया गया हैं।

छतरपुर जिले में साक्षरता प्रतिशत

तालिका क्रमांक 3.10

वर्ष	ग्रामीण साक्षरता %			नगरीय साक्षरता %			कुल साक्षरता %		
	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री	कुल
1971	18.7	3.95	11.75	55.07	27.75	41.43	22.39	6.59	15.07
1981	24.9	6.07	15.03	55.54	33.00	45.16	29.02	10.24	20.31
1991	40.4	14.12	28.27	74.46	50.49	69.44	46.87	21.32	35.20
2001	60.2	32.24	47.48	82.48	63.35	73.60	65.50	39.38	53.44

शैक्षिक परिदृश्य :-

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा का काफी तीव्र गति से विकास हुआ। छतरपुर जिले में पूर्व में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को झाँसी, कानपुर, सागर, आदि स्थानों पर जाना पड़ता था। वर्तमान समय में छतरपुर में प्राथमिक,माध्यमिक, उच्च शिक्षा का अच्छा स्तर हैं। वर्तमान में छतरपुर जिले में 1895 प्राथमिक शालायें 486 माध्यमिक शालायें, 643 शिक्षा गांरटी विद्यालय हैं। जिसमें प्राथमिक स्तर पर 3781 माध्यमिक स्तर पर 3310 शिक्षक कार्यरत हैं। जिला छतरपुर में महिला की तुलना में पुरूष शिक्षक अधिक हैं। यहाँ शिक्षक 45 प्रतिशत प्रशिक्षित हैं।

शोध क्षेत्र में शैक्षणिक स्थिति
(टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले की शैक्षणिक स्थिति का संक्षिप्त विवरण)

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले बहुत वर्षो तक बुदेलखंड वंशज राजा, महाराजाओं के शासनाधीन थे, इन राजाओं के शासनकाल में दोनों जिलों के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य परम्परागत था तथा इस कार्य से जुड़े हुये लोगों को भी अपने व्यवसाय के लिये एक सीमित क्षेत्र तक ही रहकर सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देना पड़ता था। परम्परागत व्यवसाय के कारण समाज के उच्च तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को भी शिक्षा की कोई विशेष आवश्यकता नही होती थी। आर्थिक रूप से पिछड़े तथा निम्न वर्ग के लोग तो शिक्षा ग्रहण करने की बात सोच भी नही सकते थें। इसके अतिरिक्त क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, अंधविश्वास, सामाजिक कुरीतियॉ भी शिक्षा के विस्तार में बाधक थी। यही कारण है कि क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त करने के पूर्व शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारम्भिक अवस्था में था।

संविधान की धारा 45 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के संकल्प को पूर्ण करने के उद्देश्य से प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ ही साथ इस क्षेत्र में भी बहुत अधिक संख्या में प्राथमिक विद्यालय खोलने का कार्य किया गया, बालिकाओं को भी अध्ययन करने हेतु विद्यालयों में नामांकित करने के अनेक प्रयास किये गये, सन् 1975 से 1985 के मध्य प्राथमिक शालाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुयी, 1993 में "सबके लिए शिक्षा" के संकल्प को पूर्ण करने के लिये स्थापित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के जिन उन्नीस जिलों में लागू किया गया उनमें ये दोनों जिले भी शामिल हैं। सन् 1975 के पश्चात् दोनों ही जिलों में प्राथमिक शिक्षा को और सुलभ बनाने के लिये औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र भी खोले गये, इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिये आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना को चार चरणों में लागू किया गया, सन् 1994–1995 से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशाा में इन दोनों जिलों में भागीरथ प्रयास कियें गये। आज लगभग एक किलोमीटर की दूरी में बालक बालिकाओं के अध्ययन हेतु प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं फिर भी इन दोनों जिलों में साक्षरता की स्थिति अच्छी नही हैं। महिला साक्षरता की स्थिति दोनों जिलों में बहुत खराब हैं।

सन् 1956 के पश्चात् दोनों जिलों में माध्यमिक, हाईस्कूल, व उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना मुख्य रूप से शासकीय स्तर पर प्रारम्भ की गई इन्हें क्रमशः तहसील विकासखण्ड कस्बे तथा बड़े गांवों में चरणबद्ध रूप से स्थापित किया गया। सन् 1975 के पश्चात् निजी व समाज सेवी संस्थाओं ने भी

इन शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने की पहल की,वर्तमान में ये शिक्षण संस्थाएँ बालक–बालिकाओं के निवास स्थान से लगभग 5 से 10 किलोमीटर की दूरी में उपलब्ध हैं, टीकमगढ़ जिले के अपेक्षाकृत कुछ पिछड़े क्षेत्रों में यह दूरी 10 से 25 कि.मी. तक की भी हैं, बालिकाओं के लिये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तो आज भी मात्र तहसील/विकासखण्ड स्तर पर ही उपलब्ध हैं इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का प्रतिशत इस आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की तुलना में बहुत कम हैं, इस क्षेत्र की अधिकाशं बालिकाएं कक्षा 6 में प्रवेश लेने के पश्चात् उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा को पूरी ही नही कर पाती।

विभिन्न शैक्षिक स्तर वाली शिक्षण संस्थाओं के स्थापित होने के बाद भी दोनों ही जिलों में साक्षरता अभी आधी भी जनसंख्या तक पहुँच नही पायी हैं।

तालिका क्रमांक – 3.11

जनगणना के अनुसार टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की जनसंख्या का विश्लेषण

क्र.	वर्ष	टीकमगढ़			छतरपुर		
		पुरूष	महिला	योग	पुरूष	महिला	योग
1.	1991	502822	438007	940829	623878	534198	1158076
2.	2001	637913	565085	1202998	788845	685788	1474633

तालिका क्रमांक 3.12

टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले का साक्षरता प्रतिशत

क्र0	जिला वर्ष	1971	1981	1991	2001
1.	टीकमगढ़	14.04	18.91	34.78	55.73
2.	छतरपुर	15.07	20.31	35.20	53.44

स्त्रोत :– जिला सांख्यिकी कार्यालय जिला टीकमगढ़ व छतरपुर

तालिका क्रमांक 3.13

टीकमगढ़ व छतरपुर जिले में वर्ष में सभी स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं की संख्या वर्ष 2001–2002 शासकीय, अशासकीय तथा अन्य

क्र.	शैक्षणिक संस्थाओं का स्तर	टीकमगढ़	छतरपुर
1.	प्राथमिक विद्यालय	1133	1529
2.	शिक्षा गारंटी शाला	609	643
3.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	590	779
4.	हाईस्कूल	51	97
5.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	44	92
6.	महाविद्यालय	6	13
7.	तकनीकी शिक्षण संस्थाएं		
	(अ) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	2	2
	(ब) पोलीटेक्निक	1	1
	(स) अभियांत्रिकी महाविद्यालय	–	–
8.	व्यवसायिक शिक्षण संस्थाएं		
	(अ) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	1	1
	(ब) शिक्षा महाविद्यालय	–	1
	(स) कृषि महाविद्यालय	1	–
	(द) विधि महाविद्यालय	–	1
	(इ) चिकित्सा महाविद्यालय		
	(क) एलोपैथिक	–	–
	(ख) आयुर्वेद	–	–

	(ग) होमियोपैथी	–	1
9.	विश्वविद्यालय	–	–
10.	अन्य विद्यालय		
	(अ) सैनिक स्कूल	–	–
	(ब) केन्द्रीय विद्यालय	–	1
	(स) नवोदय विद्यालय	1	1
	(द) मूक वधिर विद्यालय	–	–
	(इ) नेत्रहीन विद्यालय	–	–
	(फ) संस्कृत महाविद्यालय	1	–

स्त्रोत :– जिला सांख्यकी कार्यालय जिला टीकमगढ़ तथा छतरपुर

तालिका क्रमांक 3.14

टीकमगढ़ व छतरपुर जिले में सभी स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की संख्या सत्र 2001–2002 की स्थिति में

शैक्षणिक संस्थाओं का स्तर		टीकमगढ़		छतरपुर	
		शिक्षक संख्या	छात्र संख्या	शिक्षक संख्या	छात्र संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	3564	203132	3781	258051
2.	शिक्षा गांरटी शाला	751	33240	795	39580
3.	पूर्व माध्यमिक विद्यालय	2164	62299	3310	79189
4.	हाई स्कूल	526	20436	947	25748
5.	उच्चतर मा. विद्यालय	717	11249	1657	18237
6.	महाविद्यालय	64	6272	163	6675

7.	तकनीकी शिक्षण संस्थाएं				
(अ)	औद्योगिक शिक्षण संस्थाएं	11	132	14	144
(ब)	पोलीटेक्निक	15	172	22	205
(स)	अभियांत्रिकी महाविद्यालय	–	–	–	–
8.	व्यावसायिक शिक्षा संस्थाए				
(अ)	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	17	100	18	100
(ब)	शिक्षा महाविद्यालय	–	–	22	150
(स)	कृषि महाविद्यालय	7	21	–	–
(द)	विधि महाविद्यालय	–	–	30	720
(इ)	चिकित्सा महाविद्यालय				
	(क) एलोपैथिक	–	–	–	–
	(ख) आयुर्वेद	–	–	–	–
	(ग) होमियोपैथी	–	–	10	320
9.	विश्वविद्यालय	–	–	–	–
10.	अन्य विद्यालय				
(अ)	सैनिक स्कूल	–	–	–	–
(ब)	केन्द्रीय विद्यालय	–	–	22	508
(स)	नवोदय विद्यालय	12	212	13	223
(द)	मूक वधिर विद्यालय	–	–	–	–
(इ)	नेत्रहीन विद्यालय	–	–	–	–
(फ)	संस्कृत महाविद्यालय	3	75	–	–

- प्राथमिक विद्यालय द्वारा पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राथमिक कक्षाओं की छात्रसंख्या का योग,
- पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 6,7 व 8 के कक्षाओं की छात्र–छात्राओं की संख्या,
- कक्षा 9 एवं 10 के बालक–बालिकाओं की संख्या,
- कक्षा 11 एवं 12 के बालक–बालिकाओं की संख्या,
- बी.एड. तथा एम.एड. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या शामिल हैं।

शोध क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये जाने वाले प्रयासों का विवरण

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने शिक्षा के प्रचार–प्रसार को एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया। चूंकि हमारे देश की जनसंख्या यहॉ उपलब्ध संसाधनों की तुलना में बहुत अधिक थी, इसलिये शासकीय स्तर पर सर्वप्रथम शिक्षा के प्राथमिक स्तर के विकास पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय लिया गया। इसके लिये संविधानिक व्यवस्था, आयोगों की नियुक्ति राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण तथा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जैसे प्रयास समय–समय पर किये गये, शोध क्षेत्र भी इन प्रयासों से प्रभावित रहा । इन प्रयासों की संक्षिप्त विवेचना निम्नानुसार हैं –

(1) संवैधानिक व्यवस्था –

सन् 1950 में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर प्रत्येक राज्य को 6 से 11 आयु समूह के बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश देने की व्यवस्था की गयी।

(2) अनिवार्य शिक्षा योजना –

संविधान के इन निर्देशों के पालन हेतु सन् 1954–1955 में अनिवार्य शिक्षा योजना प्रारम्भ की गई जिसे टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में भी लागू किया गया। जिसमें प्रत्येक विद्यालय को अपने क्षेत्र के 6 वर्ष आयु के सभी बालक–बालिकाओं को अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश कराने का दायित्व सौपा गया, किन्तु अनेक अवरोधों के कारण यह योजना सफल नही हो सकी और शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किया गया यह प्रयास समुचित प्रभाव नही डाल पाया। 1 नबम्बर सन् 1956 से मध्यप्रदेश के निर्माण होने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के प्रचार–प्रसार में अनेक प्रयास किये गये जिसके अन्तर्गत अधिंकाश प्राथमिक विद्यालयों को खोलना तथा शिक्षंकों की भर्ती प्रक्रिया इत्यादि शामिल हैं।

(3) आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव –

कोठारी आयोग (1964–1966) ने प्राथमिक शिक्षा को सभी क्षेत्रों में सुलंभ बनाते हुये जिस स्तर पर अपव्यय

एवं अवरोधन समाप्त करने का सुझाव दिया, जिससे पहली बार शोधक्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा स्तर पर अपव्यय व अवरोधन को समाप्त करने की दिशा में पहल प्रारम्भ की गई।

शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षानीति 1968 में संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था जो पूर्व में 6–11 आयुवर्ग के लिये थी, को 6 से 11 वर्ष तक के लिये करने का सुझाव दिया गया। इस सुझाव के परिपालन में मध्यप्रदेश के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में भी सन् 1970 से कार्य प्रारम्भ किये गये।

सन् 1986 से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद में पारित किया गया देश के इतिहास में यह प्रथम अवसर था कि शैक्षिक सुधार के लिये दी गयी किसी शिक्षा नीति को देश के संसद में पारित कराया गया हो। इसके सुझावों को सम्पूर्ण राष्ट्र में क्रियान्वित करने की योजना को पुनः संसद में पारित कराया गया। इसका प्रतिफल यह हुआ कि देश के प्रत्येक राज्य इस नीति के अन्तर्गत दिये गये सुझाव के अनुसार शैक्षिक प्रबन्ध करने हेतु बाध्य हो गये। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार 6–14 वर्ष तक के सभी बालक–बालिकाओं का विद्यालयों में शत–प्रतिशत नामांकन तथा शत–प्रतिशत ठहराव करना सुनिश्चित किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत अच्छे विद्यालय भवन, अच्छे शैक्षिक उपकरण, पर्याप्त शिक्षक, शिक्षा संसाधन, तथा न्यूनतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई गई।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में विभिन्न चरणों में विद्यालय खोले गये। द्रोनों जिलों में इस योजना के अन्तर्गत शिक्षकों का चयन कर शैक्षिक उपकरण तथा न्यूनतम पाठ्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी।

(4) औपचारिकेत्तर शिक्षा –

कोठारी आयोग ने शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय विकास करने हेतु जो अनुशंसायें दी हैं, उनमें लक्ष्यों की प्राप्ती हेतु अनेकें व्यवहारिक सुझाव भी दिये हैं, जिसमें मुख्य रूप से अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था एवं सामाजिक आर्थिक जीवन से संबंधित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु समूह वाले बालक–बालिकाओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्तर पर विश्लेषित कर इन्हें दो

श्रेणियों में विभक्त किया गया। इनमें से प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे बालक–बालिकाएं सम्मिलित किये गये हैं। जो कभी शाला गये ही नही अर्थात शाला अप्रवेशी, दूसरे वे जिन्होंने किसी कारण वश प्राथमिक अध्ययन बिना पूरा किये हुये शाला का परित्याग कर दिया अर्थात् सन् 1975 से ऐसे बालक–बालिकाओं के लिये औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों का खोलना प्रारम्भ किया गया, टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में भी 1975 से ही औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना कई चरणों में की गयी।

(5) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम –

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक अभिनव प्रयोग हैं, जिसकी सार्थकता एवं सफलता स्थानीय लोगों के सहयोग, सहभागिता व साझेदारी पर निर्भर हैं। इस कार्यक्रम के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, तामिलनाडु, असम व महाराष्ट्र के कुल 42 जिलों को चुना गया हैं। जिलों का चुनाव दो आधारों पर किया गया हैं। 1– सफल साक्षरता अभियान द्वारा प्रोत्साहित शिक्षा की मांग, 2– महिला साक्षरता का औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम होना। सन् 1991 में भारत की कुल साक्षरता 52 प्रतिशत थी, इसमें पुरूष साक्षरता का प्रतिशत 63.9 तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत 39.4 था जबकि शोध क्षेत्र में टीकमगढ़ जिले में पुरूष साक्षरता 47.52 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता 19.96 प्रतिशत व छतरपुर जिले में यह क्रमशः 46.87 प्रतिशत तथा 21.32 थी, इस प्रकार राष्ट्रीय साक्षरता प्रतिशत की तुलना में शोध क्षेत्र की साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम हैं, छतरपुर जिले की तुलना में टीकमगढ़ जिले में स्थिति और अधिक दयनीय हैं। विशेषकर महिला साक्षरता की स्थिति बहुत खराब हैं। यही कारण हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिन 42 जिलों को चुना गया, उनमें 19 जिले मध्यप्रदेश के थे तथा इनमें शोध क्षेत्र के दोनों जिले (टीकमगढ़ तथा छतरपुर) शामिल हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कुल लागत 1600 करोड़ रू. से अधिक हैं, जिनमें 1400 करोड़ रूपये बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त करना हैं। मध्यप्रदेश की परियोजना यूरोपीय समुदाय के निधिक सहयोग से पूर्व अन्य 6 राज्यों में यह कार्यालय विश्व बैंक की सहायता से संचालित हो रहा हैं। अभी हाल में यूनेस्को द्वारा इस कार्यक्रम के लिये 55 करोड़ की धन राशि प्रदान की गई हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तीन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

1. सार्वभौमिक सुविधा –

(अ) सभी बालकों का शालाओं में (6–14 वर्ष) शत–प्रतिशत नामांकन कराना जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के बालक–बालिकाएं शामिल हैं।

(ब) सभी को उनके निवास से अधिक से अधिक 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराना तथा शाला त्यागी, कार्यकारी (व्यवसाय में लगे हुये) व ऐसे बालिकाओं के लिये औपचारिकेत्तर शिक्षा की व्यवस्था कराना जो किसी कारण वश औपचारिक शिक्षा (विद्यालयों–में प्रवेश लेकर शिक्षा) ग्रहण नही कर सके हैं।

(स) वर्तमान में जो प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (पूर्व माध्यमिक) विद्यालयों का अनुपात क्रमशः 4:1 हैं उसे 2:1 तक लाने का प्रयास करना।

2. सार्वभौमिक ठहराव –

वर्तमान में कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 1 से 8 तक की शाला त्यागी विद्यार्थियों का प्रतिशत क्रमशः 46 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत हैं इसे कम करके क्रमशः 20 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत की स्थिति में लाना।

3. सार्वभौमिक उपलब्धि –

अध्ययन के प्राथमिक स्तर पर सभी छात्र–छात्राओं में न्यूनतम अधिगम स्तर के विकास को सुनिश्चित करना तथा इसी अवधारणा का विकास, उच्च प्राथमिक अर्थात पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी करना हैं।

शोध क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उपरोक्त तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सन् 1994–1995 से सतत् प्रयास जारी हैं। मध्यप्रदेश सरकार ने इस कार्यक्रम के संचालन के लिये राजीव गांधी शिक्षा मिशन की स्थापना 1994 में की। टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में इसी मिशन के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं का शाला में अधिक से अधिक नामांकन, शाला त्यागी व्यवसायी बालक–बालिकाओं के लिये औपचारिकेत्तर शिक्षा संस्थानों की स्थापना, वैकल्पिक शाला, शिशु शिक्षा केन्द्र, नवीन प्राथमिक शाला को अधिक से अधिक खोलकर प्रत्येक बालक व बालिकाओं को उसने निवास से 1 किलोमीटर के अन्दर शिक्षा संस्थाओं को उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती भी शिक्षा कर्मियों के रूप में की जा रही है। न्यूनतम अधिगम स्तर को सुनिश्चित करने के लिये अनेक नवाचारों

जैसे आपरेशन, ब्लैक बोर्ड, खेल–खेल में शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, शिक्षक समाख्या योजना के माध्यम से प्रयास किये जा रहे हैं।

शोधार्थिनी ने प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में सन् 2002 तक जो भी प्रयास किये गये हैं। उनका विस्तृत विवरण अगले अध्याय में प्रस्तुत किया हैं।

NPEGEL–

यह मध्यप्रदेश में प्रारंभिक बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। NPEGEL यानी National Programme for Education of Girls at Elementary Level

योजना का कार्यक्षेत्र –

इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश/जिले के ऐसे विकासखंडों का चयन किया गया हैं, जहॉ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत 46.7 प्रतिशत से कम तथा महिला व पुरूष साक्षरता दर का अर्न्तराष्ट्रीय औसत 21.7 प्रतिशत से अधिक है अथवा जहॉ अनुसूचित जाति/जनजाति का महिला साक्षरता दर 10 प्रतिशत से कम हैं।

चयनित क्षेत्र – प्रदेश में उक्त आधार पर 284 विकासखंड़, चयनित किये गये हैं।

37 जिलो के समस्त वि.ख.

बड़वानी, गुना (अशोकनगर), खंड़वा (बुरहानपुर), रीवा, छतरपुर, सतना, शिवपुरी, सीधी, दमोह, ड़िंड़ोरी, मुरैना, विदिशा, देवास, कटनी, राजगढ़, रतलाम, टीकमगढ़, पन्ना, ग्वालियर, इंदौर, हरदा, नीमच, श्योपुर, उमरिया, भोपाल, झाबुआ, शहडोल, अनूपपुर, सीहोर, मंदसौर, धार, बैतुल, रायसेन, शाजापुर, उज्जैन,

कार्यक्रम के उद्देश्य–

- सभी बालिकायें शाला में दर्ज हो।
- दर्ज बालिकायें प्रारंभिक शिक्षा की पढ़ाई पूरी होने से पहले शाला को बीच में न छोड़े।
- ऐसी बालिकाऍ जो किन्हीं कारणों से शाला में दर्ज नहीं है उनके लिये पढ़ाई की विशेष व्यवस्था करना।
- सशक्तिकरण हेतु बालिकाओं की शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करना
- शिक्षा में बालिकाओं एवं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना।
- अर्थात् 5 से 14 आयु समूह की सभी बालिकायें अपनी प्रारंभिक स्तर तक की शिक्षा पूर्ण करें।

अध्याय - चतुर्थ

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु शोध क्षेत्र में किये गये प्रयास

संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत 6 से 11 आयु समूह के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हैं। जिसमें प्राथमिक शिक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं। इनमें से एक पक्ष इस शिक्षा को सभी के लिए सुलभ कराने से सम्बन्धित हैं तथा दूसरा पक्ष इस शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्र–छात्राओं के नामांकन से सम्बन्धित हैं। उपरोक्त दोनों पक्षों को यदि गहराई से देखा जाय तो हमें प्राथमिक शिक्षा की दिशा में जिन सर्वोपरि प्रयासों के लिये जाने की आवश्यकता हैं, उनका आकंलन सहज ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं की उपलब्धता की दिशा में सर्वोपरि प्रयास करना होता है। प्राथमिक शिक्षण संस्थाएँ पर्याप्त संख्या में हों तथा इनमें अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राएँ अपने निवास स्थान से सहजता तथा सुगमता से विद्यालय पहुँच सकें। छात्र–छात्राओं के आयु वर्ग को देखते हुए सहजता तथा सुगमता की स्थिति को यहाँ और अधिक स्पष्ट करना आवश्यक है। हमारा देश मुख्यतः ग्राम प्रधान देश हैं। गांवों में आवागमन की सुविधाओं की उपलब्धता न्यून हैं। चूँकि सभी इस आयु वर्ग के छात्र–छात्राओं को विद्यालय जाना हैं, तथा देश की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रही हैं एवं पालकों के पास भी यातायात के साधन पर्याप्त मात्रा में नही हैं तथा न ही प्राथमिक स्तर के छात्र–छात्राएँ स्वयं किसी साधन के द्वारा विद्यालय जा सकते। अतः अधिकांश छात्र–छात्राओं को विद्यालय पैदल ही जाना पड़ता है। इस आयु वर्ग के विद्यार्थियों हेतु अधिक दूरी तक पद यात्रा कर पाना संभव नही है। अतः शत्–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में यह भी एक आवश्यक प्रयास हो जाता है। कि शहर के एक कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शिक्षा हेतु विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित हैं।

विद्यालय की स्थापना के पश्चात् दूसरे प्रयास के अन्तर्गत विद्यालयों में अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षकों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध कराने से संबंधित हैं। लोक व्यापीकरण का हमारा संकल्प उसी स्थिति में संभव हैं जबकि ऐसे समुचित आवश्यक रूप से किये जाये जिससे न्यूनतम 40 विद्यार्थियों में एक शिक्षक की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकें। जब हम किसी एक विद्यालय की परिकल्पना करते हैं। तब सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में उस विद्यालय के एक सर्व सुविधा युक्त भवन की आकृति अनायास ही निर्मित हो जाती हैं। इस दिशा में हमारे यह प्रयास होने चाहियें की विभिन्न चरणों एवं विभिन्न योजनान्तर्गत नवीन विद्यालय भवनों की दिशा में पहल हो तथा प्रतिवर्ष शाला भवनों की उचित मरम्मत कराई जाये।

विद्यालय शिक्षा और विद्यालय भवन के उपलब्धता के प्रयास के पश्चात् किये जाने वाले प्रयासों को उस दिशा में मोड़ना अधिक तर्क संगत होगा जो छात्र नामांकन से सम्बन्धित हैं आज बाल केन्द्रित शिक्षा का युग है। विद्यालय शिक्षक, विद्यालय भवन, पाठयक्रम छात्र के लिए है। छात्र इनके लिए नही हैं। अतः

हमारा सर्वोपरि प्रयास निश्चित रूप से यह होना चाहिए कि स्थापित किये गये विद्यालयों में उस बसाहट क्षेत्र के 6 से 11 आयुवर्ग को शत–प्रतिशत बालकों का नामांकन हो। कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले कोई भी बालक–बालिकायें प्रवेश से वंचित न रह पायें।

शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में सबसे बड़ी समस्या शाला त्यागी बालक–बालिकाओं की हैं। परिश्रम से निर्मित किये गये तथा पर्याप्त धन खर्च करने के पश्चात् भी यदि विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले सभी बालक–बालिकाओं को कक्षा 5 तक की सुविधा उपलब्ध नही करायी जा सकी तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था पूर्ण लाभप्रद कैसे हो सकती हैं। इसलिए इस दिशा में प्रयास इस प्रकार के किये जाय जिससे बालक–बालिकाओं के शाला त्यागने की प्रवत्ती न्यून हो सके। इन प्रयासों के अन्तर्गत अनेक प्रकार की प्रोत्साहन योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन की आवश्यकता हैं।

शिक्षा सौद्देश्यपूर्ण उसी समय हो पाती है। जब किसी स्तर तक शिक्षित बालक–बालिका शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उस स्तर तक की योग्यता प्राप्त कर ले। इसे हम दूसरे शब्दों में न्यूनतम अधिगम स्तर की भी संज्ञा देते है। हमारे सभी प्रयास तभी सफल व सिद्ध माने जा सकते है। जब हम सभी छात्रों को उस स्तर का पर्याप्त ज्ञान अर्जित करा दे जिस स्तर की शिक्षा उन्होंने पूरी की हैं। इस दिशा में विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। समय–समय पर समुचित पाठ्यक्रमों का निर्माण शिक्षक प्रशिक्षण, सहायक शैक्षिक, सामग्रियों का शिक्षण में प्रयोग, इकाई मूल्यांकन इत्यादि कुछ ऐसी विधाएं है जो छात्रों के न्यूनतम अधिगम स्तर निर्मित करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण में ऊपर वर्णित हमें सभी प्रयासों को सम्मिलित रूप से करने की दिशा में पहल करना आवश्यक हैं।

शोधार्थिनी ने अपने शोध विषय में म.प्र. के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापी करण की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का अध्ययन करने का निश्चित किया है। इस अध्याय के अन्तर्गत शोधार्थिनी सर्वप्रथम टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व (1993–94 तक) तत्पश्चात जिला प्राथमिक शिक्षा के क्रियान्वयन के पश्चात् 1994–95 से 2000–01 तक किये गये प्रयासों की अलग–अलग चर्चा प्रस्तुत कर रही हैं।

टीकमगढ़ जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पहले प्राथमिक शिक्षा की स्थिति (1993-94 तक)

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान दशा सन्तोष जनक नही हैं। शिक्षण एवं अध्ययन के प्रति कम होती हुई रूचि इस शिक्षा के विकास में बहुत बड़ी बाधक हैं। शिक्षकों एवं छात्रों का विद्यालय जाना औपचारिकता मात्र रह गया हैं। शैक्षिक व्यवसाय अपना गौरव तथा अस्तित्व शिक्षकों के शैक्षिक गतिविधियों के प्रति उदासीन होने के कारण खोता जा रहा हैं। शिक्षक, शिक्षण-कार्य की पुरानी तथा उवाऊ शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि शिक्षक छात्रों के दिल में शिक्षा ग्रहण करने के प्रति रूचि का विकास (निर्माण) नही कर पाये हैं।

प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी मात्र इसलिये स्कूल आते है। क्योंकि उन्हें घर से स्कूल भेजा जाता है। विद्यालय का वातावरण बच्चों को अपनी ओर आकर्षित नही करता तथा विषयों का बोझ छात्रों के ऊपर अधिक मानसिक दबाव डालता हैं, जिससे छात्र विद्यालय मानसिक आनन्द प्राप्त करने की अपेक्षा बुझे हुये तथा सहमें-सहमें दिखाई देते हैं। विद्यालय विद्यार्थी को एक कारगार के समान-प्रतीत होते है। जहां पर उसे बिना अपनी अभिव्यक्ति, रूचि तथा प्रसन्नता के एक निश्चित समय सीमा तक कैद रहना होता हैं। इसलिये प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम पाठयपुस्तकों तथा शिक्षण विधियों में बहुत अधिक परिवर्तन की आवश्यकता हैं।

प्राथमिक शिक्षा की संरचना के सही अर्थो में निर्माण पर अच्छे विद्यालय भवनो का अभाव भी प्रभाव डालता है। टीकमगढ़ जिले में अधिकांश प्राथमिक विद्यालय या तो खुले आकाश के नीचे अथवा वृक्षों की छाया में चल रहे है। इसके अतिरिक्त इन विद्यालयों में मूलभूत आवश्यक वस्तुएँ जैसे टाटपट्टी, चाक तथा ब्लैक बोर्ड (श्यामपट) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नही है। जिले में अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति रूचि नही लेते। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस जिले में बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यन्त दयनीय हैं। आज भी यहां के लोग बालिका को मात्र घर के कार्यो को करने का ही उत्तरदायित्व देते है। तथा उन्हें विद्यालयों से दूर रखने का प्रयास करते हैं। टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या को प्रदर्शित करने वाली तालिका निम्नानुसार हैं।

तालिका क्रमांक 4.1

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

क्रं.	वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (शासकीय और अशासकीय)
1.	1985–86	711
2.	1990–91	765
3.	1991–92	802
4.	1992–93	830
5.	1993–94	875

स्त्रोत –: आंकड़े जिला टीकमगढ़ के उपसचांलक कार्यालय से प्राप्त

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रारम्भ अर्थात 1993–1994 में टीकमगढ़ जिले में शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों की संख्या 875 थी शिक्षा के शत प्रतिशत लोक व्यापीकरण के करने के उद्देश्य से 1993–1994 में डी.पी.ई.पी. योजना के प्रथम चरण में मध्यप्रदेश, केरल, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, असम, व महाराष्ट्र के कुल 42 जिलों को चुना गया मध्य प्रदेश के 19 जिलें इस कार्यक्रम के लिये चुने गये जिलों का चुनाव दो आधार पर हुआ (1) सफल साक्षरता अभियान द्वारा प्रोत्साहित शिक्षा की मांग (2) महिला साक्षरता का औसत राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम होना। प्रदेश के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलें चयनीकृत जिलों के अंर्तगत ही हैं।

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की संख्या

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालयों में आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1991–1992 से विकास खण्डवार प्राथमिक शिक्षकों की संख्या निम्नानुसार हैं।

तालिका क्रमांक 4.2

क्रमांक	विकासखण्ड का नाम	प्राथमिक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या		
		वर्ष 1991–92	1992–93	1993–94
1.	टीकमगढ़	170	173	166
2.	बल्देवगढ़	167	170	163
3.	जतारा	162	165	158
4.	पलेरा	149	152	145
5.	पृथ्वीपुर	150	155	146
6.	निवाड़ी	153	156	149
	योग –:	951	971	1076

स्त्रोत –: उपसंचालक शिक्षा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

टीकमगढ़ क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहॉ पर एक अथवा एक से अधिक दो शिक्षक कार्यरत हैं। जिले में रिक्त 700 से 730 पदों पर शिक्षाकर्मियों के द्वारा भरे जाने की सम्भावंना हैं। प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक या +2 स्तर उत्तीर्ण निर्धारित की गई हैं। सामान्य तथा शिक्षकों के चयन में प्रतिशत व्यक्तियों को वरीयता दी जाती हैं। अप्रशिक्षित शिक्षक ज्यादातर निजी शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन कार्य करते हैं।

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक,माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या

टीकमगढ़ जिले में जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि परिलक्षित होती हैं, जो नीचे दी गई तालिकाओं से स्पष्ट होता हैं।

तालिका क्रमांक 4.3

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या

क्र.	वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1.	1990–91	56393	43125	99518
2.	1991–92	59362	45395	104757
3.	1992–93	62487	47785	110272
4.	1993–94	65776	50300	116076

स्त्रोत –: उपसंचालक शिक्षा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

तालिका क्रमांक 4.4

टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक स्तर पर दर्ज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की छात्र संख्या

क्र.	वर्ष	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	योग
1.	1991–92	22340	4161	26501
2.	1992–93	23516	4380	27896
3.	1993–94	24765	4620	29385

टीकमगढ़ जिले के शासकीय प्राथमिक शालाओं के भवन की स्थिति

वर्ष 1993–1994

तालिका क्रमांक 4.5

वर्ष 1993–94	कुल शासकीय विद्यालय	पक्के भवन युक्त विद्यालय	कच्चे भवन	भवन विहीन	किराये के भवन में संचालित
टीकमगढ़	980	502	201	69	9

स्त्रोत –: जिला प्राथमिक शिक्षा योजना ड्राफ्ट प्लान 1994–1995

टीकमगढ़ जिले में सन् 1993–1994 में शासकीय विद्यालयों की संख्या 980 थी, जिसमें से 502 विद्यालय पक्के भवन में लग रहे थें, 9 विद्यालयों के पास स्वयं का भवन नही था। 201 प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं के भवन मिट्टी के बने हुये थे, जिले के 69 विद्यालय भवन विहीन थें जो कि पेड़ो के नीचे लग रहे थे।

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना :–

जिला प्राथमिक शिक्षा योजना (प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण) के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये आपरेशन ब्लैक–बोर्ड योजना के आधारभूत सिद्धान्तों को स्वीकार करने की अत्याधिक आवश्यकता हैं। इस योजना के अन्तर्गत बाल–केन्द्रित तथा क्रियात्मकता के आधार पर सीखने को शिक्षण का आधार बनाया गया हैं।

आपरेशन ब्लैक–बोर्ड की विशेषताएँ :–

1. इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राथमिक विद्यालय अथवा औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों को इस प्रकार स्थापित किया जाय कि किसी भी विद्यार्थी को अपने निवास स्थान से शिक्षण केन्द्रों में जाने के लिए एक किलोमीटर से अधिक न जाना पड़े।

2. शाला भवन पक्के होना चाहिये जिसमें सभी मौसमों में वर्ष भर निर्विघ्न रूप से संस्था संचालित की जा सके।

3. प्रत्येक विद्यालय में दो कमरे, एक बरामदा अध्ययन कक्ष हेतु, एक कक्ष प्रधानाध्यापक हेतु तथा एक शौचालय होना चाहिये।

4. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम दो शिक्षक होने चाहिये, जहॉ तक संभव हो सके इन दो शिक्षकों में से एक पुरूष एवं एक महिला शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहियें।

5. इस योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी प्राथमिक विद्यालय को आवश्यक शिक्षण सामग्री प्रदान किये जाने का प्रावधान हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में राज्य सरकार के निम्नलिखित उत्तरदायित्व भी निर्धारित किये गये हैं।

1. योजनान्तर्गत संचालित प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों को 500 रू. की कटेन्जेन्सी का प्रावधान करना।

2. विद्यालयों के लिये भूमि उपलब्ध कराना तथा बाउण्ड्री का निर्माण कराना।

3. विद्यालय भवनों का रखरखाव तथा उनकी समय–समय पर मरम्मत करवाना।

4. इस योजना के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों के पर्याप्त शिक्षकों तथा आवश्यक शिक्षण सामग्री की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

5. समय–समय पर शिक्षण सामग्री को क्रय करने के लिये वित्तीय व्यवस्था करना।

6. इस योजना का मुख्य उद्देश 6 से 11 आयुवर्ग के छात्र–छात्राओं को नामांकित करना और उन्हे 5 कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने तक रोके रखना।

टीकमगढ़ जिले के सन्दर्भ में आपरेशन ब्लैक–बोर्ड योजना :–

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन जिले में तीन चरणों में किया गया हैं। पहले चरण में सन् 1988 में 192 विद्यालयों से प्रारम्भ किया गया इन विद्यालयों को शिक्षण हेतु प्रयुक्त होने वाली कुछ शिक्षण सामग्रियॉ नक्शे, ग्लोब, ग्राफ, खेलकूद की सामग्रियॉ, तथा यंत्र प्राथमिक विज्ञान किट, गणित किट, किताबें, तथा संयन्त्र जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक इत्यादि प्रदान किये गये। ऐसे विद्यालय जिनमें विधुत व्यवस्था थी, में विभाग की तरफ से रंगीन टेलिविजन भी उपलब्ध कराये गये। योजना के द्वितीय एवं तृतीय चरण में जिले में क्रमशः 180 और 164 विद्यालय प्रारम्भ कर उन्हें शिक्षण सामग्री प्रदान की गयी।

अनेक शिक्षा आयोगों ने बार–बार इन तथ्यों को दोहराया कि शिक्षा को समाज की जीवन शैली और सामाजिक आर्थिक एवं व्यवहारिक विकास से सम्बन्धित होना चाहिये, लेकिन यह सैद्धान्तिक दृष्टिकोण किसी न किसी कारण वश परिवर्तन नही हो सका।

औपचारिकेत्तर शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार बहुत कम हुआ, शहरों की ओर अधिक ध्यान दिया गया जिसमें संख्यात्मक विकास तो हुआ परन्तु ग्रामीण क्षेत्र इसका लाभ नही उठा सके। ग्रामीण अंचल के लोगों का शोषण होता रहा वे अंधविश्वास और आडम्बरों का शिकार होते रहे हैं। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा की विशेषताओं को भी सम्मिलित किया गया हो, औपचारिकेत्तर शिक्षा कहलाती हैं।

कोठारी आयोग (1964–1966) ने शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विकास का महत्व समझाया। इस आयोग ने शिक्षा के द्वारा राष्ट्रीय विकास करने हेतु अनेक अनुशंसाये प्रस्तुत की। उनमें लक्ष्य प्राप्ति हेतु अनेक व्यवहारिक सुझाव दिये जिसमें से अंशकालीन शिक्षा की व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक जीवन से सम्बन्धित शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने 1968 में इस ओर विशेष ध्यान दिया और एक कार्यकारी समूह की स्थापना की। इस कमेटी ने 6 से 11 वर्ष समूह के लगभग 200 लाख बालक–बालिकाओं तथा लगभग 90 लाख 11 से 14 वर्ष की आयु समूह वाले प्राथमिक स्तर की शिक्षा पाने वाले बालक–बालिकाओं के सामाजिक, आर्थिक स्तर का एक सामान्य विश्लेषण कुछ शालाओं में न जाने वाले बालक–बालिकाओं को दो श्रेणियों में विभक्त किया।

1. वे बालक–बालिकाएं जो कभी विद्यालय नही गये या जिन्होंने अभी पढ़ना प्रारम्भ नही किया।

2. वे बालक–बालिकाऐं जो किसी कक्षा तक विद्यालयों में अध्ययन थे परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ चुके हैं। इस प्रकार के बालकों को यदि सुविधा दी जाये तो संभव हैं कि पुनः अपना अध्ययन आरम्भ करना चाहेंगे।

इस प्रकार शाला छोड़ने वाले और शाला न जाने वाले बालकों का शालेय ज्ञान भले ही कम हो तथा वे लिखना पढ़ना भले ही न जानते हो परन्तु इन्हें दैनिक जीवन का व्यवहारिक ज्ञान शाला जाने वाले बालकों से अधिक होता हैं। देश के विभिन्न राज्यों में म.प्र. ही पहला राज्य हैं। जहां सर्वप्रथम औपचारिकेत्तर शिक्षा का श्रीगणेश किया गया। आजादी प्राप्त होने से लगभग 25–26 वर्षो के पश्चात् अनेक प्रयत्नों के कारणवश विद्यालय नही लाया जा सका तथा यह अनुमान लगाया गया कि जनसंख्या के सत्त वृद्धि के कारण यह प्रतिशत बढती ही जायेगी व सभी बालक–बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश करा पाना असंभव होता जायेगा। तब इस स्थिति से उबरने के लिये म.प्र. शासन में सन् 1975 में औपचारिकेत्तर शिक्षा व्यवस्था को प्रारम्भ किया। इस योजना को मध्यप्रदेश मॉडल का नाम दिया गया। औपचारिकेत्तर शिक्षा के इस मध्यप्रदेश मॉडल के उद्देश्य अग्रलिखित हैं –

1. इस शिक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसे सभी 9–14 वर्ष के ग्रामीण व शहरी बालक–बालिकाओं को औपचारिकेत्तर शिक्षा दी जायेगी। जो किसी भी कारणवश किसी भी विद्यालय में प्रवेश पाने से वंचित रह गयें।

2. इनमें सभी बालक–बालिकाओं को भी शिक्षा दी जोयगी, जो किसी प्राथमिक विद्यालय में पहले प्रवेश पाये थे, किन्तु किसी अपरिहार्य कारणवश उन्होंने कम से कम एक वर्ष पूर्व विद्यालय छोड़ दिया है। तथा ऐसे बालकों की आयु 9–14 वर्ष के मध्य ही हैं।

3. मध्यप्रदेश में औपचारिकेत्तर शिक्षा की योजना को कार्यकाल 2 वर्ष की अवधि का हैं। जिसें सभी बालकों को प्राथमिक स्तर की (कक्षा 1 से 5 तक) नियोजन शिक्षा प्रदान की जाती हैं।

4. शिक्षण की ऐसी व्यवस्था करना जिसमें छात्रों को जीवकोपार्जन तथा पारिवारिक कार्यो को करने में व्यवधान न हो।

राज्य शिक्षा संस्थान के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक संभाग में उन जिलों का चयन किया गया जहां प्रौढ़ों की शिक्षित संख्या न्यूनतम थी। इस प्रकार शिक्षा में उपेक्षित जिलों के विकासखण्डों में उन विकासखण्डों का चयन किया गया जहां अन्य विकासखण्डों के अनुपात में शिक्षित संस्थाएं न्यूनतम थी। ऐसे विकासखण्ड से 5 ग्राम चुने गये जहां 15–20 बालक औपचारिकेत्तर शिक्षा के लिये उपलब्ध थे। इस प्रकार शिक्षा में सबसे पिछड़े विकासखण्डों में 5–5 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई। सन् 1975 में प्रदेश के 10 जिलों में 50 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना मध्यप्रदेश बालिका शिक्षा निधि के माध्यम से की गई। इन केन्द्रों की संख्या 1976 में 95, 1977 में 147 तथा 1980–1981 में तेजी से बढ़कर 3000 हो गई। प्रदेश में प्राथमिक स्तर के अतिरिक्त माध्यमिक स्तर के शिक्षण के लिये भी औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र बाद में स्थापित किये गये। जिला टीकमगढ़ में औपचारिकेत्तर शिक्षा के द्वारा शिक्षा के प्रसार में काफी मदद मिली हैं। टीकमगढ़ जिले में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र, छात्र संख्या, अनुदेशकों एवं पर्यवेक्षकों की संख्या नीचे दी गई तालिका में देखी जा सकती हैं,

तालिका क्रमांक 4.6

सत्र 1993–1994 में औपचारिकेत्तर केन्द्र, अनुदेशक तथा छात्र संख्या

क्रमांक	केन्द्र संख्या	अनुदेशक संख्या	छात्र संख्या
1.	532	544	13335

विश्लेषण एवं व्याख्या :–

सत्र 1993–1994 में टीकमगढ़ जिले में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या 532 थी। अनुदेशक संख्या 544 तथा छात्र संख्या 13335 थी। जिसमें बालक 6925 तथा बालिका 7010 थी। औपचारिकेत्तर शिक्षा में शासन द्वारा प्राप्त बजट अनुमानतः राशि 55170+ 32608 था, जिसमें खर्च हुआ 30700+12562 राशि।

टीकमगढ़ जिले में सन् 1993–1994 में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अधिगम स्तर की स्थिति

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में जितना महत्व शत–प्रतिशत नामांकन तथा अध्ययन पूरा करने तक विद्यालय में प्रवेश लिए रहने का हैं उतना ही महत्व इस बात का भी हैं कि इस स्तर तक के अध्ययन किये हुए छात्र–छात्राओं में अधिगम की उपलब्धि एवं एक निश्चित सीमा तक हो सके। शोधार्थिनी ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पूर्व सत्र 1993–1994 की टीकमगढ़ जिले की प्राथमिक शिक्षा के अधिगम स्तर की उपलब्धि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा कराये गये बेस लाइन असेसमेंट स्टडी से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नानुसार प्रस्तुत की हैं।

इस सर्वेक्षण में भाषा तथा गणित दो विषयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत 500 बालक–बालिकाओं का परीक्षण कक्षा 4 के पाठ्यक्रम के आधार पर किया गया। उपलब्धि के निम्नांकित आधार बनाये गये –

1. **शून्य स्तर –**

   उन विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या जिन्होंने परीक्षण में शून्य अंक प्राप्त किये।

2. **न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि का न होना –**

   ऐसे छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने शून्य से अधिक अंक किन्तु 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये।

3. **सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर –**

   उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने 40 से 59 प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

4. **दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर –**

   उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्होंने 60 से अधिक किन्तु 79 से कम प्रतिशत अंक प्राप्त किये।

5. **पूर्णदक्षता का स्तर –**

   उन छात्रों का प्रतिशत जिन्होंने 80 प्रतिशत से ऊपर अंक प्राप्त किये।

टीकमगढ़ जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का लिंगानुसार भाषा विषय में अधिगम स्तर

तालिका क्रमांक 4.7

क्षेत्र	स्तर	जिला टीकमगढ़		
		छात्र प्रतिशत	छात्राएं प्रतिशत	कुल
शब्द ज्ञान	1.शून्य	7.00	10.80	8.50
	2.न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि का न होना।	26.60	32.40	26.20
	3. सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर	53.10	42.30	50.00
	4. दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर	12.00	13.50	12.40
	5. पूर्ण दक्षता का स्तर	1.40	1.20	1.40
पढ़ने की क्षमता	1. शून्य	2.90	1.80	2.60
	2.न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि का न होना।	61.80	71.20	64.00
	3. सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर	24.40	13.50	21.20
	4. दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर	10.90	13.50	11.07
	5. पूर्ण दक्षता का स्तर	0.70	0.00	0.50

स्त्रोत :– **Basc line Assessment study by N.C.E.R.T. 1994 page 49**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं। कि टीकमगढ़ जिलें में हिन्दी भाषा के शब्द ज्ञान क्षेत्र के अन्तर्गत शून्य अधिगम स्तर 8.50 प्रतिशत विद्यार्थी 26.20 प्रतिशत विद्यार्थीयों में न्यूनतम अधिगम स्तर में इस क्षेत्र में नही हो पाया था। 50 प्रतिशत सामान्य न्यूनतम स्वरूप ज्ञात हुए। इसी प्रकार भाषा के पढ़ने की क्षमता के अन्तर्गत शून्य अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत 2.60,64 प्रतिशत विद्यार्थियों में न्यूनतम उपलब्धि स्तर वाले तथा 11.7 प्रतिशत अधिगम स्तर की दक्षता की ओर प्रयासरत जबकि मात्र 0.50 प्रतिशत विद्यार्थी पूर्ण दक्षता स्तर प्राप्त कर पाये थे।

टीकमगढ़ जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिंगानुसार गणित विषय में अधिगम स्तर

तालिका क्रमांक 4.8

स्तर	छात्र	छात्राएं	कुल
शून्य	1.80	0.00	1.30
न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि न होना	85.10	91.00	86.30
सामान्य न्यूनतम अधिगम स्तर	10.50	3.60	8.50
दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर	1.80	3.60	2.30
पूर्ण दक्षता का स्तर	0.70	1.80	1.00

स्त्रोत :– Basc line Assessment study by N.C.E.R.T. 1994 page 42

टीकमगढ़ जिले में 250 विद्यार्थियों में गणित विषय के अन्तर्गत शून्य अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों में गणित विषय के अन्तर्गत शून्य अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत प्राप्ति की ओर प्रयासरत थे तथा 1.00 प्रतिशत विद्यार्थियों ने गणित विषय में पूर्ण दक्षता स्तर को प्राप्त कर पाये।

इस प्रकार टीकमगढ़ जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत 250 विद्यार्थियों के भाषा तथा गणित विषय में अधिगम स्तर का परीक्षण द्वारा अध्ययन करने पर यह पता चलता हैं कि भाषा में शब्द ज्ञान के अन्तर्गत लगभग 34 प्रतिशत बालक–बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर के नीचे ही थे। मात्र 15 प्रतिशत विद्यार्थियों का इस विषय में अधिगम स्तर अच्छा था, जबकि 50 प्रतिशत सामान्य अधिगम स्तर वाले थे। अध्ययन की

दक्षता के अन्तर्गत लगभग 67 प्रतिशत सामान्य अधिगम स्तर वाले थें। अध्ययन की दक्षता के अन्तर्गत इस विषय में अच्छे अधिगम स्तर की श्रेणी में आते हैं। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि टीकमगढ़ जिले में अभी भाषा विषय के अन्तर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर की स्थिति अच्छी नही हैं।

छतरपुर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पहले प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

(1993–1994 तक)

छतरपुर जिले की अधिकांश जनसंख्या दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निवास करती हैं। जो अर्थिक रूप से काफी पिछड़ी हुई हैं। संसाधनों की कमी शिक्षा प्राप्त करने के दिशा में बहुत अधिक बाधक हैं। यही कारण हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति से प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के क्रियान्वयन के पूर्व अधिक सार्थक प्रयास नही किये जा सके। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1993–1994 के पश्चात् छतरपुर जिले में भी संचालित किया गया। जिले में 1993–1994 तक प्राथमिक शिक्षा मुख्य रूप से शासकीय प्राथमिक तथा शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक विभाग के द्वारा दी जाती रही हैं। निजी प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालय म.प्र. शासन के शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा संचालित रहे हैं। इन विद्यालयों के अतिरिक्त औपचारिकेत्तर शिक्षा में भी प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी। नीचे दी गयी तालिका में छतरपुर जिले में वर्ष 1991–1992 से वर्ष 1993–1994 तक के विद्यालयों की संख्या दर्शाई गयी हैं।

तालिका क्रमांक 4.9

छतरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या

क्रं.	वर्ष	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या (शासकीय और अशासकीय)
1.	1991–92	902
2.	1992–93	951
3.	1993–94	976

स्त्रोत –: 1. आंकड़े जिला छतरपुर के उपसचांलक कार्यालय से प्राप्त

2. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की कार्य योजना पुस्तिका की सारणी क्रमांक 180

छतरपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

छतरपुर जिले में अधिकांशतया विद्यालय एक शिक्षकीय विद्यालय हैं। बहुत कम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण हेतु दो शिक्षकों की व्यवस्था है। लगभग सभी प्राथमिक विद्यालय प्रशासकीय आधार पर किसी न किसी पूर्व माध्यमिक विद्यालय से सम्बन्धित रहते हैं। इसमें वे सभी शासकीय पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालय सम्मिलित हैं, जो स्वतंत्र रूप से केवल प्राथमिक स्तर तक की कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। निजी प्राथमिक शिक्षण संस्थाएं निजी शिक्षण समितियों के द्वारा संचालित हैं। इन संस्थाओं में शिक्षकों की संख्या शासकीय संस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक हैं। नीचे दी गई तालिका में छतरपुर जिले में वर्ष 1991–1992 से वर्ष 1993–1994 तक की प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या दर्शाई गई हैं।

तालिका क्रमांक 4.10

छतरपुर जिले में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या

क्र.	वर्ष	प्राथमिक विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय
1.	1991–92	2052	1004
2.	1992–93	2064	1357
3.	1993–94	2107	1481

स्त्रोत –: (1) उपसंचालक शिक्षा छतरपुर म.प्र.

(2) जिला सांख्यिकीय पुस्तिका जिला छतरपुर वर्ष 1994–95, पृष्ठ संख्या 108

छतरपुर जिले के प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 6–11 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 107518 हैं।[2] / नीचे दी गई तालिका क्रमांक में सन् 1991–1992 से 1993–1994 तक प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् बालक–बालिकाओं की संख्या दशाई गई हैं।

छतरपुर जिले में प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या

तालिका क्रमांक 4.11

क्र.	वर्ष	छात्र	छात्रा	योग
1.	1991–92	60393	47125	107518
2.	1992–93	63362	49395	112757
3.	1993–94	66487	51785	118272

स्त्रोत –: 1. उपसंचालक शिक्षा जिला छतरपुर म.प्र.

2. सांख्यिकी पुस्तिका जिला छतरपुर वर्ष 1995 पृष्ठ क्र. 5

प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत अनुसूचित जाति व

जनजाति के छात्रों की संख्या

तालिका क्रमांक 4.12

क्र.	वर्ष	प्राथमिक		योग
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	
1.	1991–92	28494	5085	33579
2.	1992–93	29994	5353	35019
3.	1993–94	31573	5635	37208

स्त्रोत –: (1) उपसंचालक शिक्षा जिला छतरपुर

(2) सहायक आयुक्त आदिमजाति कल्याण विभाग

छतरपुर जिले की प्राथमिक शालाओं के भवनो की स्थिति –

(1993–1994 की स्थिति में,)

विद्यालय विद्या के मंदिर कहे जाते हैं। विद्यालय उस परिवेश का नाम हैं। जहाँ विद्या अध्ययन हेतु छात्र आकर अपना अधिकांश समय व्यतीत करते हैं, यही शिक्षकों के भी अपने कौशल के प्रदर्शन के उर्पयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिये विद्यालय के वातावरण को एक आदर्श वातावरण के होने की बात

अनेक शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा कही गयी हैं। विद्यालय के वातावरण में सर्वाधिक प्रभाव डालने वाला कारक विद्यालय का भवन हैं विद्यार्थियों की प्रतिकूल मौसम से रक्षा तथा शिक्षण व्यवस्था हेतु पक्के तथा सुव्यवस्थित शाला भवनों की आवश्यकता होती हैं। मध्यप्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की स्थिति अच्छी नही हैं। छतरपुर जिले में डी.पी.ई.पी. योजना के पहले भवनों की स्थिति काफी दयनीय थी।

छतरपुर जिले के शासकीय प्राथमिक शालाओं के भवन की स्थिति

वर्ष 1993–1994

तालिका क्रमांक 4.13

वर्ष 1993–94	कुल शासकीय विद्यालय	पक्के भवन युक्त विद्यालय	कच्चे भवन	भवन विहीन	किराये के भवन में संचालित
छतरपुर	1080	602	307	89	12

स्त्रोत –: जिला प्राथमिक शिक्षा योजना ड्राफ्ट प्लान 1994–1995

छात्र शिक्षक अनुपात – विद्यालय संचालन के मुख्य आधार स्तम्भ शिक्षक होते हैं, शिक्षकों के ऊपर शिक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व होता है, शिक्षक समाज शिल्पी कहलातें हैं, प्राथमिक स्तर के बालक–बालिकाओं के क्रियाकलापों में भी शिक्षक के व्यक्तित्व का सीधा प्रभाव पड़ता हैं। सामान्यतः शासकीय शिक्षण संस्थाओं में प्रति 40 विद्यार्थियों के लिये एक शिक्षक की व्यवस्था को आदर्श शिक्षक व्यवस्था की संज्ञा दी जाती हैं। छतरपुर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम लागू होने के ठीक पहले अर्थात् सन् 1993–1994 में, की स्थिति में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात निम्नांकित तालिका द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं।

छतरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 1993–1994

तालिका क्रमांक 4.14

छात्र शिक्षक अनुपात	विद्यालय की संख्यां			
	एक शिक्षक	दो शिक्षक	दो से अधिक	कुल
<1:30	159	78	11	248
1:31–1:40	283	198	25	506
1:41–1:50	225	95	15	335
>1:51	65	32	10	107
योग –	732	403	61	1196

स्त्रोत –: जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कार्य योजना पुस्तिका जिला छतरपुर वर्ष 1994

छतरपुर जिले में सत्र 1993–1994 में औपचारिकेत्तर शिक्षा की स्थिति

तालिका क्रमांक 4.15

सत्र 1993–1994 में औपचारिकेत्तर केन्द्र, अनुदेशक तथा छात्र संख्या

क्रमांक	केन्द्र संख्या	अनुदेशक संख्या	छात्र संख्या
1.	540	547	14935

विश्लेषण एवं व्याख्या –:

सत्र 1993–1994 में छतरपुर जिले में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की कुल संख्या 540 थी। अनुदेशक संख्या 547 तथा छात्र संख्या 14935 थी, जिसमें बालक 8635 एवं बालिका 6300 थी। औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण में काफी मदद मिली हैं। औपचारिकेत्तर शिक्षा में शासन द्वारा प्राप्त बजट अनुमानतः 75180+42780 राशि तथा खर्च हुआ 45200+14280 राशि।

छतरपुर जिले में सन् 1993–1994 में प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के अधिगम स्तर की स्थिति

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सन् 1993–1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना वाले जिलों में बेस लाइन असेसमेन्ट स्टडी करायी गयी थी। इस सर्वेक्षण में छतरपुर जिले में भाषा तथा गणित दो विषयों में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का परीक्षण कक्षा 4 के पाठ्यक्रम के आधार पर किया गया। अधिगम उपलब्धि के आधार बनाये गये। जो आगे प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

तालिका क्रमांक 4.16

क्षेत्र	स्तर	जिला छतरपुर		
		छात्र प्रतिशत	छात्राएं प्रतिशत	कुल
शब्द ज्ञान	1.शून्य	10.10	16.90	12.90
	2.न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि का न होना।	30.60	32.60	31.50
	3. सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर	43.90	38.80	41.80
	4. दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर	13.90	10.30	12.40
	5. पूर्ण दक्षता का स्तर	1.40	1.20	1.40
पढ़ने की क्षमता	1. शून्य	5.80	5.00	5.40
	2.न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि का न होना।	72.30	79.80	75.30
	3. सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर	12.40	13.20	12.80
	4. दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर	7.20	1.70	4.90
	5. पूर्ण दक्षता का स्तर	2.30	0.40	1.50

स्त्रोत :– **Basc line Assessment study by N.C.E.R.T. 1994 page 49**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हैं कि कक्षा 5 में अध्ययनरत 250 बालक–बालिकाओं में हिन्दी विष्य के शब्द ज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न अधिगम स्तरों के अन्तर्गत शून्य अधिगम स्तर में 12.90 प्रतिशत। 31.50 प्रतिशत छात्र–छात्राओं में न्यूनतम अधिगम उपलब्धि नही थी, जबकि 41.80 प्रतिशत छात्र–छात्राएँ ऐसे थे, जिन्हें सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर के अन्तर्गत रखा जा सकता हैं। 12.40 प्रतिशत छात्र–छात्राएं शब्द ज्ञान में दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर थे, जबकि मात्र 1.42 प्रतिशत पूर्ण दक्षता प्राप्त किये हुये थे। इसी प्रकार पढ़ने की क्षमता 5.40 प्रतिशत विद्यार्थियों में नही थी। 75.30 प्रतिशत न्यूनतम अधिगम स्तर से नीचे थे, 12.80 प्रतिशत में सामान्य न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर चुके थें। 4.90 प्रतिशत विद्यार्थी दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर थे। जबकि 1.50 प्रतिशत अध्ययन करने की पूर्णक्षमता वाले थे।

छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के

लिंगानुसार गणित विषय में अधिगम स्तर

तालिका क्रमांक 4.17

स्तर	छात्र	छात्राएं	कुल
शून्य	4.00	5.00	4.80
न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि न होना	86.40	85.10	85.90
सामान्य न्यूनतम अधिगम स्तर	5.50	6.20	5.80
दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत स्तर	4.00	2.90	3.60
पूर्ण दक्षता का स्तर	0.00	0.00	0.00

स्त्रोत :– Basc line Assessment study by N.C.E.R.T. 1994 page 42

गणित विषय में छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत 250 छात्रों के विभिन्न अधिगम स्तरों की स्थिति को उपरोक्त तालिका के आधार पर भली भाँति समझा जा सकता हैं। जिले के मूल्यांकित छात्र–छात्राओं में 4.80 प्रतिशत विद्यार्थी गणित विषय में शून्य अधिगम स्तर वाले थे। 85.90 प्रतिशत विद्यार्थियों ने न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि नही कर पायी थी, जबकि 5.80 प्रतिशत छात्र–छात्राएं गणित विषय में सामान्य न्यूनतम उपलब्धि स्तर वाले थे, 3.60 प्रतिशत दक्षता प्राप्ति की ओर प्रयासरत थे, जबकि कोई भी छात्र–छात्रा गणित विषय में पूर्ण दक्षता प्राप्त नही कर पाये थे।

इस प्रकार छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत 250 विद्यार्थियों के भाषा तथा गणित विषय में अधिगम स्तर का परीक्षण द्वारा अध्ययन करने पर यह पता चलता है,कि भाषा के शब्द ज्ञान के अन्तर्गत लगभग 44.00 प्रतिशत बालक–बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर के नीचे ही थे। मात्र 13 प्रतिशत विद्यार्थियों का इस विषय में अधिगम स्तर अच्छा था। जबकि 42 प्रतिशत सामान्य अधिगम स्तर वाले थे। अध्ययन की दक्षता के अन्तर्गत लगभग 81 प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम अधिगम स्तर से कम ज्ञान वाले थें। मात्र 6 प्रतिशत इस विषय में अच्छे अधिगम स्तर श्रेणी में आते थे। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि छतरपुर जिले में अभी भाषा विषय के अन्तर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर की स्थिति अच्छी नही हैं। गणित विषय में तो यह बहुत अधिक दयनीय हैं। लगभग 90 प्रतिशत विद्यार्थी न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर पाये थे। मात्र 3 प्रतिशत विद्यार्थी गणित विषय में अच्छे अधिगम स्तर वाले थें। जबकि 6 प्रतिशत का अधिगम स्तर सामान्य था।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन् 1994 में प्रारम्भ किया गया। यह योजना प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था का उन्नयन करने हेतु संरचित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आयुवर्ग व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के संकल्प के लक्ष्य को लगभग 44 वर्षों में आधी सीमा तक न प्राप्त कर पाने की स्थिति में इस योजना का संचालन विशेष रूप से साक्षरता के दृष्टिकोण से हुए क्षेत्रों में करने का निर्णय लिया गया। इस योजना का उद्देश्य निम्न लक्ष्यों को ध्यान में रखकर एक उत्तरदायी उचित तथा कम लागत वाला प्रभावी कार्यक्रम विकसित करना हैं।

1. बालक–बालिकाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच दर्ज संख्या, शालात्यागी और अधिगम उपलब्धि के अन्तर को 5 प्रतिशत से भी कम करना।
2. सभी विद्यार्थियों की शाला त्यागदर 10 प्रतिशत से भी कम करना हैं।
3. आधारभूत स्तर को ध्यान में रखकर बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान दक्षताओं की औसत प्राथमिक उपलब्धियों को 25 प्रतिशत बढ़ाना तथा प्राथमिक शालाओं के सभी विद्यार्थियों की अन्य दक्षताओं की उपलब्ध स्तर को न्यूनतम 40 प्रतिशत बढ़ाना।
4. राष्ट्रीय प्रतिमान के अनुसार प्राथमिक शिक्षा के सभी बच्चों की (प्राथमिक विद्यालय तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र) शिक्षा सुविधा में बढ़ोत्तरी करना।

योजनानुसार पहले 07 राज्यों के 42 जिलों के इस कार्यक्रम हेतु चयन किया गया इसमें मध्यप्रदेश के 19 जिलों तथा शोधार्थिनी द्वारा शोध हेतु चयनित टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलें भी शामिल किये गये। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व मुख्य रूप से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन को दिया गया। इस शिक्षा का उद्देश्य ही प्रत्येक 6 से 11 वर्ष तक के आयुवर्ग के सभी बालक–बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों में शिक्षा कें प्रति रूचि जागृत करके विद्यालय से पलायन को रोकना है। यह मिशन निम्न समास्याओं पर विचार कर उन्हें पूरा करने के प्रयास के उद्देश्य से स्थापित किया गया।

1. स्कूल न जाने वाले व स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की समस्या।
2. शाला कालीन समय में शाला से भाग जाने वाले छात्रों की समस्या।
3. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों की समस्या।

4. मजदूर वर्ग के छात्रों की समस्या।

5. विकलांग बालकों की समस्या।

6. अत्यन्त पिछड़े हुये सुदूरवर्ती क्षेत्रों में शिक्षा की समस्या।

7. बालिका शिक्षा।

8. सामाजिक व आर्थिक तथा अन्य समस्या।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा निर्धारित उद्‌देश्यों तथा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा इन उद्‌देश्यों की प्राप्ति में आने वाली समस्याओं को दूर करने के प्रयास हेतु एक कार्य योजना सन् 1994 से 2001 तक के लिये बनायी गयी, जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा संचालित शालाओं के अतिरिक्त मिशन के अन्तर्गत अनेक प्रकार की प्राथमिक शालाओं के संचालन, शिक्षकों की भर्ती, विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि, विद्यार्थियों की ग्राह्यदर में वृद्धि, बालिकाओं का अधिक से अधिक नामांकन, शालात्यागी विद्यार्थियों की दर में कमी, शालाओं को आकर्षण केन्द्र बनाने की दिशा में प्रयास, शालाभवनों का निर्माण, शिक्षण, को प्रभावी , रूचिकर व आनन्दमयी बनाने की दिशा में विशेष प्रकार के प्रशिक्षण तथा शिक्षण हेतु पैकजों का विकास, प्रत्येक शैक्षिक गतिविधियों के सफल मानीटरिंग हेतु स्त्रोंत दलों का गठन नवीन शिक्षण विधियों तथा सहायक शैक्षिक सामग्रियों का विकास एवं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त करने हेतु प्रयास किये जाने का संकल्प लिया गया। शोधार्थिनी ने टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण की दिशा में शिक्षा विभाग तथा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा आठ वर्षो में किये गये प्रयासों को तालिकाओं के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रारंभ राजीव गांधी शिक्षा मिशन के रूप में किया गया। कार्यक्रम के परिपालन में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के निर्धारण में जिले में उन प्रमुख कारकों को आधार माना गया जो प्राथमिक शिक्षा में अवरोध के रूप में थे। अवरोधक के समानांतर विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक संस्थाएं खोली गई हैं, जिनमें शिक्षकों की नियुक्तियाँ व भवनों का निर्माण किया। ये शैक्षणिक संस्थायें निम्न हैं।

1. **वैकल्पिक विद्यालय**
2. **शिशु शिक्षा केन्द्र**
3. **नवीन प्राथमिक विद्यालय**
4. **शिक्षा गांरटी योजना (शाला)**

1. वैकल्पिक विद्यालय

वैकल्पिक शालाएं, औपचारिक प्राथमिक शालाओं के समकक्ष ऐसी शालाएं हैं जो आयु वर्ग समूह के उन बालक और बालिकाओं को शिक्षा के समुचित अवसर प्रदान करते हैं। जो किन्ही पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। या जो भर्ती होने के बाद एक दो साल में ही स्कूल छोड़ देते हैं। ये शालाएं मुख्यतः शहरों तथा उन बड़ें गांवो तक ही सीमित है जिनकी आबादी 300 से अधिक हैं तथा आदिवासी क्षेत्र जिनकी आबादी 250 हैं। वैकल्पिक शालाओं का उद्देश्य है ऐसे 6–11 आयु वर्ग समूह के बालक–बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना जो शाला त्यागी हैं। व अन्य विशेष कारणों से औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं। वैकल्पिक शालाओं की स्थापना प्राथमिक शिक्षा, के लोकव्यापीकरण कें शत–प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक उचित उपाय हैं टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के परिणाम स्वरूप वैकल्पिक शालाएं, वर्ष 1995–1996 से स्थापित की गई।

2. शिशु शिक्षा केन्द्र

देश की तुलना में मध्यप्रदेश का शैक्षिक स्तर अपेक्षाकृत कम हैं। विशेषतौर पर लड़कियों का शिक्षा स्तर लड़कों की अपेक्षा न्यून हैं। मध्यप्रदेश में बालिकाओं का साक्षरता प्रतिशत बहुत कम हैं इसके साथ ही साथ बालिकाओं के शाला त्यागने की दर उच्च हैं जिसमें सामाजिक, आर्थिक परिवेश, बाधा डालते हैं। शिशु शिक्षा केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य 6–11 आयु वर्ग की छात्राओं को विद्यालय जाने के लिये उन्हें घरेलू दायित्वों से मुक्त करना हैं। इन केन्द्रों में मुख्य रूप से 3–6 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों को प्रवेश दिया जाता हैं। जिससे उनके अन्दर स्वस्थ्य आदतों का निर्माण किया जायें। जिनके घरों में देखभाल बड़ी बालिकाओं को करनी पड़ती है। इस कारण वे बालिकाएं शाला में अध्ययन हेतु नही आ पाती। उन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना से शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ने का अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता हैं।

3. नवीन प्राथमिक विद्यालय

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत जिले के प्राथमिक विद्यालय विहीन आबाद ग्रमों में जहां महिला साक्षरता दर न्यून हैं। व आदिवासी क्षेत्र जिनकी आबादी 200 हैं वहां पर पठन्–पाठ्य सामग्री व फर्नीचर की सुविधा युक्ति नवीन प्राथमिक पाठशाला खोलने का प्रस्ताव किया गया। जिनमें शिक्षकों के रूप में शिक्षाकर्मी नियुक्त हुये, टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में सन् 1995–1996 से नवीन प्राथमिक शालाएं खोली गयी जिनकी संख्या वर्ष के अनुसार बढ़ी हैं।

4. शिक्षा गांरटी योजना (शाला)

शिक्षा गांरटी योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सुदूर आंचलों में शिक्षा के प्रसार–प्रचार से वंचित लोगों तक शिक्षा का लाभ पहुंचाना हैं। इसका शुभारंभ प्रदेश में वर्ष 1997 से हुआ। इस परियोजना से प्रदेश के ऐसे ग्रामीण क्षेत्र लाभान्वित होंगे। जहां एक किलोमीटर की परिधि में कोई शिक्षण सुविधा उपलब्ध नही हैं। 6–14 आयु वर्ग के कम से कम 40 बालकों वाले ग्ग्रमीण क्षेत्रों में जहां प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध नही हैं वहां एक हजार रूपये की धन राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान हैं। इसके अतिरिक्त गुरूजी की नियुक्ति हेतु प्रत्येक केन्द्रों में एक–एक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई हैं। सुदूर एवं आदिवासी क्षेत्रों में निवास करने वाले बालक–बालिकाओं जिनकी संख्या 20 से 40 तक हैं ऐसे क्षेत्रों में शिक्षा गारंटी योजना के अंतर्गत शाला की स्थापना करने का निर्णय लिया गया हैं। शाला भवन की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय समुदाय को सौंपा गया हैं। सम्पूर्ण मध्यप्रदेश इस योजना का कार्य क्षेत्र हैं जिसमें आदिवासी जिलों को प्राथमिकता दी गयी हैं।

टीकमगढ़ जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत सन् 1994–1995 से टीकमगढ़ जिले में प्रारम्भ किया गया इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में तेजी से प्रयास प्रारम्भ किये गये। इस योजना के अन्तर्गत सन् 2001 तक प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय भवनों की स्थिति में सुधार, विद्यालयों में पाठ्य सहायक सामग्रियों की उपलब्धता, अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित कराना सम्मिलित किया गया। डी.पी.ई.पी. लागू होने के पश्चात् स्कूल शिक्षा तथा मिशन के अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक,माध्यमिक संस्थाओं, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकों एवं इन विद्यालयों के छात्र संख्याओं में तेजी से वृद्धि परिलक्षित हुई। जो आगे दी हुयी तालिकाओं में देखी जा सकती हैं।

टीकमगढ़ जिलें की शैक्षणिक संस्थाएं
(प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थाएं वर्ष 1995–2002 तक)
तालिका क्रमांक 4.18

क्र.	वर्ष	शासकीय प्रा. शालाएं	अशासकीय प्रा. शालाएं	वैक.शा.+नवीन प्रा. शा.+ई.जी.एस.	माध्यमिक शालाएं
1.	1995–96	862	84	105	322
2.	1996–97	927	115	474	358
3.	1997–98	987	195	499	394
4.	1998–99	1050	107	543	423
5.	1999–00	1106	54	572	441
6.	2000–01	1153	52	596	455
7.	2001–02	1177	59	609	467

स्त्रोत – उपसंचालक शिक्षा एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन टीकमगढ़

टीकमगढ़ जिलें की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक संख्या वर्षवार (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ष 1995–2002 तक)

तालिका क्रमांक 4.19

क्र.	वर्ष	शासकीय प्रा. शाला शिक्षक	अशासकीय प्रा. शाला शिक्षक	वैक.शा.+नवीन प्रा. शा.+ई.जी.एस.	माध्यमिक शाला शिक्षक
1.	1995–96	1165	159	118	917
2.	1996–97	1962	197	676	980
3.	1997–98	2133	203	690	1045
4.	1998–99	2294	205	705	1091
5.	1999–00	2441	380	720	1146
6.	2000–01	2570	105	735	1206
7.	2001–02	2678	116	751	1219

स्त्रोत – उपसंचालक शिक्षा एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय टीकमगढ़

उपरोक्त दोनों तालिकाओं से ज्ञात होता हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पहले शासकीय, अशासकीय शालाओं की जो संख्या थी उसमें 1995–1996 से 2001–2002 तक काफी तेजी से वृद्धि हुयी हैं, जहां 1994–1995 में 811 प्राथमिक शालायें थी वो 2001–2002 में 1177 हो गयी थी, इसी तरह माध्यमिक शालाएं 1994–1995 में 311 थी वो 2001–2002 में 467 हो गयी थी इसी तरह शालाओं के बढ़ने के साथ–साथ शिक्षकों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि स्पष्ट देखी जा सकती हैं। जहां 1994–1995 में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 960 थी, वो 2001–2002 में 2678 हो गयी इसी तरह माध्यमिक शाला शिक्षक संख्या 1994–1995 में 863 थी, जो 2001–2002 में 1219 हो गयी। 1995–1996 में वैकल्पिक शाला शिक्षक संख्या 105 थी, जो 2001–2002 में बढ़कर 751 तक पहुंच गयी हैं।

टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, जी.ई.आर., शालात्यागी, आनामांकित तथा शाला से बाहर बालक–बालिकाओं की संख्या वर्षवार

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में काफी मदद मिली हैं। शालाओं में शिक्षकों की संख्या के साथ–साथ बालक–बालिकाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुयी हैं। जो नीचे दी हुयी तालिकाओं के द्वारा स्पष्ट होता हैं।

टीकमगढ़ जिले में सन् 1996–1997 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.20

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	72775	56293	129068
2.	जनसंख्या 11–14 आयु वर्ग	27242	18016	45258
3.	जनसंख्या 6–14 आयु वर्ग	100017	74309	175326
4.	नामाकंन प्राथमिक (1– 5)	67651	56115	123166
5.	नामांकन माध्यमिक (6– 8)	22724	7109	29833
6.	नामांकन प्रारम्भिक (1– 8)	90375	63224	152999
7.	जी.ई.आर. प्राथमिक	98%	97%	97%
8.	जी.ई.आर माध्यमिक	80%	38%	59%
9.	जी.ई.आर. प्रारम्भिक (1– 8)	89%	67.5%	78%
10.	शाला त्यागी (6–14 आयु वर्ग)	1546	1534	3080
11.	शाला त्यागी %	1%	2%	1.50%
12.	आनामांकित (6–14 आयु वर्ग)	9201	9384	18585
13.	आनामांकित %	6.9%	9.00%	7.6%
14.	शाला से बाहर (6–14आयु वर्ग)	8934	10917	19851
15.	शाला से बाहर %	8%	10%	9%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

टीकमगढ़ जिले में सन् 1997–1998 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.21

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	74407	59256	133663
2.	जनसंख्या 11–14 आयु वर्ग	28676	18964	47640
3.	जनसंख्या 6–14 आयु वर्ग	103083	78220	181303
4.	नामाकंन प्राथमिक (1– 5)	71212	59068	130280
5.	नामांकन माध्यमिक (6– 8)	23920	7884	31404
6.	नामांकन प्रारम्भिक (1– 8)	95232	66552	161684
7.	जी.ई.आर. प्राथमिक	99%	98%	98%
8.	जी.ई.आर माध्यमिक	82%	40%	61%
9.	जी.ई.आर. प्रारम्भिक (1– 8)	92%	70%	83%
10.	शाला त्यागी (6–14 आयु वर्ग)	1626	1614	3240
11.	शाला त्यागी %	1%	2%	1.50%
12.	आनामांकित (6–14 आयु वर्ग)	9685	9878	19563
13.	आनामांकित %	7%	9.2%	8.5%
14.	शाला से बाहर (6–14आयु वर्ग)	9405	11492	20897
15.	शाला से बाहर %	8.5%	10.2%	9.3%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 74407 तथा बालिकाएं 59256 दोनों का योग 133663 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 161684 हैं, तथा जी.ई.आर. 83 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (6–14) बालक–बालिकाओं का योग 3240 हैं जिनका शाला त्यागी प्रतिशत 1.5 हैं। एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 20897 हैं जिसका प्रतिशत 9.3 हैं,

टीकमगढ़ जिले में सन् 1998–1999 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.22

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	88009	74070	162079
2.	जनसंख्या 11–14 आयु वर्ग	35845	23706	59551
3.	जनसंख्या 6–14 आयु वर्ग	123854	97776	221630
4.	नामाकंन प्राथमिक (1– 5)	89015	73835	162850
5.	नामांकन माध्यमिक (6– 8)	29901	9855	39756
6.	नामांकन प्रारंम्भिक (1– 8)	118916	83690	202606
7.	जी.ई.आर. प्राथमिक	100%	98.7%	99.9%
8.	जी.ई.आर माध्यमिक	83%	41%	66%
9.	जी.ई.आर. प्रारंम्भिक (1– 8)	92%	70%	83%
10.	शाला त्यागी (6–14 आयु वर्ग)	1711	1699	3410
11.	शाला त्यागी %	1%	2%	1.50%
12.	आनामांकित (6–14 आयु वर्ग)	10195	10398	20593
13.	आनामांकित %	7.2%	10%	8%
14.	शाला से बाहर (6–14आयु वर्ग)	9847	12097	21944
15.	शाला से बाहर %	9%	10.8%	9.9%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 88009 तथा बालिकाएं 74070 दोनों का योग 162079 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 202606 हैं, तथा जी.ई.आर. 83 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (6–14) बालक–बालिकाओं का योग 3410 हैं जिनका शाला त्यागी प्रतिशत 1.50 हैं। एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 21944 हैं जिसका प्रतिशत 9.9 हैं,

टीकमगढ़ जिले में सन् 1999–2000 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.23

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	97788	82300	180088
2.	जनसंख्या 11–14 आयु वर्ग	39828.00	26340.00	66168
3.	जनसंख्या 6–14 आयु वर्ग	137616	108640	246256
4.	नामाकंन प्राथमिक (1– 5)	98906.00	82039.00	180945
5.	नामांकन माध्यमिक (6– 8)	33204.00	10950.00	44154
6.	नामांकन प्रारंम्भिक(1– 8)	132110	92989	225099
7.	जी.ई.आर. प्राथमिक	101.1%	99.7%	100.5%
8.	जी.ई.आर माध्यमिक	83.4%	41.6%	66.7%
9.	जी.ई.आर. प्रारंम्भिक (1– 8)	92.3%	70.6%	83.6%
10.	शाला त्यागी (6–14 आयु वर्ग)	1902	1888	3790
11.	शाला त्यागी %	1%	2%	1.50%
12.	आनामांकित (6–14 आयु वर्ग)	11328	11554	22882
13.	आनामांकित %	8%	11%	9.0%
14.	शाला से बाहर (6–14आयु वर्ग)	13230	13442	26672
15.	शाला से बाहर %	10%	12%	11%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 97788 तथा बालिकाएं 82300 दोनों का योग 180088 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 225099 है, तथा जी.ई.आर. 83.6 प्रतिशत है। शाला त्यागी (6–14) बालक–बालिकाओं का योग 3790 हैं जिनका शाला त्यागी प्रतिशत 1.50 हैं। एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 26672 हैं जिसका प्रतिशत 11 हैं।

टीकमगढ़ जिले में सन् 2000–2001 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.24

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	102481	86250	188731
2.	जनसंख्या 11–14 आयु वर्ग	41740	27605	69345
3.	जनसंख्या 6–14 आयु वर्ग	144221	113855	258076
4.	नामाकंन प्राथमिक (1– 5)	105895	87554	193449
5.	नामांकन माध्यमिक (6– 8)	38102	13900	52002
6.	नामांकन प्रारंम्भिक (1– 8)	143997	101454	245451
7.	जी.ई.आर. प्राथमिक	103.3%	101.5%	102.5%
8.	जी.ई.आर माध्यमिक	91.3%	50.4%	75.0%
9.	जी.ई.आर. प्रारंम्भिक (1– 8)	99.8%	89.1%	95.1%
10.	शाला त्यागी (6–14 आयु वर्ग)	1258	1594	2892
11.	शाला त्यागी %	0.9%	1.4%	1.1%
12.	आनामांकित (6–14 आयु वर्ग)	1875	1935	3810
13.	आनामांकित %	1.3%	1.7%	1.5%
14.	शाला से बाहर (6–14आयु वर्ग)	3173	3529	6702
15.	शाला से बाहर %	2.2%	3.1%	2.6%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 102481 तथा बालिकाएं 86250 दोनों का योग 188731 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 245451 हैं, तथा जी.ई.आर. 95.1 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (6–14) बालक–बालिकाओं का योग 2892 हैं जिनका शाला त्यागी प्रतिशत 1.1 हैं। एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 6702 हैं जिसका प्रतिशत 2.6 हैं।

टीकमगढ़ जिले में सन् 2001–2002 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.25

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	99696	83424	183120
2.	जनसंख्या 11–14 आयु वर्ग	41367	27239	68606
3.	जनसंख्या 6–14 आयु वर्ग	141063	110663	251726
4.	नामाकंन प्राथमिक (1– 5)	93656	77958	171614
5.	नामांकन माध्यमिक (6– 8)	37897	22642	60539
6.	नामांकन प्रारंम्भिक (1– 8)	131553	100600	232153
7.	जी.ई.आर. प्राथमिक	93.94%	93.45%	92.72%
8.	जी.ई.आर माध्यमिक	91.61%	83.12%	88.24%
9.	जी.ई.आर. प्रारंम्भिक (1– 8)	93.26%	90.91%	92.22%
10.	शाला त्यागी (6–14 आयु वर्ग)	2011	2719	4730
11.	शाला त्यागी %	1.0%	2.0%	1.5%
12.	आनामांकित (6–14 आयु वर्ग)	2328.00	3446.00	5774
13.	आनामांकित %	2.0%	3.0%	2.5%
14.	शाला से बाहर (6–14आयु वर्ग)	4341.00	6145.00	10486
15.	शाला से बाहर %	3.0%	6.0%	4.5%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 99696 तथा बालिकाएं 83424 दोनों का योग 183120 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 232153 हैं, तथा जी.ई.आर. 92.22प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (6–14) बालक–बालिकाओं का योग 4730 हैं जिनका शाला त्यागी प्रतिशत 1.5 हैं। एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 10486 हैं जिसका प्रतिशत 4.5 हैं, टीकमगढ़ जिले में जाति एवं लिंगानुसार सन् 2001–2002 में बालक–बालिकाओं, की जनसंख्या नामांकन, तथा जी.ई.आर. आगे दी हुई तालिकाओं में देखी जा सकती हैं।

टीकमगढ़ जिले में सन् 2001–2002 के एस.सी.,एस.टी., ओ.वी.सी. एवं सामान्य बालकों की जनसंख्या नामांकन तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.26

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	एस.सी.	एस.टी.	ओ.वी.सी.	सामान्य	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	28266	5379	58635	7216	99496
2.	नामांकन प्राथमिक (1–5)	26612	5056	55557	6431	93656
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	94%	94%	95%	89%	94%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	11711	1806	24115	3735	41367
5.	नामांकन (6–8)	11312	1283	22043	3259	37897
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	97%	71%	91%	87%	92%
7.	जनसंख्या (6–14) आयुवर्ग	39977	7185	82750	10951	140863
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	37924	6339	77600	9690	131553
9.	जी.ई.आर. प्रारंम्भिक (1– 8)	95%	88%	94%	88%	93%

टीकमगढ़ जिले में सन् 2001–2002 के एस.सी.,एस.टी., ओ.वी.सी. एवं सामान्य बालिकाओं की जनसंख्या नामांकन तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.27

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	एस.सी.	एस.टी.	ओ.वी.सी.	सामान्य	योग
1.	जनसंख्या 6–11 आयु वर्ग	25063	4527	47437	6397	83424
2.	नामांकन प्राथमिक (1–5)	22919	4185	45163	5691	77958
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	91%	92%	95%	89%	93%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	7530	909	15360	3440	27239
5.	नामांकन (6–8)	6673	507	12652	2810	22642
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	89%	56%	82%	82%	83%
7.	जनसंख्या (6–14) आयुवर्ग	32593	5436	62797	9837	110663
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	29592	4692	57815	8501	100600
9.	जी.ई.आर. प्रारंम्भिक (1– 8)	91%	86%	92%	86%	91%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

टीकमगढ़ जिले में सन् 2001–2002 के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में योग्यता–वार पुरूष एवं महिला शिक्षकों की जानकारी

तालिका क्रमांक 4.28

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	पुरूष	महिला	योग
1.	हाई स्कूल .	390	155	545
2.	हायर सेकेण्डरी	1282	486	1768
3.	स्नातक	904	281	1185
4.	स्नातकोत्तर	675	247	922
5.	डिप्लोमा	11	1	12
	योग	3262	1170	4432

तालिका क्रमांक 4.29

क्र.	व्यावसायिक योग्यता	पुरूष	महिला	योग
1.	डी.एड.	1244	343	1587
2.	बी.एड.	473	170	643
3.	एम.एड.	12	3	15
4.	कम्प्यूटर	25	9	34
	योग	1754	525	2279

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला टीकमगढ़ म.प्र.

उपरोक्त तालिकाओं को देखने से ज्ञात होता है। कि शैक्षणिक योग्यता में पुरूष महिलाओं की तुलना में अधिक हैं। महिलायें जहां 281 स्नातक हैं, वहीं पुरूष 904 हैं, स्नातकोत्तर पुरूष 675 हैं, वहीं महिलाये 247 हैं, इसी तरह व्यावसायिक योग्यता में 1244 डी.एड., 473 बी.एड., 12 एम.एड. 25 कम्प्यूटर हैं वही महिलायें 343 डी.एड, 170 बी.एड., 3 एम.एड., 9 कम्प्यूटर हैं। पुरूषों की तुलना में महिलायें योग्यता–वार कम शिक्षित हैं।

टीकमगढ़ जिलें में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994–1995 से वर्ष 2000–01 तक किये गये आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का विवरण

प्रस्तुत विवरण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1994–1995 से 2000–2001 तक किया गया आवर्ती एवं अनावर्ती अनुमानतः व्यय राशि का हैं।

तालिका क्रमांक 4.30

टीकमगढ़ जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1994–1995 से 2000–2001 तक किया गया आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय (लाख रूपये में)

क्र.	योजना का नाम	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
1.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	0.00	40.50	61.50	86.82
2.	वैकल्पिक शाला परियोजना	0.00	5.18	54.98	86.78
3.	शिशु शिक्षा केन्द्र	0.00	12.70	20.40	28.10
4.	नवीन भवन	0.00	225.00	225.00	171.00
5.	नवीन कक्षों की संख्या	0.00	44.50	52.80	64.00
6.	भवन के सुधार	0.00	0.00	25.50	0.00
7.	सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	विद्यालय नैमित्तिक	23.45	48.38	49.89	51.27
9.	प्रबंधन जिलापरियोजना अधि.	9.58	2.98	7.98	7.98
10.	जिला एम.आई.एस.	12.20	4.32	4.32	4.32
11.	गतिशीलन कम्पेन.	2.25	0.00	0.00	0.00
12.	प्रशिक्षण				
	डाइट	18.92	8.35	8.35	8.35
	बी.आर.सी.	17.69	12.08	12.56	12.32
	सी.आर.सी.	27.09	22.05	22.05	22.05
13.	कार्यशाला सेमीनार	0.45	0.00	0.00	0.00
14.	अन्य खर्च	1.00	1.00	1.00	1.00
	योग –	113.46	457.16	546.34	544.00

छतरपुर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा की स्थिति

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिसे राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन के अन्तर्गत सन् 1994–95 से छतरपुर जिले में प्रारम्भ किया गया इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में तेजी से प्रयास प्रारम्भ किये गये। इस योजना के अन्तर्गत सन् 2001 तक प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिक से अधिक संख्या में प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को खोलना, शिक्षकों की नियुक्ति, विद्यालय भवनों की स्थिति में सुधार, विद्यालयों में पाठ्य सहायक सामग्रियों की उपलब्धता, अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण को सुनिश्चित कराना सम्मिलित किया गया। डी.पी.ई.पी. लागू होने के पश्चात् स्कूल शिक्षा तथा मिशन के अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक,माध्यमिक संस्थाओं, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षकों एवं इन विद्यालयों के छात्र संख्याओं में तेजी से वृद्धि परिलक्षित हुई। जो आगे दी हुयी तालिकाओं में देखी जा सकती हैं।

छतरपुर जिलें की शैक्षणिक संस्थाएं

(प्राथमिक एवं माध्यमिक संस्थाएं वर्ष 1995–2002 तक)

तालिका क्रमांक 4.31

क्र.	वर्ष	शासकीय प्रा. शालाएं	अशासकीय प्रा. शालाएं	वैक.शा.+नवीन प्रा. शा.+ई.जी.एस.	माध्यमिक शालाएं
1.	1995–96	1260	94	115	332
2.	1996–97	1432	125	467	372
3.	1997–98	1557	185	540	401
4.	1998–99	1675	117	580	424
5.	1999–00	1782	66	611	452
6.	2000–01	1857	82	640	476
7.	2001–02	1895	79	643	486

स्त्रोत – उपसंचालक शिक्षा एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर

छतरपुर जिलें की शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक संख्या वर्षवार
(प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक वर्ष 1995–2002 तक)
तालिका क्रमांक 4.32

क्र.	वर्ष	शासकीय प्रा. शाला शिक्षक	अशासकीय प्रा. शाला शिक्षक	वैक.शा.+नवीन प्रा. शा.+ई.जी.एस.	माध्यमिक शाला शिक्षक
1.	1995–96	1865	190	122	1442
2.	1996–97	2294	182	546	1551
3.	1997–98	3412	202	581	1651
4.	1998–99	4016	213	625	1745
5.	1999–00	4319	245	658	1818
6.	2000–01	4595	211	686	1875
7.	2001–02	4837	215	758	1914

स्त्रोत – उपसंचालक शिक्षा एवं राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय छतरपुर

उपरोक्त दोनों तालिकाओं से ज्ञात होता हैं कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पहले शासकीय, अशासकीय शालाओं की जो संख्या थी उसमें 1995–1996 से 2001–2002 तक काफी तेजी से वृद्धि हुयी हैं, जहां 1994–1995 में 1096 प्राथमिक शालायें थी वो 2001–2002 में 1895 हो गयी थी, इसी तरह माध्यमिक शालाएं 1994–1995 में 314 थी वो 2001–2002 में 486 हो गयी थी इसी तरह शालाओं के बढ़ने के साथ–साथ शिक्षकों की संख्या में उत्तरोतर वृद्धि स्पष्ट देखी जा सकती हैं। जहां 1994–1995 में प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 1612 थी, वो 2001–2002 में 4837 हो गयी इसी तरह माध्यमिक शाला शिक्षक संख्या 1994–1995 में 902 थी, जो 2001–2002 में 1914 हो गयी। 1995–1996 में वैकल्पिक शाला शिक्षक संख्या 122 थी, जो 2001–2002 में बढ़कर 758 तक पहुंच गयी हैं।

छतरपुर जिले में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, जी.ई.आर., शालात्यागी, आनामांकित तथा शाला से बाहर बालक–बालिकाओं की संख्या वर्षवार

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में काफी मदद मिली हैं। शालाओं में शिक्षकों की संख्या के साथ–साथ बालक–बालिकाओं की संख्या में काफी वृद्धि हुयी हैं। जो नीचे दी हुयी तालिकाओं के द्वारा स्पष्ट होता हैं।

छतरपुर जिले में सन् 1996–1997 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.33

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या (5–11) आयुवर्ग	96771	83806	180577
2.	नामांकन कक्षा (1–5)	100561	96321	196882
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	100%	108%	104%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	39191	26708	65899
5.	नामांकन कक्षा (6–8)	26287	13674	39961
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	64%	48%	56%
7.	जनसंख्या (5–14) आयुवर्ग	135962	110514	246476
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	126848	109995	236843
9.	जी.ई.आर.	92.3%	93.4%	92.8%
10.	आनामांकित (5–14)	1721	1293	3014
11.	शालात्यागी (5–14)	1075	1048	2123
12.	शाला से बाहर	2796	2341	5137

स्त्रोत – जिला पुस्तिका लोक संम्पर्क अभियान पृष्ठ क्र. 4

छतरपुर जिले में सन् 1997–1998 में बालक–बालिकाओं की

जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.34

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या (5–11) आयुवर्ग	99764	86398	186162
2.	नामांकन कक्षा (1–5)	103670	99300	202970
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	100.8%	109.63%	105.2%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	40404	27535	67939
5.	नामांकन कक्षा (6–8)	27101	14097	41198
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	64.8%	48.2%	56.5%
7.	जनसंख्या (5–14) आयुवर्ग	140168	113933	254101
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	130771	1007097	244168
9.	जी.ई.आर.	93.3%	94.5%	93.9%
10.	आनामांकित (5–11)	684	403	1087
11.	आनामांकित (11–14)	1092	929	2021
12.	आनामांकित (5–14)	1776	1332	3108
13.	शालात्यागी (5–11)	899	695	1594
14.	शालात्यागी (11–14)	209	383	592
15.	शालात्यागी (5–14)	1108	1078	2186
16	शाला से बाहर	2884	2410	5294

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 99764 तथा बालिकाएं 86398 दोनों का योग 186162 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 244168 हैं, जी.ई.आर. प्राथमिक 105.2 प्रतिशत हैं। तथा माध्यमिक का जी.ई.आर. 56.5 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (5–14) बालक–बालिकाओं का योग 2186 हैं एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 5294 हैं

छतरपुर जिले में सन् 1998–1999 में बालक–बालिकाओं की

जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.35

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या (5–11) आयुवर्ग	102850	89071	191921
2.	नामांकन कक्षा 1–5	106877	102372	209249
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	101.2%	110.73%	108.2%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	41654	28387	70041
5.	नामांकन कक्षा (6–8)	27940	14534	42474
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	65.08%	49.20%	58.65%
7.	जनसंख्या (5–14) आयुवर्ग	144504	117458	261962
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	134817	116906	251723
9.	जी.ई.आर.	93.32%	94.53%	93.92%
10.	आनामांकित (5–11)	705	415	1120
11.	आनामांकित (11–14)	1126	958	2084
12.	आनामांकित (5–14)	1831	1363	3204
13.	शालात्यागी (5–11)	927	717	1644
14.	शालात्यागी (11–14)	216	395	611
15.	शालात्यागी (5–14)	1143	1112	2255
16	शाला से बाहर	2974	2475	5459

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 102850 तथा बालिकाएं 89071 दोनों का योग 191921 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 251723 हैं, जी.ई.आर. प्राथमिक 108.2 प्रतिशत हैं। तथा माध्यमिक का जी.ई.आर. 58.65 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (5–14) बालक–बालिकाओं का योग 2255 हैं एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 5459 हैं

छतरपुर जिले में सन् 1999–2000 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.36

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या (5–11) आयुवर्ग	107136	92783	199919
2.	नामांकन कक्षा (1–5)	111331	106638	217969
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	103.3%	112.93%	109.2%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	43390	29570	72960
5.	नामांकन कक्षा (6–8)	29107	15140	44247
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	66.08%	50.20%	59.65%
7.	जनसंख्या (5–14) आयुवर्ग	150526	122353	272879
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	140438	121778	262216
9.	जी.ई.आर.	94.32%	95.53%	94.92%
10.	आनामांकित (5–11)	734	433	1167
11.	आनामांकित (11–14)	1173	998	2171
12.	आनामांकित (5–14)	1907	1431	3338
13.	शालात्यागी (5–11)	966	747	1713
14.	शालात्यागी (11–14)	225	411	636
15.	शालात्यागी (5–14)	1191	1158	2349
16	शाला से बाहर	3098	2589	5687

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 107136 तथा बालिकाएं 92783 दोनों का योग 199919 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 262216 हैं, जी.ई.आर. प्राथमिक 109.2 प्रतिशत हैं। तथा माध्यमिक का जी.ई.आर. 59.65 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (5–14) बालक–बालिकाओं का योग2349 हैं एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल संख्या 5687 हैं

छतरपुर जिले में सन् 2000–2001 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.37

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या (5–11) आयुवर्ग	112775	97667	210442
2.	नामांकन कक्षा (1–5)	123570	112250	235820
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	109.57%	114.93%	112.06%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	45674	31127	76801
5.	नामांकन कक्षा (6–8)	30639	15937	46576
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	67.08%	51.20%	60.65%
7.	जनसंख्या (5–14) आयुवर्ग	158449	128794	287243
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	154209	128187	282396
9.	जी.ई.आर.	97.32%	99.53%	98.31%
10.	आनामांकित (5–11)	773	456	1229
11.	आनामांकित (11–14)	1235	1050	2285
12.	आनामांकित (5–14)	2008	1506	3514
13.	शालात्यागी (5–11)	1017	782	1799
14.	शालात्यागी (11–14)	237	433	670
15.	शालात्यागी (5–14)	1254	1215	2469
16	शाला से बाहर	3262	2721	5983

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 112775 तथा बालिकाएं 97667 दोनों का योग 210442 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 282396 हैं, जी.ई.आर. प्राथमिक 112.06 प्रतिशत हैं। तथा माध्यमिक का जी.ई.आर. 60.65 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (5–14) बालक–बालिकाओं का योग 2469 हैं एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 5983 हैं

छतरपुर जिले में सन् 2001–2002 में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या, नामांकन, तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.38

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	बालक	बालिका	योग
1.	जनसंख्या (5–11) आयुवर्ग	117426	102161	219887
2.	नामांकन कक्षा (1–5)	128805	116147	244942
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	109.41%	113.69%	111.40%
4.	जनसंख्या (11–14) आयुवर्ग	51846	36981	88827
5.	नामांकन कक्षा 6–8)	39794	23567	63361
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	78.75%	66.35%	73.59%
7.	जनसंख्या (5–14) आयुवर्ग	169572	139142	308714
8.	नामांकन प्रारंम्भिक (1–8)	168599	139714	308313
9.	जी.ई.आर.	99.43%	100.41%	99.87%
10.	आनामांकित (5–11)	693	649	1342
11.	आनामांकित (11–14)	108	146	254
12.	आनामांकित (5–14)	801	795	1596
13.	शालात्यागी (5–11)	499	525	1024
14.	शालात्यागी (11–14)	361	361	722
15.	शालात्यागी (5–14)	860	886	1746
16	शाला से बाहर	1661	1681	3342

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर म.प्र.

उपरोक्त तालिका में बालक 117426 तथा बालिकाएं 102161 दोनों का योग 219887 हैं। प्रारम्भिक शिक्षा (1–8) का नामांकन 308313 हैं, जी.ई.आर. प्राथमिक 111.40 प्रतिशत हैं। तथा माध्यमिक का जी.ई.आर. 73.59 प्रतिशत हैं। शाला त्यागी (5–14) बालक–बालिकाओं का योग 1746 हैं एवं शाला से बाहर (6–14) आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 3342 हैं

छतरपुर जिले में सन् 2001–2002 के एस.सी.,एस.टी., ओ.वी.सी. एवं सामान्य बालकों की जनसंख्या तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.39

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	एस.सी.	एस.टी.	ओ.वी.सी.	सामान्य	योग
1.	जनसंख्या (6–11) आयु वर्ग	33312	5779	63044	15591	117726
4.	जनसंख्या (11–14) आयु वर्ग	13813	2297	22707	8029	51846
7.	जनसंख्या (6–14) आयु वर्ग	47124	8976	90751	23620	169572
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	110%	115%	111%	102%	109%
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	75.85%	61.56%	75.59%	86.92%	76.79%

छतरपुर जिले में सन् 2001–2002 के एस.सी.,एस.टी., ओ.वी.सी. एवं सामान्य बालिकाओं की जनसंख्या तथा जी.ई.आर.

तालिका क्रमांक 4.39

क्र.	जनसंख्या / नामांकन / जी.ई.आर	एस.सी.	एस.टी.	ओ.वी.सी.	सामान्य	योग
1.	जनसंख्या (6–11) आयु वर्ग	28241	5191	55028	13701	102161
4.	जनसंख्या (11–14) आयु वर्ग	9183	10804	18876	7118	36981
7.	जनसंख्या (6–14) आयु वर्ग	37424	6995	73904	20819	139142
3.	जी.ई.आर. प्राथमिक	112%	113%	115%	111%	114%
6.	जी.ई.आर. माध्यमिक	61.36%	39.58%	60.05%	82.65%	63.73%

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन छतरपुर म.प्र.

जातिवार बालक–बालिकाओं के अध्ययन में 6–11 आयुवर्ग के बालक–बालिका (एस.सी., एस.टी. , ओ.वी.सी., सामान्य,) की जनसंख्या 219887 हैं। 11–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की जनसंख्या 88827 तथा 6–14 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की कुल जनसंख्या 308714 हैं। जो सन् 1993–1994 की प्राथमिक बालक–बालिकाओं की संख्या 37208 के मुकाबलें काफी अधिक हैं। राजीव गांधी मिशन के द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं में बालक–बालिकाओं की जनसंख्या में काफी वृद्धि हुयी।

छतरपुर जिले में सन् 2001–2002 के प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में योग्यता–वार पुरूष एवं महिला शिक्षकों की जानकारी

तालिका क्रमांक 4.40

क्र.	शैक्षणिक योग्यता	पुरूष	महिला	योग
1.	हाई स्कूल .	405	225	630
2.	हायर सेकेण्डरी	1328	504	1832
3.	स्नातक	1056	483	1539
4.	स्नातकोत्तर	945	349	1294
5.	डिप्लोमा	19	4	23
	योग	3753	1565	5318

तालिका क्रमांक 4.41

क्र.	व्यावसायिक योग्यता	पुरूष	महिला	योग
1.	डी.एड.	1325	403	1728
2.	बी.एड.	575	205	780
3.	एम.एड.	15	4	19
4.	कम्प्यूटर	35	11	46
	योग	1950	623	2573

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला छतरपुर म.प्र.

उपरोक्त तालिकाओं को देखने से ज्ञात होता है। कि शैक्षणिक योग्यता में पुरूष महिलाओं की तुलना में अधिक हैं। महिलायें जहां 483 स्नातक हैं, वहीं पुरूष 1056 हैं, स्नातकोत्तर पुरूष 945 हैं, वहीं महिलाये 349 हैं, इसी तरह व्यावसायिक योग्यता में पुरूष 1325 डी.एड., 575 बी.एड., 15 एम.एड. 35 कम्प्यूटर हैं वही महिलायें 403 डी.एड, 205 बी.एड., 4 एम.एड., 11 कम्प्यूटर हैं। पुरूषों की तुलना में महिलायें योग्यता–वार कम शिक्षित हैं।

छतरपुर जिलें में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1994–1995 से वर्ष 2000–2001 तक किये गये आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय का विवरण

प्रस्तुत विवरण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1994–1995 से 2000–2001 तक किया गया आवर्ती एवं अनावर्ती अनुमानतः व्यय राशि का हैं।

तालिका क्रमांक 4.42

छतरपुर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1994–1995 से 2000–2001 तक किया गया आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय (लाख रूपये में)

क्र.	योजना का नाम	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01
1.	नवीन प्राथमिक विद्यालय	6.80	43.56	81.12	162.29
2.	औप. शिक्षा केन्द्र	–	8.71	17.48	27.56
3.	औप. शिक्षा केन्द्र परि.	–	13.32	14.22	15.41
4.	नवीन भवन	–	198.00	224.10	117.00
5.	नवीन कक्षों की संख्या	–	107.53	94.98	120.02
6.	बहुआयामी प्रचार–प्रसार	2.00	2.20	2.40	2.60
7.	अन्य	–	0.88	0.96	1.04
8.	कार्यशाला / सेमीनार	0.08	00.05	0.01	0.10
9.	जीर्णोद्धार	–	10.45	18.00	22.75
10.	विद्यालयों का नैमित्तक व्यय	30.06	34.16	38.48	42.02
11.	ई.सी.सी.ई.	–	25.53	47.87	43.69
12.	प्रशिक्षण	70.00	39.60	43.20	46.30
13.	डाइट	17.90	6.49	4.38	4.75
14.	एम.आई.एस	11.51	6.17	6.73	7.29
15.	प्रबंधन	22.15	13.86	15.12	16.38
	योग –	160.50	510.47	609.05	703.45

स्त्रोत – राजीव गांधी शिक्षा मिशन जिला समन्वयक कार्यालय छतरपुर म.प्र.

शोध क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत अधिगम स्तर के सुधार की दिशा में किये गये प्रयास

(वर्ष 1994–1995 से 2000–2001 तक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस बात पर अधिक बल दिया गया हैं कि सीखने के न्यूनतम स्तर को शीघ्र तय कर उसे प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित रूप से प्रयास किये जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को लागू करने के लिये जो कार्यक्रम बनाये गये। उनमें से न्यूनतम अधिगम स्तर का कार्यक्रम प्रमुख हैं। सन् 1990 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर के निर्धारण के लिए 1990 के आरम्भ में एक समिति का गठन किया, जिसमें 1991 में अपनी रिपोर्ट शासन को दी। एस.सी.ई.आर.टी. ने शासन के द्वारा गठित समिति के सुझावों पर आधारित इस दिशा में एक कार्य योजना का निमार्ण किया।

अधिगम का संबंध मुख्यतः शिक्षार्थी के सीखने से हैं। जब बालक नये अनुभवों या नयी परिस्थितियों से गुजरता हैं तब उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तथा उसमें नया व्यवहार प्रकट होता हैं। वह वस्तुओं को नये ढंग से देखने, समझने लगता हैं, नए ढंग से कार्य करने लगता हैं। उसमें नवीन ज्ञान, बोध, रूचियों मनोवृत्तियों, कौशलों, आदतों भावनाओं तथा आदर्श का विकास होता हैं। बालक स्कूल में जो कुछ भी सीखता हैं वह दो प्रकार का हो सकता हैं संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक।

संज्ञात्मक अधिगम –: संज्ञात्मक अधिगम में उन बातों का सीखना शामिल हैं जिनका सम्बन्ध मानसिक क्रियाओं से है, जैसे – जानना, समझना, चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना इत्यादि। इसमें मानसिक कौशल भी शामिल हैं। जैसे – हिसाब लगाना, पढ़ना लिखना इत्यादि।

असंज्ञात्मक अधिगम –: असंज्ञात्मक अधिगम में उन बातों का विकास होता हैं। जिनका सम्बन्ध भावात्मक क्रियाओं और मांसपेशियों की क्रियाओं से हैं। भावात्मक क्रियाओं से सुन्दरता की सराहना, पसन्द नापसन्द करना, संत्य बोलना, द्वेष प्रेम की भावना, ईमानदारी से काम करना, दीन दुखियों के प्रति दया करना, समय की पाबन्दी में किये गये बचन को निभाना, क्रोध पर नियंत्रण करना इत्यादि आता हैं। मांसपेशी की क्रियाओं में लिखना, ठीक से चलना व बैठना, चित्र बनाना तथा कुछ यंत्रों को चलाना आता हैं।

न्यूनतम अधिगम स्तर वे अधिगम प्रतिफल हैं जिन्हें प्राप्त किया जाना आवश्यक माना जाता हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर समिति रिपोर्ट 1991 में अधिगम प्रतिफलों का उल्लेख दक्षताओं के रूप में ही किया

गया हैं। प्रत्येक कक्षा के अन्त में जो दक्षताएं प्राप्त होनी चाहिये, वे निर्धारित की गई। किसी शिक्षार्थी में इन दक्षताओं का पूरी तरह से विकास होने की स्थिति पर ही यह कहा जा सकेगा कि शिक्षार्थी ने न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर लिया हैं। दक्षताएं वे पूर्व निर्धारित अधिगम लक्ष्य हैं। जिनकी शिक्षार्थी के व्यवहार में अपेक्षा की जाती हैं।

किसी भी कक्षा के पाठ्यक्रम में दक्षताओं के विकास स्तर उस कक्षा में अध्ययनरत छात्रों की आयु तथा उनके पूर्व ज्ञान को आधार मानकर निर्धारित किया जाता हैं। यदि किसी कक्षा में अध्ययनरत छात्र इन दक्षताओं को कंम से कम 40 प्रतिशत प्राप्त कर लेते हैं। तो यह कहा जाता है कि इन छात्रों में न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध हो गया हैं। प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में सफलता तभी संभव है जब किसी कक्षा विशेष का अध्ययन पूरा कर लेने के पश्चात् छात्रों में उस कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित दक्षता का न्यूनतम अधिगम अवश्य रूप से प्राप्त हो जाय। लोकव्यापीकरण के लिये गठित जिला प्राथमिक शिक्षा योजनान्तर्गत इस दिशा में विभिन्न परीक्षणों को कर न्यूनतम अधिगम स्तर को विकसित करने की दिशा में प्रयास करने का संकल्प लिया गया। योजना के प्रारम्भ होने के पूर्व कक्षा 2 और कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के लिए भाषा तथा गणित विषय में दक्षताओं का स्तर पता लगाने हेतु बेस लाईन एसेसमेंट अध्ययन के अन्तर्गत अधिगम स्तरों का पता लगाया गया।

इस दिशा में शैक्षिक गतिविधियों से लगे हुये लोगों के द्वारा विचार विमर्श तथा मनन् के पश्चात् यह पाया गया कि अब वर्तमान की शिक्षण विधियों, परम्परागत प्रशिक्षणों में व्यापक सुधार की आवश्यकता हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर का विकसित करने हेतु दक्षता आधारित शिक्षण अधिगम क्रियान्वयन का दायित्व शिक्षक के ऊपर होता हैं। इसलिये यह स्वीकार किया गया कि शिक्षकों को कैसे विशेष प्रशिक्षण दिये जांये जिनसे ऐसी शिक्षण विंधियाँ विकसित की जा सके जो बाल केन्द्रित हों। इनके द्वारा किया गया शिक्षण छात्र–छात्राओं को आकर्षित कर सकें, मनोरंजक तथा स्वग्राही हो सके।

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में राजीव गांधी शिक्षा मिशन से वित्तीय सहायता प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को लागू कर इस दिशा में प्रयास किये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं –

1. **शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम** – छात्रों में दक्षताओं की वृद्धि तभी संभव हैं। जब शिक्षक इतना अधिक सक्षम हो कि वे शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अन्तर्निहित शक्तियों को बाहर निकाल सके। इस हेतु उन्हें प्रशिक्षित होना आवश्यक हैं। अतः डी.पी.ई.पी. कार्यक्रम में छात्रों के अधिगम स्तर को बढ़ाने के

लिये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अधिक बल दिया गया हैं। विभिन्न प्रकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैं –

अ. **एप्रोच बेस प्रशिक्षण** – (विधा आधारित प्रशिक्षण) इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों हेतु ऐसा प्रशिक्षण देना था, जिससे शिक्षण को बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित बनाया जा सके। यह प्रशिक्षण चार चरणों में दिया गया। इसमें पहला प्रशिक्षण दस दिवसीय तथा अन्य तीन सात दिवसीय रखे गये। इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को भाषा, गणित व पर्यावरण आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। इसमें विद्यालय विहीन परिस्थितियों में शिक्षण कार्य करने का भी प्रशिक्षण दिया गया हैं।

शिक्षण सामग्री के निर्माण हेतु कबाड़ से जुगाड़ करके परिवेशीय सामग्री का उपयोग करते हुए शिक्षण कार्य को सुगम व प्रभावी बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस हेतु किसी वित्तीय साधन की आवश्यकता नही पड़ती तथा विद्यार्थियों हेतु भाषा, गणित व पर्यावरण शिक्षण अत्यन्त रोचक हो जाता हैं। यह प्रशिक्षण सत्र 95–96 में शोधक्षेत्र में दोनों जिलो टीकमगढ़ तथा छतरपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में दिया गया।

ब. **दक्षता आधारित प्रशिक्षण** – सत्र 1996–1997 में कक्षा 1 और 2 के लिए दक्षता आधारित शिक्षक प्रशिक्षण दिया गया। दक्षता शिक्षण की विधि बच्चों के सामान्यतः किसी भी कार्य को सीखने के स्तर पर आधारित हैं। दक्षता आधारित प्रशिक्षण के जो प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किये गये वे निम्नानुसार हैं –

1. बच्चें विद्यालय आये, विद्यालयों में रूके एवं सीखें।
2. शिक्षण को बाल केन्द्रित बनाना।
3. क्रियाकलाप विधि द्वारा विषय वस्तु को रोचक आकर्षक व व्यावहारिक बनाना।
4. शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण कर बच्चों में अपेक्षित दक्षताओं का विकास करना।
5. बच्चें शाला त्यागी न होने पाये इसके लिये स्कूल रेडिनेस की आवश्यकता पर जोर देना हैं।
6. सर्व कुशलता, सर्व प्रवेशांक, सर्वधारिता, सर्व सम्प्राप्ति, स्थानीय सम्प्राप्ति लक्ष्य एवं वर्ग भेद सीमा जैसे लक्ष्यों को प्राप्त करना।

स. **सीखना–सिखाना पैकेज बेस प्रशिक्षण** – शोधक्षेत्र के दोनों जिलों में सत्र 1997–1998 में कक्षा 1 और 2, 1998–1999 में कक्षा 3 और 4 तथा सत्र 1999–2000 में कक्षा 5 की कक्षाओं में शिक्षण हेतु सीखना–सिखाना का प्रशिक्षण दिया गया तथा दिया जा रहा हैं। सीखना–सिखाना पैकेज के अन्तर्गत

कक्षा शिक्षण को रोचक बनाने आनन्दपूर्ण गतिविधि आधारित एवं बालकेन्द्रित बनाने के लिये समावेशित गतिविधियों के लिये पैकेज में सामग्रियां उपलब्ध करायी गयी। इनके उपयोग से निम्न उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता हैं –

1. बच्चे के संकोच व डर को दूर करना।
2. कही गयी बात को सुनकर समझना।
3. आस–पास की बस्तुओं का अवलोकन करना।
4. सभी गतिविधियों में भाग लेने में रूचि दिखाना।

उपरोक्त सभी अलग–अलग प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में पर्याप्त सुधार करना हैं। इन प्रशिक्षणों के द्वारा शिक्षकों को विद्यालय को आकर्षण व केन्द्र बनाने, बाल केन्द्रित शिक्षण देने, परम्परागत शिक्षण विधियों से हट कर छात्रों की रूचि पर शिक्षण विधियों जैसे खेल–खेल में शिक्षा, आओं करके सीखे, इत्यादि विधियों के उपयोग के बारे में जानकारी दी जाती हैं। प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान की विधाओं का उपयोग कर शिक्षक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के सभी मूल तत्वों जैसे विद्यालय में शत–प्रतिशत नामांकन ग्रह्त्यदर में वृद्धि, शालात्यागीदर में कमी तथा अधिगम स्तर में वृद्धि की दिशा में प्रयास कर पाने में सफल हुये हैं।

शोधक्षेत्र के दोनों जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् प्रतिवर्ष शालाओं में नामांकन की दर बढ़ी हैं। इसके साथ ही साथ ग्राह्य दर में वृद्धि शालात्यागी दर में कमी तथा अधिगम स्तर में वृद्धि संभव हो सकी हैं।

2. **सघन मानीटरिंग** – किसी कार्यक्रम की सफलता तभी संभव हैं जब उस कार्यक्रम के संचालन का समुचित पर्यवेक्षण हो। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शिक्षण तथा प्रशिक्षण गतिविधियों कें समुचित पर्यवेक्षण हेतु संकुल स्तर पर संकुल स्त्रोंत केन्द्र शैक्षिक समन्वयक, विकासखण्ड स्तर पर विकासखण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयक की नियुक्ति की गई हैं। जिला स्तर पर डाइट के प्राचार्य जिला शैक्षिक समन्वयक के रूप में मानीटरिंग करने के लिये प्रभारी बनाये गये हैं, इसके अतिरिक्त इसी स्तर पर जिले के उपसंचालक शिक्षा तथा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला परियोजना अधिकारी को मानीटरिंग प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया हैं। राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा राजींवगांधी शिक्षा मिशन के राज्य परियोजना अधिकारी को सघन मानीटरिंग हेतु अधिकृत किया गया हैं।

उपरोक्त सभी मानीटरिंग से संलग्न व्यक्ति प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये जा रहे समस्त कार्यों का सघन निरीक्षण कर रहे हैं। एप्रोच बेस प्रशिक्षण, दक्षता आधारित प्रशिक्षण तथा

सीखना–सिखाना पैकेज बेस प्रशिक्षण को विद्यालयों में कार्यरत प्रत्येक शिक्षकों को देने से लेकर अन्य सभी कठिनाईयों के निराकरण का दायित्व इन्ही समन्वयकों को दिया गया हैं। निश्चित ही इन सभी के सम्मिलित प्रयास से विशेष रूप से मिशन के अन्तर्गत संचालित शालाओं में लोकव्यापीकरण के लक्ष्य तथा उद्देश्यों की एक निश्चित सीमा तक प्राप्ति संभव हो सकी हैं।

3. **शिक्षण सामग्री का विकास** – प्रभावी शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण सामाग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक हैं। शिक्षण को रोचक आशावादी तथा आकर्षक उसी दिशा में बनाया जा सकता हैं जब शिक्षण अधिगम ग्राही हो अर्थात् विद्याथियों के अधिक से अधिक ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग हो तथा उसकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित की जा सकें। न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति के उद्देश्य से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षण सामग्रियों के विकास में अधिक प्रयास किये गये। इसके अन्तर्गत मिशन अन्तर्गत संचालित प्रत्येक शाला को प्रतिवर्ष 3 हजार रूपये तथा प्रति शाला संकुल को 14 हजार रूपये आवंटित किये गये। यह आवंटन टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों को योजनान्तर्गत प्राप्त हुआ हैं। इसके अतिरिक्त विकासखण्ड व डाइट को शिक्षण सामग्रियों के विकास हेतु प्रतिवर्ष उनके आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध कराया जा रहा हैं। उक्त धनराशि के अतिरिक्त शालाओं को सहायक सामग्रियों के अन्य संसाधनों के रूप में टी.वी., रेडियों, इत्यादि भी उपलब्ध कराये गये हैं। दोनों ही जिलों में इन सहायक संसाधनों से प्राथमिक शिक्षा की कक्षाओं में अधिगम स्तर की वृद्धि की दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

4. **मिडटर्म सर्वे** – अधिगम स्तर के वृद्धि हेतु किये गये प्रयासों के आंकलन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के तत्वाधान में डी.पी.ई.पी. जिलों में मिडटर्म सर्वे कराया गया। इस सर्वे में लोकव्यापीकरण के सभी लक्ष्यों जैसे–छात्र नामांकन और इनकी ग्राह्यता (विशेष रूप से) तथा अधिगम स्तर हेतु सर्वेक्षण कार्य किया गया। इस हेतु टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों के 50–50 विद्यालयों को शहरी/ग्रामीण तथा चुने हुये विकासखण्ड वार यादृच्छिक न्यादर्श के द्वारा चयनित किया गया और यहां प्राथमिक शिक्षा के उपरोक्त सभी लक्ष्यों की वस्तु स्थिति जानने हेतु सर्वेक्षण किये गये। मिडटर्म सर्वे की रिपोर्ट से दोनों जिलों में बेस लाइन सर्वे में प्राप्त अधिगम स्तर में विशेषकर कक्षा 2 में अध्ययनरत छात्रों के अधिगम स्तर में कुछ सुधार के संकेत मिले हैं। जबकि कक्षा 5 में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं का अधिगम स्तर पर कोई विशेष सुधार के संकेत नही मिलें। शोधार्थिनी ने अपने शोधकार्य में शोध हेतु टीकमगढ़ तथा छतरपुर के 50–50 चयनित विद्यालयों में कक्षा 5 में अध्ययनरत 250 छात्र प्रति जिले के अनुसार परीक्षण पत्रक शोध उपकरण की सहायता से अधिगम स्तर के मूल्यांकन का प्रयास किया हैं। जिसका विस्तृत विवरण प्राथमिक शिक्षा के दिशा में दोनों जिलों में प्रयास के कारण प्रभाव के अध्ययन में किया गया हैं।

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में वर्ष 2001–2002 में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का तुलनात्मक विवरण

शोधार्थिनी ने अपने शोधकार्य में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये प्रयास तथा प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना लोकव्यापीकरण की दिशा में वर्ष 1994–1995 से वर्ष 2000–2001 तक अर्थात् जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लागू होने के आठ वर्षो में किये गये समस्त प्रयासों का अध्ययन किया हैं। इन प्रयासों की जिलेवार चर्चा करने के उपरान्त शोधार्थिनी यह आवश्यक समझती हैं। कि शोध अध्ययन के अन्तिम सत्र अर्थात् सत्र 2001–2002 में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलें में प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में किये गये प्रयासों की एक तुलनात्मक चर्चा करे। नीचे दी गई तालिका में प्रयासों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट की गयी हैं।

तालिका क्रमांक 4.43

सन् 2001–2002 में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की प्राथमिक शिक्षा की तुलनात्मक स्थिति

क्रमांक	शीर्षक	जिला टीकमगढ	जिला छतरपुर
1.	जनसंख्या (2001)	1202998	1474633
2.	2001–02 में 6 से 11 आयु–वर्ग के बालक–बालिकाओं की संभावित संख्या	183120	219887
3.	प्राथमिक विद्यालयों की संख्या		
1.	प्राथमिक स्तर तक के वि.	1177	1885
2	ऐसे मा.वि. जिनमें प्राथमिक स्तर का शिक्षण होता हैं।	465	486

क्रमांक	शीर्षक	जिला टीकमगढ	जिला छतरपुर
4.	प्राथमिक कक्षाओं (1–5) में नामांकित छात्र संख्या (बालक बालिकाओं की अलग–अलग)	बालक बालिका योग 93656 77958 171416	बालक बालिका योग 117426 102116 219887
5.	शिक्षक संख्या	प्राथमिक पूर्व मा. (प्रा.वि.) 3464+2164=5728	प्रा. पूर्व मा.प्रा.शाला 4837+1914=6751
6.	विद्यालय भवनों की स्थिति	पूर्णतः पक्के – 502 आंशिक रूप से पक्के – 201 झोपड़े – 0 खुले आकाश में – 69	पूर्णतः पक्के – 602 आंशिक रूप से पक्के – 309 झोपड़े – 0 खुले आकाश में – 89
7.	औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की संख्या	539	543
8.	औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में छात्र संख्या	3315	3502
9.	अनुदेशकों की संख्या	547	551
10.	राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाऐं		
1.	वैकल्पिक शालाएं	शाला संख्या 105 छात्र संख्या 2625 शिक्षक संख्या 105	शाला संख्या 120 छात्र संख्या 3000 शिक्षक संख्या 120
2.	नवीन प्राथमिक शालाएं	शाला संख्या 124 छात्र संख्या 1488+2232 = 3720	शाला संख्या 178 छात्र संख्या 2136+3204 = 5340

क्रमांक	शीर्षक	जिला टीकमगढ़	जिला छतरपुर
3.	शिक्षा गारंटी योजनान्तर्गत संचालित संस्थाएं	शाला संख्या 609 छात्र संख्या 33240 शिक्षक संख्या 751	शाला संख्या 643 छात्र संख्या 35200 शिक्षक संख्या 772
4.	शिशु शिक्षा केन्द्र	केन्द्रों की संख्या 88 छात्र संख्या 2180 शिक्षक संख्या 117	केन्द्रों की संख्या 115 छात्र संख्या 2731 शिक्षक संख्या 165
5.	राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा निर्माण कराएं गये भवन (1998–1999)	132	152
6.	मिशन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की दिशा में किया गया व्यय अनुमानतः राशि (1994–2001)	2160.90 लाख रू.	2383.45 लाख रू.
11.	प्राथमिक शिक्षा के बालक–बालिकाओं की – 1. ग्राह्यता दर प्रतिशत 2. शाला त्यागी प्रतिशत	 54.66 प्रतिशत 45.36 प्रतिशत	 71.14 प्रतिशत 28.86 प्रतिशत
12.	मिडटर्म सर्वे के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर न प्राप्त कर पाने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत	भाषा (शब्द ज्ञान) कुल 44.5प्रतिशत गणित 89 प्रतिशत	 कुल 43.25प्रतिशत 90.5 प्रतिशत
13.	प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन कर रहे शिक्षकों को सत्र–2001–2002 में दिये गये प्रशिक्षण	प्राथमिक शा.शि.1601 माध्यमिक शा.शि. 114 गुरूजी 95	प्राथमिक वि.शि. 1985 माध्यमिक शा.शि.142 गुरूजी 125

क्र.	शीर्षक	जिला टीकमगढ़		जिला छतरपुर	
14.	प्रोत्साहन योजनाएं	हैं	नही हैं	हैं	नही हैं
	1. मध्यान्ह भोजन	50	**Nil**	50	**Nil**
	2. शाला गणवेश	01	49	02	48
	3. निःशुल्क पाठ्यपुस्तके	04	46	03	47
	4. छात्रवृत्ति (शासकीय नियमानुसार)	50	**Nil**	50	**Nil**
	5. क्रीड़ा सामग्री इत्यादि के प्रदाय की स्थिति	03	47	03	47
	6. अन्य कोई योजना	–	–	–	–

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि तुलनात्मक विवरण के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों ही जिलों चूकिं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा किया जा रहा हैं। अतः यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि दोनों ही जिलों में लगभग एक जैसे प्रयास किये जा रहे हैं छतरपुर जिला, टीकमगढ़ जिले की तुलना में अधिक आबादी वाला जिला हैं। इसलिए इस जिले में जनसंख्या का घनत्व टीकमगढ़ जिले की तुलना में अधिक हैं। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुये छात्र–छात्राओं के लिये अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का संचालन जैसे मध्यान्ह भोजन, शाला गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, छात्रवृत्ति, क्रीड़ा सामग्री का प्रदाय इत्यादि का श्रीगणेश किया गया।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता हैं कि शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा में शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में शोध अध्ययन के अन्तिम सत्र 2000–2001 तथा लगभग प्रत्येक सत्र में प्रयास जारी थे। किसी कार्य की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है। जब उस कार्य के परिणाम आशानुकूल प्राप्त हों। अतः यह आवश्यक हो जाता हैं कि शोधार्थिनी शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये प्रयासों की परिणति अर्थात् प्रभावों को भी जानने का प्रयास करें। इसी उद्देश्य से शोधार्थिनी ने शोधक्षेत्र में ही प्रयासों के कारण जो प्रभाव प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में पड़े हैं। उन्हें भी अध्ययन करने का निश्चय किया हैं आगामी अध्याय में शोधार्थिनी प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में किये गये प्रयासों के प्रभावों की तुलनात्मक चर्चा करेगीं।

अध्याय - पंचम

शोध क्षेत्र के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में गहन अध्ययनों से प्राप्त तथ्यों का सारणीयन एवं विश्लेषण

शोधक्षेत्र के विस्तृत होने की दशा में शोध अध्ययन को अधिक सुविधा जनक बनाने की दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि इस विस्तृत क्षेत्र में से कुछ क्षेत्रों को विशिष्ट अध्ययन हेतु शोधार्थिनी चुन ले। शोधार्थिनी ने अपने शोध विषय "टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में प्रयासों व प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन" विषय के अन्तर्गत टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के 50–50 प्राथमिक विद्यालयों का चयन विस्तृत शोध सर्वेक्षण हेतु किया, जिससे प्राथमिक शिक्षा की इन क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके। शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ जिले में 06 विकासखण्ड तथा छतरपुर जिले में 08 विकासखण्ड हैं। विद्यालयों के चयन को करते समय शोधार्थिनी ने यह प्रयास किया कि दोनों ही जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड से कुछ न कुछ विद्यालयों का चयन अनिवार्य रूप से हो। टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे व्यक्तियों की संख्या 85 से लेकर 90 प्रतिशत तक है। शोधार्थिनी को अपने शोधकार्य में मुख्य रूप से ग्रामीण अंचल की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के आंकलन में विशेष जोर देना था इसलिए शोध अध्ययन हेतु दोनों ही जिलों में 2–2 शहरी क्षेत्र में स्थित तथा 48–48 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया है।

प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति के अध्ययन हेतु शोधार्थिनी ने कुछ शोध उपकरणों की सहायता ली। जिसके द्वारा एकत्रित जानकारी का सारणीयन कर विश्लेषण कर व्याख्या द्वारा वस्तु–स्थिति की जानकारी प्राप्त की गयी है न्यादर्श के शोध अध्ययन के आधार पर दोनों जिलों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का एक वास्तविक स्वरूप स्पष्ट होता है। इस शोघ अध्ययन हेतु शोधार्थिनी ने जिन शोध उपकरणों का उपयोग किया वे निम्न है –

1. **शाला अभिलेख पत्रक –**
2. **प्रधानाध्यापक अनुसूची –**
3. **शिक्षक अनुसूची –**
4. **छात्र अनुसूची –**
5. **शालात्यागी छात्र अनुसूची –**
6. **अभिभावक अनुसूची –**

7. **अधिकारी अनुसूची –**

8. **छात्र परीक्षण पत्रक –**

शोधार्थिनी ने शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये कार्य, स्थिति, तथा प्रभावों का आंकलन तुलनात्मक दृष्टिकोण से करना चाहती हैं। अतः शोधार्थिनी यह उपयुक्त समझती हैं। कि शोधक्षेत्र के चयनित प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के आंकलन हेतु प्रयोग में लाये गये उपरोक्त वर्णित सभी शोध उपकारणों से क्रमवद्ध प्राप्त तथ्यों का तुलनात्मक सारणीयन किया जाये, तथा प्रत्येक सारणी को विश्लेषण तथा व्याख्या भी तुलनात्मक कर दोनों जिलों के चयनित विद्यालयों के प्राथमिक शिक्षा की स्थिति स्पष्ट की जाये।

1. **शाला अभिलेख अनुसूची** – किसी भी शाला से संबंधित समस्त तथ्यात्मक जानकारी शाला अभिलेख के द्वारा सुगमता से प्राप्त की जा सकती है। इसी बात को आधार मानते हुए शोधार्थिनी ने प्रथम शोध उपकरण के रूप में शाला अभिलेख अनुसूची का सर्वेक्षण हेतु प्रयोग किया। इसके द्वारा 36 शीर्षकों के अन्तर्गत शाला से सम्बन्धित सामान्य जानकारियाँ प्राप्त की गयी, टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के न्यादर्श के रूप में चयनित 50–50 शालाओं में प्रत्येक शाला के लिये एक शाला अभिलेख अनुसूची का उपयोग कर वांछित जानकारी के आधार पर महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर आधारित शीर्षक वार 17 तालिकाओं के द्वारा टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के चयनित प्राथमिक विद्यालयों की वस्तु–स्थिति की तुलनात्मक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी। प्रत्येक तालिका के पश्चात विश्लेषण व व्याख्या द्वारा तालिकाओं में वर्गीकृत आंकड़ों से दोनों जिलों की बिन्दुवार शीर्षक के अन्तर्गत तुलनात्मक स्थिति को भी स्पष्ट किया गया।

तालिक क्रमांक 5.1

विद्यालय की क्षेत्रीय स्थिति एवं उनका संचालन

		टीकमगढ़			छतरपुर		
		क्षेत्र			क्षेत्र		
क्र.	विवरण/संचालन	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	जिला परिषद/पंचायत	–	–	–	–	–	–
2.	राज्य शासन	48	2	50	48	2	50
3.	स्थानीय निकाय	–	–	–	–	–	–
4.	सहायता प्राप्त निजी सं.	–	–	–	–	–	–
5.	सहायता प्राप्त किन्तु अनुदान न देने वाली संस्थाएं	–	–	–	–	–	–

प्रस्तुत तालिका में टीकमगढ़ व छतरपुर दोनो ही जिले के चुने गये 50–50 विद्यालयों में सभी राज्य शासन के द्वारा संचालित हैं जिसमें 48 विद्यालय ग्रामीण एवं 2 विद्यालय शहरी क्षेत्र में स्थित हैं।

तालिका क्रमांक – 5.2

शालाओं में पूर्व प्राथमिक खण्ड एवं उनके प्रकार

		टीकमगढ़				छतरपुर			
क्र.	पूर्व प्राथमिक खण्ड	आंगनवाड़ी	बालवाड़ी	नर्सरी	योग	आंगनवाड़ी	बालवाड़ी	नर्सरी	योग
1.	है	03	02	–	05	05	–	15	20
2.	नही हैं	–	–	–	45	–	–	–	30

टीकमगढ़ जिले के चुने हुये 50 विद्यालयों में से 5 विद्यालयों में प्राथमिक खण्ड हैं जिनमें 3 आंगनवाड़ी एवं 2 बालबाड़ी हैं, जबकि छतरपुर जिले में चुने गये 50 विद्यालयों में 20 में प्राथमिक खण्ड हैं जिनमें 5 में आंगनबाड़ी एवं 15 में नर्सरी कक्षायें चल रही हैं। जैसा कि सारणी क्रमांक 5.2 में वर्णित है।

तालिका क्रमांक – 5.3

शालाओं की स्थिति

		टीकमगढ़	छतरपुर
क्र.	विवरण	संख्या	संख्या
1.	बस्ती के अन्दर	25	23
2.	बस्ती के बाहर	25	27
	योग	50	50

टीकमगढ़ जिले के चुने गये विद्यालयों में 25 बस्ती के अन्दर एवं 25 बस्ती के बाहर स्थिर्ति है। इसी प्रकार छतरपुर जिले के चुने गये 50 विद्यालयों में 23 बस्ती के अन्दर एवं 27 बस्ती के बाहर स्थित हैं।

तालिका क्रमांक – 5.4

शालाओं की जिला मुख्यालय से दूरी

क्र.	विवरण	टीकमगढ़ दूरी	छतरपुर दूरी
1.	0 से 10 किलोमीटर	7	2
2.	11 से 20 किलोमीटर	3	4
3.	21 से 30 किलोमीटर	12	10
4.	31 से 40 किलोमीटर	01	4
5.	41 से 50 किलोमीटर	07	07
6.	50 किलोमीटर से अधिक की दूरी	20	23
	योग	50	50

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के चुने हुये 50–50 विद्यालयों की जिला मुख्यालय से दूरी को प्रदर्शित किया गया है। 0 से 10 किलोमीटर के बीच टीकमगढ़ जिले के 7 एवं छतरपुर के 2 विद्यालय लिये गये हैं। इसी प्रकार 50 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले टीकमगढ़ के 20 एवं छतरपुर जिले के 23 विद्यालय शोध अध्ययन हेतु लिये गये हैं।

तालिका क्रमांक – 5.5

योग्यतानुसार शिक्षकों का वर्गीकरण

			शैक्षणिक योग्यतानुसार						व्यवसायिक योग्यतानुसार					
क्र.	विवरण		टीकमगढ़			छतरपुर			टीकमगढ़			छतरपुर		
	टीकमगढ़	छतरपुर	हा.से.	स्नातक	स्नातको.	हा.से.	स्नातक	स्नातको,	डि. एड	बी.एड.	एमएड	डि. एड.	बीएड	एमएड
1.पु.	142	136	60	45	37	72	40	24	103	21	1	110	18	–
2.म.	33	30	28	3	2	22	5	3	20	2	–	21	1	4
	175	166	88	48	37	94	45	27	123	23	1	131	19	4

तालिका क्रमांक 5.5 से स्पष्ट है कि टीकमगढ़ जिले के शोध हेतु चयनित 50 विद्यालयों में 142

शिक्षक एवं शिक्षिकाएं है। तालिका में शैक्षणिक योग्यता एवं व्यवसायिक योग्यता वाले शिक्षक एवं शिक्षकाओं की संख्या प्रदर्शित की गयी है। टीकमगढ़ जिले में 136 शिक्षकों में से 60 हायर सेकेण्ड्री 45 स्नातक एवं 37 स्नातकोत्तर है। तथा 33 शिक्षिकाओं में से 28 हायर सेकण्ड्री 3 स्नातक एवं 2 स्नातकोत्तर हे। इसी प्रकार यदि उनके व्यवसायिक योग्यता को देखा जाये तो 103 शिक्षक एवं शिक्षिकाएँ डिप्लोमाधारी हैं 21 शिक्षक एवं 2 शिक्षिकाएँ बी.एड. प्रशिक्षित हैं। एम.एड. केवल एक शिक्षक, छतरपुर जिले में यदि देखा जाये तो 136 शिक्षकों में 72 हायर सेकेण्ड्री एवं 40 स्नातक तथा 24 स्नातकोत्तर हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले में 30 महिला शिक्षकों में से 22 हायर सेकेण्ड्री 5 स्नातक हैं व्यावसायिक योग्यतानुसार यदि देखा जाये तो छतरपुर जिले में 136 शिक्षको में 110 डिप्लोमाधारक, 18 बी.एड. हैं

तालिका क्रमांक – 5.6

शिक्षक छात्र अनुपात

क्रमांक	अनुपात	विद्यालयों की संख्या			
		टीकमगढ़		छतरपुर	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	1:20	0	00	03	06
2.	1:30	02	4	10	20
3.	1:40	7	14	10	20
4.	1:50	15	30	11	22
5.	1:60	12	24	06	12
6.	1:70	14	28	01	02
7.	1:80	0	00	9	18
	योग	50		50	

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिलों की शिक्षक, छात्र अनुपात वाले विद्यालयों की संख्या को दर्शाया गया है। टीकमगढ़ जिले में 1 शिक्षक के पीछे 20 छात्रों वाले एक भी विद्यालय नही हैं जबकि छतरपुर जिले में **6%** हैं। इसी तरह जिले में उन विद्यालयों की संख्या जहाँ पर शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 है, लगभग **4%** हैं। जबकि छतरपुर जिले में 1:40 अनुपात वाले विद्यालयों की संख्या **20%** हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि 1:80 एवं अधिक शिक्षक छात्र अनुपात वाले टीकमगढ़ में कोई विद्यालय नही हैं

जबकि छतरपुर जिले में ऐसे 18% विद्यालय हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि छतरपुर जिले में टीकमगढ़ जिले की तुलना में शिक्षक छात्र अनुपात की स्थिति अच्छी नही हैं।

तालिका क्रमांक – 5.7

छात्रों की संख्या

क्र.	विवरण	टीकमगढ़			छतरपुर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	सामान्य	815	685	1500	830	645	1475
2.	अनुसूचित जाति	225	146	371	151	123	274
3.	अनु.जनजाति	162	107	269	203	150	353
4.	पिछड़ावर्ग	354	296	650	304	230	534
	योग	1556	1234	2790	1488	1149	2636

टीकमगढ़ जिले के जिन 50 स्कूलों को न्यादर्श के रूप में चयनित किया गया हैं उनमें से कुल 2790 छात्र छात्राएं हैं। जिनमें सामान्य वर्ग के 1500, अनुसूचित जाति 371, अनुसूचित जनजाति के 269 एवं पिछड़ा वर्ग के 650 छात्र–छात्राएं हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले के 50 विद्यालयों में कुल 2636 छात्र–छात्राएं हैं, जिनमें 1475 सामान्य वर्ग के 277 अनुसूचित जाति एंव 537 अनुसूचित जनजाति के हैं। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं। कि टीकमगढ़ में छात्र घनत्व छतरपुर जिले की अपेक्षा अधिक हैं।

तालिका क्रमांक – 5.8

छात्र संख्या के आधार पर विद्यालयों की संख्या

		विद्यालय की संख्या					
		टीकमगढ़			छतरपुर		
क्र.	विवरण	ग्रामीण	शहरी	योग	ग्रामीण	शहरी	योग
1.	1 से 25 छात्र	–	–	–	–	–	–
2.	26 से 50	03	–	03	2	–	2
3.	51 से 75	01	–	01	–	–	–
4.	76 से 75	04	–	04	3	–	3
5.	101 से 150	11	–	11	13	–	13
6.	151 से 200	09	–	09	7	–	7
7.	201 से 250	03	01	04	12	–	12
8.	251 से 300	07	01	08	9	2	11
9.	301 से 350	10	–	18	2	–	2
10.	351 से 400	–	–	–	–	–	–
योग –		48	02	50	48	3	50

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में छात्रों के हिसाब से विद्यालयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में 25 छात्र वाले एक भी विद्यालय नही हैं। टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों जिलों में अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जहॉं पर छात्र 76 से ऊपर हैं। और 350 तक हैं। उक्त तालिका में न्यादर्श हेतु चयनित विद्यालयों की वे भी अलग–अलग संख्याए दर्शायी गयी है, जिनमें छात्रों की संख्या 25 से अधिक तथा 350 से कम हैं।

तालिका क्रमांक – 5.9

कालखण्डों के आधार पर विद्यालयों की संख्या

		टीकमगढ़						छतरपुर				
क्र.	विवरण	कालखण्डों की संख्या					योग	कालखण्डों की संख्या				योग
1.		4	5	6	7	8		4	5	6	7	8
1.	विद्यालयों की संख्या	02	05	24	11	8	50	11	08	21	10	– 50

उपरोक्त तालिका में कालखण्डों के आधार पर विद्यालयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया हैं। जहॉ टीकमगढ़ जिलों में 4 कालखण्डों में चलने वाले विद्यालयों की संख्या 2 हैं अर्थात 4% है, वही छतरपुर जिले में एक भी ऐसे विद्यालय नही हैं जों मात्र 4 कालखण्ड़ों में चल रहे हों। टीकमगढ़ जिलें में अधिकांश विद्यालय 6–7 कालखण्डों में चल रहे हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले में भी अधिकांश विद्यालय 6–7 कालखण्डों में चल रहे हैं। इस प्रकार उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं। कि टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में करीब–करीब एक ही जैसे कालखण्डों में चलने वाले विद्यालय हैं।

तालिका क्रमांक – 5.10

समय–सारणी की स्थिति एवं शिक्षा कार्य

क्र.	विवरण	टीकमगढ़			छतरपुर		
		हाँ	नही	योग	हाँ	नही	योग
1.	समय सारणी की स्थिति	30	20	50	41	9	50
2.	समय सारणी के अनुसार शिक्षा कार्य होता हैं।	21	9	30	41	0	41

जहॉ तक समय–सारणी एवं क्रियान्वयन की स्थिति है इस मामले में छतरपुर जिला टीकमगढ़ से बेहतर स्थिति में है। छतरपुर जिले में 82% विद्यालयों में समय सारणी बनी हैं, एवं इनमें सभी में समय–सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाता है। जबकि टीकमगढ़ जिले में मात्र 60% विद्यालय ऐसे है। जहां पर समय सारणी बनी है परन्तु टीकमगढ़ के स्कूलों में जहॉ समय–सारणी बनी है वहॉ पर भी

समय–सारणी के अनुसार सभी स्कूलों में शिक्षण कार्य नही हो रहा हैं।

तालिका क्रमांक – 5.11
विद्यालयों में सहायक सामग्री की उपलब्धता

क्र.	सारणी	टीकमगढ़			छतरपुर		
		हाँ	नही	योग	हाँ	नही	योग
1.	श्यामपट	32	18	50	37	13	50
2.	चार्ट	27	23	50	20	30	50
3.	नक्शा	26	24	50	38	12	50
4.	ग्लोब	07	43	50	5	45	50
5.	विज्ञान किट	00	50	50	00	50	50
6.	लघु औजार किट	0	50	50	00	50	50
7.	खेल सामग्री	01	49	50	05	45	50
8.	पुस्तकालय	01	49	50	05	45	50
9.	संगीत यत्रं	00	50	50	0	50	50
10.	शाला सूचना पट	10	40	50	10	40	50
11.	गणित किट	01	49	50	10	40	50
12.	टाट–पट्टी व कुर्सी	20	30	50	23	27	50
13.	शिक्षकों के लिये कुर्सी टेबिल	41	09	50	41	09	50
14.	चाक डस्टर	41	09	50	39	11	50
15.	पेयजल	42	08	50	48	02	50

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं कि टीकमगढ़ जिले के न्यादर्श हेतु चयनित 50 विद्यालयों में से किसी भी विद्यालय में विज्ञान किट, लघु औजार किट, संगीत यंत्र उपलब्ध नही हैं ठीक ऐसी ही स्थिति छतरपुर जिले की भी हैं। खेल सामग्री , पुस्तकालय सुविधा, गणित किट इत्यादि की भी स्थिति दोनों जिलों

में दयनीय हैं। टीकमगढ़ 18 तथा छतरपुर के 13 प्राथमिक विद्यालयों में श्यामपट नही है। टीकमगढ़ के 30 तथा छतरपुर के 28 विद्यालयों के छात्र टाट–पट्टी के अभाव में जमीन मे बैठते है, चार्ट, नक्शा, ग्लोब इत्यादि भी बहुत कम विद्यालयों में उपलब्ध हैं। टीकमगढ़ के 09 प्राथमिक विद्यालय ऐसे थे जिनमें शिक्षकों को बैठने के लिए कुर्सी तक नही थी छतरपुर में भी ठीक इसी प्रकार की स्थिति थी। संक्षेप में यह कहा जा सकता हैं। कि टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों के चयनित विद्यालयों में सहायक शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता का स्तर सन्तोष जनक नही हैं।

तालिका क्रमांक 5.12

शाला भवन की स्थिति

		स्थिति							
		टीकमगढ़				छतरपुर			
क्र.	भवन के प्रकार	उपयुक्त	कामचलाऊ	अनुपयुक्त	खतरनाक	उपयुक्त	कामचलाऊ	अनुपयुक्त	खतरनाक
1.	पक्के	15	4	2	–	10	14	1	4
2.	आंशिक रूप से	5	2	1	–	4	2	–	–
3.	कच्चे भवन	8	4	3	2	–	2	3	1
4.	झोपड़े में	–	–	1	–	–	–	–	–
5.	खुले स्थान में	–	–	4	–	–	–	9	–
	योग – 50	28	10	10	2	14	18	13	5

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुछ विद्यालय स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ पर शाला भवन नही हैं। टीकमगढ़ जिले की शाला भवन की स्थिति छतरपुर जिले की अपेक्षा अच्छी हैं। छतरपुर जिले के 50 में से 9 स्थान ऐसे हैं जहॉ पर विद्यालय खुले स्थान पर लग रहे हैं जबकि टीकमगढ़ जिले में ऐसे विद्यालय 50 में मात्र 4 हैं।

तालिका क्रमांक – 5.13

जीर्णोद्धार, रखरखाव एवं साफ सफाई का स्तर

क्रमांक	स्तर	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	उत्तम	10	13
2.	सामान्य	35	23
3.	न्यून	04	06
4.	शून्य	01	08
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.13 में विद्यालयों के रखरखाव, जीर्णोद्धार एवं उनके साफ–सफाई के स्तर के अनुरूप विद्यालयों की संख्या प्रदर्शित की गई हैं। इन सभी मामलों में टीकमगढ़ जिला छतरपुर की अपेक्षा ज्यादा ठीक है। जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। टीकमगढ़ में शून्य स्तर की मात्र 1 शाला हैं जबकि छतरपुर में 8 शालाएं ऐसी हैं जहॉ पर रख–रखाव एवं सफाई का स्तर शून्य हैं।

तालिका क्रमांक – 5.14

विद्यालयों में कक्षों की संख्या

क्रमांक	प्रकार	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	एक कमरे वाले विद्यालय	05	06
2.	दो कमरे वाले विद्यालय	08	05
3.	तीन कमरे वाले विद्यालय	20	11
4.	चार कमरे वाले विद्यालय	05	12
5.	पांच कमरे वाले विद्यालय	08	07
	योग	46	41

तालिका क्रमांक 5.14 में कक्षों की संख्या के हिसाब से विद्यालयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। टीकमगढ़ जिले में एक कमरे वाले 5 विद्यालय हैं जबकि छतरपुर जिले में 6 विद्यालय हैं। तालिका में जैसा कि स्पष्ट है कि टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में लगभग एक जैसी स्थिति हैं।

आज भी टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में ऐसे स्कूल भवन है। जिनमें पर्याप्त कमरे नही हैं और उन्हें और अधिक कमरे की आवश्यकता हैं टीकमगढ़ जिले में 10% विद्यालय ऐसे हैं। जहॉ पर पांच कमरों की आवश्यकता है जबकि छतरपुर में 12% इसी प्रकार टीकमगढ़ जिले में 16% विद्यालय ऐसे हैं जहॉ पर 4 कमरों की आवश्यकता हैं। जबकि छतरपुर में ऐसे विद्यालयों की संख्या 10% हैं। यदि सामान्य तौर पर देखा जाय तो दोनों स्थानों के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों में कक्षों के आवश्यकता की स्थिति लगभग एक जैसी ही हैं।

तालिका क्रमांक – 5.15

विशेष प्रोत्साहन योजना की जानकारी

क्रमांक	प्रोत्साहन योजना का प्रकार	टीकमगढ़ संख्या	%	छतरपुर संख्या	%
1.	मध्यान्ह भोजन	50	100	50	100
2.	निःशुल्क शाला गणवेश	8	16	10	20
3.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तक	3	6	7	14
4.	छात्रवृत्ति (शासन के नियमानुसार)	50	100	50	100
5.	कोई योजना नही	00	00	00	00

तालिका क्रमांक 5.15 में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले की विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी गई हैं। उपरोक्त तालिका से जैसा कि स्पष्ट हैं। कि मध्यान्ह भोजन की योजना टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों में अन्य योजनाओं की अपेक्षा अच्छी स्थिति है। टीकमगढ़ तथा छतरपुर में शत प्रतिशत विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना चल रही है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की स्थिति सन्तोषजनक नही है। सभी छात्रों को छात्र वृत्ति नही हैं केवल शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के बालक– बालिकाओं को छात्र वृत्ति प्रदाय की जाती हैं।

तालिका क्रमांक – 5.16

शाला त्यागी छात्र स्थिति की जानकारी

क्रमांक	विवरण	छात्र–छात्राओं की संख्या					
		टीकमगढ़			छतरपुर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	कक्षा 1 के अध्ययन के पश्चात् शाला त्यागी	12	16	28	13	19	32
2.	कक्षा 2 के अध्ययन के पश्चात् शाला त्यागी	17	22	39	18	23	41
3.	कक्षा 3 के अध्ययन के पश्चात् शाला त्यागी	15	23	38	20	22	42
4.	कक्षा 4 के अध्ययन के पश्चात् शाला त्यागी	21	33	54	34	52	86

शोध हेतु चयनित टीकमगढ़ जिले के विद्यालयों में कक्षा 1 के पश्चात शाला त्यागी बालक बालिकाओं का योग 28 रहा जिसमें 12 बालक तथा 16 बालिकाएं शामिल थी, जबकि छतरपुर जिले में इसी स्तर पर शाला त्यागी बालक–बालिकाओं की संख्या क्रमशः 13 तथा 19 तथा कुल योग 32 रहा जो टीकमगढ़ जिले की अपेक्षा कुछ आधिक हैं। कक्षा 2 के अध्ययन के पश्चात् टीकमगढ़ जिले में इन्ही संस्थाओं के अन्तर्गत क्रमशः 17 तथा 22 बालक बालिकाओं ने शाला का परित्याग किया। छतरपुर जिलों में भी लगभग यही संख्या शाला त्यागने वाले बालक–बालिकाओं की आयी जो कुल 41 थी। कक्षा 3 के अध्ययन के पश्चात् शाला त्यागने वाले बालक–बालिकाओं के अनुरूप ही दोनों जिला में क्रमशः 38 तथा 42 रही। कक्षा 4 के अध्ययन के पश्चात् शाला त्यागने की प्रवृत्ति अन्य कक्षाओं की तुलना में अधिक हैं। इस स्तर के टीकमगढ़ जिले में 21 बालक तथा 33 बालिकाओं का कुल योग 54 ने शाला त्यागा, जबकि छतरपुर जिलें में कक्षा 4 के अध्ययन के पश्चात शाला त्यागने वाले बालक–बालिकाओं का कुल योग 86 था जिसमें 34 बालक व 52 बालिकाएं शामिल थी। उक्त तालिका के अध्ययन से यह स्पष्ट होता हैं कि छतरपुर जिले में टीकमगढ़ जिले की तुलना में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर शाला त्यागी विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। तथा बालकों की तुलना में बालिकाएं दोनों जिलों में विशेषकर छतरपुर जिले में आधिक शाला का परित्याग करती हैं।

2. प्रधानाध्यापक हेतु साक्षात्कार अनुसूची

शोध क्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में शोध सर्वेक्षण हेतु चयनित 50–50 विद्यालयों में शोधार्थिनी ने शाला अभिलेख संबंधी जानकारी प्राप्त करने के पश्चात् विद्यालयों में प्रशासन तथा शैक्षिक गतिविधियों पर आधारित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्राथमिक शाला के प्रधानाध्यापक से साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा साक्षात्कार कर साक्षात्कार अनुसूची में वर्णित प्रश्नों के आधार पर जानकारी प्राप्त की।

तालिका क्रमांक 5.17

शिक्षक डायरी व कक्षा रजिस्टर की जॉच की अवधि

		टीकमगढ़		छतरपुर	
क्र.	समयावधि	विद्यालयों की संख्या	%	विद्यालयों की संख्या	%
1.	दैनिक	09	18%	11	22%
2.	साप्ताहिक	03	6%	05	10%
3.	मासिक	22	44%	20	40%
4.	कभी नही	16	32%	14	28%
	योग	50	100%	50	100%

उपरोक्त तालिका से प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षक डायरी व कक्षा रजिस्टर की जॉच की अवधि वाले टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले की विद्यालयों की संख्या को दर्शाया गया है। टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोंनो जिलों में स्थिति करीब करीब एक जैसी ही हैं। टीकमगढ़ जिले में मात्र 18 प्रतिशत तथा छतरपुर जिले में 22 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक डायरी व कक्षा रजिस्टर की दैनिक जॉच की जाती हैं। जबकि साप्ताहिक जांच वाले टीकमगढ़ में विद्यालयों की संख्या 6% है व छतरपुर में 10% है। मासिक जांच वाले टीकमगढ़ जिले के विद्यालयों की संख्या 44% हैं, एवं छतरपुर जिले में 40% हैं टीकमगढ़ जिले में 32 प्रतिशत तथा छतरपुर में 28 प्रतिशत ऐसे भी प्राथमिक विद्यालय हैं। जहॉ शिक्षक डायरी व दैनिक रजिस्टर की कभी जॉच नही की जाती हैं।

तालिका क्रमांक – 5.18

मासिक जांच परीक्षाओं का मूल्यांकन

		टीकमगढ़		छतरपुर	
क्र	मूल्यांकन	विद्यालयों की संख्या	%	विद्यालयों की संख्या	%
1.	मूल्यांकन किया जाता हैं	45	90%	35	70%
2.	मूल्यांकन नही किया जाता हैं	05	10%	15	30%
	योग	50	100%	50	100%

तालिका क्रमांक 5.18 में टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों के स्कूलों में मासिक परीक्षाओं की मूल्यांकन की स्थिति का वर्णन किया गया हैं। इस कार्य में टीकमगढ़ जिला छतरपुर जिले की अपेक्षा बेहतर स्थिति में हैं। जैसा कि सारणी में दर्शाया गया है। कि टीकमगढ़ जिले के 90% स्कूल में मूल्यांकन किया गया है। जबकि छतरपुर जिले में यह कार्य मात्र 70% विद्यालयों में होता हैं।

तालिका क्रमांक – 5.19

विद्यालय समय के अतिरिक्त प्रति सप्ताह विद्यालय संबंधी गतिविधि मे दिया गया समय

		टीकमगढ		छतरपुर	
क्रमांक	समयावधि	विद्यालयों की संख्या	%	विद्यालयों की संख्या	%
1.	कुछ नही	0	0%	7	14%
2.	एक घंटा	30	60%	4	8%
3.	दो घंटा	10	20%	10	20%
4.	तीन घंटा	8	16%	11	22%
5.	चार घंटा	2	4%	2	4%

6.	पांच घंटा	0	0%	16	32%
	योग –	50	100%	50	100%

प्रस्तुत तालिका में प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालयों को विद्यालय समय के अतिरिक्त समय देने वाले विद्यालयों की संख्या को दर्शाया गया है। एक घंटा अतिरिक्त समय देने वाले विद्यालयों की संख्या टीकमगढ़ में 60% हैं जबकि छतरपुर जिले में यह 8% है। इसी प्रकार दो घंटा अतिरिक्त समय देने वाले विद्यालयों की संख्या टीकमगढ़ में क्रमशः 16% एवं 4% प्रतिशत हैं। जबकि जिले छतरपुर जिले में यह क्रमशः 22 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत हैं।

तालिका क्रमांक – 5.20

विद्यालयों में शाला प्रबन्धन समिति, शिक्षक पालक संघ तथा ग्रम शिक्षा समिति

	हैं		नही		योग
विवरण	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
टीकमगढ़ शाला प्रबन्धन समिति/ शिक्षक पालक संघ	37	74%	13	26%	100%
ग्राम शिक्षा समिति	41	82%	09	18%	100%
छतरपुर शाला प्रबन्धन समिति शिक्षक पालक संघ	38	76%	12	24%	100%
ग्राम शिक्षा समिति	32	64%	18	36%	100%

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के शाला प्रबन्धन समिति/शिक्षक पालक संघ तथा ग्राम शिक्षा समिति को दर्शाया गया हैं। टीकमगढ़ जिले में शाला प्रबन्धन समिति 74% विद्यालयों में हैं तथा ग्राम शिक्षा समिति 82% विद्यालयों में कार्यरत हैं, जबकि छतरपुर जिले में शाला प्रबंधन समिति/शिक्षक पालक संघ 76% एवं ग्राम शिक्षा समिति 64% विद्यालयों में कार्य कर रही हैं। टीकमगढ़ जिले में ग्राम शिक्षा समिति 82% स्थानों पर जो छतरपुर जिले में की 64% की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है।

तालिका क्रमांक – 5.21

अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण की अवधि

प्रतिवर्ष निरीक्षकों की संख्या	1–2	%	3–4	%	5–6	%	7–8	%	9–10	%	कभी नही	%	योग %
टीकमगढ़ B.E.O. वि.शि.अ.	18	36%	07	14%	02	4 %	8	16 %	Nill	-	15	30%	100%
छतरपुर विकासखण्ड शि. अधिकारी द्वारा	20	40 %	07	14 %	02	4%	04	8%	Nill	0%	17	34%	100%
उप संचालक शिक्षा द्वारा	12	24%	06	12%	04	8%	Nill	0%	Nill	0%	28	56%	100%

जहॉ तक अधिकारियों द्वारा विद्यालय निरीक्षण अवधि के अनुसार विद्यालयों की संख्या की बात है, टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों जिलों की स्थिति करीब–करीब एक जैसी हैं। टीकमगढ़ जिले में विकासखण्ड एवं उपसंचालक शिक्षा द्वारा 36 प्रतिशत विद्यालयों में वर्ष में 1–2 बार निरीक्षण किया जाता हैं। जबकि इन्ही अधिकारियों द्वारा जिले में 14 एवं 6 प्रतिशत विद्यालयों में 3–4 बार निरीक्षण किया जाता है। 30 प्रतिशत एवं 72 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं, जहॉ पर क्रमशः विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उपसंचालक शिक्षा द्वारा कभी भी निरीक्षण नही किया जाता है। छतरपुर जिले में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उपसंचालक शिक्षा इस वर्ष में 1–2 बार क्रमशः 40 प्रतिशत एवं 24 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है। जबकि छतरपुर जिले में 34 प्रतिशत एवं 56 प्रतिशत स्थान ऐसे है। जहॉ पर विकासखण्ड शिक्षा एवं उपसंचालक शिक्षा द्वारा कभी भी निरीक्षण नही किया जाता हैं।

तालिका क्रमांक – 5.22

विद्यालयों में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या

	पर्याप्त अथवा अपर्याप्त	हैं	प्रतिशत	नही है	प्रतिशत	योग
टीकमगढ़	विद्यालयों की संख्या	30	60%	20	40%	100%
छतरपुर	विद्यालयों की संख्या	32	64%	18	36%	100%

तालिका क्रमांक 5.22 में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिलों में पर्याप्त एवं अपर्याप्त शिक्षकों वाले विद्यालयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया हैं। छतरपुर जिले में 60 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं। जहां पर पर्याप्त शिक्षक हैं, जबकि छतरपुर जिले में मात्र 40 प्रतिशत विद्यालयों में ही पर्याप्त शिक्षक हैं।

तालिका क्रमांक – 5.23

शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति

विवरण	टीकमगढ़				छतरपुर				योग
	पर्याप्त है	%	पर्याप्त नही है	%	पर्याप्त है	%	पर्याप्त नही है	%	
विद्यालय संख्या	16	32%	34	68%	15	30%	35	70%	100%

तालिका क्रमांक 5.23 में शिक्षण सामग्रियों की उपलब्धता की स्थिति का वर्णन है। टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों जिलों में पर्याप्त नही हैं टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले दोनों में करीब 30–32 प्रतिशत स्कूलों में ही शिक्षा सामग्री पर्याप्त मात्रा में है, जबकि टीकमगढ़ एवं छतरपुर में लगभग क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत विद्यालय ऐसे है। जहॉ पर शिक्षा सामग्री की उपलब्धता न्यून हैं।

तालिका क्रमांक – 5.24

विद्यालयों की अधिकतम दूरी से आने वाले विद्यार्थियों के निवास स्थान से दूरी

दूरी	1 कि.मी.	%	2 कि.मी.	%	3 कि.मी.	%	4 कि.मी.	%	5 कि.मी	%	योग	%
टीकमगढ़ वि. संख्या	31	36%	19	38%	Nill	0%	Nill	0%	Nill	0%	50	100%
छतरपुर वि. संख्या	18	62%	15	30%	07	14%	10	20%	–	–	50	100%

तालिका क्रमांक 5.24 में ऐसे विद्यालयों की संख्या को प्रदर्शित किया गया हैं जिनमें अधिकतम दूरी से छात्र पढ़ने आते हैं जैसा कि तालिका से स्पष्ट है। कि छतरपुर जिले में अभी भी स्कूलों की कमी है। 20 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहॉ छात्र–छात्राएं 4 किलो मीटर की दूरी से विद्यालय आते हैं, जबकि टीकमगढ़ में ऐसा एक भी विद्यालय नही हैं जहॉ पर बालक 4 किलोमीटर की दूरी से विद्यालय आते हैं, टीकमगढ़ में 32 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहॉ पर 1 किलोमीटर तक की दूरी से विद्यार्थी आते हैं, जबकि छतरपुर जिले में ऐसे विद्यालयों की संख्या 62 प्रतिशत है। इसी प्रकार 2 किलोमीटर की दूरी से विद्यालय आने वाले छात्र–छात्राओं की टीकमगढ़ में 38 प्रतिशत एवं छतरपुर में यह संख्या मात्र 30 प्रतिशत हैं।

तालिका क्रमांक – 5.25

विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना की वर्तमान स्थिति

	टीकमगढ़				छतरपुर			
	है		नही हैं		हैं		नही हैं	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
1. मध्यान्ह भोजन	50	100%	Nill	0%	50	100%	Nill	0%
2. शाला गणवेश	01	02%	59	98%	02	4%	Nill	6%
3. छात्रवृत्ति	50	100%	Nill	0%	50	100%	45	0%
4. निःशुल्क पा.पु.	04	08%	46	92%	03	6%	47	94%
5. अन्य	Nill	0%	Nill	0%	Nill	0%	Nill	0%

विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों ही जिलों में संचालित है। टीकमगढ़ के शत–प्रतिशत विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हैं, छतरपुर में भी यह संख्या शत–प्रतिशत है। शाला गणवेश टीकमगढ़ में मात्र 2 प्रतिशत स्कूलों में वितरित होता हैं, जबकि छतरपुर में यह 4 प्रतिशत हैं। छात्रवृत्ति योजना का लाभ टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में शासकीय नियमानुसार दिया जा रहा है। जहॉ तक निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों की बात है, टीकमगढ़ जिले में 8 प्रतिशत तथा छतरपुर जिले में 6 प्रतिशत विद्यालयों में यह योजना लागू हैं।

तालिका क्रमांक – 5.26

प्रधानाध्यापक द्वारा संस्था के छात्रों के गृहकार्य की जॉच

	10%		25%		50%		10% से कम		योग	
	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%	संख्या	%
टीकमगढ़	07	14%	08	16%	19	38%	16	32%	50	100%
छतरपुर	23	46%	07	14%	12	24%	13	26%	50	100%

तालिका क्रमांक 5.26 में प्रधानाध्यापक द्वारा संस्था के छात्रों के गृहकार्य की जांच के बारे में बताया गया है। टीकमगढ़ जिले में 14 प्रतिशत ऐसी संस्था है जहां पर गृहकार्य का मात्र 10 प्रतिशत जॉच की जाती हैं, जबकि छतरपुर जिले में ऐसी संस्थाएं 46 प्रतिशत है जिनके गृहकार्य की जांच 10 प्रतिशत तक की जाती है। इसी प्रकार जैसा कि सारणी से स्पष्ट है कि टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों जिलों में एक ही प्रकार की स्थितियॉ हैं। 25 प्रतिशत कार्यो की जांच टीकमगढ़ के लगभग 16 प्रतिशत विद्यालयों से एवं छतरपुर जिले की 14 प्रतिशत विद्यालयों में की जाती है। इसी प्रकार 50 प्रतिशत तक कार्यो की जांच टीकमगढ़ के 38 प्रतिशत विद्यालयों में एवं छतरपुर जिले की 26 प्रतिशत विद्यालयों में की जाती हैं।

तालिका क्रमांक – 5.27 (A)

प्रोत्साहन योजना का छात्र उपस्थिति पर प्रभाव

	25%		50%		75%		100%		योग	
	विद्या.कीसंख्या	%	विद्या.की संख्या	%	विद्या.की संख्या	%	विद्या.की संख्या	%		
टीकमगढ़	4	8%	25	50%	10	20%	–	0%	50	100%
छतरपुर	18	36%	26	52%	06	12%	–	0%	50	100%

प्रस्तुत तालिका में छात्र प्रोत्साहन योजना का छात्र की उपस्थिति पर प्रभाव को दर्शाया गया है। जैसा कि तालिका क्रमांक 5.27 से स्पष्ट है कि टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों जिलों में छात्र की उपस्थिति का प्रभाव 100 प्रतिशत किसी विद्यालय में नही पड़ा हैं। 75 प्रतिशत प्रभाव टीकमगढ़ के 20 प्रतिशत विद्यालयों में एवं छतरपुर के 12 प्रतिशत विद्यालयों पर पड़ा हैं। इसी प्रकार 25 प्रतिशत प्रभाव वाले टीकमगढ़ के 8 प्रतिशत विद्यालय हैं, जबकि छतरपुर के 36 प्रतिशत विद्यालयों पर प्रभाव पड़ा हैं,

तालिका क्रमांक 5.27 (B)

प्रोत्साहन योजनावार छात्र उपस्थिति पर प्रभाव की स्थिति

क्रमांक	प्रोत्साहन योजना का नाम	छात्र उपस्थिति पर योजना के प्रभाव का प्रतिशत	
		जिला टीकमगढ़	जिला छतरपुर
1.	मध्यान्ह भोजन	65%	78%
2.	शाला गणवेश	2%	Nill
3.	छात्रवृत्ति योजना	20%	20%
4.	निःशुल्क पाठ्यपुस्तके	13%	2%

उक्त तालिका से स्पष्ट होता हैं कि छात्रों की विद्यालय में उपस्थिति को प्रभावी बनाने की दिशा में मध्यान्ह भोजन वितरण की योजना अधिक कारगर सिद्ध हुई है। शेष योजनाओं का विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति में कोई विशेष प्रभाव नही पड़ा हैं।

तालिका क्रमांक 5.28

6–11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के प्रवेश की स्थिति

	40		50		60		70		80		90		100		योग	
	वि.स.	%	वि.स.	%	वि.स.	%	वि.स.	%	वि.स.	%	वि.स.	%	वि.स.	%	50%	
टीकमगढ़	5	10%	4	8%	2	4%	2	4%	10	20%	06	12%	21	42%	50	100%
छतरपुर	3	6%	5	10%	2	4%	3	6%	09	18%	06	12%	22	44%	50	100%

उपरोक्त तालिका में 6–11 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं के प्रवेश की स्थिति को दर्शाया गया हैं। दोनों जिला टीकमगढ़ एवं छतरपुर में प्रवेश की स्थिति करीब–करीब एक जैसी ही है। जैसा कि सारणी से प्रतीत होता हैं कि 42 प्रतिशत विद्यालय टीकमगढ़ एवं 44 प्रतिशत विद्यालय छतरपुर में ऐसे हैं। जहॉ कि सभी बच्चे शाला में पढ़ने के लिये जाते है। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 12 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जहां पर कि 90 प्रतिशत बालक–बालिका शाला में प्रवेश लिये हैं। यही क्रम करीब–करीब दोनों जिलों में चल रहा हैं।

3. शिक्षक हेतु साक्षात्कार अनुसूची :–

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में शोध सर्वेक्षण हेतु चयनित 50–50 विद्यालयों में से प्रत्येक विद्यालय के एक शिक्षक से शोधार्थिनी ने उसकी शैक्षणिक योग्यताएं शिक्षकीय कार्य, शिक्षण के अतिरिक्त अन्य विद्यालय की गतिविधियों में उसकी सहभागिता, छात्रों के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षण साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा साक्षात्कार किया। इस अनुसूची में कुल पूंछे गये प्रश्न बिन्दुओं की संख्या 43 थी। इनमें से 15 महत्वपूर्ण बिन्दुओं की तुलनात्मक तालिका तथा उनकी विश्लेषण व व्याख्या निम्नानुसार प्रस्तुत की जा रही हैं।

तालिका क्रमांक 5.29

शिक्षक अनुसूची – टीकमगढ़ – छतरपुर

शिक्षकों की शैक्षिक एवं व्यवसायिक योग्यता एवं शैक्षणिक योग्यता

		टीकमगढ़						छतरपुर					
क्र.	विवरण	शैक्षणिक योग्यता			व्यवसायिक योग्यता			शैक्षणिक योग्यता			व्यवसायिक योग्यता		
		हा.से.	स्ना,	स्नातको.	डि.एड.	बी.एड.	अप्रशिक्षित	हा.से.	स्ना.	स्नातको.	डि.एड़	बी.एड.	अप्रशिक्षित
1.	पू. शिक्षक	13	24	6	28	07	08	6	25	03	23	9	3
2.	म. शिक्षक	4	2	1	4	–	3	5	2	1	3	1	3
	योग –	17	27	7	32	7	11	11	27	04	26	10	6

उपरोक्त तालिका में 5.29 टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के शोध हेतु चयनित विद्यालयों के शिक्षकों की अभी शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के बारे में बताया गया है। टीकमगढ़ जिले में पुरूष शिक्षकों में से 13 हायर सेकण्ड्री, 24 स्नातक, एवं 6 स्नातकोत्तर शिक्षक है, जबकि यदि उनके व्यावसायिक योग्यता के बारे में देखा जाये तो 28 डिप्लोमा, 7 बी.एड. एवं 8 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, जबकि महिला शिक्षकों में से 4 हायर सेकण्ड्री, 2 स्नातक एवं 1 स्नातकोत्तर है। यदि उनकी व्यावसायिक योग्यता को देखा जाए तो 4 डिप्लामा हैं, शेष अप्रशिक्षित महिला शिक्षक हैं। छतरपुर जिले में यदि देखा जाय तो 6 पुरूष शिक्षक एवं 5 महिला शिक्षक मात्र हायर सेकण्ड्री तक हैं। 25 पुरूष स्नातक एवं 2 महिला स्नातक शिक्षक स्नातकोत्तर योग्यता युक्त 3 पुरूष शिक्षक एवं 1 महिला शिक्षक हैं। इसी प्रकार यदि उनकी व्यावसायिक योग्यता को देखा जाय तो इनमें 3 डिप्लोमा, 1 बी.एड. एवं 3 प्रशिक्षित हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले में महिला शिक्षकों में से तीन डिप्लोमा एवं एक बी.एड. प्रशिक्षित हैं।

तालिका क्रमांक – 5.30

कक्षाध्यापन की स्थिति – टीकमगढ़ तथा छतरपुर

क्र.	विवरण	टीकमगढ़		छतरपुर	
		संख्या	%	संख्या	%
1.	एक समय में एक ही कक्षा पढ़ाते हैं।	38	76%	38	76%
2.	एक समय मुं कई कक्षाओं को पढ़ाते हैं।	12	24%	12	24%
	योग –	50		50	

तालिका क्रमांक 5.30 शिक्षकों द्वारा कक्षाध्यापन की स्थिति को प्रदर्शित करती हैं। टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों जिलों में एक समय में एक ही कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या 38 है जो कि 76 प्रतिशत है। जबकि एक समय में कोई कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रतिशत 24 हैं।

तालिका क्रमांक – 5.31

बहुकक्षा के समय छात्रों द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ

क्र.	विवरण	टीकमगढ़	छतरपुर
		संख्या	संख्या
1.	पढ़ाये गये अंश की मौखिक पुनरावृत्ति	03	6
2.	लिखित कार्य में व्यस्त रखना	02	2
3.	श्यामपट में लिखे अंशों की नकल करना	02	1
4.	अपने अवसर को आने की प्रतीक्षा करना	03	1
5.	कक्षा के अन्दर या बाहर खेलना या लड़ना	02	2
	योग –	12	12

तालिका क्रमांक 5.31 में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिलों के शिक्षकों के द्वारा बहुकक्षा के समय छात्रों

के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को बताया गया हैं। टीकमगढ़ जिले के 12 शिक्षकों ने बताया कि बहुकक्षा के समय 3 विद्यालयों के छात्र पढ़ाये गये अंश की पुनरावृत्ति करते है। 2 विद्यालयों के छात्र लिखित कार्य में व्यस्त रहते हैं, 2 विद्यालय के छात्र ब्लैक बोर्ड की नकल करते हैं, 3 विद्यालयों के छात्र अपने अवसर के आने की प्रतीक्षा करते है। जबकि 2 विद्यालयों के छात्र खेलते अथवा लड़ते रहते हैं। यही स्थिति लगभग छतरपुर जिले की भी हैं। 12 शिक्षकों में से 6 ने बताया कि बालक पढ़ाये गये अशं की पुनरावृत्ति करते हैं। इसी प्रकार 2 शिक्षकों ने बताया कि उनके शालाओं के छात्र लड़ते या खेलते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.32

सहायक सामग्रियों का प्रयोग

क्रमांक	विवरण	संख्या			
		टीकमगढ़	%	छतरपुर	%
1.	पूर्णतः	22	44	30	60
2.	आंशिक रूप से	18	36	03	06
3.	कभी–कभी	02	04	06	12
4.	कभी नही	08	16	11	32
	योग –	50	100	50	100

उपरोक्त सारणी से देखने से यह प्रतीत होता है। कि टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनो क्षेत्रों में सहायक सामग्री का उपयोग पूर्णतः नही होता है। टीकमगढ़ में 44 प्रतिशत एवं छतरपुर में 60 प्रतिशत शिक्षा संस्थाओं में सहायक सामग्री का उपयोग होता है, जबकि टीकमगढ़ के 16 प्रतिशत स्कूलों एवं छतरपुर के 22 प्रतिशत ऐसे विद्यालय हैं, जहॉ पर शिक्षक सहायक सामग्री का उपयोग कभी नही होता हैं।

तालिका क्रमांक – 5.33

स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सहायक शैक्षिक सामग्रियों का निमार्ण

क्रमांक	विवरण	संख्या			
		टीकमगढ़	%	छतरपुर	%
1.	कर सकते हैं।	40	80	33	66
2.	नही कर सकते हैं।	10	20	17	34
	योग –	50	100	50	100

तालिका क्रमांक 5.33 से स्पष्ट होता है कि टीकमगढ़ में 80 प्रतिशत ऐसी संस्थाऐं हैं जहां पर शिक्षक स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सहायक शैक्षिक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं, जबकि छतरपुर जिले में मात्र 66 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक सहायक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.34

पढ़ाये गये पाठ की पुनरावृत्ति

क्रमांक	विवरण	संख्या			
		टीकमगढ़	%	छतरपुर	%
1.	एक वार	24	48	15	30
2.	दो वार	17	34	35	70
3.	तीन वार	–	–	–	–
4.	नही होती	09	18	–	–
	योग –	50	100	50	100

तालिका क्रमांक 5.34 में शिक्षकों द्वारा पढ़ाये गये पाठ की पुनरावृत्ति के बारे में जानकारी दी गई हैं। तालिका से यह प्रतीत होता हैं कि टीकमगढ़ में 18 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि उनके द्वारा पढ़ाये गये पाठ की पुनरावृत्ति कभी नही होती, जबकि छतरपुर में ऐसा एक भी विद्यालय नही हैं, जहां पर की पाठ की पुनरावृत्ति न होती हो। इस प्रकार इस तालिका से स्पष्ट होता है कि छतरपुर जिला में, टीकमगढ़ की अपेक्षा अधिक गुणवत्ता वाले विद्यालय स्थित हैं।

तालिका क्रमांक – 5.35

छात्रों को दिये जाने वाले गृहकार्य की स्थिति

क्र.	विवरण (गृहकार्य निरीक्षण की अवधि)	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	दैनिक	24	26
2.	साप्ताहिक	12	20
3.	वार्षिक	–	–
4.	मासिक	6	–
5.	कभी नही	8	4
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.35 में शिक्षकों द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले गृहकार्य की स्थिति को प्रकट करती हैं। टीकमगढ़ जिले में 24 शिक्षक ऐसे हैं जो दैनिक गृहकार्य देते हैं, जबकि छतरपुर जिले में ऐसे शिक्षक 26 हैं। साप्ताहिक गृहकार्य देने वाले टीकमगढ़ में 12 शिक्षक है, जबकि छतरपुर जिले में ऐसे शिक्षकों की संख्या 20 हैं। टीकमगढ़ में 8 शिक्षक एवं छतरपुर में 4 ऐसे शिक्षक हैं जो कभी छात्रों को गृहकार्य नही देते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.36

गृहकार्य न करने वालों के प्रति शिक्षक का व्यवहार

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	उन्हें अगले दिन पुनः उस कार्य को करने के लिये कहते हैं।	13	23
2.	उनसे गृहकार्य न कर लाने का कारण पूछते हैं।	02	06
3.	गृहकार्य करके लाये हुये छात्रों को प्रशंसा कर उन्हें इस कार्य को करने के लिये प्रेरित करते हैं।	16	15

4.	शारीरिक दण्ड देते हैं अथवा कक्षा से निकाल देते हैं।	00	00
5.	आवश्यतानुसार विधियों का प्रयोग करते हैं।	01	06
	योग –	50	50

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के शिक्षकों के द्वारा गृहकार्य न करने वाले छात्रों के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित करता हैं। टीकमगढ़ जिले में से 50 में से 13 शिक्षक ऐसे हैं जो कि छात्रों को अगले दिन पुनः उसी कार्य को करने के लिये कहते हैं, जबकि छतरपुर में ऐसे शिक्षक की संख्या 23 हैं जो कि 46 प्रतिशत हैं। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 20 शिक्षक एवं छतरपुर जिले के 6 शिक्षक ऐसे हैं जो छात्रों को गृहकार्य न कर लाने का कारण पूछते हैं। गृहकार्य करके लाये हुये छात्रो की प्रशंसा उन्हें इस कार्य को करने के लिये प्रेरित करने वाले टीकमगढ़ जिले के शिक्षकों की संख्या 16 अर्थात 32 प्रतिशत है, जबकि छतरपुर जिले के शिक्षकों की संख्या 15 है अर्थात 30 प्रतिशत, आवश्यकतानुसार विधियों का प्रयोग करने वाले टीकमगढ़ जिले के शिक्षकों का प्रतिशत 2 रहा जबकि छतरपुर जिले के शिक्षकों का प्रतिशत 12 रहा ।

तालिका क्रमांक 5.37

सत्र के मध्य में विद्यालय त्यागने वाले के साथ शिक्षक का व्यवहार

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ	छतरपुर
1.	छात्रों के शाला में न आने का कारण ज्ञात करना	6	6
2.	छात्रों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को बताकर छात्र को विद्यालय वापस लाने में सहयोग देते हैं	40	35
3.	समाज के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से छात्रों में शाला त्यागने की प्रवृत्ति को समाप्त करने का प्रयास	00	08
4.	ध्यान नहीं देते हैं।	04	00
5.	आवश्यकतानुसार	00	01
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.37 में सत्र के मध्य में विद्यालय त्यागने वालों के साथ शिक्षक के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। छात्रों के शाला में न आने का कारण ज्ञात करने वाले टीकमगढ़ जिले के शिक्षकों का प्रतिशत 12 है जो कि छतरपुर जिले का भी हैं। छात्रों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को बताकर छात्र को विद्यालय वापस लाने में सहयोग देते हैं के बारे में टीकमगढ़ जिले के शिक्षकों का प्रतिशत 80 रहा, जबकि छतरपुर जिले के शिक्षकों का प्रतिशत 70 रहा हैं। समाज के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से छात्रों में शाला त्यागने की प्रवृत्ति के समाप्त करने का प्रयास करने वाले शिक्षक के विषय में टीकमगढ़ जिले के शिक्षकों का प्रतिशत शून्य रहा, जबकि छतरपुर जिले के शिक्षकों की संख्या 8 रही अर्थात 16 प्रतिशत। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हैं कि टीकमगढ़ जिले के 8 प्रतिशत शिक्षक ऐसे हैं जो कि शाला त्यागने वाले बालकों पर बिल्कुल ध्यान नही देते हैं। छतरपुर जिले के 2 प्रतिशत शिक्षक ऐसे है जो कि आवश्यकतानुसार कार्य करते हैं।

तालिका क्रमाक – 5.38

शिक्षक का अन्य सहकर्मियों के प्रति व्यवहार

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ	छतरपुर
1.	सामान्य	06	08
2.	सहयोगात्मक	36	29
3.	रचनात्मक	–	03
4.	सहानुभूति पूर्ण	08	10
	योग –	50	50

उपरोक्त तालिका में शिक्षकों का अन्य सहकर्मियों के प्रति व्यवहार को प्रदर्शित किया गया हैं। टीकमगढ़ जिला 72 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि उनका अपने सहकर्मियों के प्रति सहयोगात्मक रवैया रहता है जबकि 12 प्रतिशत शिक्षकों ने कहा कि उनका व्यवहार सामान्य रहा है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार बताने वाले एवं 16 प्रतिशत शिक्षक हैं। इसी प्रकार कुछ विचार छतरपुर जिले के शिक्षकों का भी रहा हैं। सामान्य व्यवहार के बारे में 16 प्रतिशत शिक्षकों का मत रहा। सहयोगात्मक विचार रखने वाले शिक्षकों की संख्या सबसे ज्यादा 58 प्रतिशत रहा। 20 प्रतिशत छतरपुर जिले के ऐसे शिक्षक हैं जो सहानुभूति पूर्ण व्यवहार

रखने वाले शिक्षकों का हैं। 6 प्रतिशत छतरपुर जिले के ऐसे शिक्षक हैं जो कि रचनात्मक व्यवहार को महत्व देते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.39

विद्यालय के प्रधानाध्यापक का सहयोग

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ	छतरपुर
1.	पूर्ण सहयोग	33	04
2.	आवश्यकता से अधिक सहयोग	05	10
3.	आंशिक	09	18
4.	कोई सहयोग नही	03	18
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.39 में प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों के सहयोग मिलने की जानकारी दी गई हैं। पूर्ण सहयोग मिलने के बारे में टीकमगढ़ के 66 प्रतिशत एवं छतरपुर जिले के मात्र 8 प्रतिशत शिक्षकों ने अपनी आस्था प्रगट की। आवश्यकता से अधिक सहयोग के मामले मे टीकमगढ़ के 10 प्रतिशत शिक्षक एवं छतरपुर के 20 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वीकार किया। आंशिक सहयोग के बारे में टीकमगढ़ के 18 प्रतिशत शिक्षक एवं छतरपुर के 36 प्रतिशत शिक्षकों ने इस बात को स्वीकारा हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि कोई सहयोग न मिलने के बारे में टीकमगढ़ के 6 प्रतिशत शिक्षकों ने एवं छतरपुर के 36 प्रतिशत शिक्षकों ने अपनी अभिव्यक्ति दी ।

तालिका क्रमांक – 5.40

शिक्षकीय कार्य से संतुष्ट

क्रमांक	विवरण	संख्या			
		टीकमगढ़		छतरपुर	
		हॉ	नही	हॉ	नही
1.	संतुष्ट	34	16	40	10

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ जिले के 68 प्रतिशत शिक्षकों ने एवं छतरपुर जिले के 80 प्रतिशत शिक्षकों ने अपने को शिक्षकीय कार्य से सन्तुष्ट माना हैं। इस प्रकार टीकमगढ़ जिले में साक्षात्कार किये गये 16 अर्थात 32 प्रतिशत शिक्षक तथा छतरपुर जिले में 10 अर्थात 20 प्रतिशत शिक्षक शिक्षकीय कार्य से संतुष्ट हैं।

तालिका क्रमांक – 5.41

शिक्षकीय कार्य से असंतुष्ट होने का कारण

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ	छतरपुर
1.	समाज में शिक्षक का उचित स्थान न मिलना।	4	8
2.	शिक्षकों की आर्थिक दशा अच्छी न होना	3	4
3.	शिक्षा विभाग में पदोन्नति के अवसर न्यून होना।	5	1
4.	सुविधा विहीन स्थानों में पद स्थापना	2	1

5. उपरोक्त में सभी।	2	–
योग –	16	14

तालिका क्रमांक 5.41 में शिक्षकीय कार्य से असंतुष्ट होने के कारणों का वर्णन किया गया हैं। समाज में शिक्षकों को उचित स्थान न मिलने के बारे में टीकमगढ़ के 4 एवं छतरपुर जिले के भी 4 प्रतिशत शिक्षकों ने स्वीकार किया। शिक्षकों की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण को टीकमगढ़ के 3 प्रतिशत एवं छतरपुर के 4 प्रतिशत शिक्षकों ने माना। शिक्षा विभाग में पदोन्नति के अवसर न्यून होने के बारे में टीकमगढ़ एवं छतरपुर के 1 शिक्षकों ने अपने विचार व्यक्त किये। सुविधा विहीन स्थानों में पदस्थापना के बारे में टीकमगढ़ के 2 शिक्षक एवं छतरपुर जिले के 1 शिक्षक ने अपने विचार दिये।

तालिका क्रमांक 5.42

सेवा कालीन प्रशिक्षण की स्थिति

जिला प्रशिक्षण	स्थान					
	शाला संगम	वि.ख. संस्थान केन्द्र	शिक्षण संस्थान केन्द्र	संकुल संस्थान	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	शा. शिक्षा महाविद्यालय
टीकमगढ़						
1. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	2	2	2	1	–
2. विषयवस्तु – का प्रशि.	1	1	–	–	–	
3. शैक्षिक	–	3	1	–	–	–

सामग्रियो का उत्पादन						
4. शैक्षिक सामग्रियों का उत्पादन	3	10	2	–	–	–
5. छात्र अधिगम मूल्यांकन	4	1	2	3	–	–
6. दक्षता	2	15	–	1	–	–

तालिका क्रमांक 5.43

सेवाकालीन प्रशिक्षण की स्थिति

जिला प्रशिक्षण	स्थान					
	शाला संगम	वि.ख. संस्थान केन्द्र	शिक्षण संस्थान केन्द्र	संकुल संस्थान	जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान	शा. शिक्षा महाविद्यालय
छतरपुर						
1. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	–	2	1	–	–	–
2. विषयवस्तु का प्रशिक्षण	8	10	10	–	–	–
3. शैक्षिक सामग्रियों का उत्पादन	–	3	1	–	–	–
4. शैक्षिक सामग्रियों का उपयोग	2	1	1	–	–	–
5. छात्र अधिगम मूल्यांकन	4	1	–	–	–	–
6. दक्षता आधारित प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–

सारणी क्रमांक 5.43 में टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के शिक्षकों के प्रशिक्षण की स्थिति को दर्शाया गया हैं।

तालिका क्रमांक – 5.44

प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा कक्षाध्यापक के स्तर में सुधार शिक्षण कौशल के विकास का स्तर एवं दक्षता आधारित शिक्षा में प्रभावी उपयोग का स्तर

		टीकमगढ़ (स्तर)				छतरपुर (स्तर)			
क्र.	विवरण	उच्च,	औसत,	निम्न,	कोई प्रभाव नही	'उच्च,	औसत,	निम्न,	कोई प्रभाव नही
1.	कक्षाध्यापन का स्तर	20	18	4	8	23	11	6	10
2.	शिक्षा कौशल में विकास का स्तर	19	18	5	8	14	15	20	11
3.	दक्षता आधारित शिक्षण के प्रभावी उपयोग का स्तर	16	18	8	8	15	25	5	5

तालिका क्रमांक 5.44 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा कक्षाध्यापक के स्तर में सुधार शिक्षा कौशल के विकास का स्तर एवं दक्षता आधारित शिक्षण में प्रभावी उपयोग व स्तर के बारे में जानकारी दी गई हैं। टीकमगढ़ जिले के 8 शिक्षकों ने कहा कि प्रशिक्षण के द्वारा कक्षाध्यापक के स्तर में कोई सुधार नही हुआ है, जबकि 20 ने उच्च, 18 ने औसत एवं 4 ने निम्न स्तर का सुधार बताया। इसी प्रकार छतरपुर जिले में प्रशिक्षण से 10 ने कहा कि कोई सुधार नही हुआ, जबकि 23 ने उच्च 11 ने औसत एवं 6 ने निम्न स्तर के सुधार की बात को स्वीकार किया हैं। शिक्षण कौशल में विकास के बारे में 8 शिक्षकों ने माना कि प्रशिक्षण से कोई सुधार नही आता हैं। जबकि 19 ने उच्च 18 ने औसत एवं 5 ने निम्न सुधार की बात स्वीकार की हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले के शिक्षकों ने माना कि कौशल में कोई प्रभाव नही पड़ता है, जबकि 14 ने उच्च 15 ने औसत एवं 20 ने निम्न सुधार की बात को स्वीकार की। इसी प्रकार दक्षता आधारित शिक्षण के प्रभावी उपयोग के स्तर में टीकमगढ़ जिले के 8 शिक्षकों ने किसी सुधार को स्वीकार

नही किया, जबकि 16 ने उच्च, 18 ने औसत एवं 8 ने निम्न स्तर की बात स्वीकार किया है। इसी प्रकार छतरपुर जिले के शिक्षकों ने माना कि दक्षता आधारित शिक्षण के प्रभावी उपयोग के स्तर में 5 शिक्षकों ने माना कि कोई सुधार नही होता हैं। जबकि 15 ने उच्च, 25 ने औसत एवं 5 ने निम्न स्तर के सुधार की बात की।

4 – छात्र अनुसूची

आज के इस मनोवैज्ञानिक युग में वाल केन्दित शिक्षा को प्रधानता दी जा रही है, शिक्षा में छात्रों की इसी सर्वोपरि स्थिति को स्वीकार करते हुये शोधार्थीनी ने शोध अध्ययन हेतु टीकमगढ़ तथा छतरपुर के चयनित प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयों में से उनमें अध्ययनरत एक–एक विद्यार्थियों का साक्षात्कार किया। विद्यार्थियों के चयन में शोधार्थिनी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि कम से कम 33 प्रतिशत बालिकाओं को भी साक्षात्कार देने का अवसर प्राप्त हो सके। छात्र–अनुसूची के अन्तर्गत 44 प्रश्न रखे गये जिनमें से महत्वपूर्ण प्रश्नों के शीर्षकों की तालिका जिनकी कुल संख्या 20 है के द्वारा टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिला में प्राप्त जानकारी की तुलनात्मक विश्लेषण व व्याख्या प्रस्तुत की जा रही हैं।

तालिका क्रमांक – 5.45

छात्र का लिंग के आधार पर वर्गीकरण

क्र.	विवरण	टीकमगढ़			छतरपुर		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1.	लिंग	37	13	50	34	16	50

शोध अध्ययन हेतु टीकमगढ़ के 37 छात्र एवं 13 छात्राएं न्यादर्श के रूप में ली गई एवं छतरपुर में 34 छात्र एवं 16 छात्राएं चुनी गई हैं जो कि तालिका क्रमांक 5.45 में प्रदर्शित किया गया हैं।

तालिका क्रमांक – 5.46

माता–पिता की शैक्षिक स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	निरक्षर	12	22
2.	5वीं पास	03	07
3.	8वीं पास	10	05
4.	हायर सेंकण्ड्री पास	13	08
5.	स्नातक	03	01
6.	स्नातकोत्तर	10	07
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.46 में छात्र–छात्राओं के माता–पिता की शैक्षणिक स्थिति का वर्णन किया गया है। टीकमगढ़ जिले में जिन पचास छात्र–छात्राओं को न्यादर्श के रूप में लिया, उनमें 12 निरक्षर, 3, 5वीं उत्तीर्ण, 10, 8वीं उत्तीर्ण, 13 हायर सेकण्ड्री उत्तीर्ण, 03 स्नातक एवं 10 स्नातकोत्तर हैं। इसी तरह छतरपुर जिले में भी 22 निरःक्षर, 07 5वीं उत्तीर्ण, 05 8वीं उत्तीर्ण, 08 हायर सेकण्ड्री उत्तीर्ण, 01 स्नातक एवं 07 स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हैं।

तालिका क्रमांक – 5.47

माता–पिता की जाति एवं व्यवसाय

क्र.	व्यवसाय	टीकमगढ़				छतरपुर			
		अ.जाति.	अनु.जजा.	पि.वर्ग	समान्य	अ.जाति.	अनु.जजा.	पि.वर्ग	समान्य
1.	मजदूरी	03	04	03	01	10	03	01	–
2.	कृषिकार्य	06	–	07	12	–	–	14	11
3.	धन्धा	–	–	01	07	–	–	–	04
4.	शासकीय सेवा	–	–	01	05	01	–	02	04

सारणी क्रमांक 5.47 में माता–पिता की जाति एवं व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई हैं। टीकमगढ़ में मजदूरी करने वाले अभिभावकों में से 3 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति एवं 3 पिछड़ावर्ग एवं 1 सामान्य वर्ग के है। कृषि कार्य करने वालों में 6 अनुसूचित जाति, 7 पिछड़ावर्ग के हैं। शासकीय सेवा में 1 पिछड़ा वर्ग एवं 5 सामान्य वर्ग के हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले में मजदूरी करने वाले 10 अनुसूचित जाति, 3 जनजाति,1 पिछड़ा वर्ग के है। कृषि कार्य करने वालों में 11 सामान्य 14 पिछड़ा वर्ग के हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले में धंधा करने वालों में से 4 सामान्य वर्ग के हैं, जबकि शासकीय सेवा में एक अनुसूचित जाति, 2 पिछड़ा वर्ग और 4 सामान्य वर्ग के हैं

तालिका क्रमांक – 5.48

विद्यालय के वातावरण के प्रति दृष्टिकोण

क्रमांक	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	आनन्ददायक	42	39
2.	सामान्य	08	11
3.	उत्साह–हीन	–	–
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.48 में छात्रों को विद्यालय आना कैसा लगता है, की जानकारी दी गई हैं। टीकमगढ़ जिले के 42 छात्रों ने कहा कि शाला छात्र आनन्ददायक लगता है। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 8 छात्रों ने कहा कि शाला आना सामान्य लगता हैं, जबकि इसके बारे में छतरपुर के 11 छात्रों ने अपनी सहमति दी।

तालिका क्रमांक – 5.49

विद्यालय आने का प्रयोजन

क्रमांक	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	अध्ययन करने के उद्देश्य से	50	45
2.	साथियों के साथ खेलने के उद्देश्य से	–	–
3.	माता–पिता अथवा अभिभावक के कारण	–	05
4.	पड़ोस के बालकों को विद्यालय आने के कारण से	–	–

टीकमगढ़ जिले के शोध हेतु चयनित सभी छात्रों ने बताया कि वे अध्ययन करने के उद्देश्य से विद्यालय आते है जबकि छतरपुर के 45 छात्रों ने बताया कि वे शाला अध्ययन के उद्देश्य से विद्यालय आते है, जबकि 5 ने कहा कि माता–पिता के दबाव के कारण वे विद्यालय आते है।

तालिका क्रमांक – 5.50

छात्र को घर में पढ़ाने में सहायता करने वाले तत्व

क्रमांक	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	माता–पिता	20	18
2.	बड़े भाई अथवा वहन	08	19
3.	ट्यूशन	03	–
4.	पड़ोस	08	04
5.	कोई नही	11	09

तालिका क्रमांक 5.49 में छात्रों को घर में पढ़ाने में माता–पिता सहायता करते हैं। जबकि छतरपुर में माता–पिता इस सहायता करने वालों के बताने वाले छात्र 18 थें। बड़े भाई–बहन द्वारा सहायता करने

की बात टीकमगढ़ के 8 एवं छतरपुर के 19 छात्रों ने स्वीकार किया टीकमगढ़ के 3 छात्रों ने बताया कि वे ट्यूशन द्वारा पढ़ाई करते है। टीकमगढ़ के 11 एवं छतरपुर के 9 छात्रों ने बताया कि उन्हें घर में कोई नही पढ़ाता।

तालिका क्रमांक – 5.51

छात्र के पास अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री की उपयुक्त मात्रा में उपलब्धता

क्रमांक	विवरण	संख्या					
		टीकमगढ़			छतरपुर		
		है	नही	योग	है	नही	योग
1.	पाठ्यपुस्तक	45	05	50	41	09	50
2.	नोट बुक	43	07	50	42	08	50
3.	स्लेट	48	02	50	47	03	50
4.	पेन्सिल पेन	42	08	50	40	10	50

तालिका क्रमांक 5.51 में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता का वर्णन किया गया है टीकमगढ़ के 50 में से 45 के पास पाठ्यपुस्तके, 43 के पास नोटबुक, 48 के पास स्लेट एवं 42 के पास पेन्सिल एवं पेन है। छतरपुर जिले में 40 के पास पेन्सिल, पेन हैं। सारणी से मालूम होता हैं कि आज भी टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले में कुछ छात्रों के पास पाठ्यपुस्तक, नोटबुक स्लेट एवं पेन्सिल की कमी हैं जो कि चिन्तनीय हैं।

टीकमगढ़ – जिले के 50 विद्यालयों मे देखने से पता चलता है कि 05 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें कुछ छात्रों को उपलब्ध की गई।

छतरपुर – जिले के 50 विद्यालयों का अध्ययन किया, जिसमें 06 विद्यालय ऐसे थे जहाँ पर कुछ छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई।

तालिका क्रमांक – 5.52

छात्रों द्वारा उच्चतम अध्ययन किये जाने की स्थिति

क्रमांक	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	कुछ नही	05	07
2.	पांचवी कक्षा	04	09
3.	आठवी कक्षा	06	02
4.	दसवी कक्षा	02	07
5.	बारहवी कक्षा	19	19
6.	स्नातक स्तर की कक्षा	–	01
7.	व्यवसायिक पाठ्यक्रम (इंजीनियरिंग/मेडिकल/शिक्षा)	14	05

तालिका क्रमांक 5.52 में छात्रों के द्वारा उच्चतम स्तर तक अध्ययन हेतु उनके विचारों को बताया गया है। टीकमगढ़ जिले के 5 एवं छतरपुर जिले के 7 छात्रों ने कहा कि वे कुछ नही जानते हैं कि कहाँ तक पढ़ा जाता हैं। टीकमगढ़ के 4 एवं छतरपुर के 9 छात्रों ने मात्र पांचवी तक पढ़ने की बात की। टीकमगढ़ के 6 एवं छतरपुर के 2 बच्चों ने आठवीं स्तर तक शिक्षा ग्रहण करने की बात कही। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 2 एवं छतरपुर के 7 छात्रों ने दसवी तक पढ़ने की इच्छा जताई हैं। बारहवी तक पढ़ने वालों में से टीकमगढ़ एवं छतरपुर के 19–19 बच्चों ने इच्छा जताई हैं। व्यावसायिक पाठ्यक्रम तक पढ़ने वालों में टीकमगढ़ के 14 एवं छतरपुर के मात्र 5 छात्रों ने अपनी बात कहीं।

तालिका क्रमांक – 5.53

छात्र की भावी योजना

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	डॉक्टर	10	05

2.	इन्जीनियर	05	00
3.	शिक्षक	14	25
4.	वकील	08	–
5.	इसंपेक्टर	05	–
6.	अन्य	03	05
7.	कुछ नही (पढ़ाना ही नही चाहतें)	05	15
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.53 में छात्रों की भावी योजना के बारे में जानकारी दी गई हैं डॉक्टर बनने की इच्छा टीकमगढ़ के 10 एवं छतरपुर के 5 बच्चों नें जाहिर की। टीकमगढ़ के 5 बच्चे इन्जीनियर बनने की बात कही। इसी प्रकार शिक्षक एवं वकील बनने की मात्र टीकमगढ़ जिले के 5 एवं 3 बच्चें ने इच्छा जताई। मुख्य बात तो यह है कि टीकमगढ़ के 5 एवं छतरपुर के 15 बालकों ने यह कहा कि वे अपने भावी योजना के बारे में कुछ नही जानते है।

तालिका क्रमांक – 5.54

छात्र के न पढ़ने का कारण

क्रमांक	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	माता–पिता पढ़ाना नही चाहते।	01	–
2.	घर का काम करना पड़ता है।	02	04
3.	जीवकोपार्जन हेतु कार्य करना पड़ता है	02	17
4.	पढ़ाई कठिन व अरूचिकर हैं।	–	02
5.	शाला आपके घर से दूर हैं।	–	–
6.	शिक्षक शाला में पढ़ाते नही हैं।	–	–
7.	पुस्तकें तथा गणवेश इत्यादि खरीद नही कर सकते।	–	–

तालिका क्रमांक 5.54 में छात्रों के न पढ़ने के कारणों पर प्रकाश डाला गया। टीकमगढ़ के 5 में से एक छात्र ने कहा कि वह पढ़ना ही नही चाहता हैं, पांच में 2 छात्रों ने कहा कि उसे घर का काम करना पड़ता है। इसी प्रकार पांच में से 2 छात्रों ने कहा कि उन्हें जीवकोपार्जन हेतु कार्य करना पड़ता हैं। इसी प्रकार छतरपुर जिले के बच्चों से भी न पढ़ने का कारण पूछा गया। जिनमें 23 छात्रों में से 4 ने कहा कि उन्हें घर का काम करना पड़ता है जबकि 2 बच्चों ने कहा कि पढ़ाई बहुत कठिन व अरूचिकर हैं।

तालिका क्रमांक – 5.55

शाला से किसी कार्य को करने हेतु लगातार एक माह तक अनुपस्थिती

क्रमांक	अनुपस्थित रहने का कारण	संख्या			
		टीकमगढ़		छतरपुर	
		हॉ	नही	हॉ	नही
1.	घरेलू कार्य	03	47	08	42
2.	घर के व्यवसाय में अवैतनिक सहायता	02	48	21	49
3.	बाहर किसी स्थान/संस्थान में कार्य	08	42	08	47
	योग –	13		12	

तालिका क्रमांक 5.55 में एक माह तक अनुपस्थित रहने के कारणों पर विचार किया गया है। टीकमगढ़ के 13 में से 3 छात्र घरेलू कार्य, 2 छात्र घर के व्यवसाय में अवैतनिक सहायता एवं 5 छात्र ने बाहर किसी स्थान/संस्थान में नियमित कार्य करने के कारण अनुपस्थित रहने की बात कही। इसी प्रकार छतरपुर जिले में 12 में से 8 छात्रों ने कहा कि वे घरेलू कार्य के कारण शाला से अनुपस्थित रहते हैं। 1 छात्र ने कहा कि वह घर के व्यवसाय में अवैतनिक सहायता के कारण शाला से अनुपस्थिति रहता हैं एवं 3 छात्र ने कहा कि वह बाहर किसी स्थान/संस्थान में नियमित कार्य करने के कारण वे संस्था में लगातार एक माह तक अनुपस्थित रहते है।

तालिका क्रमांक – 5.56

किसी कार्य को करने हेतु एक माह तक अनुपस्थित रहने के लिये बाध्य करने वाले तत्व

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	माता	5	5
2.	पिता	6	6
3.	भाई	2	1
4.	बहन	–	–

तालिका क्रमांक 5.56 में छात्र को एक माह तक अनुपस्थित रहने में बाध्य करने वाले तत्वों को बताया गया हैं। अधिकांश टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के छात्रों ने माता–पिता के कारण अनुपस्थित रहने की बात स्वीकारी, जबकि भाई के कारण टीकमगढ़ जिले के 2 एवं छतरपुर के 1 छात्र ने अनुपस्थित रहने की बात कही।

तालिका क्रमांक – 5.57

शिक्षकों की कक्षा में आने की स्थिति

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	प्रतिदिन	37	30
2.	अधिकतर दिवस	10	12
3.	कभी नही	03	06
4.	बहुत कम	–	02
	योग –	50	50

शिक्षकों के कक्षा में आने की स्थिति के बारे में तालिका क्रमांक 5.57 में बताया गया हैं। जिसमें टीकमगढ़ के 50 में से टीकमगढ़ के 37 एवं छतरपुर के 30 शिक्षक प्रतिदिन शाला जाते हैं। इसी प्रकार

कभी–कभी शाला जाने वाले शिक्षकों में से 3 टीकमगढ़ के एवं 6 छतरपुर जिले के हैं। 50 में छतरपुर जिले के 2 ऐसे शिक्षक हैं जो बहुत ही कम शाला जाते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.58

कक्षा में शिक्षकों को न आने के समय बालकों की क्रिया विधि

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	बालक स्वंय पढ़ाई करते हैं	19	32
2.	कक्षा का कोई बुद्धिमान बालक पढ़ाई करवाता हैं	–	02
3.	किसी अन्य शिक्षक को प्रधानाध्यापक द्वारा भेजा जाता हैं	07	01
4.	आपकी कक्षा को किसी अन्य कक्षा के साथ बैठा दिया जाता हैं	03	09
5.	आपकी कक्षा के छात्र खेलते रहते हैं अथवा घर चले जाते हैं	21	06
	योग –	50	50

तालिका क्रमांक 5.58 में शिक्षकों को कक्षा में न आने के समय बालकों की क्रियाविधि को बताया गया हैं। टीकमगढ के 19 एवं छतरपुर के 32 छात्रों ने कहा हैं कि वे स्वय पढ़ाई करते हैं। छतरपुर के 2 छात्रों ने बताया कि कक्षा का अन्य कोई बालक पढ़ाई करवाता है। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 7 एवं छतरपुर के मात्र 1 बालक ने कहा कि प्रधानाध्यापक द्वारा कोई दूसरा शिक्षक भेजा जाता है। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 3 एवं छतरपुर के 9 छात्रों ने बताया कि उनकी कक्षा को अन्य कक्षा के साथ बैठा दिया जाता हैं। टीकमगढ़ के 21 छात्र एवं छतरपुर के 6 छात्रों ने कहा कि वे खेलते रहते हैं। अथवा घर चले जाते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.59

शिक्षक द्वारा कक्षा में विषय शिक्षण तथा गृहकार्य संचालन व सुचारूपूर्ण निरीक्षण का कार्य

क्रमांक	विवरण	संख्या					
		टीकमगढ़			छतरपुर		
		हॉ	नही	योग	हॉ	नही	योग
1.	शिक्षक कक्षा में सुलेख लिखवाने का अभ्यास करवाते हैं	21	29	50	28	22	50
2.	शिक्षक कक्षा में गणित के प्रश्न हल करते हैं	24	26	50	14	36	50
3.	क्या शिक्षक कक्षा कार्य की जांच करते हैं	44	06	50	43	07	50
4.	क्या शिक्षक गृहकार्य देते हैं	48	02	50	44	06	50
5.	क्या शिक्षक द्वारा गृह कार्य की जांच की जाती हैं	47	03	50	44	06	50

उपरोक्त तालिका में शिक्षक द्वारा कक्षा में विषय शिक्षण तथा गृहकार्य के बारे में बताया गया हैं। कक्षा में सुलेख लिखवाने का कार्य टीकमगढ़ के 21 एवं छतरपुर के 28 शिक्षकों द्वारा किया जाता हैं। इसी प्रकार गणित प्रश्न हल करवाने का कार्य टीकमगढ़ में 50 शिक्षक में से 24 तथा छतरपुर में 14 शिक्षकों द्वारा किया जाता हैं। 50 शिक्षकों में से टीकमगढ़ जिले के 44 ने कहा कि उनके द्वारा कक्षा कार्य की जांच की जाती है, जबकि छतरपुर के 43 शिक्षकों के द्वारा कक्षा कार्य की जांच की जाती हैं टीकमगढ़ के 48 शिक्षकों ने कहा कि वे गृहकार्य देते है। जबकि छतरपुर जिले के 44 शिक्षकों ने कहा कि वे गृहकार्य देते है। इसी प्रकार टीकमगढ़ के 47 तथा छतरपुर जिले के 45 शिक्षकों ने गृह कार्य के निरीक्षण की बात कही।

तालिका क्रमांक – 5.60

शिक्षक द्वारा टेस्ट लिये जाने की संख्या

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	महीने में एक बार	22	25
2.	तिमाही	12	09
3.	अर्द्धवार्षिक	03	02
4.	वर्ष में एक बार	03	02
5.	कभी नही	10	12

उपरोक्त तालिका में शिक्षक द्वारा टेस्ट लिये जाने की स्थिति दर्शायी गयी है। टीकमगढ़ जिले में 44 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहॉ महीने में एक बार टेस्ट लिया जाता है एवं छतरपुर के 50 प्रतिशत स्कूलों में। इसी प्रकार तिमांही परीक्षा टीकमगढ़ के 24 प्रतिशत स्कूलों में एवं छतरपुर के 78 प्रतिशत स्कूलों में ली जाती हैं। अर्द्धवार्षिक परीक्षा टीकमगढ़ के 6 प्रतिशत स्कूलों में एवं छतरपुर के 4 प्रतिशत स्कूलों में ली जाती है। वर्ष में एक बार टेस्ट टीकमगढ़ की मात्र 6 प्रतिशत स्कूलों एवं छतरपुर के 4 प्रतिशत स्कूलों में लिया जाता हैं टीकमगढ़ की 20 प्रतिशत एवं छतरपुर की 24 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जहां पर कभी भी कोई टेस्ट नही लिया जाता है।

तालिका क्रमांक – 5.61

शिक्षक द्वारा लिये गये टेस्ट की जानकारी देना

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	हमेशा जानकारी देते हैं।	24	37
2.	कभी–कभी जानकारी देते हैं।	10	10
3.	कभी नही बताते हैं।	16	03

उपरोक्त तालिका में शिक्षकों द्वारा लिये गये टेस्ट की जानकारी देने की बात बतायी गयी हैं। टीकमगढ़ के 24 एवं छतरपुर के 37 (50 में से) शिक्षकों ने बताया कि वे छात्रों को हमेशा टेस्ट की जानकारी देते हैं। टीकमगढ़ तथा छतरपुर के 10–10 शिक्षकों ने बताया कि वे टेस्ट की कभी–कभी जानकारी देते हैं। इसी प्रकार टीकमगढ़ की 32 प्रतिशत एवं छतरपुर के मात्र 6 प्रतिशत ऐसे शिक्षक हैं जो कि टेस्ट की जानकारी कभी भी छात्रों को नही देते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.62

शिक्षक द्वारा शाला भवन के बाहर आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण की जानकारी

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	सप्ताह में एक बार	04	00
2.	15 दिनों में एक बार	04	00
3.	एक महीनें में एक बार	02	00
4.	वर्ष में एक बार	00	00
5.	कभी नही	40	50

तालिका क्रमांक 5.62 में शिक्षक द्वारा छात्रों को भ्रमण कराये जाने की स्थिति की जानकारी दी गई हैं। टीकमगढ़ जिलें में 4 स्कूल ऐसे है जहां पर छात्रों को 15 दिनों में एक बार भ्रमण पर ले जाया जाता हैं, तथा 2 स्कूल ऐसे हैं जहां महीने में मात्र एक बार भ्रमण पर ले जाया जाता हैं। टीकमगढ़ की 40 एवं छतरपुर की 50 स्कूल ऐसे हैं जहां कभी भी छात्रों को भ्रमण पर नही ले जाया जाता हैं।

तालिका क्रमांक – 5.63

छात्रों को विद्यालय में खेलने के अवसर संबंधी जानकारी

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	पूरे विद्यालय के समय में	00	00
2.	मध्यावकाश में	42	24

3.	खेलने के कालखण्ड में	08	26
4.	कभी नही	00	00
योग –		50	50

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि टीकमगढ़ की 42 एवं छतरपुर की 24 स्कूल ऐसे हैं (50 में से) जहां मध्यावकाश में खेलने का समय मिलता है। टीकमगढ़ की 8 एवं छतरपुर की 26 स्कूलों में खेलने हेतु अलग से कालखण्ड समय सारणी में निर्मित हैं।

तालिका क्रमांक – 5.64

छात्रों के विद्यालय के प्रति भय संबंधी जानकारी

क्र.	विवरण	संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	बालक शिक्षक से भयभीत रहता हैं	01	03
2.	प्रधानाध्यापक से भयभीत रहता हैं	00	00
3.	अपर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं	00	03
4.	किसी से नहीं	49	44

तालिका क्रमांक 5.64 में उन कारणों को बताया गया है। जिससे छात्र शाला जाने में भयभीत रहता है। जैसा कि तालिका से स्पष्ट है। कि टीकमगढ़ 1 एवं छतरपुर 3 छात्रों ने (पचास में से) शिक्षक से भयभीत रहने की बात कही। टीकमगढ़ के 4 छात्र एवं छतरपुर 2 छात्रों ने साथ में अध्ययनरत छात्रों से भयभीत रहने की बात स्वीकारा। छतरपुर के 3 छात्र अपने से ऊंची वाली कक्षाओं के छात्र–छात्राओं से भयभीत रहते हैं टीकमगढ़ के 45 एवं छतरपुर के 42 छात्रों ने बताया कि वे किसी से भयभीत नही रहते हैं।

5. शालात्यागी छात्रों की अनुसूची

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में विद्यार्थियों की शालात्यागी प्रवृत्ति एक प्रमुख बाधक तत्व के रूप में विद्यमान हैं। इस प्रवृत्ति के कारण अपव्यय एवं अवरोधन में वृद्धि होती हैं। शोधक्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा भी विद्यार्थियों की शालात्यागी प्रवृत्ति से अछूती नही हैं। इसी उद्देश्य से शोधार्थिनी

ने अपने शोधकार्य में शोध उपकरण के रूप में शालात्यागी छात्रों की अनुसूची का प्रयोग किया है। सन् 2000–01 में शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों शोधकार्य हेतु चयनित 50–50 प्राथमिक विद्यालयों में शोधार्थिनी ने इस सत्र से एक वर्ष पूर्व तक के शाला त्यागने वाले छात्र–छात्राओं के वास्तविक स्थिति के आंकलन हेतु इस अनुसूची का उपयोग किया हैं। इस अनुसूची में कुल 26 प्रश्न बिन्दु रखे गये है, इनमें से 5 प्रमुख बिन्दुओं के शीर्षकों की साक्षात्कार से प्राप्त स्थिति की तालिकाएं बनाकर विद्यार्थियों के शालात्यागी स्थिति तथा उसके कारण को अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं।

तालिका क्रमांक – 5.65

शाला त्यागने वाले छात्र–छात्राओं की आयु

क्रमांक	विवरण	छात्र–छात्राओं की संख्या					
		टीकमगढ़			छतरपुर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	7 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थी	12	16	28	13	19	32
2.	8 वर्ष के आयुवर्ग के विद्यार्थी	17	22	39	18	23	41
3.	9 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थी	15	23	28	20	22	42
4.	10 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थी	21	33	54	34	52	86

विश्लेषण एवं व्याख्या –

तालिका क्रमांक 5.65 में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के शोध हेतु चयनित 50–50 प्राथमिक विद्यालयों में सत्र 2000–01 में शालात्यागी छात्र–छात्राओं की आयु दर्शायी गयी है। उक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि सबसे अधिक शालात्यागी बालक–बालिकाएं 10 वर्ष के आयुवर्ग के हैं। तालिका से यह भी स्पष्ट होता हैं कि छतरपुर जिले में टीकमगढ़ जिले की तुलना में अधिक छात्र–छात्राएं शालात्यागी हैं। दोनों ही जिलों में बालकों की तुलना में बालिकाएं अधिक शालात्यागी हैं।

तालिका क्रमांक 5.66

शालात्यागी बालक–बालिकाओं के अभिभावकों के व्यवसाय की जानकारी

क्र.	विवरण	अभिभावकों की संख्या	
	अभिभावकों का व्यवसाय	जिला टीकमगढ़	जिला छतरपुर
1.	मजदूरी	37	52
2.	घरेलू व्यवसाय	32	47
3.	स्वयं की खेती	2	4
4.	खानाबदोशी	–	–
5.	नगरों अथवा महानगरों में कार्य हेतु पलायन	55	74
6.	कार्य की अनिश्चितता	23	24

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उक्त तालिका क्रमांक 5.66 से यह स्पष्ट होता है। कि अधिकांश शालात्यागी बालक–बालिकाओं के अभिभावक (विशेषकर पिता) अपने गृह ग्राम में अपने पाल्यों के साथ निवास नही कर रहे हैं, वे कार्य की तलाश में समीपवर्ती नगरों अथवा महानगरों में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरों, घरेलू छोटे व्यवसाय से संलग्न अभिभावकों को भी उनके कार्य में सहयोग देने के दृष्टिकोण से उनके पाल्य शालात्याग देते हैं। शोधार्थिनी को अनेक ऐसे अभिभावक भी साक्षात्कार के समय मिले, जिनका कोई निश्चित कार्य अथवा व्यवसाय नही हैं तथा वे कही भी किसी भी प्रकार का साधारण कार्य मिलने की स्थिति में अपने परिवार सहित उस कार्य को करने हेतु अनिश्चित काल के लिये चले जाते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.67

शालात्यागी बालक–बालिकाओं के अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यता

क्र.	विवरण अभिभावकों का व्यवसाय	अभिभावकों की संख्या जिला टीकमगढ़	 जिला छतरपुर
1.	निरंक्षर	145	198
2.	कक्षा 5 से कम	04	03
3.	कक्षा 5 तक	–	–
4.	कक्षा 8 तक	–	–
5.	हायर सेकेण्ड्री तक	–	–

विश्लेषण एवं व्याख्या –

दोनों ही जिलों में शोध हेतु चयनित क्षेत्र में शालात्यागी बालक–बालिकाओं के अभिभावकों को शोधार्थिनी ने सामान्यतः निरक्षर ही पाया । टीकमगढ़ जिले में 4 तथा छतरपुर जिले में मात्र 3 अभिभावक ऐसे थे जिन्होंने कक्षा 5 से कम (कक्षा 1 या 2 तक) की शिक्षा प्राप्त की थी, जिनके पाल्य शालात्यागी छात्र–छात्राओं के समूह में शामिल थें।

तालिका क्रमांक – 5.68

बालक/बालिकाओं, के विद्यालय छोड़ने के कारण

क्र.	विवरण	शालात्यागी बालक/बालिकाओं की संख्या जिला टीकमगढ़		 जिला छतरपुर	
1.	माता–पिता पढ़ाई आगे नही कराना चाहते।	04	2.6%	17	8.45%
2.	आर्थिक स्थिति का बहुत खराब होना।	82	55%	113	56.2%

3.	घर में छोटे भाई–बहनों की देखभाल।	17	11.4%	22	10.94%
4.	अध्ययन कठिन तथा आनन्द दायक नही।	01	0.6%	01	0.49%
5.	अस्वस्थता।	–	–	–	–
6.	शिक्षक असहयोग।	–	–	01	0.49%
7.	शारीरिक दण्ड।	–	–	–	–
8.	विद्यालय घर से दूर होना।	01	0.6%	04	1.99%
9.	धन कमाने हेतु अन्यत्र कार्य।	44	29.5%	43	21.39%

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपरोक्त तालिका क्रमांक 5.68 शोधक्षेत्र के प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं के शाला त्यागने के कारण को स्पष्ट करती है। दोनों ही जिलों में शाला त्यागने का मूल कारण अपने माता–पिता को परिवार संचालन में सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से काफी बालक–बालिकाएं विद्यालय परित्याग कर देते है। दोनों ही जिलों में विशेषकर बालिकाएं घर में छोटे–भाई बहनों के देखभाल के उद्देश्य से भी विद्यालय नही जा पाती।

तालिका क्रमांक – 5.69

शालात्यागी बालक/बालिकाओं को धन कमाने हेतु अन्य कार्य करने में प्रतिदिन लगने वाला समय

क्र.	विवरण	संख्या	
		जिला टीकमगढ़	जिला छतरपुर
1.	8 घण्टे (प्रातः 9 से 5 बजे तक)	40	40
2.	7 घण्टे (10 बजे से 5 बजे तक)	4	3

विश्लेषण एवं व्याख्या –

शोधार्थिनी ने ऐसे शालात्यागी बालक–बालिकाओं से जो धन कमाने के उद्देश्य से कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, से सम्पर्क कर यह जानने का प्रयास किया कि उन्हें इस हेतु प्रतिदिन कितना समय लगता हैं। तथा वे दिन में कब से कब तक यह कार्य करते है। इस हेतु दोनों जिलों के अधिकतर बालक–बालिकाओं ने प्रतिदिन 8 घण्टे (प्रातः 9 बजे से सांय 5 बजे तक) अपने आपकों कार्य करने हेतु व्यस्त बताया। कुछ ऐसे भी बालक थें, जिन्होंने प्रतिदिन 8 घण्टे काम करने की बात कही।

6. अभिभावक – साक्षात्कार प्रपत्र

शोध क्षेत्र की आर्थिक व सामाजिक स्थिति अपेक्षाकृत अन्य विकसित क्षेत्रों की तुलना में अधिक पिछड़ी हुई हैं, इसलिए यहां अभिभावकों की समस्त गतिविधियां छात्रों के शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावति करती हैं इसी उद्देश्य से शोधार्थिनी ने प्रत्येक चयनित विद्यालय के किसी एक विद्यार्थी के अभिभावक का साक्षात्कार विशेष रूप से उसके पाल्य के शिक्षण संबंधी गतिविधियों में उनकी राय जानने हेतु लिया हैं। अभिभावकों को चयन में उनके शैक्षिक स्तर की विभिन्नता, आर्थिक स्तर में विभिन्नता, सामाजिक व जातिगत स्तर में विभिन्नता, व्यावसायिक स्तर में विभिन्नता को ध्यान में रखा गया है। शोधार्थिनी ने अभिभावकों से साक्षात्कार पत्रक में कुल 27 प्रश्न रखे थे, इनमें से महत्वपूर्ण 8 बिन्दुओं की टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों को तुलनात्मक तालिकाएं तथा उनकी विश्लेषण व व्याख्या प्रस्तुत की जा रही हैं।

तालिका क्रमांक – 5.70

साक्षात्कार लिये गये अभिभावकों की शैक्षणिक योग्यता

क्र.	विवरण	टीकमगढ़						छतरपुर					
योग्यता का		निरक्षर	5वीं,	8वीं,	10/12वीं	स्ना.	नि.	5वीं,	8वीं,	10/12वीं	स्ना.	स्नातको.	स्नातको.स्तर
1.	अभिभावक	08	03	09	06	06	18	13	07	01	8	8	13

उपरोक्त तालिका में टीकमगढ़ एवं छतरपुर के अभिभावकों को उनकी योग्यता के आधार पर संख्या दर्शाई गयी है। जिन पचास–पचास अभिभावकों से साक्षात्कार किया गया है। उनमें टीकमगढ़ के 8 एवं छतरपुर के 13 अभिभावक निरक्षर है। टीकमगढ़ के 5 एवं छतरपुर के 7 अभिभावक मात्र 5वीं पास हैं इसी प्रकार 8 वीं पास टीकमगढ़ के 9 एवं छतरपुर के एक अभिभावक है। 10/12वीं पास

टीकमगढ़ के 6 एवं छतरपुर के 8 हैं, जबकि स्नातक टीकमगढ़ के 6 एवं छतरपुर के 8 हैं। स्नातकोत्तर की योग्यता वाले अभिभावक टीकमगढ़ जिले के 18 एवं छतरपुर जिले के 13 हैं।

तालिका क्रमांक – 5.71

विद्यालय शिक्षण तथा गृहकार्य से असंतुष्ट की स्थिति

	टीकमगढ़				छतरपुर			
संतुष्ट होने की स्थिति	हॉ	नही	पता–नही	योग	हॉ	नही	पता–नही	योग
अभिभावकों की संख्या	27	23	00	50	20	28	02	50

तालिका क्रमांक 5.71 में अभिभावकों के शिक्षणकार्य से उनके द्वारा दिये गये गृहकार्य में संतुष्ट होने की स्थिति को दर्शाया गया हैं। टीकमगढ़ में 27 एवं छतरपुर में 20 (50 में से) अभिभावक ऐसे हैं जो विद्यालय के शिक्षकीय कार्य से सन्तुष्ट रहते हैं, जबकि टीकमगढ़ के 23 एवं छतरपुर के 28 अभिभावकों ने बताया कि वे विद्यालय के शिक्षण एवं गृहकार्य से संतुष्ट नहीं हैं। उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता हैं कि करीब–करीब 50 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय के शिक्षकीय कार्य से संतुष्ट नही रहते हैं। टीकमगढ़ के विद्यालयों में शिक्षण कार्य छतरपुर की अपेक्षा ठीक हैं, जैसा कि तालिका से स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक – 5.72

विद्यालयों में बालकों को शारीरिक दण्ड देने के विषय में अभिभावकों के अभिमत

विवरण	टीकमगढ़		छतरपुर	
	प्रसन्न हैं	प्रसन्न नही हैं	प्रसन्न हैं	प्रसन्न नही हैं
अभिभावकों की संख्या	20	30	22	28

तालिका क्रमांक 5.72 में अभिभावकों का मत पूछा गया है। कि वे क्या बालक को शारीरिक दण्ड दिये जाने के पक्ष में हैं अथवा नही। टीकमगढ़ के 20 एवं छतरपुर के 22 लोगों ने बताया कि वे शिक्षक द्वारा शारीरिक दण्ड दिये जाने के पक्ष में हैं। टीकमगढ़ के 30 एवं छतरपुर के 28 लोगों ने इसके विपरीत विचार प्रकट किया।

तालिका क्रमांक – 5.73

छात्र प्रोत्साहन योजना के लाभ की स्थिति

विवरण	टीकमगढ़				छतरपुर			
	पूर्णतः	आंशिक	नही	योग	पूर्णतः	आंशिक	नही	योग
अभिभावकों की संख्या	13	13	24	50	16	22	12	50

तालिका क्रमांक 5.73 में छात्र प्रोत्साहन योजना के लाभ की स्थिति के बारे में बताया गया हैं। टीकमगढ़ के 13 एवं छतरपुर के 16 अभिभावकों ने कहा कि छात्र प्रोत्साहन योजना का लाभ पूर्णतः बालक को हो रहा है। इसी प्रकार आंशिक लाभ के बारे में टीकमगढ़ के 13 एवं छतरपुर के 22 अभिभावकों ने अपनी सहमति दी है, जबकि कोई लाभ नही मिल रहा है, के बारे में टीकमगढ़ के 24 एवं छतरपुर के 12 अभिभावकों ने अपने विचार दिये।

तालिका क्रमांक 5.74

विभिन्न शैक्षणिक स्तर तक पाल्यों को अध्ययन कराने संम्बन्धी अभिभावकों के अभिमत

टीकमगढ़

विवरण	8वीं	10/12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर	नही मालूम	पाल्य की इच्छा	योग
अभिभावकों की सं.	02	05	14	13	05	11	50

छतरपुर

विवरण	8वीं	10/12वीं	स्नातक	स्नातकोत्तर	नही मालूम	पाल्य की इच्छा	योग
अभिभावकों की संख्या	01	10	03	20	05	11	50

तालिका क्रमांक 5.74 में पाल्यो को अध्ययन कराने संबंधी अभिभावक का अभिमत दिया गया है,

जिसमें टीकमगढ़ के 2 एवं छतरपुर के 1 अभिभावक ने अपने पाल्यों को 8वीं तक पढ़ाने की बात कही। 10/12 वीं तक पढ़ाने की बात टीकमगढ़ के 5 अभिभावक एंव छतरपुर के 10 अभिभावकों ने कही । स्नातक स्तर तक पढ़ाने के लिये टीकमगढ़ के 14 एवं छतरपुर के 3 अभिभावकों ने अपने अभिमत दिये। स्नातक स्तर तक पढ़ाने के बारे में टीकमगढ़ के 13 एवं छतरपुर के 20 अभिभावकों ने अपने विचार दिये, जबकि बच्चों की इच्छानुसार पढ़ने के पक्ष में टीकमगढ़ एवं छतरपुर दोनों के 11–11 अभिभावकों ने अपने विचार दिये। टीकमगढ़ तथा छतरपुर के 5–5 अभिभावकों ने कहा कि वे इस बारे में कुछ नही जानते हैं।

तालिका क्रमांक – 5.75

पुत्र/पुत्रियों को शिक्षा के समान अवसर देनें संबंधी अभिमत

विवरण	टीकमगढ़			छतरपुर		
	हॉ	नही	योग	हॉ	नही	योग
अभिभावकों की संख्या	46	04	50	49	01	50

तालिका क्रमांक 5.75 में अभिभावक का मत उनके पुत्र/पुत्रियों को समान अवसर देने के पक्ष में चला गया हैं, जिनमें टीकमगढ़ के 50 में से 46 एवं छतरपुर के 49 अभिभावकों ने समान अवसर देनें की बात की।

तालिका क्रमांक – 5.76

पुत्र/पुत्रियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन पूर्ण करने की स्थिति

	टीकमगढ़		छतरपुर	
विवरण	अध्ययन पूरा किया	अध्य. पूरा नही किया	अध्ययन पूरा किया	अध्य. पूरा नही किया
अभिभावकों की संख्या	47	03	39	11

तालिका क्रमांक 5.76 में पुत्र/पुत्रियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया या पूरा किया गया, की जानकारी दी गई है। टीकमगढ़ के 47 (50 में से) एवं छतरपुर के 39 अभिभावकों ने कहा कि उनके पुत्र/पुत्रियों ने प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन पूरा कर लिया है। टीकमगढ़ के 3 एवं छतरपुर

के 11 अभिभावकों ने अपने पाल्यों के प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन पूरा न करने संबंधी जानकारी दी ।

तालिका क्रमांक – 5.77

अभिभावकों के द्वारा शालात्यागी पुत्र/पुत्रियों को पुनः अध्ययन हेतु प्रेरित करने की स्थिति

क्र.	विवरण	अभिभावकों की संख्या	
		टीकमगढ़	छतरपुर
1.	पुनः औपचारिक विद्यालयों में अध्ययन हेतु भेजेगें	2	6
2.	औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्दों में भेजेगें	–	2
3.	आगे पढ़ाना संभव नही	1	3
	योग–	3	11

सारणी क्रमांक 5.77 में उन अभिभावकों के जिनके बालक–बालिकाओं ने प्राथमिक स्तर का अध्ययन बीच में ही छोड़ दिया हैं, से उन्हें पुनः अध्ययन हेतु भेजने से संबधित अभिमत को स्पष्ट किया गया है।

7. अधिकारी साक्षात्कार

शोधार्थिनी ने अपने शोधकार्य को अधिक वैध तथा तर्क संगत बनाने के उद्देश्य से टीकमगढ़ एवं छतरपुर जिले के प्राथमिक शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारियों जैसे विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी उपसंचालक शिक्षा व राजीवगांधी शिक्षा मिशन के जिला समन्वयक से भी प्रश्नावली के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को संकलित करने का प्रयास किया टीकमगढ़ जिले के 8 तथा छतरपुर जिले के 6 विकासखण्ड शिक्षा अधिकारीयों से शोधार्थिनी अनेक प्रयत्न करने के पश्चात् भी सभी से संपर्क स्थापित कर पाने में सफल नही हो सकी। जिन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों से संपर्क हो सका उन सभी से प्राप्त जानकारी लगभग एक समान ही रही। दोनों जिलों के अधिकारियों ने अधिकांश लोगों के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने को प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में मूल बाधक कारक के रूप में बताया इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्थिति का परम्परागत होना, अधिकारियों द्वारा एक दूसरी प्रमुख बाधा के रूप में स्वीकार किया शोधार्थिनी को अधिकारियों के साक्षात्कार से यह भी पता चला कि अधिकाशं

विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यधिक कमी, विद्यालय भवनों की जीर्ण–क्षीण स्थिति तथा उचित शैक्षणिक वातावरण का निर्माण न होना इन दोनों जिलों को प्राथमिक शिक्षा के शत्–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के लक्ष्य से बहुत पीछे रखने में बाध्य कर रहा हैं।

शोधार्थिनी ने शोधक्षेत्र के इन दोनों जिलो में औपचारिकेत्तर शिक्षा संस्थाओं के योगदान को प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में लगभग न्यून पाया। इन केन्द्रों से संबंधित अधिकारी भी इन केन्द्रों के संचालन से संतुष्ट नही दिखाई दिये।

शोधक्षेत्र के दोनों जिलों के विभिन्न अधिकारियों ने प्राथमिक शालाओं में शासन द्वारा संचालित अनेक प्रोत्साहन योजनाओं की चर्चा की तथा इन योजनाओं के संचालन से विद्यार्थियों के नामांकन में वृद्धि होने का संकेत दिये किन्तु उन्होने इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

8. छात्र परीक्षण पत्रक

शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के उद्देश्य तथा लक्ष्य उसी स्थिति में प्राप्त कर पाना संभव हो सकता है, जब अध्ययनरत छात्र–छात्राओं में उनके कक्षा के स्तर के अनुरूप अधिगम स्तर को सुनिश्चित किया जा सके। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है। कि किसी भी स्तर के शिक्षा की सफलता तभी संभव है जब उस स्तर को अध्ययन कर चुने विद्यार्थी उस स्तर की योग्यता को प्राप्त कर लें। शोधार्थिनी ने अधिगम की वास्तविक स्थिति को मूल्यांकित करने के लिये शोध क्षेत्र के चयनित 50–50 विद्यालयों के कक्षा 5 में अध्ययनरत 5–5 छात्रों का कक्षा 4 के पाठ्यक्रम पर आधारित गणित, भाषा, सामान्य विज्ञान व सामाजिक विज्ञान विषयों के अधिगम स्तर का परीक्षण एक परीक्षण पत्रक के द्वारा किया । इस परीक्षण पत्रक में उक्त चारों विषयों के 5–5 प्रश्न रखे गये, प्रश्नों का चयन करते समय यह ध्यान दिया गया कि इन प्रश्नों से अधिक से अधिक कौशलों के परीक्षण का अवसर मिल सके। प्रत्येक प्रश्न को 2–2 अंक आवंटित किये गये परीक्षण पत्रक के भूगोल तथा विज्ञान विषय के अन्तर्गत रखे गये प्रश्नों में कुछ प्रश्नों के एक से अधिक खण्ड थे। विद्यालयों में इस परीक्षण पत्रक का विद्यार्थियों को बांटकर उन्हें 45 मिनट में इसे हल करने के निर्देश दिये गये। परीक्षा के उपरान्त इस परीक्षण पत्रकों का मूल्यांकन किया गया। जिसका विवरण नीचे दी गयी तालिकाओं में स्पष्ट हैं।

तालिका क्रमांक – 5.78

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में अध्ययनरत कक्षा 5 के विद्यार्थियों में हिन्दी विषय के अधिगम उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का प्रतिशत (लिंगानुसार)

क्षेत्र	क्र. प्राप्तांकों की स्थिति	सत्र 2000–01 शोधार्थिनी द्वारा परीक्षण के अनुसार					
		जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
शब्दार्थ	1. 0 अंको (शून्य अधिगम स्तर)	9.50	16.00	12.75	6.50	9.50	8.00
	2. 0 से ऊपर 4 अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नहीं)	29.5	31.50	30.50	22.50	31.50	27.00
	3. 4 से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम (न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)	45.50	39.00	42.25	54.50	43.50	48.75
	4. 6 अंक से ऊपर किन्तु 8 अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	44.00	11.00	12.50	12.50	14.00	13.00
	5. 8 से ऊपर किन्तु 10 अंक से कम (दक्षता की प्राप्ति)	1.50	1.00	1.25	3.50	1.00	2.25
अध्ययन क्षमता	1. 0 अंक (शून्य अधिगम स्तर)	4.50	5.00	4.75	3.50	2.50	3.00
	2. 0 से अधिक किंतु 4से कम (अधिगम स्तर अधिगम स्तर की प्राप्ति नहीं)	71.50	78.00	74.75	62.50	72.00	67.25
	3. 4 से अधिक किंतु 6 अंक से कम (न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)	13.50	14.50	14.00	25.5	14.50	20.00
	4. 6 से अधिक किंतु 8 से	7.50	2.00	4.75	11.00	14.00	12.50

कम (दक्षता की ओर अग्रसर)							
5. 8से अधिक किंतु 10 अंक से							
कम(दक्षता की प्राप्ति)	2.50	0.50	1.50	1.00	0.00	0.56	

विश्लेषण अवं व्याख्या–

सत्र 2000–2001 में शोधार्थिनी द्वारा टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों के शोध अध्ययन हेतु चयनित 50–50 प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 5 में अध्ययन क्षमता में लिये गये परीक्षण के अनुसार उपरोक्त तालिका में अंकित विद्यार्थियों के लिंगानुसार प्रतिशतता के अनुसार परिणाम प्राप्त हुये। उक्त तालिका में हिन्दी विषय के इन दोनों क्षेत्रों में परीक्षण के पश्चात 0 से 4 अंक प्राप्त करने वाले टीकमगढ़ जिले के शब्दार्थ ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत 39 प्रतिशत बालक तथा 47.50 प्रतिशत बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नहीं कर सकी थी जबकि भाषा विषय के इसी क्षेत्र में न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त न कर पाने वाले छतरपुर जिले के बालक और बालिकाओं का प्रतिशत क्रमशः 29 तथा 41 था। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि टीकमगढ़ जिले में भाषा विषय के अन्तर्गत शब्दार्थ ज्ञान के क्षेत्र में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की अधिगम स्थिति का स्तर छतरपुर जिले के इसी वर्ग के छात्र–छात्राओं की अधिगम स्थिति की तुलना में खराब हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भाषा विषय के अंर्तगत विद्यार्थियों ने टीकमगढ़ जिले की तुलना में अधिक अच्छी स्थिति को प्राप्त किया हैं।

तालिका कमांक–5.79

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में अध्ययनरत कक्षा 5 के विद्यार्थियों में गणित विषय के अधिगम उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का प्रतिशत (लिंगानुसार)

क्र.	प्राप्ताकों की स्थिति	सत्र 2000–01 शोधार्थिनी द्वारा परीक्षण के अनुसार					
		जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1.	0 अंक (न्यूनतम अधिगम स्तर)	3.00	5.00	4.00	2.00	1.00	1.50
2.	0 से ऊपर किन्तु 4 अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नही)	85.00	85.50	85.25	85.00	90.00	87.05

3.	4 से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	6.00	0.66	0.66	10.50	4.00	7.25
4.	6 अंक से अधिक किन्तु 8 अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	4.00	3.00	3.50	2.00	4.00	3.00
5.	8 से अधिक किन्तु 10 अंक से कम (दक्षता की प्राप्ति)	2.00	0.05	1.25	1.00	1.00	1.00

विश्लेषण एवं व्याख्या –

सत्र 2000–2001 में शोधार्थिनी द्वारा टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के शोध अध्ययन हेतु चयनित 50–50 विद्यालयों के 250 विद्यार्थियों के गणित विषय में लिए गये परीक्षण के अनुसार उपरोक्त तालिका में अंकित विद्यार्थियों की लिंगानुसार प्रतिशतता के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुये। उक्त तालिका में गणित विषय में परीक्षण के पश्चात् 0 से 4 अंक तक प्राप्त करने वाले टीकमगढ़ जिले के 88 प्रतिशत बालक तथा 90.5 प्रतिशत बालिकाएं थी जबकि छतरपुर जिले में यह प्रतिशत संख्या 87 तथा 91 थी।

तालिका क्रमांक 5.80

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में अध्ययनरत कक्षा 5 के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय के अधिगम के उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का प्रतिशत

(लिंगानुसार) तुलनात्मक स्थिति

क्र. प्राप्तांकों की स्थिति	सत्र 2000–01 परीक्षण के अनुसार					
	जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. 0 अंक (शून्य न्यूनतम अधिगम स्तर)	26.05	23.00	29.05	26.00	29.00	27.05
2 .0 से ऊपर किंतु 4 अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नही)	27.05	29.00	28.25	31.00	27.00	29.25
3 .4 से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम	38.00	34.05	36.25	34.05	38.05	36.05

(न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)						
4. 6 से अधिक किन्तु 8 अंक से कम	8.00	4.05	6.25	7.05	4.00	5.75
(दक्षता की ओर अग्रसर)						
5. 8 से ऊपर किन्तु 10 अंक से कम	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.05
(दक्षता की प्राप्ति)						

विश्लेषण एवं व्याख्या –

सत्र 2000–2001 में शोधार्थिनी द्वारा टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के शोध अध्ययन हेतु चयनित 50–50 विद्यालयों के 250 विद्यार्थियों के विज्ञान में लिए गए परीक्षण के अनुसार उपरोक्त तालिका में अंकित विद्यार्थियों की प्रतिशतता के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुए। उक्त तालिका में विज्ञान विषय में परीक्षण के पश्चात् 4 अंक तक प्राप्त करने वाले टीकमगढ़ जिले में 54 प्रतिशत बालक तथा 61 प्रतिशत बालिकाएं थी, जबकि छतरपुर जिले में 57 प्रतिशत बालक तथा 56.5 प्रतिशत बालिकाओं ने न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि प्राप्त नही कर सके। उक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं कि टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों में विज्ञान विषय में विद्यार्थियों के अधिगम की स्थिति लगभग समान हैं छतरपुर जिले की यह स्थिति टीकमगढ़ जिले की तुलना में कुछ अच्छी हैं।

तालिका क्रमांक – 5.81

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में अध्ययनरत कक्षा 5 के विद्याथियों में भूगोल विषय के अधिगम के उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का प्रतिशत

(लिंगानुसार) तुलनात्मक स्थिति

क्र. प्राप्ताकों की स्थिति	सत्र 2000–01 परीक्षण के अनुसार					
	जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. 0 अंक (शून्य न्यूनतम अधिगम स्तर)	21.00	22.00	21.75	25.70	27.05	26.25
2. 0 से ऊपर किंतु 4 अंक से कम	33.00	34.50	33.75	35.00	37.05	26.25
(अधिगम स्तर की प्राप्ति नही)						

3.	4 से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम (न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)	36.00	32.05	34.25	35.00	30.05	32.75
4.	6 से ऊपर किन्तु 8 अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	6.00	7.05	6.75	2.00	2.05	2.25
5.	8 से ऊपर किन्तु 10 अंक से कम (दक्षता की प्राप्ति)	4.00	3.00	3.05	3.00	2.00	2.05

विश्लेषण एवं व्याख्या–

सत्र 2000–2001 में शोधार्थिनी द्वारा टीकमगढ़ तथा छतरपुर के शोध अध्ययन हेतु के शोध अध्ययन हेतु चयनित 50–50 विद्यालयों के 250 विद्यार्थियों के भूगोल विषय में लिये गये परीक्षण के अनुसार उपरोक्त तालिका में अंकित विद्यार्थियों की लिंगानुसार प्रतिशतता के अनुरूप परिणाम प्राप्त हुए। उक्त तालिका में भूगोल विषय के परीक्षण के पश्चात 0 से 4 अंक तक प्राप्त करने वाले टीकमगढ़ जिले के 54 प्रतिशत बालक तथा 57.00 प्रतिशत बालिकाये थी, जबकि छतरपुर जिले में 60 प्रतिशत बालक तथा 65.00 प्रतिशत बालिकाऐ न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सके।

अध्याय - षष्टम

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में किये गये प्रयासों के प्रभाव

प्रत्येक कार्य को करने का कोई न कोई उद्देश्य होता हैं। उद्देश्यहीन कार्य से समुचित परिणाम प्राप्त होने की आशा नही की जा सकती। इसलिए किसी न किसी कार्य को करने के पहले उसके उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्धारित कर लिए जाते हैं। यह बात अवश्य है कि एक निश्चित कार्य के उद्देश्य दूसरे कार्यों के उद्देश्यों से अलग होते हैं। कार्य के प्रति किया गया श्रम, धन का खर्च, समय का व्यय सार्थक तभी होते हैं, जब हम उस कार्य का अभी तक का लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। कार्य को करने के लिए प्रयोग में लायी गई विभिन्न युक्तियों, किया गया श्रम, खर्च किया गया धन तथा व्यय किया गया अमूल्य समय इत्यादि प्रयास के अन्तर्गत आता हैं। किसी भी कार्य के प्रति किये गये प्रयास उस कार्य की प्रगति तथा कार्य के प्रतिफल को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रयास के परिणाम प्रभावी होते हैं। किसी कार्य की सम्पूर्णता प्रयास तथा प्रभाव के योग पर ही निर्भर होती है। हम किसी कार्य के प्रति जिस स्तर के प्रयास करते हैं। उन प्रयासों के प्रभाव हमें उसी स्तर के प्राप्त होते हैं।

प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करने का आधिकार जन–जन का है, चूँकि इस शिक्षा में सहभागियों की संख्या अन्य किसी स्तर को शिक्षा या अन्य किसी कार्यक्रम की तुलना में बहुत अधिक हैं अतः प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का कार्य निश्चित रूप से किसी भी देश के समक्ष सबसे बड़े कार्य के रूप में हैं। कार्य के वृहद स्वरूप को देखते हुए इसके उद्देश्यों और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उतने ही वृहद प्रयास किये जाते है। चूँकि ये प्रयास बहुत अधिक विस्तृत तथा व्यापक हैं। इसलिए इनके प्रभाव भी प्राथमिक शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देते हैं।

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में मुख्य प्रयास आबाद विद्यालय सुविधा विहीन गॉव में एक किलोमीटर की दूरी के अन्दर प्राथमिक स्तर के विद्यालय स्थापित करना, 6 से 11 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं का शत–प्रतिशत नामांकन, विद्यालय को सर्व सुविधायुक्त बनाकर विद्यार्थियों के ग्रह्यतादर में वृद्धि, शालात्यागी बालक–बालिकाओं की संख्या कम करना, इसमें विशेषकर जो बालिकाओं की शाला त्यागने की दर बालकों की अपेक्षा अधिक हैं। इस अनुपात को घटाना तथा अध्ययनरत बालक–बालिकाओं की न्यूनतम अधिगम स्तर में वृद्धि की बात शामिल है। शोधार्थिनी ने शोधक्षेत्र टीकमगढ़

तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा की दिशा में उपरोक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो प्रयास विशेष क्रियान्वयन के 8 वर्षों में किये गये हैं उनके इस शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, इसके अध्ययन हेतु कुछ शीर्षकों के अन्तर्गत टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों में इन प्रभावों की तुलनात्मक चर्चा निम्नानुसार की हैं। इस चर्चा में विभिन्न तालिकाओं कें माध्यम से शोधार्थिनी ने दोनों जिलों में हुये प्रभावों के कारण परिवर्तन को दर्शाते हुए दोनों जिलों के मध्य जो अन्तर बिन्दुवार थे उन्हें भी स्पष्ट किया हैं।

कार्यक्रम के ठांचे में E.G.S विद्यालय

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की जनसंख्या की तुलनात्मक स्थिति
1991—2001

चित्र 6.1

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की साक्षरता प्रतिशत की तुलनात्मक स्थिति 1971–1981–1991–2001

चित्र 6.2

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की प्राथमिक विद्यालयों की संख्याओं की तुलनात्मक स्थिति
सन् 1991–1992–1993

चित्र 6.3

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक संख्या की तुलनात्मक स्थिति
सन् 1991–1992–1993

चित्र 6.4

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों में छात्र–छात्राओं की संख्या की तुलनात्मक स्थिति

सन् 1991–1992–1993

चित्र 6.5

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में औपचारिकेत्तर शिक्षा की तुलनात्मक स्थिति सन् 1993—1994

चित्र 6.6

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में औपचारिकेत्तर शिक्षा की तुलनात्मक स्थिति
सन् 2000–2001
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
512 518
512 520
3315 3502
केन्द्र संख्या
अनुदेशक संख्या
छात्र संख्या
टीकमगढ़
छतरपुर

चित्र 6.7

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की शैक्षणिक संस्थाओं (प्राथमिक शाला, शिक्षा गारंटी शाला, माध्यमिक शाला)
की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002
2000
1500
1000
500
0
1153
596
455
1177
609
467
1857
640
476
1895
443
486
2001
2002
2001
2002
टीकमगढ़
छतरपुर
प्रा.शा.
शिक्षा,मा.शा.
मा.शा.

चित्र 6.8

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की प्राथमिक शाला, शिक्षा गारंटी शाला, माध्यमिक शाला के शिक्षकों की संख्या की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.9

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में शैक्षणिक योग्यतानुसार शिक्षकों की संख्या की तुलनात्मक स्थिति
सन् 2001–2002

चित्र 6.10

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में व्यवसायिक योग्यतानुसार शिक्षकों की संख्या की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.11

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में (6–14) आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं के नामांकन की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.12

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में (6–14) आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं के आनामांकन की तुलनात्मक स्थिति
सन् 2001–2002
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1875
1935
3810
2008
1506
3514
टीकमगढ़
छतरपुर
बालक
बालिका
योग

चित्र 6.13

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में (6–14) आयुवर्ग के शालात्यागी बालक–बालिकाओं की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.14

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों में (6–11) आयुवर्ग के एस.सी., एस.टी., ओ.वी.सी., सामान्य वर्ग के बालकों के जी.ई.आर. की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.15

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक विद्यालयों में (6–11) आयुवर्ग की एस.सी., एस.टी., ओ.वी.सी., सामान्य वर्ग की बालिकाओं के जी.ई.आर. की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.16

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में (11–14) आयुवर्ग के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सामान्य वर्ग के बालकों के जी.ई.आर. की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.17

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के माध्यमिक विद्यालयों में (11—14) आयुवर्ग की एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., सामान्य वर्ग की बालिकाओं के जी.ई.आर. की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001—2002

चित्र 6.18

शासन द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की तुलनात्मक स्थिति सन् 2001–2002

चित्र 6.19

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से स्थापित औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र निरन्तर अप्रभावी होते जा रहे हैं। जहॉ पिछले चार वर्षो में इसकी संख्या बढ़ने के स्थान पर कम हुई हैं, वही इसमें अध्ययनरत विद्यार्थियो की संख्या में भी कमी आई हैं। टीकमगढ़ जिले में इन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी छतरपुर जिले की अपेक्षा बहुत तेजी से कम हो रहे हैं।

तालिका क्रमांक 6.1

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में डाईट द्वारा क्रियान्वित विभिन्न प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण
1.	1993–1994	1. सेवा पूर्व प्रशिक्षण – 2 वर्ष 2. सेवा कालीन प्रशिक्षण – (1) प्राथमिक शिक्षकों के गणित तथा विज्ञान विषयों के उन्मुखीकरण का प्रशिक्षण (2) जनसंख्या शिक्षा प्रशिक्षण (3) आंग्लभाषा प्रशिक्षण (4) शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रशिक्षण (5) औपचारिकेत्तर शिक्षा प्रशिक्षण
2.	1999–2000	1. साप्ट प्रशिक्षण – (शिक्षकों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण) (3 जूलाई 1998 से 2 मार्च 2001 तक 13 चक्रो में) 2. प्राथमिक शिक्षकों का एप्रोचबेस प्रशिक्षण (7 दिवसीय) 3. प्राथमिक शिक्षकों का दक्षता आधारित प्रशिक्षण (7दिवसीय) 4. वैकल्पिक विद्यालय शिक्षाकर्मी प्रशिक्षण (21 दिवसीय) 5. शिशु शिक्षा केन्द्र शिक्षिका प्रशिक्षण (10 दिवसीय) 6. जनसंख्या शिक्षा प्रशिक्षण

7. आंग्लभाषा प्रशिक्षण

8. विज्ञान एवं गणित का विशेष प्रशिक्षण

9. मूल्यपरक शिक्षा प्रशिक्षण

10. औपचारिकेत्तर शिक्षा प्रशिक्षण (12 दिवसीय)

11. सीखना–सिखाना पैकेज पर आधारित प्रशिक्षण

विश्लेषण एवं व्याख्या –

सत्र 1993–1994 तक दोनों जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन न होने के कारण एक समान प्रशिक्षण डाइट के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे थें। जिनमें सेवापूर्व तथा विभिन्न प्रकार के सेवा कालीन प्रशिक्षण शामिल थे। डी.पी.ई.पी. के क्रियान्वयन के पश्चात् दोनों जिलों में वर्ष 1995–1996 में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कर रहे शिक्षक, वैकल्पिक शाला के शिक्षक एवं शिशु शिक्षा केन्द्र की शिक्षिकाओं को, एप्रोच बेस प्रशिक्षण दिये गये। 2000–2001 में कक्षा 1 और 2 में अध्यापन कर रहे प्राथमिक शाला शिक्षक, शिक्षाकर्मी, गुरूजी, वैकल्पिक शाला शिक्षक, शिशु शिक्षा केन्द्र के शिक्षिकाएं तथा सहायिकाओं को दक्षता पर आधारित प्रशिक्षण, दिये गये इसके पश्चात् वर्ष 2000–2001 से सीखना–सिखाना पैकेज पर आधारित प्रशिक्षण का उद्‌देश्य बालकेन्द्रित शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा अध्ययन की स्थिति को सहज–सुगम व रोचक बनाने का हैं। इन डाइट में जहॉ डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत होने वाले प्रशिक्षणों को दिया जा रहा है। उनमें पूर्व की भांति सेवा पूर्व प्रशिक्षण देने का भी कार्य जारी हैं।

तालिका क्रमांक – 6.2

शोध हेतु चयनित टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के 50–50 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध सहायक सामाग्रियों की स्थिति (2000–2001)

		जिला टीकमगढ		जिला छतरपुर	
क्र.	सामग्री	संख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत
1.	श्यामपट	32	64	37	74
2.	चार्ट	27	54	20	40
3.	नक्शा	26	52	38	76
4.	ग्लोब	00	00	05	10
5.	विज्ञान किट	00	00	10	20
6.	लघू औजार किट	00	00	00	00
7.	खेल सामग्री	10	20	10	20
8.	पुस्तकालय	01	02	05	10
9.	संगीत यंत्र	00	00	00	00
10.	शाला सूचनापट	10	20	10	20
11.	गणित किट	01	02	02	04
12.	टाट–पट्टी या कुर्सी	20	40	23	46
13.	शिक्षकों के लिये कुर्सी टेबिल	41	82	41	82
14.	चाक, डस्टर	39	78	39	78
15.	पेय जल	42	84	48	96

विश्लेषण एवं व्याख्या –

शोधार्थिनी ने अपने शोध अध्ययन के लिए टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों के जिन 50–50 शासकीय

प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया है। उनमें विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों की सत्र 1993–1994 में उपलब्धता के बारे में सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से पूछने पर यह विदित हुआ कि सत्र 1993–1994 में उनके विद्यालयों में लगभग वही सामग्रियाँ थी।

जो सामगियाँ सत्र 2000–2001 में हैं कुछ विद्यालयों में चार्ट की उपलब्धता, शिक्षकों के लिए फर्नीचर तथा पेयजन की सुविधा की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ हैं।

सत्र 2000–2001 में टीकमगढ़ जिले में शोध अध्ययन हेतु चयनित 50 विद्यालयों में से 32 विद्यालयों में श्यामपट, 27 में चार्ट, 26 में नक्शें, 01–01 विद्यालयों में खेल सामग्री तथा सूचना पट , 41 विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कुर्सी टेबिल तथा 48 विद्यालयों में पेयजल की सुविधा थी।

छतरपुर जिले में 37 विद्यालयों में श्यामपट सुविधा, 20 तथा 30 में क्रमशः चार्ट तथा नक्शे, 10–10 विद्यालयों में विज्ञान किट खेल सामग्री तथा शाला सूचनापट, 41 विद्यालयों में शिक्षकों के लिए कुर्सी टेबिल तथा 48 विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध थी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता हैं कि विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता का स्तर टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में लगभग एक जैसी ही है। दोंनों ही जिलो में ग्लोब विज्ञान किट, लघु औजार किट, खेल सामग्री, गणित किट इत्यादि का अभाव हैं।

तालिका क्रमांक 6.3

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम के उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का प्रतिशत (लिंगानुसार)

क्र. प्राप्तांको की स्थिति	वर्ष 1994–95 सर्वे के अनुसार बेस लाइन						वर्ष 2000–2001 शोधार्थिनी द्वारा परीक्षण के अनुसार					
	जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर			जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. 0अंक (शून्य न्यूनतम अधिगम स्तर)	7.00	10.80	8.50	10.10	16.90	12.90	6.50	9.50	8.00	9.50	16.00	12.75
2. 0से ऊपर किन्तु 4अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नही)	23.60	32.40	26.20	30.60	32.60	31.50	22.50	31.50	27.00	29.50	31.50	30.05
3. 4से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम (न्यूनतम स्तर की प्राप्ति)	53.10	42.30	50.00	43.90	38.80	41.80	54.50	43.00	48.75	45.50	39.00	42.25
4. 6के ऊपर किन्तु 8अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	12.00	13.50	12.40	13.90	10.30	12.40	12.00	14.00	13.00	14.00	11.00	12.50
5. 8से ऊपर किन्तु 10से कम (दक्षता की प्राप्ति)	3.60	0.90	2.80	1.40	1.20	1.40	3.50	1.00	2.25	1.50	1.00	1.25
1. 0अंक (शून्य न्यूनतम अधिगम स्तर)	2.90	1.80	2.60	5.01	5.00	5.40	3.50	2.50	3.00	4.50	5.00	4.75
2. 0 अंक से ऊपर किन्तु 4अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नही)	61.80	71.20	64.00	27.33	79.80	75.30	62.50	72.00	67.25	71.50	78.00	74.75
3. 4से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम (न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)	24.40	13.50	21.02	12.40	13.20	12.80	25.50	14.50	20.00	13.50	14.50	14.00
4. 6के ऊपर किन्तु 8अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	10.90	13.50	11.70	7.20	1.70	4.90	11.00	14.00	12.50	7.50	2.00	4.75
5. 8से ऊपर किन्तु 10से कम (दक्षता की प्राप्ति)	00.70	00.00	00.50	2.30	0.40	1.50	1.00	00.00	0.50	2.50	0.50	1.50

विश्लेषण एवं व्याख्या –

उपरोक्त तालिका क्रमांक 6.3 में शोधार्थिनी ने शोध क्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के भाषा के परीक्षण के पश्चात् प्राप्त विभिन्न अधिगम स्तरों को प्रदर्शित किया है। साथ ही वर्ष 1993–1994 में बेस लाइन सर्वे के अनुसार इसी कक्षा में अध्ययनरत भाषा विषय से संबंधित छात्र–छात्राओं के विभिन्न अधिगम स्तर में प्रतिशत उपलब्धता को लिखकर उनमें तुलनात्मक अन्तर भी स्पष्ट करने का प्रयास किया हैं। उक्त तालिका में शोधार्थिनी ने परीक्षण किये जाने पर चार अंकों तक के प्राप्तांक को न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध न हो पाना माना हैं जबकि 4 अंकों से लेकर 10 अंक तक न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धि की श्रेणी में रखा गया हैं।

टीकमगढ़ जिले में वर्ष 1993–1994 में इसी शीर्षक के अन्तर्गत 30.60 बालक तथा 43.20 बालिकाएं जिनका कुल प्रतिशत औसत योग 34.70 था जो वर्ष 1997–1998 में क्रमशः 29 तथा 41 प्रतिशत जिसका कुल औसत योग 35.0 प्रतिशत होता हैं, हो गया। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि टीकमगढ़ जिले में सत्र 1997–1998 में न्यूनतम अधिगम स्तर उक्त विषय में न प्राप्त कर पाने वाले छात्र–छात्राओं दोनों की ही संख्या बढ़ी हैं।

वर्ष 1993–1994 में भाषा के शब्दार्थ ज्ञान के अन्तर्गत छतरपुर जिले के शोध अध्ययन विद्यालयों के 40.70 प्रतिशत तथा 49.50 प्रतिशत बालिकाएं जिनका कुल औसत योग 40.40 होता हैं न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके थे। जबकि सत्र 1997–1998 में न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध न पाने वाले बालकों का प्रतिशत 39 तथा बालिकाओं का 47.50 जिनका कुल औसत योग 43.25 प्रतिशत होता हैं। इस प्रकार यह विदित होता है। कि इन चार वर्षो के अन्तराल में छतरपुर जिलें में बालक और बालिकाओं दोनों के अधिगम प्रतिशत में वृद्धि हुई। यद्यपि अभी भी बालिकाओं के अधिगम कि स्थिति बालकों की तुलना में ठीक नही हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट होता हैं कि छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों में भाषा विषय में शब्दार्थ ज्ञान के अन्तर्गत न्यूनतम अधिगम स्तर सुधरा है, जबकि टीकमगढ़ जिले में इसकी स्थिति पहले की तुलना में अधिक खराब हुई हैं।

टीकमगढ़ जिले में सत्र 1993–1994 में इसी विषय के अन्तर्गत 64.70 प्रतिशत बालक तथा 73.0 प्रतिशत बालिकाएं जिनका औसत योग 66.60 प्रतिशत होता हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध कर पाने

की श्रेणी में थे। सत्र 2000–2001 में लिये गये परीक्षण के अनुसार यह प्रतिशत क्रमशः 66 तथा 74.50 जिसका कुल योग औसत प्रतिशत 70.25 होता हैं। में परिवर्तित हो गया। उक्त आंकड़े यह स्पष्ट करते है। कि टीकमगढ़ जिले में चार वर्षो से भाषा विषय के अध्ययन क्षमता के अन्तर्गत विद्यार्थियों के न्यूनतम अधिगम स्तर की उपलब्धता में कमी आयी हैं।

छतरपुर जिलें में सत्र 1993–1994 में कक्षा 5 में अध्ययनरत भाषा विषय के अध्ययन क्षमता शीर्षक के अन्तर्गत बेस लाइन सर्वे द्वारा प्राप्त आंकड़ो के अनुसार 78.10 प्रतिशत बालक तथा 84.80 प्रतिशत बालिकाएं जिनका औसत योग 80.70 प्रतिशत होता हैं। न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध नही कर सके थे। वर्ष 2000–2001 में शोधार्थिनी द्वारा लिए गये परीक्षण में ये क्रमशः 76 प्रतिशत तथा 83.0 प्रतिशत जिनका कुल औसत योग 79.50 प्रतिशत होता हैं। उक्त आंकडे यह स्पष्ट करते है। कि छतरपुर जिले में उक्त शीर्षक के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं का न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त कर लेने की प्रतिशत संख्या में सुधार हुआ हैं।

छतरपुर जिले में जहॉ एक ओर भाषा अध्ययन क्षमता में अधिगम स्तर में सुधार के अल्प संकेत मिल रहे हैं। वही टीकमगढ़ जिले में आंशिक रूप से कम हुआ हैं।

तालिका क्रमांक 6.4

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अधिगम के उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का प्रतिशत (लिंगानुसार)

क्र. प्राप्तांको की स्थिति	वर्ष 1994–95 सर्वे के अनुसार बेस लाइन						वर्ष 2000–2001 शोधार्थिनी द्वारा परीक्षण के अनुसार					
	जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर			जिला टीकमगढ़			जिला छतरपुर		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1. 0अंक (शून्य न्यूनतम अधिगम स्तर)	1.80	0.00	1.30	4.00	5.80	4.80	2.00	1.00	1.50	3.00	5.00	4.00
2. 0 अंक से ऊपर किन्तु 4अंक से कम (अधिगम स्तर की प्राप्ति नही)	85.10	91.00	86.30	86.40	85.10	85.90	85.00	90.00	87.50	85.00	85.5	25.25
3. 4से ऊपर किन्तु 6 अंक से कम (न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति)	10.50	3.60	8.50	5.50	6.20	5.80	10.50	4.00	7.25	6.00	6.00	6.00
4. 6के ऊपर किन्तु 8अंक से कम (दक्षता की ओर अग्रसर)	1.80	3.60	2.30	4.00	2.90	3.60	2.00	4.00	3.00	4.00	3.00	3.50
5. 8से ऊपर किन्तु 10से कम (दक्षता की प्राप्ति)	0.70	1.80	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	2.00	0.5	1.25

विश्लेषण एवं व्याख्या

बालिका का 6.4 के अन्तर्गत टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में अध्ययनरत कक्षा 5 के विद्यार्थियों में गणित विषय के अधिगम की वर्ष 1993–1994 बेस लाईन सर्वे तथा 2000–2001 में शोधार्थिनी द्वारा परीक्षण के अनुसार उपलब्धि के विभिन्न स्तरों का लिंगानुसार प्रतिशत दर्शाया गया हैं। इस तालिका में भी 0 से 4 अंकों तक गणित विषय में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को न्यूनतम अधिगम स्तर को उपलब्ध न कर पाने की श्रेणी में रखा गया हैं।

टीकमगढ़ जिले में सत्र 1993–1994 में 86.90 प्रतिशत बालक तथा 91 प्रतिशत बलिकाएं जिनका कुल औसत योग 81.60 प्रतिशत होता हैं। गणित विषय में न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध नही कर सके थे। सत्र 2000–2001 में यह संख्या क्रमशः 87 तथा 91 प्रतिशत जिसका कुल योग 89 प्रतिशत होता हैं, हो गयी। ये तुलनात्मक आंकड़े यह स्पष्ट करते है। कि टीकमगढ़ जिले में गणित विषय में कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की न्यूनतम अधिगम स्तर की स्थिति इन चार वर्षो में आंशिक रूप से खराब हुई हैं।

छतरपुर जिले के सत्र 1993–1994 में उक्त विषय 90.40 प्रतिशत बालक तथा 90.90 प्रतिशत बालिकाएं जिनका कुल औसत योग 90.70 प्रतिशत होता हैं। न्युनतम अधिगम स्तर उपलब्ध नही कर पाये थे। सत्र 2000–2001 में लियें परीक्षण में अनुसार 88.0 प्रतिशत बालक तथा 90.5 प्रतिशत बालिकाएं जिनका कुल औसत योग 89.25 प्रतिशत होता हैं। न्यूनतम गणित विषय में प्राप्त करने वाले छतरपुर जिले के कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्रों की स्थिति में बहुत कम सुधार के संकेत प्राप्त होते हैं।

उक्त तालिका से यह निष्कर्ष निकलता है। कि जहॉ एक ओर कक्षा 5 अध्ययनरत छतरपुर जिले के विद्यार्थियों में गणित विषय की अधिगम स्तर की स्थिति में अल्प मात्रा में सुधार आया हैं। वही टीकमगढ़ जिले में अधिगम स्थिति का रूझान ऋणात्मक दिशा में बढ़ता प्रतीत होता हैं।

अध्याय - सप्तम

शोध निष्कर्ष

शोधार्थिनी ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए म.प्र. के अपेक्षाकृत शैक्षिक दृष्टिकोण से कम विकसित टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में प्राथामिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में किये गये प्रयासों तथा प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना सम्पन्न किया। इस शोध अध्ययन में शोधार्थिनी ने दोनों जिलों में सन् 1993–1994 की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का उल्लेख करते हुये विशेष रूप से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् सन् 1994–1995 से सन् 2001–2002 अर्थात 9 वर्षो में किये गये प्रयासों की विस्तृत चर्चा की है। शोधार्थिनी ने टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में प्राथमिक शिक्षा की वास्तविक स्थिति जानने के उद्‌देश्य से दोनों जिलों के 50–50 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया। इस चयन में यह ध्यान विशेष रूप से रखा गया जिससे प्रत्येक विकासखण्ड से कम से कम 5–5 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों का चयन शोध अध्ययन हेतु अनिवार्य रूप से हो। शोधार्थिनी ने इन चयनित विद्यालयों से जानकारी संकलन हेंतु सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया हैं। शोध उपकरण के रूप में शाला अभिलेख अनुसूची, छात्र अनुसूची, शिक्षक अनुसूची, प्रधानाध्यापक साक्षात्कार प्रपत्र, शालात्यागी छात्र अनुसूची, अभिभावक साक्षात्कार प्रपत्र एवं अधिकारी साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया। इसके अतिरिक्त दोनो जिलों के 250–250 प्राथमिक स्तर की कक्षा 5 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के न्यूनतम अधिगम स्तर का मूल्यांकन करने के लिये छात्र परीक्षण पत्रक का उपयोग किया।

शोधार्थिनी ने टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों के जिला सांख्यिकी कार्यालय, उपसंचालक शिक्षा, सहायक संचालक औपचारिकेत्तर शिक्षा, सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग, परियोजना अधिकारी राजीव गांधी शिक्षा मिशन, विभिन्न विकासखण्डों में पदस्थ विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों से विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत आँकड़ों तथा अन्य जानकारियों को प्राप्त किया हैं। इस प्रकार विभिन्न कार्यालयों तथा शोध सर्वेक्षण से प्राप्त आँकड़ों तथा जानकारियों को प्रयास एवं प्रभाव शीषकों के अन्तर्गत यथा स्थान में रखते हुये दोनों जिलो का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया हैं। टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में प्रयासों तथा उनके प्रभावों के अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है। निष्कर्षो के विवरण के पश्चात् शोध विषयक समस्याओं तथा सुझावों की भी चर्चा की गई हैं।

निष्कर्ष –

1. प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों का भी चयन सन् 1994 से राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु किया गया हैं।

2. शोधक्षेत्र में अभी तक (2001–2002 तक) प्राथमिक शिक्षा का शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण नही हो पाया हैं।

विद्यालयीन सुविधा तथा विद्यार्थी नामांकन
(सत्र 2001–2002 की स्थिति के अनुसार) –

1. सत्र 2001–2002 की स्थिति में टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालयों तथा ऐसे पूर्व मा. विद्यालय जिनमें प्राथमिक खण्ड थें, की संख्या क्रमशः 1177 तथा 465 कुल 1642 थी, जबकि इसी अवधि में छतरपुर जिले में यह संख्या क्रमशः 1895 तथा 486 कुल 2381 थी। इस प्रकार छतरपुर जिले में टीकमगढ़ जिले की तुलना में प्राथमिक स्तर के विद्यालयो की संख्या अधिक हैं।

2. सत्र 2001–2002 में 6 से 11 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं की कुल अनुमानित संख्या टीकमगढ़ जिले में 183120 (99696 बालक तथा 83424 बालिकाएं) हैं। इस प्रकार टीकमगढ़ जिले में यह संख्या छतरपुर जिले की तुलना में 36767 कम है।

3. टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में क्रमशः 62 ऐसे आबाद ग्राम हैं। जहां प्राथमिक स्तर के शिक्षण की कोई सुविधा उपलब्ध नही है।

4. टीकमगढ़ जिले के लगभग 10 प्रतिशत तथा छतरपुर जिले के 20 प्रतिशत प्राथमिक स्तर में अध्ययन करने वाले छात्र–छात्राओं को एक किलोमीटर के ऊपर तथा पॉच किलोमीटर तक पैदल शाला जाना पड़ता हैं।

5. सत्र 2001–2002 में टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में नामांकित छात्र–छात्राओं की संख्या क्रमशः 99696 तथा 83424 एवं छतरपुर जिले में क्रमशः 128805

तथा 116147 थी। इस प्रकार टीकमगढ जिलें में शालाओं में नामाकित छात्र–छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 93.94 एवं 93.45 है छतरपुर जिले में यह प्रतिशत क्रमशः 109.41 एवं 113.69 प्रतिशत हैं।

6. दोनों ही जिलों में बालकों की तुलना में बालिकाओं का शाला में नामांकन कम है।

7. सत्र 2001–2002 में टीकमगढ़ जिले में शाला अप्रवेशी बालक–बालिकाओं की संख्या क्रमशः 2328 तथा 3446 है, इसी प्रकार छतरपुर जिले में यह संख्या क्रमशः 693 तथा 649 है। उक्त आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं टीकमगढ़ में छतरपुर की तुलना में शाला अप्रवेशी बालक बालिकाओं की संख्या अधिक हैं।

8. सत्र 2001–2002 में टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक शिक्षा स्तर पर नामांकित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की संख्या क्रमशः 25063 तथा 4527 थी। इसी प्रकार छतरपुर जिले में यह संख्या क्रमशः 28241 तथा 5191 रही। नामाकंन प्रतिशत दोनो जिलों में समान है।

9. सत्र 2001–2002 में टीकमगढ़ जिले के प्राथमिक शिक्षा स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की कुल संख्या 3397 थी तथा छतरपुर जिले में यह संख्या 4837 रही।

10. अधिकांश विद्यालयों में अभी भी शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

11. विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नही है। शोध अध्ययन हेतु चयनित टीकमगढ़ जिले के 50 शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में से 40 प्रतिशत विद्यालयों में मात्र दो शिक्षक हैं। छतरपुर जिले के प्राथमिक विद्यालयों में भी यही स्थिति हैं।

12. टीकमगढ़ जिले शोध अध्ययन हेतु चयनित 50 विद्यालयों में 190 शिक्षक पदस्थ थे, इसमें पुरूष तथा महिला शिक्षकों की संख्या क्रमशः 120 तथा 70 थी। छतरपुर जिले में चयनित 50 विद्यालयों में शिक्षक संख्या 198 थी। इसमें से 125 पुरूष तथा 73 महिला शिक्षिकाएं कार्यरत थी। इस प्रकार दोनों ही जिलों में महिला शिक्षिकाओं की संख्या कम हैं। अधिकांश विद्यालयों में महिला शिक्षिकाएं पदस्थ नही हैं।

14. छतरपुर जिले में शोध अध्ययन हेतु चयनित 50 विद्यालयों में पदस्थ 190 शिक्षकों में से 155 शिक्षक डिप्लोमा (डी.एड.) 25 बी.एड. स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं। इस प्रकार प्रशिक्षित शिक्षकों का कुल योग 170 होता हैं, जो कुल पदस्थ शिक्षकों का 89.36 प्रतिशत हैं शेष 10.64 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। छतरपुर जिले में टीकमगढ़ की तुलना में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या आधिक हैं।

15. शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षकों के रिक्त पदों पर शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की नियुक्ति किये जाने का प्रावधान हैं। इनकी समय में नियुक्ति न होने तथा कम वेतन प्राप्त होने की स्थिति शिक्षण कार्य को प्रभावित कर रही हैं।

16. शोधक्षेत्र में टीकमगढ़ तथा छतरपुर के 82 प्रतिशत विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं को एक समूह में साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है। जिससे अध्ययन–अध्यापन समुचित रूप से कर पाना संभव नही हो पाता।

17. दोनों ही जिलों में विद्यालय भवनो की स्थिति संतोषजनक नही हैं।

18. शोधक्षेत्र दोनों जिलों के प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय संचालन सम्बन्धी सहायक सामग्रियों तथा शैक्षिक सामग्रियों की कमी है। शिक्षकों के द्वारा यदि विद्यालयों के कुछ सहायक शैक्षिक सामग्रियां उपलब्ध भी हैं, तो उनका उचित प्रयोग कक्षा शिक्षण में नही किया जाता है।

19. राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत सन् 2001–2002 तक टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले क्रमशः 609 व 508 वैकल्पिक विद्यालय, 124 व 278 नवीन प्राथमिक शाला, 88 व 115 शिशु शिक्षा केन्द्र, तथा 198 व 473 शिक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत संस्थाओं की स्थापना की गई हैं।

20. छतरपुर जिले में शिक्षा गारन्टी योजनान्तर्गत संस्थाओं की स्थापना टीकमगढ़ जिले की तुलना में अधिक की गई है। राजीवगांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित शालाओं को विद्यालय सहायक सामग्रियों तथा शैक्षिक सामग्रियों के क्रय हेतु प्रतिवर्ष 3100 की सहायता दी जा रही हैं।

21. राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 1994 के पश्चात् क्रियान्वयन को टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों के शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर छात्र–छात्राओं का नामांकन बढ़ा हैं। टीकमगढ़ जिले की अपेक्षा सत्र 2001–2002 छतरपुर जिले में 35.22 प्रतिशत

तथा बालिकाओं में 56.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसीप्रकार छतरपुर जिले में इन चार वर्षो में नामांकन शालाओं में टीकमगढ़ की अपेक्षा अधिक बढ़ा हैं।

22. टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में प्राथमिक शिक्षा को सुलभ बनाने के उद्देश्य से औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की भी स्थापना की गई हैं।

23. टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में वर्ष 2001–2002 में क्रमशः 532 तथा 557 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र संचालित थें। जिनमें क्रमशः 1315 तथा 3502 छात्र–छात्राओं का नामांकन था।

24. दोनों ही जिलों में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों के संचालन की स्थिति सन्तोषप्रद नही है तथा ये केन्द्र जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थापित किये गये उस दिशा में कारगर सफलता प्राप्त नही कर सके।

विद्यालयों में ग्राह्यतादर की स्थिति
(2001–2002 की स्थिति के अनुसार)

1. टीकमगढ़ जिले में सन् 1993–1994 की प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर बालक तथा बालिकाओं की विद्यालयों में ग्राह्यतादर (कक्षा 1 में प्रवेश लेकर कक्षा 5 तक का अध्ययन पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों की दर) क्रमशः 66.0 में यह संख्या क्रमशः 57.0 प्रतिशत थी, जिसका कुल औसत योग 62.06 प्रतिशत था। सन् 2001–2002में यह संख्या क्रमशः 77.10 तथा 67.18 जिसका कुल औसत योग 72.4 प्रतिशत होता हैं।

2. छतरपुर जिले में सन् 1993–1994 की स्थिति में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर बालक तथा बालिकाओं की विद्यालय में ग्राह्यतादर का प्रतिशत क्रमशः 58.0 तथा 41.8 था जिसका कुल औसत योग 49.90 प्रतिशत होता था। सन् 2001–02 में यह क्रमशः 60.50 तथा 50.78 जिसका कुल औसत योग 75.64 प्रतिशत होता है, हो गई हैं।

3. टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में बालिकाओं की तुलना में बालकों की शाला में ग्राह्यता की प्रतिशत दर अधिक हैं।

4. छतरपुर जिले मे बालक तथा बालिकाओं की शाला में ग्राह्यतादर का प्रतिशत टीकमगढ़ जिले की तुलना में अधिक हैं।

5. दोनों ही जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम क्रियान्वयन के पश्चात् सन् 1994 से विद्यालय ग्राह्यतादर की स्थिति में सुधार हो रहा हैं।

विद्यालयों में शालात्यागी छात्र–छात्राओं की स्थिति (2001–2002)

1. टीकमगढ़ जिले में वर्ष 1993–1994 में प्राथमिक स्तर पर शाला त्यागी छात्र तथा छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 35.0 तथा 45.0 था जो वर्ष 2001–2002 में परिवर्तित होकर क्रमशः 24.5 तथा 32.22 प्रतिशत रह गया।

2. छतरपुर जिले में वर्ष 1993–1994 में प्राथमिक स्तर पर शालात्यागी छात्र तथा छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 42.0 तथा 48.2 था जो वर्ष 2001–2002 में परिवर्तित होकर क्रमशः 35.0 तथा 38.45 प्रतिशत रह गया।

3. राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के शोध क्षेत्र में क्रियान्वयन के पश्चात् विद्यार्थियों में शाला–त्याग की प्रवृत्ति घटी हैं।

4. टीकमगढ़ जिले की तुलना में छतरपुर जिले में शालात्यागी छात्र–छात्राओं की संख्या अधिक हैं।

5. दोनों ही जिलों में छात्राएं छात्रों की तुलना में अधिक शालात्यागी है। सामान्य वर्ग की तुलना में अनुसूचित जाति, जनजाति के बालक–बालिकाये शालात्यागी अधिक हैं।

6. दोनों ही जिलों में शालात्यागी प्रवृत्ति के कुछ प्रमुख कारणों में विद्यालयों का आकर्षक न होना, साक्षरता की कमी, सामाजिक रूढ़वादिता व अंधविश्वास, आर्थिक पिछड़ापन तथा रोजगार प्राप्ति हेतु परिवारों का पलायन शामिल हैं।

प्रोत्साहन योजनाएं –

1. शोधक्षेत्र में भी प्राथमिक शिक्षा के शत्–प्रतिशत लोकव्यापीकरण हेतु अधिक से अधिक बालक–बालिकाओं को शाला में प्रवेश तथा उनकी ग्राह्यतादर में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्तमान समय में अनेक प्रोत्साहन योजनाओं जैसे मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क गणवेश, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का विवरण आदि संचालित की जा रही हैं।

2. मध्यान्ह भोजन में विद्यार्थियों को शाला के मध्यावकाश में अधिकतर विद्यालयों में पका–पकाया भोजन प्राप्त न होकर प्रतिमाह राशन मिलता हैं। इसलिये इस योजना का लाभ विद्यार्थियों को नियमित शाला में आकर्षित कर पाने की दिशा में यथेष्ट नही हैं।

3. इन प्रोत्साहन योजनाओं के संचालन का स्तर संतोषजनक नही है। तथा इनसे व्यापक लाभ भी विद्यार्थियों को नही मिल पा रहा हैं।

बजट –

1. शाला प्रवेश में स्थिति शा. प्राथमिक विद्यालयों को आवश्यक धनराशि म.प्र. शासन उपलब्ध कराता हैं।

2. सन् 1994–1995 में शोधक्षेत्र के दोनों जिलों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा भी बजट उपलब्ध कराया जा रहा हैं। यह बजट प्राथमिक शिक्षा स्तर पर म.प्र.शासन के द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट के अतिरिक्त हैं।

3. टीकमगढ़ जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2001–2002 अनुमानित राशि 2160.90 लाख रू. का व्यय किया गया।

4. छतरपुर जिले में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत सत्र 2001–2002 तक अनुमानित राशि में 2383.50 लाख तथा सत्र 1997–98 में 510.47 लाख, सत्र 1998–1999 में 609.05लाख तथा सत्र 1997–1998 में 703.45 लाख रूपये का आवर्ती तथा अनावर्ती मद में व्यय किया गया। इस प्रकार

आठ वर्षो में छतरपुर जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत के कुल 2383.45 लाख रू. का व्यय किया गया।

5. टीकमगढ़ तथा छतरपुर में सन् 1994–1995 में राजीवगांधी शिक्षा मिशन द्वारा राशि उपलब्ध कराने से शाला में नामांकन तथा ग्राह्यता में वृद्धि हुई हैं। शाला त्यागी छात्र–छात्राओं की संख्या कम हुई हैं तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की स्थिति में सुधार के संकेत हैं।

शिक्षक प्रशिक्षण –

1. शोधक्षेत्र में प्राथमिक स्तर की सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का कार्य टीकमगढ़ तथा छतरपुर में स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान करते हैं।

2. ये प्रशिक्षण संस्थान शिक्षकों को सेवापूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं।

3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के पश्चात् सत्र 1995–1996 से इन संस्थानों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा को बाल केन्द्रित, रोचक आनन्ददायी तथा आकर्षक बनाने के लिये अन्य प्रशिक्षणों के साथ–साथ एप्रोचबेस, दक्षता आधारित तथा सीखना–सिखाना पैकेज पर आधारित प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।

4. टीकमगढ़ तथा छतरपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अतिरिक्त राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित वैकल्पिक शालाओं के शिक्षकों, शिक्षा गारन्टी केन्द्रों के गुरूजी, शिशु शिक्षा केन्द्रों की शिक्षिकाओं व सहायिकाओं, संकुल प्रभारी, संकुल समन्वयक, ब्लाक समन्वयकों तथा प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षा कर्मियों को भी विभिन्न प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं।

5. टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलो में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा किसी भी प्रशिक्षण के अनुवर्ती प्रशिक्षण बहुत कम आयोजित किये जाते हैं।

न्यूनतम अधिगम स्तर (उपलब्धि स्तर) –

1. वर्ष 1993–1994 में हुये बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार टीकमगढ़ जिले के कक्षा पांच में अध्ययनरत

भाषा विषय के शब्दार्थ ज्ञान में 40.70 प्रतिशत छात्र तथा 49.50 प्रतिशत छात्राएं न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके थें। शोधार्थिनी द्वारा सत्र 2001–2002 में लिये गये परीक्षण के आधार पर न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत क्रमशः 39 तथा 47.50 रहा। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन 8 वर्षो के अन्तराल में टीकमगढ़ जिले में इस विषय में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर पाने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत में हल्का सुधार हुआ हैं।

2. छतरपुर जिले में वर्ष 1993–1994 में उपरोक्त विषय के अन्तर्गत 30.60 बालक तथा 43.20 प्रतिशत बालिकाएं न्यूनतम अधिगम अधिगम स्तर से प्राप्त नही कर सके थे। सत्र 2001–2002 में लिये गये परीक्षण के अनुसार इनकी संख्या क्रमशः 29 तथा 41 रह गई। इसप्रकार छतरपुर जिले में इस विषय में न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त कर पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कम हुआ हैं।

4. कक्षा 5 में अध्ययनरत सत्र 1993–1994 की स्थिति में गणित विषय में न्यूनतम अधिगम स्तर उपलब्ध न कर पाने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत टीकमगढ़ जिले में क्रमशः 90.40 व 90.90 था, जबकि छतरपुर जिले में यह प्रतिशत क्रमशः 86.90 तथा 91 था।

5. टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में कक्षा पॉच में अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं के न्यूनतम अधिगम स्तर में काफी समानता हैं।

6. टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में कक्षा पॉच में अध्ययन कर रहे छात्र–छात्राओं के न्यूनतम अधिगम स्तर में काफी समानता हैं।

7. पिछले 9 वर्षो में टीकमगढ़ में जहां एक ओर न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं का प्रतिशत बढ़ा हैं, वही छतरपुर में यह यथावत या कुछ कम हुआ हैं।

अभिभावकों के विचार –

1. ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश निरक्षर अभिभावक भी अपने पाल्यों को अध्ययन कराने के पक्ष में हैं।

2. पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभिभावक अपने पुत्रों की भॉति पुत्रियों को भी

प्राथमिक स्तर की शिक्षा दिलाना आवश्यक समझते हैं।

3. टीकमगढ़ जिले के शोध अध्ययन हेतु चयनित 46 प्रतिशत तथा छतरपुर के 56 प्रतिशत अभिभावक विद्यालय शिक्षण तथा छात्रों को गृहकार्य देने की स्थिति से संतुष्ट नही हैं।

पर्यवेक्षक की स्थिति –

1. प्रशासनिक स्तर पर कार्य करने हेतु दोनों ही जिलों में उप संचालक शिक्षा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक तथा विकासखण्ड समन्वयक राजीव गांधी शिक्षा मिशन एवं सहायक संचालक औपचारिकेत्तर शिक्षा पदस्थ हैं।

2. शिक्षा के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा यहां की शालाओं का पर्यवेक्षण शिक्षा संहिता में उल्लेखित नियमानुसार नही हो रहा हैं।

3. उपसंचालक तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों की कार्यालयीन व्यस्तता पर्यवेक्षण कार्य को प्रभावित कर रही हैं।

4. शैक्षिक स्तर के सुधार हेतु जिला स्तर से डाइट के ब्लाक प्रभारी, व्याख्याता प्रत्येक ब्लाक में प्रतिमाह न्यूनतम 15 दिवस भ्रमण करके शैक्षिक मॉनीटरिंग करते हैं।

5. प्रत्येक ब्लाकों में संकुल स्तर पर संकुल स्त्रोत केन्द्र समन्वयक शैक्षिक भ्रमण करके विद्यालयों की मॉनीटरिंग करते हैं।

6. मॉनीटरिंग कार्य अपेक्षा के अनुरूप अभी प्रभाव पूर्ण नही हो रहा हैं।

उपपरिकल्पनाओं का सत्यापन तथा निरसन

शोधार्थिनी ने शिक्षा संकाय के अंतर्गत **"टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में संविधान की धारा 45 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये शासकीय प्रयासों एवं प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन"** शोध शीर्षक के अन्तर्गत शोध अध्ययन सम्पन्न किया। शोधकार्य

प्रारम्भ करने के पूर्व उक्त शीर्षक से संदर्भित शोधार्थिनी ने कुछ परिकल्पनाओं का पूर्वानुमान किया था। शोध अध्ययन के पश्चात् उप–परिकल्पनाओं का सत्यापन अथवा निरसन की पुष्टि एक आवश्यक प्रक्रिया है। जो यह सिद्ध करती हैं कि शोधार्थिनी शोध समस्या से सम्बन्धित उप–परिकल्पनाओं को किस स्तर तक सही आंकलित कर सकी। इस दिशा में शोधार्थिनी ने प्रत्येक उप–परिकल्पनाओं की क्रमशः चर्चा करते हुये उसके सत्यापन अथवा निरसन की स्थिति का निम्नानुसार वर्णन प्रस्तुत कर रही हैं।

क्रमांक 1 : शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति मन्द गति से हो रही हैं।

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में सन् 1993–1994 की स्थिति में क्रमशः 260 तथा 437 आबाद ग्रामों में प्राथमिक स्तर की विद्यालयीन सुविधा नही थी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय यह लक्ष्य रखा गया था कि आग्रामी 10 वर्षो में सभी आबाद ग्रामों में प्राथमिक स्तर की विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध करा दी जायेगी, किन्तु सन् 2001–2002 में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के 52 तथा 67 ग्राम विद्यालय विहीन थे। इसी प्रकार टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में सन् 1993–1994 में 6 से 11 आयुवर्ग के 20939 एवं 48918 शाला अप्रवेशी बालक–बालिकाओं की स्थिति वर्ष 01–02 में क्रमशः 5775 तथा 1352 रह गई अर्थात् वर्ष 2001–2002 में भी शत्–प्रतिशत नामांकन संभव नही हो सका तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा की प्रगति तो हो रही है। किन्तु इसकी गति मन्द है जो उक्त उप–परिकल्पना को सत्यापित करती हैं।

क्रमांक – 2

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में एक जैसे प्रयास किये गये, टीकमगढ़ जिले की तुलना में छतरपुर जिले में इन प्रयासों का प्रभाव कुछ अधिक दिखाई दे रहा हैं।

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलो में मुख्य रूप से शासकीय स्तर पर एक सामान्य नियमानुसार औपचारिक तथा औपचारिकेत्तर प्राथमिक शिक्षण संस्थाएं खोली गई। दोनों ही जिले सन् 1994 से क्रियान्वित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं। प्राथमिक शिक्षा हेतू प्रोत्साहन योजनाएं भी दोनों जिलों में शासकीय नियमानुसार संचालित हैं।

क्रमांक – 3 : प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं में शिक्षा का प्रसार बालकों की तुलना में कम है।

शोध प्रबन्ध की स्थिति में टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों के 6 से 11 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की संख्या क्रमशः 99696 तथा 83424 एवं छतरपुर जिले में यह क्रमशः 117958 छात्राएं तथा छतरपुर जिले में 128805 छात्र तथा 116147 छात्राएं थी। इन तालिकाओं से यह स्पष्ट हो रहा हैं। कि बालिकाओं की तुलना में बालक अधिक संख्या में शाला प्रवेशी हैं। जो उपपरिकल्पना 3 को सत्यापित करती हैं।

क्रमांक – 4 : शोधक्षेत्र में औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्दों की स्थापना जिन उद्देश्य की पूर्ति हेतु की गयी थी उस दिशा में इनके प्रयास कारगर सिद्ध नही हुये।

औपचारिकेत्तर शिक्षण व्यवस्था ऐसे बालक–बालिकाओं को इन केन्द्रों में अध्ययन हेतू लाने से हैं। जो किसी कारण वश औपचारिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नही पा सकें। सन् 1993–1994 में टीकमगढ़ जिले में 532 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र थे जिनमें अध्ययनरत कुल छात्र संख्या 13335 थी इसी प्रकार छतरपुर जिले में इसी सत्र में 557 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में 14935 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे। सत्र 2000–2001 में टीकमगढ़ जिले में संचालित 532 केन्द्रों में छात्र संख्या मात्र 3211 रह गयी। इसी प्रकार छतरपुर जिले में भी 557 केन्दों में यह पहले की अपेक्षा कुछ घटकर 3311 ही रही। उक्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं। कि औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों नें शिक्षा व लोकव्यापीकरण की दिशा में कोई यथेष्ठ योगदान नही दिया जो उप–परिकल्पना क्रमांक को सत्यापित करते हैं।

क्रमांक – 5 : राजीवगांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं के कारण प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में वृद्धि हो रही हैं।

शोध क्षेत्र के इन दोनों जिलों में सत्र 1994 से प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण के उद्देश्य से राजीवगांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। इस मिशन के अन्तर्गत दोनों ही जिलों में वैकल्पिक शालाएं, नवीन प्राथमिक शालाएं, शिक्षा गांरण्टी योजनान्तर्गत संचालित शालाएं तथा शिशु शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में वृद्धि हुई है। जो परिकल्पना क्रमांक 5 को सत्यापित करती हैं।

क्रमांक – 6 : प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में सरकार से जिन मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा की जाती हैं, वे अपर्याप्त हैं।

किसी भी शिक्षण संस्था के मूलभूत सुविधा के अन्तर्गत वहां अध्यापन कर रहे शिक्षकों की संख्यात्मक स्थिति, विद्यालय भवन की स्थिति, विद्यालय संचालन हेतु आवश्यक सामग्रियों की स्थिति तथा विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाओं की स्थिति सम्मिलित हैं। शोध क्षेत्र के दोनों ही जिलो में मध्यान्ह भोजन, गणवेश, छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तके क्रीड़ा सामाग्रियों तथा विद्यालय भवन व पर्याप्त शिक्षक की उपलब्धता की प्रातिशतता काफी कम हैं। उक्त तथ्य परिकल्पना क्रमांक 6 को सत्यापित करते हैं।

क्रमांक – 7 : शोधक्षेत्र की जनता में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण भी साक्षरता की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही हैं।

आर्थिक पिछडेपन के कारण भी साक्षरता की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। जो परिकल्पना क्रमांक 7 को सत्यापित करती हैं।

क्रमांक – 8 : आदिवासी वर्ग के अभिभावकों में अपनी पुत्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव हैं।

दोनो जिलों में प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं की सख्यां काफी न्यून है। क्योकि अभिभावक अपनी पुत्रियों की शिक्षा के प्रति जागरूक नही हैं।

क्रमांक – 9 : शोधक्षेत्र के बालकों की तुलना में बालिकाओं में शाला त्यागने की प्रवृत्ति अधिक हैं।

शोधक्षेत्र के प्राथमिक स्तर के बालक–बालिकाओं के शाला त्यागने की दर को प्रतिशत में स्पष्ट करती हैं। सत्र 2001–2002 टीकमगढ़ जिले में बालिकाओं का शाला त्यागी प्रतिशत 2.0 प्रतिशत था जबकि 1.0 प्रतिशत बालिकाएं शाला त्यागी तथा 2.0 प्रतिशत बालक शाला त्यागी रहें। उक्त आकड़ों से यह स्पष्ट हो रहा हैं कि दोनों ही जिलों में बालकों की तुलना में बालिकाएं अधिक शाला त्यागी हैं। जो उपपरिकल्पना क्रमांक 9 को सत्यापित करती हैं।

क्रमांक – 10 : शोधक्षेत्र के ऐसे दूरस्थ स्थल जो यातायात तथा संचार की सुविधा से वंचित

हैं, में प्राथमिक शिक्षा का प्रसार अन्य क्षेत्रों की तुलना में धीमी गति से हो रहा हैं।

शोधक्षेत्र के छतरपुर जिले के बकस्वाहा व नौगांव विकासखण्ड के अनेक क्षेत्र यातायात तथा संचार की सुविधा से वंचित हैं तथा ये क्षेत्र जिला मुख्यालय से भी काफी दूर स्थित हैं। इन दोनों विकासखण्डों के प्राथमिक विद्यालयों में छतरपुर जिले तथा टीकमगढ़ जिले कें अन्य विकासखण्डों की तुलना में छात्र–छात्राओं के नामांकन की दर अपेक्षाकृत कम हैं। विकासखण्ड वार विद्यार्थियों की सत्र 2001–2002 में दर्ज संख्या इस परिकल्पना का सत्यापन करती हैं।

क्रमांक – 11 शोधक्षेत्र के दोनों ही जिलों में प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं का अधिगम स्तर सामान्य से कम हैं।

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिलों में सत्र 2001–2002 में कक्षा 5 पर अध्ययनरत 250 छात्रों के कक्षा 4 के पाठ्यक्रम पर आधारित भाषा के परीक्षण से टीकमगढ़ जिले के 76 प्रतिशत बालक तथा 83 प्रतिशत बालिकाएं, छतरपुर जिले के 66 प्रतिशत बालक तथा 74.50 प्रतिशत बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त नही कर सके। इसी प्रकार गणित विषय में टीकमगढ़ जिले के 88 प्रतिशत बालक व 90.5 प्रतिशत बालिकाएं तथा छतरपुर जिले के 87 प्रतिशत बालक व 91 प्रतिशत बालिकाएं न्यूनतम अधिगम स्तर को प्राप्त नही कर सकें।

शोधक्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण
की दिशा में आने वाली समस्याएं एवं अवरोध

शोधार्थिनी ने अपने शोधकार्य में मध्यप्रदेश के अपेक्षाकृत पिछड़े हुए दो जिलों **टीकमगढ़ तथा छतरपुर** में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये जा रहे प्रयास और उनके प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन करना निश्चित किया हैं। शोधकार्य को करते समय शोधार्थिनी ने इस विशेष बात को ध्यान में रखा कि शोध क्षेत्र विशेष में प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में ऐसी कौन सी प्रमुख समस्याएं व अवरोध हैं जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक सिद्ध हो रहे हैं।

चूंकि शोध शीर्षक में टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में तुलनात्मक अध्ययन को आधार माना गया है। अतः शोधार्थिनी के द्वारा समस्याओं के प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत दोनों जिलों में आने वाली समस्याओं के स्वरूप की अलग–अलग विवेचना तथा इसके पश्चात् उनकी तुलना अग्रानुसार प्रस्तुत की जा रही हैं।

भौगोलिक स्थिति :–

जिला टीकमगढ़ – टीकमगढ़ नगर $24^0 44'$ अक्षांश उर्त्तराद्ध एवं $78^0 49'$ देशान्तर पूर्व रेखाओं पर स्थित हैं टीकमगढ़ नगर का तापमान 39.2^0 और न्यूनतम 5.7^0 औसत वर्षा 10001.1 मि.मी. हैं। मौसम की दृष्टि से गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंडा रहता हैं। जिला टीकमगढ़ $24^0 26'$ और $25^0 40'$ उत्तर एवं $78^0 26$ तथा 79.26' पूर्व में जिला की स्थिति हैं। मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग के बीच में स्थित हैं। पश्चिम एवं उत्तर में उत्तर प्रदेश के झाँसी एवं हमीरपूर जिले स्थित हैं। पूर्व और दक्षिण में छतरपुर एवं सागर स्थित हैं। यह जिला कृषि प्रधान जिला हैं। कुल कार्यकारी शक्ति में कृषि संबधी कार्यो का प्रतिशत 84 हैं। (77.1%) कृषक एवं 6.9 प्रतिशत कृषि मजदूर कुल औसत 79.2% से बहुत अधिक हैं। इस जिले की प्रमुख नदियॉ, बेतवा, जामनी, जमड़ार, बरगी, उर, परानी , सपरार, धसान है जो इस जिले की सीमा निर्धारित करती है। जिले का काफी बड़ा भाग जामनी धसान, और उर नदियों के जल पोषक तत्व के अंर्तगत आता हैं। इस जिले का ढाल गंगा के कछार की ओर हैं। म.प्र. के इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती हुयी गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। इनकी मुख्य सहायक नदियों के आधार पर यह जिला दो उप कछारों में विभक्त हो गया हैं

(1) धसान उप कछार (2) बेतवा उप कछार

टीकमगढ़ जिला विन्ध्याचल पर्वत श्रेणियों पर बसा हैं यहा वन उपजों में मुख्यतः जामुन, महुआ, शीशम, सागौन, तेंदूपत्ता, आम, बाँस, आदि हैं। यहाँ की खनिज सम्पदा चूना पत्थर, गौरा पत्थर, मुरम, जो निर्माण कार्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। सिंचाई साधनों में कई तालाब जैसे महेन्द्र सागर, ग्वाल सागर, नगदा नाला, इसके अलावा नहरे व टयूबवैल हैं।

जिला छतरपुर– जिला छतरपुर 8767 वर्ग कि.मी. में फैला हुआ हैं, समुद्रतल से ऊचाँई 182.0 मीटर के लगभग हैं। छतरपुर जिला $26^0 06'$ अंक्षाश से $25^0 20'$ तक उत्तर अक्षांश विस्तार एवं $79^0 59'$ से $80^0 26'$ तक पूर्वी देशान्तर रेखाओं पर स्थित हैं। इसका पूर्वी तथा पश्चिमी भाग क्रमशः केन एवं धसान नदियाँ द्वारा घिरा हैं इसके पूर्वी भाग में पन्ना एवं पश्चिमी भाग में टीकमगढ़ जिला उत्तर भाग में जिला झाँसी महोवा, और बाँदा, जिला उत्तर प्रदेश के भाग हैं इसके दक्षिण में सागर एवं दमोह जिला लगे हुये हैं। औसत वार्षिक वर्षा 1143.1 मि.मी. होती हैं।

तुलनात्मक स्थिति –

टीकमगढ़ जिले की तुलना में छतरपुर जिले में पहाड़ों, पहाडियों, वनों , नदियों, सहायक नदियों तथा नालों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक हैं। छतरपुर जिले में मैदानी भू–भाग टीकमगढ़ जिले के तुलना में कम हैं। छतरपुर जिले की अधिकांश दुर्गम भौगोलिक स्थिति होने के कारण यह टीकमगढ़ जिले की तुलना में विद्यार्थियों को विद्यालय जाने में अपेक्षाकृत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं, जबकि टीकमगढ़ जिले में कुछ ही भू–भाग ऐसा हैं जहां कि भौगोलिक स्थिति दुर्गम हैं। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता हैं कि प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में छतरपुर जिले की भौगोलिक स्थिति एक बड़ी समस्या के रूप में बाधक कारक हैं। टीकमगढ़ जिले में भी लगभग 10 प्रतिशत भू–भाग में भौगोलिक स्थिति प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में बाधक कारक बनी हुई हैं।

2. जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप प्राथमिक शालाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि का न हो पाना –

शोध क्षेत्र की टीकमगढ़ जिले में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 940829 थी जो वर्ष 2001 में लगभग 27.86 प्रतिशत बढ़कर 1203160 हो गयी। इसी प्रकार टीकमगढ़ जिले में 6 से 11 वर्ष तक के बालक–बालिकाओं की संख्या में भी प्रतिवर्ष 2.8 प्रतिशत के अनुसार वृद्धि अंकित की गई वर्ष 2001–2002 में टीकमगढ़ जिले में 6 से 11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 183120 थी, जबकि इसी सत्र में जिले में कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 1777 थी। जिसका विद्यालय छात्र अनुपात लगभग 1:183 आता हैं। निःसन्देह विद्यालयों की यह संख्या इस आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की संख्या की तुलना में कम हैं। सत्र 2001–2002 में 4730 शाला अप्रवेशी बालक–बालिकाओं की संख्या का एक कारण विद्यालयों की संख्या में कमी का होना भी हैं।

छतरपुर जिले में वर्ष 1991 में कुल जनसंख्या 1158076 थी जो वर्ष 2001 में अभूतपूर्व वृद्धि के पश्चात् 1474633 हो गयी। छतरपुर जिले में इन दस वर्षो में जनसंख्या में वृद्धि निश्चित एक समस्यात्मक विषय हैं। इन दस वर्षों के मध्य जिले की जनसंख्या में लगभग 27.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2001 में छतरपुर जिले में 6 से 11 आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं की कुल संख्या 2,19,897 में से विद्यालयों में मात्र 244942 बालक–बालिकाए नामांकित थे, छतरपुर जिले में वर्ष 2001–2002 में प्राथमिक शालाओं की संख्या 1897 थी। यहां विद्यालय छात्र अनुपात 1:171 था। यह अनुपात प्राथमिक विद्यालयों की अपर्याप्त संख्या को

प्रदर्शित करता हैं। इस प्रकार प्राथमिक विद्यालयों की उचित संख्या में कमी भी कम नामाकन का एक प्रमुख कारण हैं।

तुलनात्मक स्थिति –

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में 1991 के पश्चात् जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। कुल जनसंख्या में प्राथमिक विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ी। टीकमगढ़ जिले में भी इस आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के अनुपात से प्राथमिक शिक्षा सुविधा में अनुकूल विस्तार नही हो सका। छतरपुर जिले में तो स्थिति और भी दयनीय है, वहां टीकमगढ़ जिले की तुलना में मात्र 75 से 80 प्रतिशत ही प्राथमिक विद्यालय खोले गये। दोनों ही जिलों में विद्यालय सुविधा की स्थिति दयनीय हैं।

3. अशिक्षित माता–पिता को अपने बच्चों हेतु शिक्षा की सुविधा के उपभोग करने की प्रेरणा का अभाव –

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ जिले में साक्षरता का प्रतिशत 55.73 हैं। जिसमें पुरूष साक्षरता 68.88 प्रतिशत, स्त्री साक्षरता 40.99 प्रतिशत हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की साक्षरता 29.81 प्रतिशत, जबकि अनुसूचित जनजाति की साक्षरता मात्र 15.03 प्रतिशत हैं। उक्त विवरण से यह स्पष्ट होता हैं। कि जिले में अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक लोग निरक्षर हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में तो अभी साक्षरता का श्रीगणेश हो रहा है। निरक्षर व्यक्ति शिक्षा के मूल्य को नही समझते तथा इनको प्रेरित करने के जो भी प्रयास इस जिले में चल रहे हैं वे बहुत युक्तिसंगत नही हैं। यही कारण है कि टीकमगढ़ जिले में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी अनेक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के पश्चात् भी आशिक्षित व्यक्तियों को प्रेरित न कर पाने के कारण अभी लोकव्यापीकरण का सपना पूरा होते हुए नही दिखाई देता।

छतरपुर जिले में साक्षरता की स्थिति सन् 2001 की जनगणना के अनुसार जिले में पुरूष साक्षरता 65.50 प्रतिशत जबकि महिला साक्षरता का प्रतिशत 39.38 है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की साक्षरता का प्रतिशत मात्र इकाई अंक में ही है। जिले की अधिकांश जनसंख्या को शिक्षा संम्बंधी गतिविधियों से कोई रूचि नही है। जिले में शासकीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा स्तर के आयु वर्ग के बालकों–बालिकाओं हेतु शिक्षा देने संबंधी जो भी थोड़ी प्रेरणा उत्पन्न भी की जाती हैं। उसका मात्र

आंशिक प्रभाव ही जनता पर पड़ पाता हैं।

तुलनात्मक स्थिति –

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ जिले में छतरपुर जिले की तुलना में साक्षरता न्यून होने के कारण अभिभावकों में अपने पाल्यों के प्रति शैक्षिक गतिविधियों की दिशा में उदासीनता अधिक है। छतरपुर जिले में यह उदासीनता अपेक्षाकृत कम है। छतरपुर जिले में अधिक साक्षर व्यक्तियों के होने के कारण शैक्षिक गतिविधियों से सम्बन्धित दी जाने वाली प्रेरणाओं का टीकमगढ़ जिले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल प्रभाव दिखाई दे रहा हैं। टीकमगढ़ जिलें में अभी भी महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता की अनुभूति सामान्य गति को प्राप्त नही कर सकी हैं।

4. सुदृढ़ आर्थिक स्थिति न होना –

वर्तमान समाज अर्थ प्रधान समाज है। शिक्षा को ग्रहण करने अथवा किसी कार्य के प्रति श्रम करने का उद्देश्य मात्र धन अर्जित करना हैं। जिन व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति इस प्रकार नही है कि वे पहले किसी कार्य में चाहे वह शिक्षा ग्रहण करना ही क्यों न हो, धन खर्च कर सके वे अपने पाल्यों से धन अर्जित कराना शिक्षा को ग्रहण करने की अपेक्षा अधिक आवश्यक समझते हैं।

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ जिले की जनता का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। लगभग 25 से 30 प्रतिशत लोगों के पास स्वयं की भूमि नही हैं, ये जीवकोपार्जन हेतु या तो किसी बड़े भूमि स्वामी के यहां खेती का कार्य करते हैं अथवा अन्य व्यवसाय की तलाश में कुछ बड़े शहरों में चले जाते है। जिले में किसी बड़े उद्योग के न होने के कारण इन व्यक्तियों का पलायन अपने मूल स्थान से काफी समय के लिए होता है। जिले की लगभग 30 प्रतिशत जनता गरीबी रेखा के नीचे हैं। इन सभी के पाल्य बालक–बालिकाएं या तो अपने अभिभावक के साथ चले जाते हैं अथवा परिवार के बचे हुये लोगों के साथ स्थानीय उपलब्ध रोजगार से संलग्न हो जाते है। आदिवासी और दूरस्थ ग्रामीण अंचलों के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अधिक खराब हैं।

छतरपुर जिले में भी परम्परागत व्यवसाय कृषि का ही हैं। कृषि हेतु जिले के कुछ क्षेत्र विशेष में ही उपजाऊ जमीन है, अधिकाशं लोग इस जिले में भूमिहीन हैं अथवा बहुत कम भूमि के स्वामी हैं। जिले में

तकनीकी जागृति न होने के कारण कृषि सम्बन्धी कार्य भी बहुत अधिक लाभ नही दे पा रहे हैं। इनके पाल्य का प्रमुख उद्देश्य अभिभावकों के साथ सहयोंग कर परिवार चलाना हैं। छतरपुर जिले में आर्थिक स्थिति के कमजोर परिवार के बालक–बालिकाएं मवेशियों को चराने के लिये चरवाहा जिसे स्थानीय बोली में बरेदी कहते हैं। कार्य करने के लिए विवश हैं। ऐसी स्थिति में उनके शाला में प्रवेश लेने अथवा शाला में लगातार उपस्थित रहने का प्रश्न ही नही उत्पन्न होता।

तुलनात्मक स्थिति –

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में आर्थिक विपन्नता का स्तर लगभग एक जैसा ही हैं। टीकमगढ़ जिले कें अधिकांश अभिभावक देश के महानगरों में व्यवसाय हेतु पलायन कर गये हैं। किन्तु उनके परिवार के जन पैतृक गांव में ही निवास करते है। अतः उन परिवार के बालक–बालिकाओं के शाला अप्रवेश या त्यागने की संभावना छतरपुर जिले की अपेक्षाकृत कुछ कम है। क्योकि छतरपुर जिले में अभिभावक रोजगार की तलाश में अपेक्षाकृत दूर तक नही जाते तथा वे अपने गांवो से केवल मौसमी पलायन सपरिवार करते हैं।

5. शिक्षा ग्रहण करने तथा आगामी अध्ययन के प्रति अरूचि होना –

टीकमगढ़ जिले में आज भी ऐसे अनेक परिवारों के समूह हैं जहां का शैक्षिक वातावरण लगभग शून्य है। जिले में मुख्य रूप से बीड़ी व्यवसाय से सम्बन्धित अथवा मजदूर वर्गो के यहां शैक्षिक वातावरण का पूरी तरह अभाव हैं। चूँकि अभिभावक अथवा माता–पिता बच्चों की एक निश्चित आयु हो जाने के पश्चात् भी उसे विद्यालय भेजने के प्रति सतर्क नही होते इस कारण बच्चों में भी विद्यालय जाने एवं शिक्षा ग्रहण करने के प्रति रूचि नही उत्पन्न होती।

छतरपुर जिले में सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ापन शैक्षिक वातावरण के अभाव में शिक्षा के प्रति रूचि का विकास संभव नही हो पाता तथा यदि विवशता में इन छात्रों का प्रवेश विद्यालयों में करा लिया जाता हैं। तो शीघ्र ही ये शाला का परित्याग कर देते हैं।

तुलनात्मक स्थिति –

छतरपुर तथा टीकमगढ़ में शिक्षा ग्रहण करने तथा विद्यालयों में नामांकन के पश्चात् शैक्षिक गतिविधियों के प्रति अरूचि होने की स्थिति शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में एक समस्या है। जिलें में धीरे–धीरे शिक्षा ग्रहण करने के लिये नामांकन की स्थिति में सुधार हो रहा है। शोध हेतु किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। कि शाला त्यागने के अन्य कारणों में से एक कारण शिक्षा के प्रति अरूचि होना भी हैं।

6. शैक्षिक कारक –

बालक–बालिकाओं को विद्यालय में अधिक से अधिक प्रवेश लेने हेतु प्रेरित करने के लिए विद्यालयों का आकर्षक होना आवश्यक है। यहां आकर्षक शब्द से यह तात्पर्य है कि विद्यालय भवन पक्के व सुन्दर हो, विद्यालयों में सभी मानवीय आवश्कताओं की सुविधाएं उपलब्ध हो, विद्यालय का वातावरण हर दृष्टि से छात्रों के शैक्षिक तथा अन्य क्रियाकलाप हेतु उपयुक्त हो। विद्यालय में सहायक शैक्षिक विधियों के उपयोग के द्वारा पूरा कराते हैं।

छतरपुर, टीकमगढ़ जिले की तुलना में अपेक्षाकृत ठीक है। किन्तु वहां भी विद्यालय भवन छात्रों को आकर्षित करने के स्तर के नही हैं। विद्यालयों में अध्ययन के समय सहायक शिक्षण सामग्रियों के प्रयोग तथा शिक्षण विधियों के उपयोग की स्थिति टीकमगढ़ जिले के समान हैं।

तुलनात्मक स्थिति –

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों में प्राथमिक शिक्षा में शैक्षिक कारणों की स्थिति लगभग एक जैसी हैं। विद्यालयों का आकर्षित न होना, सहायक शैक्षिक सामग्रियों तथा विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना एक ओर जहां छात्रों के नामांकन को प्रभावित करता है। वही इन विद्यालयों में अध्ययन कर रहे छात्रों को न्यूनतम अधिगम स्तर न प्राप्त कर पाने हेतु विवश करता हैं। प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में नामांकन का कम होना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर का उपलब्ध न कर पाना एक बहुत बड़ी समस्या हैं।

7. सामाजिक असन्तुलन –

शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में मुख्य रूप से हिन्दू निवास करते है। इन्हें सामान्यतः चार वर्णों में विभक्त किया गया है। एक वर्ण के अन्तर्गत आने वाली जातियां जिन्हें सामान्यतः अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कहते हैं। सामाजिक रूप से अन्य जातियों के समान श्रेणी में नही आ सके। इस सामाजिक असन्तुलन के कारण भेद–भाव पूर्ण व्यवहार तथा अन्य जातियों के लोगों के द्वारा इन्हें हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति शोधक्षेत्र में आज भी विद्यमान हैं। यही स्थिति बालिकाओं के बारे में भी है। चाहे वे किसी भी जाति विशेष से सम्बन्धित क्यों न हो। दोनों जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर जिन गांवों में इन जातियों के लोगों की संख्या कम हैं आज भी इनके पाल्य विद्यालय जाने में संकोच करते हैं। अधिकतर गांवों में एक विद्यालय हैं जो सामान्यतः उच्च वर्ग के लोगों के निवास के पास हैं छतरपुर जिले में अभी भी कुछ आदिवासी क्षेत्र ऐसे है। जहां विद्यालय न होने के कारण बालक–बालिकाएं भय के कारण दूर स्थित विद्यालय में नही जाते। बालिकाओं को भी सम्मानजनक दर्जा प्राप्त न होने के कारण उन्हें भी विद्यालय भेजने में पालक रूचि नही रखते तथा शोधार्थिनी ने अपने शोधकार्य में यह भी पाया कि कुछ बालिकाएं जो विशेषकर निम्न वर्गो की है विद्यालय जाने के बारे में सोच भी नही सकती।

8. धनाभाव के कारण बाल श्रमिक वृत्ति –

शोधक्षेत्र में टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों ही जिलों में विशेषकर नगरों या कस्वे में पर्याप्त संख्या में बाल श्रमिक अर्थोपार्जन हेतु किसी न किसी कार्य से संलग्न दिखाई देते है। टीकमगढ़ जिले में अधिकांश बाल श्रमिक बीड़ी निर्माण, मजदूरी, होटलों, मे सफाई के कार्य में संलग्न तथा वाहनों के सुधारने वाले मिस्त्रियों के यहां सहायक के रूप में कार्य करते हैं। बालिकाएं भी दूसरों के घर बर्तन साफ करने तथा बच्चों को खिलाने के कार्य में संलग्न हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े किसानों के यहां भी बाल श्रमिक कार्य करते हुये देखे गये। इनमें से अधिकांश ने शाला में प्रवेश लिया था किन्तु धन अर्जन करने के कारण शाला का परित्याग कर दिया। छतरपुर जिले में भी टीकमगढ़ जिले के अपेक्षाकृत कुछ कम बाल श्रमिक है। यहां ये मुख्यतः बड़े किसानों के यहां मजदूरी तथा बैढ़न क्षेत्र के इस आयुवर्ग के बालक–बालिकाओं में अधिकांश कोयले की खदानों से कोयला बीनने का कार्य करते हैं। चूंकि इन बाल श्रमिकों की संख्या धीरे–धीरे बढ़ रही है। तथा इनकी शिक्षा ग्रहण करने के प्रति भी कोई रूचि नही है, इसलिए यह समस्या शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में एक विशेष समस्या के रूप में सामने हैं।

9. बालिकाओं में शाला त्यागने की अधिक प्रवृत्ति –

टीकमगढ़ जिले में महिला साक्षरता की स्थिति देश में लगभग अन्य किसी भी क्षेत्र की तुलना में सबसे कम है। यहां कि बालिकाओं में शाला त्यागने की प्रवृत्ति छतरपुर जिले की तुलना में अधिक हैं शोधार्थिनी ने दोनों जिलों में ही बालिकाओं में शाला त्यागने की प्रवृत्ति के लगभग एक जैसे कारण पाये। इन कारण में बाल–विवाह एक प्रमुख कारण है। अधिकांश परिवारों में यह कुप्रथा अभी भी चल रही है। इस प्रथा के अतिरिक्त गरीबी, माता–पिता का अशिक्षित होना, माता–पिता द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित न करना पारिवारिक कार्यो का बोझ, बालिकाओं द्वारा माता–पिता को उनके व्यवसाय में सहायता देना, दहेज तथा शिक्षकों का बालिकाओं की शिक्षा के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण इत्यादि शामिल हैं।

10 प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव –

प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य उत्तरदायी संस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं। शिक्षकों के सेवापूर्ण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाते है। शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा शिक्षण हेतु कार्यरत लगभग 20 प्रतिशत शिक्षक अप्रशिक्षित है। ऐसे शिक्षाकर्मी जिनकी नियुक्ति विगत एक या दो वर्ष के मध्य हुई हैं। उनमें से अधिकांश अप्रशिक्षित हैं टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अध्ययन पर आधारित, शिक्षण पर आधारित, तथा प्रभाव पर आधारित प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। ये सेवाकालीन प्रशिक्षण कम अवधि के है। तथा इन प्रशिक्षणों में जितनी संख्या में शिक्षकों की सहभागिता होनी चाहिये, वह नही हो पाती। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी विगत कुछ वर्षो से डाइट में संचालन हो रहा हैं। इनमें वैकल्पिक शालाओं में नवीन प्राथमिक शाला, शिशु केन्द्र, शिक्षा गारंटी योजना इत्यादि में पदांकित शिक्षकों का प्रशिक्षण शामिल हैं। शोधार्थिनी ने विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अवलोकन के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि विद्यालयों में प्रशिक्षण से प्राप्त जानकारियों का कोई समुचित उपयोग नही हो पा रहा, कुछ क्षेत्र जहां अप्रशिक्षित शिक्षक कार्यरत हैं। वे शिक्षण विधा की अनभिज्ञता के कारण काम चलाऊ ढंग से पढ़ा रहे हैं।

11. प्राथमिक शिक्षा हेतु उपर्युक्त राशि प्राप्त न होना –

वर्ष 1994–2002 में शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ जिले में शासकीय प्राथमिक शालाओं की संख्या 1197

तथा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा संचालित विभिन्न प्राथमिक स्तर की शिक्षण संस्थाएं क्रमशः वैकल्पिक शाला 609 शिशु शिक्षा केन्द्र 88 नवीन प्राथमिक शाला 124 शिक्षा गारंटी योजना के द्वारा संचालित संस्थाएं 198 है। इन्हें वर्ष 1994–2002 के लिये क्रमशः 2160.90 लाख राशि का बजट प्राप्त हुआ। सभी प्रकार छतरपुर जिले में शासकीय प्राथमिक शालाएं 1897 तथा राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा संचालित वैकल्पिक शालाएं 508 शिशु शिक्षा केन्द्र 115 नवीन प्राथमिक शालाएं 278 तथा शिक्षा गारंटी योजना के अन्तर्गत शालाएं 143 हैं। तथा इन्हें वर्ष 1994–2002 में 2383.45 लाख बजट आवंटित हुआ। बजट के आवंटन से यह सहज स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक शिक्षा में जो आर्दश राशि एक विद्यालय हेतु होनी चाहियें उसकी तुलना में आवंटित धन राशि कम हैं।

12. प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ न होना एवं उपर्युक्त पर्यवेक्षण का अभाव –

शोधार्थिनी ने अपने शोध अध्ययन में टीकमगढ़ जिले के 50 तथा छतरपुर जिले के 50 विद्यालयों का इस प्रकार चयन किया जिससे प्रत्येक विकास खण्ड की शालाएं अध्ययन हेतु सम्मिलित की जा सके। दोनों जिलों के लगभग 80 प्रतिशत शालाओं में लिये गयें साक्षात्कार के पश्चात् शोधार्थिनी ने यह पाया कि इन प्राथमिक शालाओं में उपसंचालक शिक्षा विगत एक, दो या तीन वर्षो में एक भी बार पर्यवेक्षण हेतु नहीं आये। शिक्षा संहिता में वर्णित नानक नियम के अनुसार विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों का भी पर्यवेक्षण नहीं होता हैं। कुछ विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं तथा अनेक विद्यालय ऐसे हैं जहां शिक्षको की कमी हैं। महिला शिक्षकों का काफी अभाव हैं किन्तु इस दिशा में प्रशासकीय दृष्टिकोण उत्साहजनक नहीं हैं। अधिकांश विद्यालयों में पदस्थ प्रधानाध्यापक भी प्रशासकीय गतिविधियों के सन्दर्भ में स्तरहीन दिखे।

13. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों का प्रभावहीन होना –

औपचारिकेत्तर शिक्षा, शिक्षा के लोकव्यापीकरण के उद्‌देश्य को प्राप्त करने के लिए पूरक शिक्षा के रूप में हैं। शाला अप्रेवशी तथा शालात्यागी छात्रों को विद्यालय में लाने के उद्‌देश्य से इन शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गयी। टीकमगढ़ में 532 तथा छतरपुर जिले में 557 औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र हैं शोधक्षेत्र में स्थापित ये शिक्षा केन्द्र जिस उद्‌देश्य को लेकर चलाये जा रहे हैं उनकी आंशिक पूर्ति भी ये संस्थाऐ नहीं कर पा रही है। शोधार्थिनी ने उन समस्याओं का अध्ययन किया जिस कारण औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र अप्रभावी हैं उनमें कुछ प्रमुख निम्नानुसार है

1. प्रशासकीय व्यवस्था का संन्तोषजनक न होना ;

2. केन्द्र अनुदेशक को चयन के आधार पर न रखना तथा इन्हें बहुत कम अनुदान राशि देना

3. जिन क्षेत्रों में ये केन्द्र स्थापित हैं उनके निवासियों को इनके बारे में पूर्ण–भिज्ञता न होना ;

4. शिक्षा केन्द्र का समय पर न खुलना ;

5. शिक्षा केन्द्रों में फर्जी नामांकन ;

6. सहायक शैक्षिक सामग्रियों तथा प्रकाश व्यवस्था का अभाव।

उपरोक्त कमियों के कारण औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र किसी भी प्रकार की सफलता अर्जित नहीं कर पा रहें हैं, तथ प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोक व्यापीकरण की दिशा में साधक न होकर बाधक हैं।

14. छात्रों के अनुपात में शिक्षकों की संख्या का कम होना –

शोधार्थिनी ने शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले के 50–50 विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की स्थिति को देखने का विशेषरूप से प्रयास किया। इन विद्यालयों में से केवल 10 प्रतिशत विद्यालयों में शिक्षक छात्र अनुपात की आदर्श स्थिति है। कुछ ऐसे विद्यालय भी हैं जहां 80 से ऊपर छात्रों के बीच केवल एक शिक्षक हैं। 60 से 80 छात्रों के बीच एक शिक्षक का होना, शोधक्षेत्र में बहुत सामान्य बात है।

टीकमगढ़ तथा छतरपुर दोनों जिलों में सर्वेक्षण की गई प्रायः सभी शालाएं शासकीय है। अतः शिक्षक छात्र की अनुपातिक स्थिति शोधार्थिनी को लगभग दोनों जिलों में एक जैसी दिखाई दी । 60 से लेकर 80 या 80 से अधिक छात्रों के बीच शिक्षक की प्रभाविकता का सहज आंकलन किया जा सकता है। आवश्यकता से अधिक भार के कारण ऐसी संस्थाओं में शिक्षण कार्य तथा अन्य विद्यार्थियों के हित के कार्य के प्रति उदासीनता देखी गयीं। लोकव्यापीकरण के लिए एक आवश्यक कारक न्यूनतम अधिगम स्तर का छात्रों में न होना असंतुलित शिक्षक छात्र अनुपात के कारण ही विशेष रूप से हैं। अतः शोध क्षेत्र में

शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण की दिशा में एक बड़ी समस्या के रूप में असन्तुलित शिक्षक छात्र अनुपात को मुख्य रूप से उत्तरदायी कारक माना जा सकता है।

15. प्रोत्साहन योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त न होना –

शाला में शत –प्रतिशत नामांकन तथा पूरे अध्ययन वर्षो तक शालाओं मे प्रवेशी छात्र–छात्राओं को रोके रहने के उद्देश्य से शासन द्वारा संचालित प्रोत्साहन योजनाएं टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले की प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं में भी संचालित हैं। इन प्रोत्साहन में जैसे मध्यान्ह भोजन, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्यपुस्तके, छात्र वृत्तियां तथा उन्हें कुछ क्रीडा सामग्रियाँ प्रदाय करने की व्यवस्था है।

शोधक्षेत्र में प्रोत्साहन सम्बन्धी गतिविधियों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकतर संस्थाओं में मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत प्रतिमाह मात्र 3.5 किलो तक खाद्यांन वितरण छात्र–छात्राओं को किया जाता हैं। मध्यान्ह भोजन देने की जो व्यवस्था प्रारंभ में शुरू की गई थी वह अब मात्र कुछ ही विद्यालयों में संचालित है। इसलिए अधिकांश छात्र–छात्राएं महीने मे केवल एक या दो बार विद्यालय आकर मात्र खाद्यान की प्राप्ति कर लेते हैं अध्ययन तथा शाला आने के बारे में वे विशेष रूचि नहीं रखते। अधिकांश विद्यालयों में शाला गणवेश विशेषरूप से कमजोर आर्थिक स्तर वाले छात्र–छात्राओं को वितरित ही नहीं किये जाते। छात्रवृत्ति शासकीय नियमानुसार दी जाती हैं। किन्तु यह न तो समाज के प्रत्येक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिये हैं तथा न ही इसके द्वारा विद्यार्थियों को इतनी धनराशि दी जाती जो उन्हें कहीं अन्यत्र धनार्जन न कर विद्यालय आने में प्रलोभित करे। प्रायः किसी भी विद्यालय में ही समुचित क्रीड़ा सामग्री का प्रदाय वर्ष भर विद्यार्थियों को सम्भव हो पाता हो। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि शोधक्षेत्र में शासन द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाओं का समुचित लाभ छात्रों को नहीं मिल पा रहा हैं।

ऊपर वर्णित समस्याओं में कुछ समस्याओं का स्वरूप शोधक्षेत्र के अनुरूप बड़ा या छोटा हो सकता हैं। चूकिं शोधक्षेत्र आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन समस्याओं का स्वरूप इस क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से अधिक बड़ा दिखाई देता है। शोधार्थिनी ने अपने शोध विषय के अध्ययन में ऊपर वर्णित समस्याओं की अनुभूति शोधक्षेत्र में प्राप्त की। शोध सुझाव के अन्तर्गत की जाने वाली चर्चा में शोधार्थिनी का यह प्रयास होगा कि वह इन समस्याओं को हल करने की दिशा में वांछित प्रयासों के संदर्भ में भी चर्चा करें।

सुझाव

1. भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये उपयुर्क्त क्षेत्रों में शालाओं की स्थापना की जाय, जिससें दूरस्थ स्थलों में निवास कर रहें 6 से 11 आयु वर्ग के बालक–बालिकाओं के लिये प्राथमिक शाला सहज सुलभ हो सके।

2. कम से कम 200 से 300 जनसंख्या के बीच एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की जानी चाहिये।

3. विद्यालय विहीन आबाद ग्रामों में विद्यालयीन सुविधा उपलब्ध करायी जाय। जिससे अध्ययन किसी भी छात्र–छात्रा को एक कि.मी. की परिधि से अधिक दूरी तय न करना पड़ें।

4. विद्यालयों को कोलाहल भरे वातावरण से दूर तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उचित स्थान पर स्थापित होना चाहियें

5. प्राथमिक विद्यालयों को आबाद क्षेत्रों से बहुत दूर तथा निर्जन स्थान पर स्थापित नहीं किया जाना चाहिये।

6. अभिभावकों में शिक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिये सामुदायिक प्रेरणा देने की व्यवस्था की जाय।

7. स्थानीय व्यक्तियों के परम्परागत व्यवसाय में उचित तकनीकी विकास हेतु प्रबंध करते हुये क्षेत्र विशेष में अधिक से अधिक कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों तथा बड़े उद्योगों की स्थापना की जाय।

8. 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के आयुवर्ग वाले निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर तथा इन्हें स्थानीय परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग से सम्बंधित तकनीकी जानकारी प्रदान की जाय।

9. शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण तथा व्यवसाय परक बनाया जाय।

10. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय सर्वसुविधायुक्त पक्के भवन में संचालित कियें जाना चाहिये,

जिससे वर्ष भर निर्बाध शिक्षण सुनिश्चित किया जा सकें ।

11. विद्यालयों को छात्र–छात्राओं के लिये आकर्षण का केन्द्र बनाया जाय, जिससे ये विद्यालय आने के लिये लालायित रहें।

12. जन–जन को साक्षर बनाकर तथा औपचारिक संसाधनों द्वारा लोगों में मानव मूल्यों को विकसित कर सामाजिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास किये जायें।

13. पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा एक में शत–प्रतिशत नामांकन हेतु स्थानीय निरक्षर जनता कों शिक्षा की उपादेयता स्पष्ट करने हेतु विशेष प्रशिक्षण का आयोजन, लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सकेगा।

14. आर्थिक रूप से पिछड़े हुये परिवारों के अभिभावकों को उनके पाल्यों को कम से कम प्राथमिक स्तर तक अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाय।

15. गरीब परिवार के बालक–बालिकाओं को अध्ययन हेतु अधिक से अधिक आर्थिक सहायता दी जाय।

16. बाल श्रमिक नियंत्रण नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।

17. समाज में व्याप्त बालक–बालिकाओं के मध्य असंतुलन की स्थिति समाप्त की जानी चाहियें।

18. बालिकाओं को बालको के समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर दिये जाने चाहियें।

19. प्राथमिक स्तर तक विद्यालय जा रही बालिकाओं को घरेलू कार्य से मुक्त रखना चाहिये। यदि यह संभव न हो सके तो ऐसी बालिकाओं को औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र में अध्ययन के लिये प्रेरित करना चाहिये।

20. अधिक से अधिक बालिका प्राथमिक शालाऐं खोली जानी चाहिये।

21. बाल विवाह जैसी कुप्रथा में कड़ाई से रोक लगायी जानी चाहिये।

22. बालिकाओं के लिये अलग से छात्रवृत्ति, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तके देने की व्यवस्था होनी चाहिये। इन योजनाओं के संचालन में सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताओं को महत्व देना चाहियें।

23. शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती निश्चित समय अवधि के अन्दर पूरी कर लेना चाहिये। साथ ही आवश्यकतानुसार शिक्षकों के नवीन पदों का सृजन भी करते रहना चाहिये।

24. शासन द्वारा नियुक्त किये जा रहे शिक्षाकर्मियों की सेवा शर्तो तथा उनके वेतन में पर्याप्त सुधार कर उन्हें सहायक शिक्षको की भांति वेतन दिया जाना चाहिये।

25. कई कक्षाओं के छात्र–छात्राओं का सामूहिक शिक्षण रोकने के लिये विद्यालय में कम से कम तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहियें।

26. प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में कम से कम एक महिला शिक्षिका नियुक्त होनी चाहियें।

27. प्राथमिक स्तर पर कार्य कर रहे शिक्षकों को अधिक से अधिक सेवाकालीन विशिष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराये जाने चाहिये। पूर्व में प्रशिक्षित हुये शिक्षकों को शैक्षिक नवाचारों की जानकारी देने तथा उनकी दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से अनुवर्ती प्रशिक्षण एक निश्चित समय अन्तराल के पश्चात दिये जाने चाहिये।

28. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षकों को विषय शिक्षण में स्थानीय परिवेश में उपलब्ध संसाधनों पर आधारित सहायक शिक्षण सामग्रियों के निर्माण की जानकारी दी जानी चाहिये।

29. शासकीय प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक विद्यालयीन सहायक सामग्रियों तथा शैक्षिक सामग्रियों की उपलब्धता हेतु राजीव गांधी शिक्षा मिशन के शालाओं की भांति प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

30. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र जिन उद्‌देश्यों को लेकर स्थापित किये गये थे, उनकी पूर्ति में ये सफल नही हो पाये हैं। इसलियें केन्द्रों के संचालन संबंधी, सभी नियमों की पुर्नसमीक्षा करके उन्हें अधिक

व्यवहारिक बनाया जायें।

31. शालाओं में छात्र–छात्राओं की ग्राह्यतादर को बढ़ाने अर्थात् शाला त्यागी छात्र–छात्राओं की संख्या घटाने के लिये स्थानीय सामुदायिक सहभागिता लेने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिये।

32. ग्राह्यतादर की वृद्धि हेतु शालाओं का शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कार्य प्रभावी ढंग से आयोजित करने चाहिये।

33. प्राथमिक शालाओं में शिक्षा को बाल केन्द्रित रोचक व आनन्द–दायी बनाया जाना चाहिये। जिससे छात्र–छात्राओं को विद्यालयों का वातावरण के समान प्रतीत हो।

34. शासन के द्वारा विद्यालयों में संचालित की जा रही प्रोत्साहन योजनाओं के स्तर का उन्नयन कर उसके लाभ छात्र–छात्राओं को मिले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

35. प्रत्येक छात्र के किसी भी कठिनाइयों को दूर करने के लिय सदैव शिक्षकों को पहल करना चाहिये। शाला के प्रधानाध्यापक को भी यह देखना चाहिये कि शिक्षक प्रत्येक छात्र के प्रति समान रूप से जागरूक तथा प्रयत्नशील हैं।

36. छात्रों के कक्षा 1 में प्रवेश लेने के बाद ही शिक्षकों का उसके अधिगम स्थिति स्तर का आंकलन कर उसमें सुधार हेतु विशेष प्रयास करने चाहिये।

37. शिक्षण में शैक्षिक तकनीकी का उपयोग तथा छात्राओं की रचनात्मक सहभागिता अधिगम स्तर की वृद्धि में अधिक सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

38. अधिकारियों को शालाओं का सकारात्मक पर्यवेक्षण करना चाहिये तथा विद्यालयीन अभिलेख की तुलना में उन्हें कक्षा शिक्षण तथा छात्रों के अवरोध स्तर के आंकलन का प्रयास करना चाहिये।

39. सभी प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं का पर्यवेक्षण मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता में वर्णित अवधि के अनुरूप होना चाहियें।

40. राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित शिक्षण संस्थाओं में राष्टीय शिक्षा नीतिके अनुरूप शिक्षण पद्धतियों को और अधिक बाल केन्द्रित बनाने की आवश्यकता हैं।

41. शोधक्षेत्र के टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले का चयन राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अन्तर्गत संचालित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सन् 1994 में किया गया था इस योजना के क्रियान्वयन के लिये इन जिलों के चयन का मुख्य आधार यहां बालिकाओं का प्राथमिक स्तर पर नामांकन, राष्ट्रीय औसत से कम होना था इस योजना के अन्तर्गत सन् 2001 तक इस क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण को करने का लक्ष्य रखा गया, जिसके अंन्तर्गत प्रतिवर्ष दोनों जिलों को काफी धनराशि उपलब्ध करायी गयी तथा इसके द्वारा कई प्रकार की प्राथमिक स्तर की शिक्षण संस्थाएं संचालित की जा रही हैं। अब 2002 से सर्व शिक्षा अभियान किया गया जिसमें 2010 तक 100 प्रतिशत साक्षरता प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया हैं।

भावी शोध हेतु सुझाव –

राष्ट्र की उन्नति में प्राथमिक स्तर की शिक्षा का महत्व सर्वोपरि हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् समय–समय पर प्राथमिक शिक्षा के अनेक क्षेत्र में बहुत शोधकार्य किये गये। शोधार्थिनी ने भी प्राथमिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश के ऐसे क्षेत्र विशेष जहां प्राथमिक स्तर शिक्षा की शिक्षा में आज तक कोई शोधकार्य नही किये गये, इस शिक्षा की एक वर्तमान प्रमुख समस्या लोकव्यापीकरण के क्षेत्र में शोधकार्य किया हैं। अभी शोधार्थिनी के ही शोधक्षेत्र (टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले) तथा शोधक्षेत्र के निकटवर्ती जिलों में प्राथमिक स्तर में अनेक प्रकार के वृहद शोध किये जा सकते हैं। इस शोधकार्यो के अन्तर्गत कुछ विशेष शोध शीर्षकों पर भविष्य में शोध करने हेतु सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

1. "दमोह तथा पन्ना जिले के प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे बालिकाओं में शाला त्यागने की प्रवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन तथा इसके निदान हेतु सुझाव।"

2. "सागर संभाग में प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी नामांकन तथा शैक्षिक सुविधाओं के वृद्धि का अध्ययन।"

3. "सागर संभाग के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के प्रभावी बनाने की दिशा में किये जाने वाले आवश्यक प्रयासों का संमीक्षात्मक अध्ययन"

4. ''सागर संभाग के प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में न्यूनतम अधिगम स्तर के वृद्धि की दिशा में अपेक्षित प्रयासों का अध्ययन''

5. ''सागर संभाग के चारों जिलों में डी.पी.ई.पी. की अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।''

6. ''सीखना–सिखाना पेकेज पर आधारित शिक्षण से प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में ग्राह्यतादर तथा न्यूनतम अधिगम स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषणात्मक अध्ययन।''

7. ''सागर संभाग में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में संचालित प्रोत्साहन योजनाओं की स्थिति का समीक्षात्मक अध्ययन।''

परिशिष्ट

टीकमगढ़ तथा छतरपुर जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दिशा में किये गये प्रयास तथा उनके प्रभावों के अध्ययन हेतु अवलोकन प्रपत्र

शाला अभिलेख अनुसूची

1. जिले का नाम ....

2. ब्लाक या विकासखण्ड का नाम...

3. विद्यालय जिस गॉव/शहर में स्थित है, उस स्थान का नाम ....

   विद्यालय का भी नाम यदि कोई हो तो ....

4. विद्यालय किस क्षेत्र में स्थित है – ग्रामीण/शहरी ....

5. सर्वेक्षण की तिथि ....

6. शाला किसके द्वारा संचालित है –

   1. जिला परिषद/पंचायत   2. राज्य शासन

   3. स्थानीय निकाय/नगर पालिका/नगर निगम   4. सहायता प्राप्त निजी संस्था

   5. मान्यता प्राप्त किन्तु अनुदान न लेने वाली संस्थाएँ

7. क्या आपकी संस्था में पूर्व प्राथमिक खण्ड है – हॉ/नही ....

8. यदि हॉ तो किस प्रकार की पूर्व प्राथमिक सुविधा है –

   1. आंगनवाडी   2. बालवाड़ी   3. नर्सरी अथवा के.जी. कक्षाएँ

9. आपकी शाला में सबसे निचली तथा सर्वोच्च कक्षाएँ कौन सी हैं ? ....

10. शाला ग्रामीण अथवा शहरी बस्ती के अन्दर है अथवा बाहर ? ....

11. शाला की दूरी किलोमीटर में –

    1. जिला मुख्यालय से

    2. विकासखण्ड मुख्यालय से

3. सबसे समीप प्राथमिक विद्यालय से

4. सबसे समीप पूर्व माध्यमिक विद्यालय से

5. सबसे समीप उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से

6. सबसे समीप आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय से

12. विद्यालय में शिक्षकों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या ....

13. विद्यालय में मुख्य अध्यापक का पद है अथवा नही ....

14. यदि मुख्य अध्यापक का पद है तो वह भरा है अथवा रिक्त एवं यदि रिक्त है तो

कब से ....

15. विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की संख्या सन्

	94–95	95–96	96–97	97–98	98–99	99–2000
पुरूष	....	....	....	....	....	....
महिला	....	....	....	....	....	....
कुल	....	....	....	....	....	....

16. शैक्षिक योग्यता के अनुसार कार्यरत अध्यापकों की संख्या सन् 1999–2000

पुरूष .... स्त्री .... कुल ....

(1) दसवी या बारहवी

(2) स्नातक (बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम.)

(3) स्नातकोत्तर (एम.ए./एम.एस.सी./एम.काम.)

(4) डिप्लोमा प्रमाण पत्र (डी.ई.डी. प्रशिक्षित)

(5) बी.एड.

(6) एम.एड.

17. विद्यालय में शिक्षक – छात्र अनुपात –

छात्र – शिक्षक अनुपात के अनुसार अतिरिक्त पदों की आवश्यकता।

....

18. पिछले चार सत्रों में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या –

1998–1999 1999–2000 2000–2001 2001–2002

19. चालू सत्र के लिये निर्धारित किये गये कार्य दिवसों की संख्या –

20. विद्यालय में चलने वाले कालखण्ड़ो की संख्या –

21. कालखण्ड की अवधि (मिनटों में) –

22. संस्था में समय सारणी है अथवा नही –

23. यदि हॉ तो क्या सारणी के अनुसार शिक्षण कार्य किया जाता हैं ।

24. क्या विद्यालय आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत संचालित है – हॉ/नही

25. निम्नलिखित सहायक शिक्षण सामग्रियों में विद्यालय में कौन–कौन सी सामग्रियॉ हैं –

(उपलब्ध होने की स्थिति में सही का चिन्ह तथा अनुपलब्धता की स्थिति में गलत का चिन्ह लगाये)

1. श्यामपट
2. चार्ट्स (भाषा, गणित, सामाजिक अध्ययन तथा स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी)
3. नक्शे
4. ग्लोब
5. प्राथमिक विज्ञान किट
6. गणित किट
7. लघु औजार किट

8. खेल सामग्री तथा खिलौने

9. खेल उपकरण

10. पुस्तकालय के लिये पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएँ इत्यादि

11. संगीत के लिए साज सामान – हरमोनियम, ढोलक, तबला इत्यादि

12. शाला सूचना पट

13. शाला घन्टी

14. छात्रों के लिये फर्श (फर्नीचर इत्यादि की उपलब्धता पूर्णतः)

    1. सभी छात्रों के लिए

    2. कुछ छात्रों के लिए

    3. अनुपलब्ध

15. शिक्षको के लिए कुर्सियाँ

16. शिक्षकों के लिए टेबिलें

17. चाक और डस्टर इत्यादि

18. सुरक्षित पेयजल सुविधा

19. शौचालय सुविधा (छात्राओं के लिए अलग से शौचालय व्यवस्था है अथवा नही)

20. शाला में रेडियों अथवा टेलीविजन की सुविधा उपलब्ध हैं अथवा नहीं

21. यदि हॉ तो शैक्षिक कार्यो अथवा सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिये इनका कितना उपयोग किया जाता हैं।

22. शाला में खेल के मैदान की सुविधा है अथवा नही यदि हाँ तो –

    1. यह मैदान केवल शाला का है अथवा सार्वजनिक

    2. मैदान शाला परिसर के अन्दर है अथवा बाहर

23. छात्रों का वर्ष में स्वास्थ्य परीक्षण होता हैं अथवा नही

24. छात्रों को संक्रामक रोगों के प्रतिरोधक टीके लगाए जाते है अथवा नही

25. प्राथमिक उपचार केन्द्र

26. पाठशाला भवन स्थित है –

1. पक्के भवन में
2. आंशिक रूप से पक्के भवन में
3. कच्चे भवन में
4. झोंपडे में
5. खुले स्थान में

27. यदि शाला पक्के अथवा आंशिक रूप से पक्के भवन में लगती है तो उसकी वर्तमान स्थिति कैसी है –

1. उपयुक्त
2. काम चलाऊ
3. अनुपयुक्त
4. छात्रों/शिक्षकों की हित की दृष्टिकोण से खतरनाक

28. विद्यालय के जीर्णोद्वार, रख–रखाव तथा साफ–सफाई का स्तर –

1. उत्तम
2. सामान्य
3. न्यून
4. शून्य

29. शाला में कक्षाओं के लिये कितने कमरे हैं।

30. कितने अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता हैं।

31. शाला में विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना चल रही है अथवा नही।

32. यदि हॉ तो योजनार्न्तगत किस प्रकार की सुविधाऍ प्राप्त हैं (सुविधाओं के समक्ष सही का निशान लगाते हुये उन योजनाओं के सुविधा भोगी छात्र/छात्राओं की संख्या दे) –

1. मध्यान्ह भोजन
2. निःशुल्क शाला गणवेश
3. निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकें
4. नियमित छात्रों को छात्रवृत्ति
5. अन्य कोई योजना यदि हो तो –

शिक्षक अनुसूची

1. जिले का नाम ....

2. विकासखण्ड का नाम ....

3. शाला का नाम जहाँ शाला स्थित है ....

4. ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र ....

5. शिक्षक का नाम ....

6. लिंग, पुरूष या स्त्री ....

7. शिक्षक की श्रेणी या पद .... 8. आयु ....

9. शैक्षिक योग्यता ....

10. व्यावसायिक योग्यता

    1. वी.टी.सी./डी.एड. 2. बी.एड. 3. एम.एड. 4. कुछ नही

11. शिक्षक के रूप में प्रथम नियुक्ति की तिथि एवं वर्ष ....

12. नियुक्ति का प्रकार

    1. नियमित या पूर्णकालिक 2. एक सत्र के लिये

    3. अवकाश के कारण रिक्त पदों विरूद्ध

13. आपके द्वारा विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएँ ....

14. आप एक समय में एक ही कक्षा पढ़ाते हैं अथवा एक से अधिक (यदि अधिक तो कितनी) ....

    ....

15. सामान्यतया एक से अधिक कक्षा शिक्षण में कौन–कौन सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पडता है ....

16. ज़ब आप कई कक्षाओं को एक ही कालखण्ड में पढ़ाते हैं ऐसी स्थिति में एक कक्षा को पढ़ाते

समय अन्य कक्षा के बालक क्या करते हैं –

1. आपके द्वारा पढ़ाये गये अंश की मौखिक पुनरावृत्ति करते हैं

2. लिखित कार्य में व्यस्त रहते हैं

3. श्यामपट में लिखे अंशों की नकल करते हैं

4. अपने अवसर के आने की प्रतीक्षा करते हैं

5. कक्षा में या कक्षा के बाहर खेलने या लड़ने लगते हैं

17. आप विद्यालय में कौन–कौन से विषय को पढ़ाते हैं ....

....

18. आपके विद्यालय में सहायक शैक्षिक सामग्रियॉ कौन–कौन सी हैं।

....

....

19. इन सामग्रियों का आप कितना उपयोग करते हैं ....

20. गणित तथा विज्ञान शिक्षण में आप सामान्यतया किन सहायक शैक्षिक सामग्रियों का प्रयोग करते है। ....

21. स्थानीय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर भी क्या आप कम लागत की सहायक शैक्षिक सामग्रियों का आवश्यकतानुसार निर्माण कर प्रयोग कर सकते है ? हॉ/नही

22. यदि हॉ तो इनका छात्रों के अधिगम में क्या प्रभाव पड़ता है ?

....

....

23. सत्र भर में क्या आपके द्वारा पढ़ाये गये पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति भी की जाती है ? हॉ/नही

24. यदि हॉ तो कितनी वार ....

25. क्या आप छात्रों को गृह कार्य देते है ? हॉ/नही

26. यदि हॉ तो किस प्रकार –

1. दैनिक 2. साप्ताहिक 3. पाक्षिक 4. मासिक

27. इन गृहकार्यो के निरीक्षण की अवधि क्या हैं –

1. दैनिक 2. साप्ताहिक 3. पाक्षिक 4. मासिक

28. गृहकार्य न करने वाले छात्रों के साथ आप क्या करते है ?

1. उन्हें अगले दिन पुनः उस कार्य को करने के लिए कहते हैं

2. उनसे गृहकार्य न कर लाने का कारण पूछते हैं

3. गृहकार्य कारके लाये हुयें छात्रों की प्रशंसा कर उन्हें भी इस कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं

4. शारीरिक दण्ड देते है अथवा कक्षा से निकाल देते हैं

29. सत्र के मध्य में शाला त्याग देने वाले छात्रों के लिए आप क्या करते हैं –

1. छात्रों के शाला में न आने का कारण ज्ञात करने का प्रयास करते हैं।

2. छात्रों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्व को बताकर छात्र को विद्यालय वापस लाने में सहयोग देते है।

3. समाज के अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सहायता से छात्रों के शाला त्यागने की प्रवृत्ति को समाप्त कराने हेतू कार्य करते हैं।

4. शाला त्यागी छात्रों के प्रति ध्यान नही देते हैं।

30. विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा अन्य अध्यापकों के प्रति आपका व्यवहार किस प्रकार का है –

1. सामान्य 2. सहयोगात्मक

3. रचनात्मक 4. सहानुभूतिपूर्ण

31. विद्यालय में आप शिक्षण के अतिरिक्त और कौन–कौन से कार्य करते है (संक्षेप में उल्लेख करें)

....

....

32. विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा आपको आपके कार्य में सहयोग किस स्तर का प्राप्त होता हैं –

1. कोई सहयोग नही मिलता 2. आंशिक सहयोग मिलता है

3. पूर्ण सहयोग मिलता है। 4. आवश्यकता से अधिक सहयोग मिलता है।

33. शिक्षण कार्य के अतिरिक्त आपकी और कौन–कौन सी रूचियाँ हैं (संक्षेप में उल्लेख करें)

....

34. क्या आप शिक्षकीय व्यवसाय से सन्तुष्ट हैं – हाँ/नहीं

35. यदि नही तो क्यों –

1. समाज में शिक्षकों को उचित स्थान न मिल सकने के कारण

2. शिक्षकों की आर्थिक दशा अच्छी न होने के कारण

3. शिक्षा विभाग में पदोन्नति के अवसर न्यून होने के कारण

4. सुविधा विहीन स्थानों में पद स्थापना के कारण

शाला के प्रधानाध्यापक के लिये

1. जिले का नाम ....

2. विकासखण्ड का नाम ....

3. शाला का नाम तथा स्थापना जहॉ संस्था स्थित है ....

4. शाला ग्रामीण क्षेत्र में है अथवा शहरी ....

5. प्रधानाध्यापक का नाम तथा योग्यता ....

6. आयु ....

7. संस्था में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने की अवधि ....

8. आप संस्था में कितने कालखण्डों में शिक्षण का कार्य करते है ....

9. क्या आपके विद्यालय में कार्यरत शिक्षक डायरी बनाते हैं – हाँ/नहीं

10. शिक्षकों की डायरी व कक्षा रजिस्टर की जॉच आप निम्नांकित में से किस अनुसार करते हैं

    1. दैनिक 2. साप्ताहिक 3. मासिक 4. कभी नही

11. आपके द्वारा मासिक टेस्टों के परिणाम का मूल्यांकन किया जाता है अथवा नही ....

    ....

12. शिक्षकों को सहायता के उद्देश्य से आप माडल कक्षा शिक्षण का आयोजन कब कराते हैं

    1. साप्ताहिक 2. मासिक 3. कभी–कभी 4. कभी नही

13. विद्यालय के कितने प्रतिशत छात्रों के गृहकार्य की जॉच आप द्वारा की जाती हैं –

    1. 10% 2. 25%

    3. 50% 4. 10% से कम

14. शिक्षकों की उपलब्धि का मूल्यांकन आप कैसे करते है –

वरीयता के आधार पर अंकों का कोड भरें (क्रमशः 1,2,3,4 इत्यादि)

1. कक्षाओं का निरीक्षण ....

2. अध्यापकों द्वारा निर्मित पाठ योजना की जॉच..

3. परीक्षण और परीक्षा में छात्रों की उपलब्धि ....

4. छात्रों के ग्रहकार्य/अभ्यास कार्य पुनः अवलोकन ....

15. विद्यालय समय के अतिरिक्त प्रति सप्ताह स्कूल सम्बन्धी गतिविधियों में आप कितना समय देते हैं (घण्टों में उल्लेख करें) ....

16. क्या आपके विद्यालय में शाला प्रबन्धन समिति तथा पालक–शिक्षक संघ हैं – हाँ/नहीं,

17. यदि हाँ तो इनमें कितने सदस्य हैं तथा इनकी बैठक कितने अन्तराल के पश्चात् आयोजित की जाती हैं,..

....

18. आपका विद्यालय जिस ग्राम या क्षेत्र में स्थित हैं वहॉ क्या ग्रम शिक्षा समिति या क्षेत्र शिक्षा समिति कार्य कर रही है – हाँ/नहीं

19. यदि हाँ तो पिछले सत्र में इन समितियों की बैठक विद्यालय में कितनी बार हुई ....

....

20. आपके विद्यालय का निरीक्षण विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा वर्ष में कितनी वार होता है। .....

....

21. उपसंचालक शिक्षा विद्यालय का पर्यवेक्षण वर्ष में कितने वार करते है (विद्यालय में अन्तिम वार उनके द्वारा किये पर्यवेक्षण की तिथि यदि संभव हो तो उल्लेख करें)..

....

22. क्या आपके विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक हैं – हाँ/नहीं

23. यदि नही तो कितने शिक्षक के पद रिक्त हैं । ....

24. विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षकों की संख्या कितनी है। ....

25. विद्यालय में उपलब्ध सहायक शिक्षण सामग्रियां पर्याप्त हैं अथवा नहीं। ....

26. आपके विद्यालय में अधिकतम कितनी दूरी से विद्यार्थी अध्ययन हेतु आते है। ....

27. विद्यालय को मध्य सत्र में छोड़ देने वाले (शाला त्यागी) छात्रों को पुनः विद्यालय लाने के लिये आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाता है। ....

....

....

28. यदि इस दिशा में प्रयास किया गया है तो कृप्या पिछले सत्र में कितने शाला त्यागी छात्र/छात्राएँ पुनः विद्यालय में अध्ययन हेतु वापस आयें। (संख्या स्पष्ट करें) ....

....

29. विद्यार्थी प्रोत्साहन योजनाएँ जो आपके विद्यालय में चल रही हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है।

....

....

30. इन प्रोत्साहन योजनाओं से छात्र उपस्थिति में क्या प्रभाव पड़ा।

....

....

....

31. स्थानीय जनता का सहयोग विद्यालय संचालक हेतु आपको कितना प्राप्त होता हैं।

....

....

....

32. आपके विद्यालय क्षेत्र के 6–11 आयु वर्ग के बालक/बालिकाएँ की संख्या क्या है।

....

33. इस आयु वर्ग के कितने प्रतिशत् छात्र/छात्राएँ शाला में प्रवेश लिए हैं। ....

34. प्राथमिक शिक्षा के शत–प्रतिशत लोकव्यापीकरण हेतु किन–किन प्रयासों को करने की आवश्यकता है (संक्षेप में बिन्दुओं में उल्लेख करें)

....

....

....

....

....

....

....

छात्र अनुसूची

1. जिले का नाम ....

2. विकासखण्ड का नाम ....

3. विद्यालय का नाम व स्थान/क्षेत्र का नाम ....

4. विद्यार्थी का नाम तथा कक्षा ....

5. विद्यार्थी की आयु (जन्मतिथि भी अंकित करें)

6. लिंग ....

7. जाति (श्रेणी) (सही का चिन्ह लगाएँ)

   1. अ.जा. 2. अ.ज.जा. 3. पिछड़ा वर्ग 4. सामान्य

8. पिता/माता/ अभिभावक का व्यवसाय ....

9. पिता/माता/अभिभावक की शैक्षिक स्थिति ....

10. भाई/वहनों की संख्या ....

11. भाई/बहनों की शैक्षिक स्थिति ....

12. घर में बोली जाने वाली भाषा ....

13. क्या आपने इस विद्यालय में आने के पहले निम्नलिखित में से किसी संस्था में अध्ययन किया हैं। (सही का चिन्ह लगाएँ)

   1. पूर्व प्राथमिक (अ) वालवाडी (ब) आंगनवाड़ी (स) के.जी.कक्षायें
   2. किसी अन्य प्राथमिक शाला में
   3. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र में

14. क्या आप किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण /रोके गये हैं, यदि हाँ तो किस कक्षा में.....................

15. आपको विद्यालय आना कैसा लगता हैं – (सही का चिन्ह लगाएँ)

1. आनन्ददायक

2. सामान्य

3. उत्साहहीन

16. आप विद्यालय क्यों आते है –

1. अध्ययन करने के उद्देश्य से

2. साथियों के साथ खेलने के उद्देश्य से

3. माता–पिता अथवा अभिभावक के दबाव के कारण

4. पास–पड़ोस के बालकों को विद्यालय जाते देखने के कारण

17. आपको घर में पढ़ने में कौन सहायता करता है –

1. माता या पिता   2. बड़े भाई अथवा बहिन

3. ट्यूशन   4. पड़ोसी

18. क्या आपके पास अध्ययन हेतु निम्नांकित सामग्री उपयुक्त मात्रा में हैं अथवा नही, (सही अथवा गलत का चिन्ह लगायें)

1. पाठ्य पुस्तकें   2. नोट बुक्स (कॉपियाँ)

3. स्लेट   4. पेन्सिल, पेन

19. क्या पाठ्यपुस्तकें विद्यालय के द्वारा निः शुल्क प्रदान की गई है – हाँ/नहीं

20 आप कहाॅ तक पढ़ना चाहते है –

1. पॉचवी कक्षा   2. आठवी कक्षा   3. दसवी कक्षा   4. बारहवी कक्षा

5. स्नातक स्तर   6. व्यावसायिक पाठ्यक्रम(इंजीनियरिंग,मेडिकल/शिक्षा/अन्य)

21. आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे ....

22. आपका शारीरिक स्वास्थ्य किस प्रकार का रहता है – बहुत अच्छा/सामान्य/कमजोर

23. आपमें कोई स्थाई रूप से अपंगता या कमी तो नहीं – यदि है तो वह निम्नलिखित में कौन सी है –

1. दृष्टि सम्बन्धी 2. श्रवण सम्बन्धी

3. वाणी सम्बन्धी 4. अस्थि विकलांगता

24. यदि आप पढ़ना नही चाहते तो कारण बताइये –

1. माता–पिता पढ़ाना नही चाहते 2. घर का काम करना पड़ता है

3. जीविकोपार्जन हेतु कार्य करना पड़ता हैं 4. पढ़ाई कठिन व अरूचिकर है

5. शाला आपके घर से दूर हैं 6. शिक्षक शाला में पढ़ाते नहीं है

7. पुस्तकें तथा गणवेश इत्यादि खरीद नही सकते

25. क्या आप शाला से किसी कार्य को करने हेतु लगातार एक माह तक कभी अनुपस्थित रहें हाँ/नही

26. यदि हाँ तो आपने उस समय निम्नलिखित में से कौन से कार्य को किया –

1. घरेलू कार्य

2. घर के व्यवसाय में अवैतनिक सहायता

3. बाहर किसी स्थान/संस्थान में नियमित कार्य

27. क्या उपरोक्त में किसी कार्य को करने हेतु आपको किसी ने बाध्य किया यदि हाँ तो किसने .....

....

28. क्या आपने शिक्षक कक्षा में आते है –

1. प्रतिदिन 2. अधिकतर दिवस 3. कभी–कभी 4. बहुत कम

29. क्या आपके शिक्षक कक्षा में आते हैं –

1. आप स्वयं पढ़ाई करते हैं

2. कक्षा का कोई बुद्धिमान बालक पढ़ाई कराता है

3. किसी अन्य शिक्षक को प्रधानाध्यापक द्वारा भेजा जाता हैं

4. आपकी कक्षा को किसी अन्य कक्षा के साथ बैठा किया जाता है

5. आपकी कक्षा के छात्र खेलते रहते हैं अथवा घर चले जाते हैं

30. क्या आपको शिक्षक द्वारा कक्षा में उपयोग की गई भाषा समझने में असुविधा होती है –हाँ / नही

31. क्या आप कक्षा में सुलेख (इमला) लिखवाने का अभ्यास करते हैं – हाँ / नही

यदि हाँ तो कब–कब

1. प्रतिदिन 2. कभी–कभी 3. कभी नहीं

32. क्या आपके शिक्षक कक्षा में गणित के प्रश्न हल करते हैं – हाँ / नही

यदि हाँ तो किस प्रकार

1. प्रतिदिन 2. कभी–कभी

33. क्या आपके शिक्षक कक्षा कार्य की जॉच करते हैं – हाँ / नही

34. कक्षा कार्य करने में आने वाली कठिनाईयों को हल करने में क्या शिक्षक के द्वारा सहायता दी जाती हैं – हाँ / नहीं

35. क्या आपको गृहकार्य दिये जाते हैं – हाँ / नही

36. क्या गृहकार्य का निरीक्षण किया जाता है – हाँ / नही

37. गृहकार्य करने में आपकी सहायता कौन करता हैं ?

1. माता–पिता 2. भाई–बहिन 3. पड़ोसी4. अन्य शिक्षक

38. आपकी कक्षा में टेस्ट कितनी बार लिये जाते हैं –

1. महीने में एक बार 2. तिमाही 3. अर्द्धवार्षिक (छह माह में)

4. वर्ष में एक बार 5. कभी नहीं

39. क्या आपके शिक्षक आपको बताते है। कि आपने टेस्ट कैसा किया –

1. हमेशा 2. कभी–कभी 3. कभी नहीं

40. आपको छात्र प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित में किन–किन योजना का लाभ विद्यालय में मिल रहा हैं – (मिलने वाली योजना के समक्ष निशान लगायें)

1. मध्यान्ह भोजन 2. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें 3. निःशुल्क गणवेश

4. छात्रवृत्ति 5. किसी योजना का नही

41. क्या आपके शिक्षक अध्ययन कराते समय किसी सहायक शैक्षिक सामग्री का उपयोग करते हैं यदि हाँ तो निम्नलिखित में किस का (सामग्री के समक्ष सही का निशान लगायें)

1. चार्ट 2. पोस्टर 3. नक्शे / ग्लोब

4. मिट्टी या लकड़ी के मॉडल 5. टेलिवीजन / रेडियों / टेपरिकार्डर

42. क्या आपके शिक्षक आपको अध्ययन हेतु शाला भवन के बाहर आस–पास के क्षेत्रों में भी ले जाते हैं यदि हाँ तो निम्नांकित में उपयुक्त में सही का चिन्ह लगायें –

1. सप्ताह में एक बार 2. 15 दिनों में एक बार

3. एक महीनें में एक बार 4. वर्ष में एक बार

5. कभी नहीं

43. आपको विद्यालय में खेलने का अवसर कितने समय का मिलता हैं –

1. पूरे विद्यालय के समय में

2. मध्यावकाश में

3. खेलने के कालखण्ड़ में

4. कभी नही

44. क्या आपको विद्यालय आने में डर लगता हैं यदि हाँ तो किससे

1. शिक्षक से

2. प्रधानाध्यापक से

3. साथ में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं से

4. ऊपर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं से

5. गॉव में किसी व्यक्ति विशेष के कारण

शाला त्यागी छात्रों की अनुसूची

(पिछले सत्र में शाला त्यागने वाले छात्र/छात्राओं के लिये)

1. जिले का नाम ....

2. विकासखण्ड का नाम ....

3. शाला का नाम तथा उस स्थान का नाम जहॉ संस्था स्थित हैं ....

....

4. शाला ग्रामीण क्षेत्र में है अथवा शहरी ....

5. शाला त्यागी छात्र/छात्रा का नाम तथा जाति ....

6. आयु ....

7. किस कक्षा में तथा कब शाला का त्याग किया ....

8. पिता का नाम ....

9. पिता/अभिभावक का व्यवसाय ....

10. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ....

11. निवास से शाला की दूरी ....

12. पिता/अभिभावक की वार्षिक आय ....

13. पिता/माता/अभिभावक की शैक्षिक योग्यता ....

14. भाई/बहनों की संख्या ....

15. भाई/बहनों की शैक्षिक योग्यता (अधिकतम शैक्षिणक योग्यता अंकित करें)

16. विद्यालय छोड़ने का कारण –

1. माता/पिता मेरी पढ़ाई आगे नही कराना चाहते

2. घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है

3. घर मे छोटे भाई/बहनों की देखभाल करनी पड़ती हैं

4. पढ़ाई बहुत कठिन है तथा अध्ययन आनन्ददायक नहीं हैं

5. अस्वस्थ रहते हैं

6. शिक्षक अध्ययन कार्य में सहयोग नही देते

7. शिक्षकों के द्वारा शारीरिक दण्ड दिया जाता है

8. विद्यालय घर से बहुत दूर हैं

9. निवास करना है/कर दिया गया है।

10. धन–कमाने हेतु अन्य कार्य करना पड़ता है।

17. क्या आप पढना चाहते हैं – हाँ/नहीं

18. यदि हाँ तो कहॉ तक

1.	पॉचवी	2.	आठवी	3.	दसवी
4.	बारहवी	5.	स्नातक	6.	अन्य

19. यदि आप अध्ययन करेंगे तो कहॉ अध्ययन करना चाहेंगे –

1. उसी विद्यालय में जहॉ से आप अध्ययन करना चाहेंगे

2. किसी दूसरे ग्रामीण अंचल के विद्यालय में

3. किसी शहरी क्षेत्र के विद्यालय में

4. औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्र में

20. क्या वर्तमान में आप कही कार्य कर रहे हैं – हाँ/नही

21. यदि हाँ तो किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। ....

22. उस कार्य को करने में प्रतिदिन कितना समय लगता है। (कितने बजे से कितने बजे तक का भी उल्लेख करें) ....

23. आप जिस कार्य को करते हैं उसका आपकों कितना पारिश्रमिक (रूपयों में) मिलता है। ....

....

24. इस रूपये को खर्च कौन करता है –

1. आप स्वयं 2. पिता 3. माता

4. अभिभावक 5. बड़े भाई अथवा बहन

25. आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है –

1. अच्छा 2. सामान्य 3. खराब 4. कमजोर

26. यदि आप निम्नलिखित में किसी भी विकलांगता से ग्रसित हैं तो उसके समक्ष सही का चिन्ह लगायें।

1. दृष्टि 2. श्रवण 3. वाणी

4. हाथ या पैर के विकार या लकवाग्रस्त।

अभिभावकों से साक्षात्कार

1. अभिभावक का नाम ....

2. उम्र ....

3. निवास स्थान (पता) ....

4. शैक्षणिक योग्यता ....

5. व्यवसाय ....

6. वार्षिक आय ....

7. आपके कुल कितने पुत्र/पुत्रियाँ हैं ....

8. इनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता कितनी है।

   पुत्र की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

   पुत्री की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता ....

9. क्या आपका कोई आश्रित, पुत्र/पुत्री प्राथमिक कक्षा में (कक्षा 1 से 5 तक) अध्ययन कर रहे है। हाँ/नही

10. यदि हाँ तो किस कक्षा में ....

11. आपके निवास स्थान से उनकी शाला (प्राथमिक शाला) कितनी दूरी हैं ....

12. आपके पुत्र/पुत्री विद्यालय में कितने समय तक रहते हैं। ....

13. घर में अध्ययन हेतु प्रतिदिन उनके द्वारा कितने समय का उपभोग किया जाता हैं ....
    ....

14. क्या विद्यालय द्वारा दिये शिक्षण से आप प्रसन्न हैं ....

15. क्या आपके पाल्य आपको विद्यालय में दिये गये गृहकार्य के बारे में बताते है। हाँ/नही

16. यदि हॉ तो आप इन्हे दिये गये गृहकार्य से सन्तुष्ट है अथवा नहीं

17. पुत्र/पुत्री गृहकार्य किस प्रकार करते है।

(अ स्वंय करते हैं।

(ब) अभिभावक की सहायता लेते हैं।

(स) ट्यूटर की सहायता से

(द) पड़ोसी की सहायता से

18. क्या आपके बालक को विद्यालय में शारीरिक दण्ड दिया जाता हैं, हाँ/नहीं

19. यदि हॉ तो आप इस कार्य से प्रसन्न है, अथवा अप्रसन्न

20. विद्यालय में उपलब्ध छात्र प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आपके पाल्य को कितना मिल रहा हैं।

(अ) पूर्णतः (ब) आंशिक (स) लाभ नही मिलता

21. क्या आपका बालक विद्यालय जाने से भयभीत रहता हैं। हाँ/नही यदि हॉ तो उसका कारण क्या है ?

(अ) प्रधानाध्यापक से (ब) शिक्षक से

(स) बड़े छात्र/छात्राओं से (द) कोई अन्य कारण

22. आप अपने पाल्य को कहॉ तक पढ़ाना चाहते हैं। ....

23. आप पुत्र तथा पुत्री दोनो को शिक्षा के समान अवसर देने के पक्षधर है अथवा नही

24. यदि आप पुत्री को अधिक नही पढ़ाना चाहते तो उसका क्या कारण हैं।

(अ) पुत्री को घर का कार्य सिखाना हैं (ब) विवाह शीघ्र करना हैं

(स) पुत्री को अधिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं हैं।

(द) पुत्री के अध्ययन से आपकी समाजिक प्रतिष्ठा घटती हैं

25. क्या आपके पुत्र/पुत्री ने प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन बीच में ही त्याग दिया है। हाँ/नही

26. यदि हॉ तो उसके क्या कारण हैं।

(अ) आपकी आर्थिक स्थिति खराब है। (ब) पुत्र/पुत्री किसी व्यवसाय में लग गये

(स) पुत्र/पुत्री किसी कारण वशं गांव से चले गये (द) इनका विवाह कर दिया गया

(इ) शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नही रहा था।

27. प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने वाले आपके पुत्र/पुत्रियों के लिये आप क्या करना चाहेंगे

(अ) वे अध्ययन हेतु अब किसी विद्यालय में न जायें।

(ब) शिक्षा को बीच में छोड़ना एक बड़ी भूल थी, उन्हें आप पुनः विद्यालय में भेजेंगे।

(स) औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों में भेजेंगे।

अधिकारियों से साक्षात्कार

1. अधिकारी का नाम ....

2. किस विकासखंड/जिले में पदस्थ हैं ....

3. आपके विकासखंड में कितनी प्राथमिक शालायें हैं ....

   (अ) ऐसी माध्यमिक शालाये जिसमें प्राथमिक कक्षाये संचालित हों रही हैं

   (ब) शासकीय प्राथमिक शालाओं की संख्या..

   (स) **D.P.E.P** योजना के अंतर्गत संचालित विद्यालयों की संख्या.............................

4. आपके विकासखंड में प्राथमिक शालाओं में कार्यरत शिक्षकों की संख्या कितनी है ....
   ....

5. पिछले 5 वर्षों में आपके विकासंखण्ड़ में कितने नवीन प्राथमिक विद्यालय खुले...............................
   ....

6. आपके क्षेत्र में विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु वर्तमान में अधिक से अधिक कितनी दूरी तक जाना पड़ता हैं ....

7. पिछले 5 वर्षो में प्राथमिक शिक्षा के (किसी भी योजना के अन्तर्गत) कितने नवीन विद्यालय भवन बनाये गये...

8. क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसा वर्ग समूह, जाति समूह या किसी विशेष व्यवसाय से लगे हुये लोगों का समूह निवास करता हैं/जिनके पाल्य (पुत्र/पुत्री) सामान्यतः प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में कोई रूचि नही रखते

   (उल्लेख करे) ....

9. आपके क्षेत्र में औपचारिक शिक्षा केन्द्रो की संख्या कितनी हैं ....

10. क्या आप इस बात से सन्तुष्ट है कि औपचारिक शिक्षा केन्द्र अपने लक्ष्य की पूर्ति में

सहायक सिद्ध हो रहे है। हाँ/नही

11. यदि नही तो मूल कारण स्पष्ट करे। ....

12. आपके क्षेत्र से एक शिक्षकीय प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी हैं ....

13. शिक्षको के रिक्त पद कितने है कृपया भर्ती हुऐ शिक्षा कर्मियों की संख्या का भी उल्लेख करें। ....

14. प्राथमिक शालाओं में शासन द्वारा संचालित कौन–कौन सी प्रोत्साहन योजनाये चल रही हैं। .....
....

15. इन प्रोत्साहन योजनाओं का छात्रों की भर्ती संख्या में क्या प्रभाव पड़ा हैं ....
....

16. आप एक माह में कितने प्राथमिक शालाओं का निरीक्षण करते हैं ....

17. शालात्यागी छात्रों को पुनः विद्यालयों में भर्ती करने के लिये आपके द्वारा किये गये प्रयासों के क्या परिणाम रहे है। ....
....
....
....

18. कृपया प्राथमिक शिक्षा के शत्–प्रतिशत लोकव्यापीकरण हेतु अब किन प्रयासों की आवश्यकता हैं।

(बिन्दुवार अभिमत दें)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. विश्व के महान शिक्षा शास्त्री – सरयू प्रसाद चौबे
2. भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएं – पी.डी. पाठक
3. शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के मूल आधार – डॉ. गोविन्द तिवारी
4. भारत में शिक्षा दर्शन एवं शैक्षिक समस्याएं – पी.डी. पाठक एवं त्यागी
5. शिक्षा क्रम विकास – डॉ. श्याम लाल कौशिक
6. भारतीय शिक्षा के प्रवर्तक – डॉ. आत्मा नन्द मिश्र
7. प्रारम्भिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण – उमा शंकर चतुर्वेदी
8. आधुनिक भारतीय शिक्षा समस्याएं एवं समाधान – रविन्द्र अग्निहोत्री
9. शिक्षा में नए आयाम एवं नवाचार– उमा शंकर चतुर्वेदी
10. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) – जे.सी. अग्रवाल
11. नई शिक्षा नीति क्रियान्वयन एवं सतत मूल्यांकन – 3
12. भारतीय शिक्षा की समस्याएं एवं प्रवृत्तियाँ – डॉ. सुबोध अदावाल, माधवेन्द्र उनिया
13. आधुनिक भारत में शिक्षा – प्रो. हेतसिंह बुन्देला
14. बुद्धि परीक्षण – डॉ. प्रहलाद नारायण
15. समकालीन भारतीय शिक्षा का स्वरूप एवं उनकी सम्भावनाएं – डॉ. मणि शर्मा
16. पलाश पत्रिकाएं, साक्षरता की ओर बढ़ते कदम पत्रिकाएं, डी.पी.ई.पी. पत्रिकाएं,साक्षरता मिशन पत्रिकाएं, सभी के लिए शिक्षा भारतीय परिदृश्य फैलते क्षितिज पत्रिकायें।
17. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951 से 1956) से दसवीं पचवर्षीय योजना तक
18. ऑकड़ों तथा तालिकाओं का संकलन
19. शिक्षा से सम्बंधित प्रकाशित सामग्री का उपयोग
20. मिशन, योजनाएं तथा सामाजिक संगठनों की पाठ्य सामग्री
21. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला टीकमगढ़ वर्ष 1995 से 2002 तक
22. जिला सांख्यिकी पुस्तिका जिला छतरपुर वर्ष 1995 से 2002 तक
23. चुनौती पत्रिकाएं

24. शैक्षिक अनुसंधान के मूल तत्व – सुखिया एवं मल्होत्रा

25. भारतीय संविधान और शासन – एस.पी. वर्मा

26. "A Survey of Research in Demography" Indian Council of Social Science Research New Delhi

27. A Survey of Research in Education Baroda-Buch M.B.

28. A General Review of Rajeev Gandhi Siksha Mission

29. An Introduction to Educational and Research-R.M.W. Travar

30. An Introduction to Educational and Psychological Research-M. Verma

31. Development of Education in India 1993-94 Department of Education, Ministry of Human Resource Development Govt. of India, New Delhi

32. District Primary Education Programme of Tikamgarh District (Draft Plan - 1994-2001)

33. District Primary Education Programme of Chatterpur District (Draft Plan - 1994-2001)

34. District Primary Education Programme - Annual Work Plan Distrct Tikamgarh 1999 - 2000 - 2001

35. District Primary Education Programme - Annual Work Plan Distrct Chatterpur 1999 - 2000 - 2001

36. The Elements of Research of Education - F.L.Whitney

37. The Primary Teacher - Trimasik

38. The Science of Educational Research Methods - George J.Mouly

39. Third, Forth & Fifth Survey Report of Educational of Research N.C.E.R.T. New Delhi

40. Universalization of Primary Education - Konark Publication - Malgavkar P.D. (1995)

41. Universalization of Elementary Education-Research Trends & Educational Implications-Dr.R.D.Sharma-Department of pre School & Elementary Education. N.C.E.R.T. New Delhi Publication,